संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 : अंक 3 : जुलाई 2021 : ₹ 100

- चर्चित विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेख
- मासिक करेंट अफेयर्स संकलन
- महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में
- करेंट अफेयर्स आधारित मानचित्र अध्ययन
- उपयोगी अभ्यास-प्रश्न

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह

(योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू.)

अखिल मूर्ति के निर्देशन में
टीम वही, मैगज़ीन नई

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

www.sanskritiias.com

न्यूज़ आर्टिकल

- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्य सभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

जिस्ट

करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ई.पी.डब्ल्यू.) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स

करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

PT Card

प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

PT Quiz

प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या सहित उत्तर।

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

समसामयिक घटनाओं तथा सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित चर्चित अवधारणाओं/शब्दों का परिभाषिक अर्थ तथा संबंधित तथ्य

नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | संपर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 | अंक 3 | जुलाई 2021 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

श्री अमित कुमार सिंह, श्री ए.के. अरुण, श्री सीबीपी श्रीवास्तव, श्री कुमार गौरव, श्री राजेश मिश्रा, श्री रीतेश आर. जायसवाल, श्री विकास रंजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

कार्यकारी संपादक

सुशील नाथ कुमार

संपादन सहयोग

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, किरनदीप कौर, रणंजय पांडे, द्विजेंद्र कौशिक, रंजीत झा, कमलेश पांडे, कृष्ण कुमार

लेखन एवं संकलन

अभिषेक शुक्ला, एकता शर्मा, पंकज तिवारी, रश्मि नहाटा, अर्चना द्विवेदी, शिव कुमार चौबे, पुनीत पाल, अभिषेक द्विवेदी, अमित कुमार भारती, अभिजीत यादव, बृजेश कुमार, शुभम ओझा

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, रोशन, सचिन कुमार, जसबीर सिंह, संतोष कुमार झा, पवन कुमार

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
संस्कृति करेंट अफेयर्स,
संस्कृति पब्लिकेशन्स,
631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (Whatsapp) करें – 8800873762 (सुशील नाथ कुमार)

वितरण व विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 9811481823 (प्रमोद सिंह कनवाल)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा 631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 6

लेख खंड 7–18

समुदाय आधारित विकास और न्यायपूर्ण भारत

बदलती विश्व व्यवस्था में आवश्यक है चीनी पैटर्न को समझना

पिघलते हिमनद एक बड़ी त्रसदी के संकेत हैं

करेंट अफेयर्स खंड 19–114

प्रश्नपत्र-1 *19–29*

इतिहास, कला एवं संस्कृति 19

भूगोल 24

सामाजिक मुद्दे 26

प्रश्नपत्र-2 *30–74*

राजव्यवस्था एवं शासन 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 40

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 62

प्रश्नपत्र-3 *75–108*

आर्थिक घटनाक्रम 75

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 85

आंतरिक सुरक्षा 96

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 98

आपदा प्रबंधन 107

प्रश्नपत्र-4 *109–110*

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 109

विविध *111–114*

मानचित्र अध्ययन 115–116

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 117–143

योजना

नीति आयोग : संघवाद की नई परिभाषा 117

गुजरात की विकास कथा 119

एक राष्ट्र-एक चुनाव 121

कोविड-19 प्रभाव तथा राजकोषीय संघवाद 123

संघवाद की चुनौतियाँ और आगे की राह 125

स्वातंत्रोत्तर भारत में मानव विकास 125

रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटन 127

डाउन टू अर्थ

शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य और प्रयास 128

उत्तराखंड में दावानल 128

ध्रुवों की ओर पलायन को मजबूर समुद्री प्रजातियाँ 129

भाषाओं का सिमटता संसार 129

रंगदार कपास 131

सिंचाई और भूजल संकट 132

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

आरक्षण, दक्षता और भारतीय संविधान का निर्माण 132

कोविड-19 : नैतिकता और मृत्युदर तथा भारत का यौन पदानुक्रम 136

कोविड-19 के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था 138

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ और भारतीय बैंकों का बैड लोन 141

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 144–148

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न 149–158

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 149

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 155

संपादकीय

प्रिय पाठको,

धैर्य, मज़बूत इच्छाशक्ति और निरंतरता मानव स्वभाव के वे गुण हैं जो किसी भी मुकाम को हासिल करने की गारंटी हैं। 'धैर्य' वह मानसिक कवच है जो व्यावहारिक जीवन की राह में कितनी भी प्रतिकूल बाधाएँ आ जाएँ, व्यक्ति को हर परिस्थिति को सहन करने की सामर्थ्य देता है। 'मज़बूत इच्छाशक्ति' वह मानसिक सामर्थ्य है जो व्यक्ति में अनवरत रूप से ऊर्जा का संचार करती है और 'निरंतरता' वह सकारात्मक ऊर्जा है जो लक्ष्य के प्रति व्यक्ति के विश्वास को मज़बूत रखती है।

जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है तो जीवन में उसके लिये कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं रह जाता, कोई भी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रह सकती और उसका कोई प्रयास निरर्थक नहीं हो सकता; फिर चाहे गली-मोहल्लों में ठोकरें खाने वाला अली विश्व का सबसे महान मुक्केबाज मोहम्मद अली बन गया हो, रामेश्वरम में एक गरीब नाविक जैनुलाबदीन के घर पैदा हुआ बालक बड़ा होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष बना हो और देश के हर युवा का प्रेरणा स्रोत बन गया हो या कि पहाड़ को तोड़कर 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी बन गया हो।

इस चर्चा में हमने जिन तीन लोगों का ज़िक्र किया, ये तीनों अलग-अलग परिवेश और पृष्ठभूमि में पैदा हुए एवं पले-बढ़े, तीनों की अलग-अलग तरह से परवरिश हुई। जीवन के एक दौर में उनका वजूद यह था कि वे सिर्फ एक सामान्य बालक थे, किंतु जीवन में एक पड़ाव पर पहुँचकर वे देश-दुनिया के करोड़ों लोगों के लिये प्रेरणा स्रोत बन गए। अपने मकसद को हासिल करने के लिये हर युवा और संघर्षरत व्यक्ति के लिये मिसाल बन गए। सामान्य रूप से देखने पर इन तीनों में अधिकांश बातें भिन्न है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इनमें सामान्य हैं, वे हैं व्यक्तित्व के ये तीन गुण- धैर्य, मज़बूत इच्छाशक्ति और निरंतरता।

बात कोई 1960 के दशक की है। बिहार के गया जिले में एक गाँव पड़ता है गेहलोर। आधारभूत सुविधाओं से पूर्णतः वंचित एक दूर-दराज का गाँव। स्वास्थ्य सुविधाओं से इस कदर अछूता कि अगर किसी को बुखार आ जाए और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो 55 किलोमीटर का सफर तय करना होता। वैसे, नज़दीकी शहर की दूरी महज 15 किलोमीटर थी लेकिन गाँव और उसके बीच एक पहाड़ है जिसकी वजह से एक लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता था। पीने का पानी लेने के लिये भी महिलाओं को पहाड़ पर चढ़कर एक संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता था।

इसी गाँव में दशरथ माँझी अपनी पत्नी फगुनिया और बच्चों के साथ रहते थे। परिवार को पालने के लिये दशरथ माँझी खेतों में मज़दूरी करते थे। पुरुष प्रधान समाज की प्रचलित सोच से विपरीत दशरथ माँझी फगुनिया से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन फगुनिया पानी लाते समय पहाड़ के संकरे रास्ते से फिसलकर गिर गई, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरी चोट आई। डॉक्टर के पास जाने के लिये 55 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता, मोटरगाड़ी भी नहीं थी। हरसंभव प्रयास के बावजूद दशरथ माँझी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। पत्नी को खोने का उन्हें गहरा आघात पहुँचा। उन्हें पता था कि अगर समय रहते डॉक्टर के पास पहुँच जाते तो फगुनिया उनके साथ होती। दूसरी तमाम अड़चनों से इतर उनकी इस निराशा की सबसे बड़ी वजह गाँव के पास का वह पहाड़ था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी समय रहते अस्पताल नहीं पहुँच सकी।

उसी समय दशरथ माँझी ने तय किया कि वह इस अड़चन को दूर करके ही दम लेंगे। फिर क्या था, हाथ में छैनी और हथौड़ा लेकर पहुँच गए पहाड़ को तोड़ने। जब गाँववालों को उनकी इस बात का पता चला तो पहले तो सभी ने बहुत समझाया, पर जब वह नहीं माने तो लोगों ने उन पर हँसना शुरू कर दिया। गाँववालों की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी थी क्योंकि दशरथ माँझी उस कहावत- 'कौन कहता है कि आसमाँ में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालकर देखो', से प्रेरणा लेकर कोई बड़ा लक्ष्य साधने नहीं जा रहे थे, बल्कि सच में पत्थर उछालकर आसमाँ में सुराग करने में लगे हुए थे। या यूँ कह लें कि वह सीढ़ी बनाकर चाँद पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे।

धीरे-धीरे समय बीतता गया, दिन-सप्ताह-महीने-वर्ष गुज़रते गए। पहाड़ जस का तस था, मानो गाँववालों के साथ मिलकर दशरथ माँझी का उपहास उड़ा रहा हो। पृथ्वी दसियों बार सूर्य की परिक्रमा कर चुकी, ग्रहों व नक्षत्रों ने अनगिनत बार अपनी दशा बदली, मौसम आए और गए। सर्दी, गर्मी और बारिश अनगिनत बार आईं और चली गईं। दुनिया में सबकुछ हो रहा था, गाँव में कई बच्चे पैदा होकर इतने बड़े हो गए कि उपहास उड़ा सकें। प्रकृति से लेकर मानव स्वभाव ने कितने ही बार अपना रुख बदला लेकिन अगर कोई नहीं बदला, वह थे दशरथ माँझी। पहाड़ की चट्टानों से भी अधिक मज़बूत इरादे, उसकी स्थिरता से भी गहन धैर्य और दो दशक से अधिक समय के निरंतर प्रयास के साथ दशरथ माँझी ने सदियों से अस्थिर खड़े उस विशालकाय चट्टानी भूखंड के आखरी टुकड़े को ज़मीदोज कर दिया। 22 वर्षों की अथक मेहनत के पश्चात् दशरथ माँझी ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, जो उन्होंने अपने आप से की थी।

दरअसल, जब आप किसी ऐसे लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में आपके आस-पास में किसी ने सोचा भी नहीं होता है तो अन्य लोगों को वह नितांत असंभव लगता है। किंतु, यदि आपका उस लक्ष्य में सौ फीसदी यकीन है, तब आप धैर्य, मज़बूत इच्छाशक्ति और निरंतरता के साथ उसे साधने के प्रयास में लग जाइये। इस बात पर ध्यान मत दीजिये कि कोई क्या कहेगा क्योंकि उस लक्ष्य के पीछे जो सोच है, उसे सिर्फ आप समझते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना इसी की बानगी है-

'लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।'

शुभकामनाओं सहित,

AMurti

(अखिल मूर्ति)

समुदाय आधारित विकास और न्यायपूर्ण भारत

डॉ. रमाशंकर सिंह

मानव और प्रकृति: कमज़ोर होते सह-संबंध

कविवर रबींद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' लिखा है। इसे पढ़ते हुए प्रत्येक भारतीय का अंत:करण राष्ट्र प्रेम, प्रसन्नता और गौरव से भर जाता है। इसमें उस प्राकृतिक सुषमा का अभिराम वर्णन किया गया है, जिससे मिलकर भारतवर्ष बना है। यही बात बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा सृजित 'वंदे मातरम्' के बारे में भी कही जा सकती है, जहाँ भारत भूमि की प्राकृतिक सुषमा को रचने वाले प्राकृतिक संघटकों की शत-शत वंदना की गई है। किंतु, अगर हम इन दोनों सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में वर्णित नदियों, पर्वतों, वनों, समुद्र इत्यादि की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें तो ये सब-के-सब प्रदूषण, मानवजनित अवनयन, अतिक्रमण और अविवेकपूर्ण दोहन के शिकार हो गए हैं। विगत सौ-सवा सौ वर्षों में भारत भूमि का प्राकृतिक भू-दृश्य इतना अवक्रमित हो जाएगा, ऐसा इन दोनों महापुरुषों और उनकी पीढ़ी में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कालिदास के समय के भारत में हिरण के शावक, मानव और वन एक ही धरातल पर 'स्वतंत्रता और सहअस्तित्व' में देखे जा सकते थे। आज वही हिरण शावक उन्हीं मनुष्यों से अपनी जान की भीख माँग रहे हैं। ऐसा इसलिये हुआ है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच जो सहजीवी संबंध (Symbiotic relationship) था, वह औद्योगिक क्रांति के समय कमज़ोर हुआ और उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में विज्ञान एवं तकनीक की बढ़ती भूमिका के पश्चात् लगभग टूट गया है।

ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति एवं मानव के बीच सह-संबंध की यह टूटन सिर्फ या मूलत: भारत में ही घटित हुई है, बल्कि पूरी दुनिया में ही मनुष्य और उसके प्राकृतिक अधिवास के बीच एक अनवरत संघर्ष शुरू हो गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मनुष्य जिस डाल पर बैठा है, उसी को काट रहा है; और उसे लगता है कि ऐसा करना ही उसके बचे रहने की पूर्वशर्त है! आज मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने लिये इतनी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं कि वह मंगल ग्रह पर बसने के उपाय खोज रहा है। उसके इसी व्यवहार के चलते कई ऐसी परिघटनाओं का जन्म हुआ है, जिनकी वजह से पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन ही संकट में पड़ गया है। 'जलवायु परिवर्तन' इन्हीं परिघटनाओं का सामूहिक नाम है। सागरों का बढ़ता तापमान, हिमनदों का पिघलना और उनके सिकुड़ने की तेज़ गति; गर्मी, वर्षा और शीत इत्यादि मौसमी घटनाओं का चरम रूप; ये सभी मानव के गैर-संवेदनशील, अविवेकपूर्ण एवं अतिवादी रवैये के परिणाम हैं। खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर गहराता संकट इसी का प्रकटीकरण है। इसी बीच वर्ष 2019 के अंतिम महीनों में कोविड-19 संकट का आना, जिससे समूची दुनिया त्रस्त है। इस संकट की पृष्ठभूमि निर्मित करने में प्राकृतिक अवनयन की भी भूमिका मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से नए-नए किस्म के वायरस और सूक्ष्मजीव सक्रिय हो रहे हैं, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हुए थे। इन वायरस और सूक्ष्मजीवों में से कुछ का प्रभाव मानव जीवन के लिये बहुत ही घातक होने वाला है।

इस पृष्ठभूमि में हमें प्राकृतिक वातावरण की संरक्षा के संबंध में त्वरित एवं संजीदा ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी देखना है कि ऐसा क्या किया जाए कि मनुष्य खुद तो जीवित रहे ही, साथ में जीव-जगत, वनस्पतियाँ और दूसरे वैकल्पिक अधिवास भी बचे रह सकें; इसी में सभी की भलाई है।

प्रकृति की रक्षा : राज्य बनाम समुदाय

प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? इसका पहला उत्तर है कि पृथ्वी स्वयं ही कर लेगी, जैसाकि वह पहले से करती रही है। उसकी अपनी एक प्रणाली है जिसके द्वारा वह अपने को बार-बार नवीनीकृत कर लेती है। वस्तुत: यह उस वातावरण के लिये आदर्श स्थिति हो सकती है जिसमें मनुष्य नाम का प्राणी पृथ्वी पर न रहता हो। मनुष्य प्रकृति पर दसियों लाख वर्षों से मौजूद है। वह न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने पृथ्वी के वातावरण में 'हस्तक्षेप' भी किया है। इस वैज्ञानिक परिघटना को 'एंथ्रोपोसीन' कहते हैं। इसके तहत माना जाता रहा है कि एक ग्रह के रूप में पृथ्वी का जो रूपांतरण हुआ है, उसमें एंथ्रोपोसीन की भूमिका रही है। एंथ्रोपोसीन की अवधारणा मनुष्यों एवं प्रकृति के बीच की विभाजन रेखा के स्थायी ध्वंस को दर्शाती है। इस नए युग में प्राकृतिक वातावरण का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि धरती पर सजीव या निर्जीव, ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके साथ मनुष्यों ने छेड़छाड़ न की हो।

हमारे एक तरफ मनुष्य की शानदार उपलब्धियाँ हैं तो दूसरी तरफ बीमार पृथ्वी। यह लगभग एक 'अंतिम चुनाव' का प्रश्न है कि हमें क्या चुनना चाहिये, सुविधा या जीवन? जाहिर तौर पर 'जीवन' ही चुना जाएगा। इस जीवन में सब कुछ शामिल होगा: जीवन के सभी रूप, केवल मनुष्य नहीं। पहली नजर में यह एक आदर्श स्थिति प्रतीत होती है, किंतु यह व्यावहारिक है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भारत की नदियों, तालाबों और आर्द्र भूमियों के अतिरिक्त उसके अनन्य अधिकार क्षेत्र में अवस्थित

सागरों में विभिन्न प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जीव-संरक्षण कानूनों के तहत उनका शिकार प्रतिबंधित है, उनके शिकार को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बावजूद उनका शिकार होता रहा है। इधर गंगा सहित कई नदियों के किनारे 'कछुआ अभयारण्य' बनाए गए हैं। फिर भी इनके शिकार की घटनाएँ प्रकाश में आती रहती हैं। इसका एक प्रमुख कारण इन नदियों के किनारे बसने वाले परिधीय समाजों की गरीबी है। यदि उन्हें गरीबी से निकाला जा सके, उनको भी वही शिक्षा और भौतिक जीवन की दशाएँ उपलब्ध करायी जा सकें जो उन्हें बेहतर नागरिक बना सके, तब जाकर वह स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ कानून का अनुपालन एक नागरिक आदत के रूप में विकसित हो सकेगा। अन्यथा व्यावहारिक तथ्य यह है कि एक गरीब व्यक्ति भूखा पहले है, आज्ञाकारी नागरिक उसके बाद। इसके अतिरिक्त, अब पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि संरक्षण परियोजनाओं की स्थानीयता और उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को यदि महत्त्व दिया जाएगा तो वे अधिक प्रभावी, समावेशी और सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद होंगी। सामाजिक लाभ का आशय, स्थानीय समुदायों को इन परियोजनाओं से इस प्रकार जोड़ना है कि वे संरक्षण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगें, साथ ही उनकी आर्थिक दशा बेहतर हो और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। अफ्रीका के कई देश इस मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहाँ स्थानीय समुदायों को वनों एवं वन्यजीव संरक्षण से जोड़ दिया गया है और इसके बेहतर परिणाम सामने आए। मसलन, तंजानिया में जब समुदायों को जल, प्राणी और वन संरक्षण की योजनाओं में सम्मिलित किया गया तो उसके बेहतर परिणाम हासिल हुए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मेंढालेखा गाँव में बाँस के जंगलों को सामुदायिक आधार पर संरक्षित करने के प्रयास किये गए हैं, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में हुई है। यह गाँव महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में अवस्थित है जिसे नक्सली हिंसा से प्रभावित होने के कारण 'लाल गलियारा' (Red corridor) कहा जाता है।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के इस मॉडल में समाज और राज्य दोनों शामिल होते हैं। इसमें दोनों को एक-दूसरे का विश्वास हासिल होता है। इसमें समुदायों को उतना ही बुद्धिमान माना जाता है, जितना कि राज्य और उसकी एजेंसियों को। इस मॉडल में समाज और समुदाय को दृष्टि संपन्न मानते हुए उसे नीति-निर्माण में शामिल किया जाता है। दूसरा मॉडल अत्यधिक राज्य नियंत्रित कानून का है। इसमें कानून तोड़ने वाला अपराधी माना जाता है और संसाधनों पर राज्य का अनन्य अधिकार होता है। इस मॉडल में राज्य समुदाय को 'शिशु' मानता है और उसकी बुद्धिमत्ता को कोई तरजीह नहीं देता है। यह पुराना मॉडल है। जिन देशों में यूरोप की औपनिवेशिक सरकारें स्थापित हुईं, वहाँ पर वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाओं में समुदायों को स्थान नहीं मिल सका। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में इसे आसानी से लक्षित किया जा सकता है। भारत में भी ऐसा ही रहा है।

जंगलों पर बढ़ता राज्य का अधिकार

भारत में राज्य आरंभिक समय से ही वनों, पशुओं, नदियों और खनिजों पर अपना अनन्य अधिकार मानता रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसके प्रमाण मिलते हैं लेकिन राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इन दायरों (Space) में रहने वाले समुदायों का जीना मुहाल कर दे। वनों में रहने वाले समुदाय 'आटविक' कहे जाते थे, वे लगभग स्वतंत्र थे। आधुनिक समय में इन्हें आदिवासी/वनवासी कहा जाता है। सरकारी वर्गीकरण में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस बात के ऐतिहासिक और अनुभवजन्य प्रमाण उपलब्ध हैं कि वन इन समुदायों की आवश्यकता की पूर्ति कर देते थे और वनों के अंदर ही इन समुदायों ने अपना शासन तंत्र, अर्थव्यवस्था और समाज खड़ा कर लिया था जो मुख्यधारा के बर्चस्वशाली राज्य से अलग था।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। 1860 के दशक में पारित हुए वन कानूनों ने देश की जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को कानून का ताबेदार बना दिया। वर्ष 1865, 1871 और 1927 के वन अधिनियमों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि आदिवासियों का जंगल की जमीन पर अधिकार खत्म हो जाय। वस्तुतः औपनिवेशिक शासन के दौरान देश के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी आजीविका के साधनों से बेदखल करने की एक सतत् प्रक्रिया शुरू हुई, जो आजादी मिलने के बाद भी कायम रही। 'राष्ट्रीय विकास' का लक्ष्य हासिल करने के लिये राज्य ने जंगलों पर अपना कब्जा बढ़ाया। एक तरफ वन संसाधनों पर आदिवासियों के हक को नकारा गया, तो दूसरी ओर उद्योगों को जंगल से मिलने वाले कच्चे माल के लिये सरकारी सब्सिडी दी गई। वन विभाग के मनमाने और ढीले-ढाले रवैये के कारण न सिर्फ जंगलों की हालत बिगड़ी, बल्कि जंगलों में रहने वाले वन्यजीवों की स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई। 1970 के दशक से वन्य-जीवन की हिफाजत के प्रति बढ़ती चेतना के कारण बड़ी संख्या में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण किया गया, किंतु यहाँ रहने वाले आदिवासियों के अधिकार तय नहीं किये गये। इस कारण ये भी 'अतिक्रमक' में तब्दील हो गए। विकास के कारण होने वाले विस्थापन ने भी 'अतिक्रमकों की संख्या में बढ़ोतरी की। इससे राज्य और समुदाय के बीच हिंसा बढ़ी। लोकप्रिय भाषा में मीडिया इसे 'लाल गलियारा' और जनजातीय मामलों का मंत्रालय जिसे 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र' कहता है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य पद्रेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यदि आप जयराम रमेश की किताब 'ग्रीन सिग्नल्सः इकोलॉजी, ग्रोथ, एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया' पढ़ें तो पाएंगे कि आजादी के बाद भारत की सरकारें वनों और मनुष्यों दोनों के बारे में चिंतित रहीं हैं लेकिन अभी भी विकास की वर्तमान रणनीतियों, पर्यावरण, समुदाय और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में एक तनाव कायम है।

जब तक इसे दूर नहीं किया जाता है, तब तक केवल कानून बनाने से काम नहीं बनेगा। प्राणियों की संरक्षा को लेकर जो कानून बने हैं, वे बहुत प्रभावशाली दिखते हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इसका कारण यह नहीं है कि नौकरशाही कमज़ोर और भ्रष्ट है, जैसा आमतौर पर कहा जाता है; बल्कि इन कानूनों को लागू करने की आदर्श स्थितियाँ पैदा नहीं हो पाती हैं। वस्तुत: इन आदर्श स्थितियों को उसी दायरे में पैदा किया जाना हैं, जहाँ प्राकृतिक संरक्षण की कोई परियोजना अंजाम दी जानी होती है। किसी भी पर्वत, नदी, रेगिस्तान या समुद्र-तट को बचाने का काम तो उससे जुड़ा हुआ समुदाय ही बेहतर ढंग से कर सकता है। समुदाय आधारित संरक्षण की पहलें राज्य और समुदाय दोनों के लिये हितकारी होती हैं। इधर हाल के वर्षों में जल को मानवाधिकार के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि यदि स्वच्छ जल तक लोगों की पहुँच नहीं होगी तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिये जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिये समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। उदाहरण के लिये, नदियों के जल की स्वच्छता को बनाए रखने की किसी पहल में निषाद समुदाय को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये; लेकिन जैसा कि अब तक का भारतीय अनुभव बताता है, उनसे इस मामले में कभी बात तक नहीं की गई है। जहाँ नीति-निर्माण और उनके क्रियान्वयन में समुदायों को शामिल किया गया है, वहाँ बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उत्तर भारत की विभिन्न नदियों की संरक्षण योजनाओं में इनके किनारे रहने वाले निषाद समुदाय को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से इन योजनाओं की विश्वसनीयता और सफल होने की दर बढ़ सकती है। इसे जल एवं नदी संरक्षण योजनाओं के आलोक में समझा जा सकता है। उल्लेखनीय है की भारत में नदी संरक्षण की योजनाओं में समुदायों की भागीदारी के बारे उस तरह से नहीं सोचा गया है जिस तरह से वन संरक्षण योजनाओं में समुदायों को शामिल करने के प्रयास होते रहे हैं।

इस प्रकार, मामला लौटकर फिर वहीं आ गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की परियोजनाओं और पहलकदमियों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए, तभी बात बनेगी।

पंचायती राज, पर्यावरण और स्थानीय समुदाय

महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में सत्ता का केंद्र नई दिल्ली, कलकत्ता, बंबई या बड़े शहरों में रहा है; इसे देश के सात लाख गाँवों में बाँट देना उचित रहेगा। इससे गाँवों के बीच स्वैच्छिक सहयोग बढ़ेगा और वे अपनी जरूरतें अपने हिसाब से पूरी करेंगे, वे अपना शासन स्वयं चलाएँगे। वैसे, भारत के संविधान में गाँव को ऐसी किसी प्रशासनिक इकाई का गौरव तो नहीं मिला लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल अवश्य की गई। काम के अधिकार आंदोलन ने जब ज़ोर पकड़ा तो 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (नरेगा) लाया गया। बाद में इसके आगे महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ दिया गया। यह एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान के गांधीवादी आदर्शों को कार्यरूप में परिणत करना था। लगभग 15 वर्षों के बाद इस योजना की सार्थकता उस समय दिखाई पड़ी, जब देश कोविड-19 की चपेट में आया और लाखों मजदूरों को शहर छोड़कर गाँव आना पड़ा। ऐसे में पंचायती राज, सत्ता के विकेंद्रीकरण और उसमें समुदाय की भूमिका फिर से बहस के केंद्र में आ गई है।

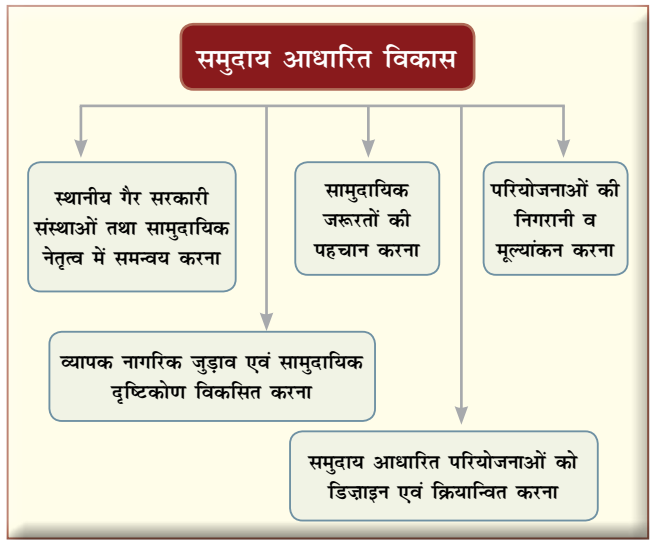

ज्ञान, तकनीक और पर्यावरणीय मुद्दों को समर्पित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पत्रिका डाउन टू अर्थ की 20 मार्च, 2021 एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण भारत में परती पड़ी जमीन के पुनरुद्धार के लिये स्थानीय समुदाय को 'मनरेगा' से जोड़ा गया और इसके बेहतर एवं आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। 15 राज्यों के 16 गाँवों की विकासीय पहलों की पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि पर्यावरण संरक्षण की परियोजनाओं को तृणमूल स्तर पर ले जाने से व्यक्ति, समुदाय और अंतत: देश को फायदा होता है। मनरेगा के प्रावधानों में गाँवों में पर्यावरण संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया गया है। गाँवों में पुराने तालाबों की सफाई और नए तालाबों के निर्माण के बाद देखा गया है कि जो भूमि पहले परती पड़ी रहती थी, उसे अब सिंचाई मिलने लगी है। गाँवों में पलायन भी रुका है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण गाँवों की अधिकांश आबादी दो वक्त की रोटी के लिये शहरों में पलायन कर जाती थी लेकिन अब स्थितियाँ काफी अनुकूल हो गई हैं। गाँवों और खेत में पानी की उपलब्धता बढ़ने से उन खेतों में भी फसलें होने लगी हैं जो पूरे साल खाली पड़े रहते थे। वस्तुत: इस तरह की योजनाओं से 'पारिस्थितिकीय शरणार्थियों' की संख्या में कमी आएगी। पारिस्थितिकीय शरणार्थी उन समूहों को कहते हैं जो अपने मूल स्थान पर पर्यावरण संकट के कारण आजीविका और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरी जगहों पर चले जाते हैं।

❑❑❑

बदलती विश्व व्यवस्था में आवश्यक है चीनी पैटर्न को समझना

डॉ. रहीस सिंह

भारत के प्रति चीन की विरोधाभासी नीति

पिछले काफी दिनों से भारत-चीन संबंध अनिश्चितता और अविश्वास के एक ऐतिहासिक संकट से गुजरते हुए दिख रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस पर अपने एक वक्तव्य में कहा था कि 1962 के संघर्ष के बाद भारत-चीन के बीच यह 'सबसे गंभीर' संकट है। चीन द्वारा भारत से लगी सीमा पर प्रेशर पॉइंट्स का निर्माण और इनसे भारत को हिट करने की उसकी निरंतर कोशिशें यह सोचने पर विवश करती हैं कि क्या अब भारत-चीन समस्या डायलॉग डिप्लोमैसी से वॉर टैक्टिस (War tactics) के मोर्चे पर पहुँच चुकी है? यद्यपि, हमारी विदेश नीति में सन्निहित संवाद (Dialogue) की परिधियों को तोड़ना और अपनी मूलभूत परंपरा के विरुद्ध जाना, सामान्य स्थिति या कुछ कम असामान्य परिस्थितियों में शायद संभव नहीं है। हाँ, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब भारत पूरब के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का प्रयास करता है, तब चीन को यह 'उसे घेरने वाला मिशन' क्यों प्रतीत होता है। ऐसे ही, भारत जब इंडो-पेसिफिक में मिनी-लैटरल्स का निर्माण करता है या अमेरिका जैसे देश के साथ प्रमुख सामरिक भागीदारी निर्मित करता है तो फिर चीनी समाचार पत्र इसके प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए आरोप लगाते हैं कि भारत चीन को घेरने की कोशिश करता रहा है। क्या यह चीन का डर है या फिर उसके द्वारा अपनाए जा रहे प्रोपोगैंडा का हिस्सा है? जब कभी चीन की राजनीतिक सत्ता आतंरिक दबाव या प्रतिरोध से गुजरती है, वह अपनी सेना के माध्यम से भारत-चीन सीमा पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ करके सैन्य गतिविधियाँ संचालित करता है। दूसरी तरफ, वह भारत के साथ अनुकूल (चीन के दृष्टिकोण से) व्यापार कर रहा है, ब्रिक्स और शंघाई संगठन के जरिये भारत के साथ एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक व सामरिक साझेदारी भी करना चाहता है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर सवाल यह उठता है कि चीन के इस विरोधाभासी चरित्र को किस तरह से देखा जाए?

एक महत्त्वाकांक्षी और अविश्वासी राष्ट्र के रूप में चीन

चीन क्या है, फिलहाल यह समझ से परे है लेकिन ऐसा लगता है कि चीन के शासन प्रमुख नेपोलियन बोनापार्ट के इस कथन को सत्य मानकर चल रहे हैं कि "महादानव चीन अभी सो रहा है, उसे सोने दो क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया हिलने लगेगी।" नेपोलियन की इस पूर्वधारणा पर चीन खरा उतरता है या नहीं, यह तो तय नहीं है लेकिन महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीनी शासक इस कथन को बेहद रणनीतिक ढंग से प्रचारित कर वैश्विक मनोविज्ञान को इससे आच्छादित करना चाह रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि वे इसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं क्योंकि आज की दुनिया का कमोबेश एक बड़ा हिस्सा नेपालियन के विचार को स्वीकारने भी लगा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि चीन आज सिर्फ एक आर्थिक ताकत ही नहीं है बल्कि एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है। इन्हीं दोनों शक्तियों के जरिये वह सुनियोजित ढंग से एशिया और अफ्रीका के अल्पविकसित देशों को थोड़ा-थोड़ा धन देकर न सिर्फ उनके प्राकृतिक संसाधनों को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफल हो रहा है, बल्कि सरकारी कर्ज देकर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में भी हस्तक्षेप करने की शक्ति हासिल करने में सफल हो रहा है।

इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिये कि चीन एक

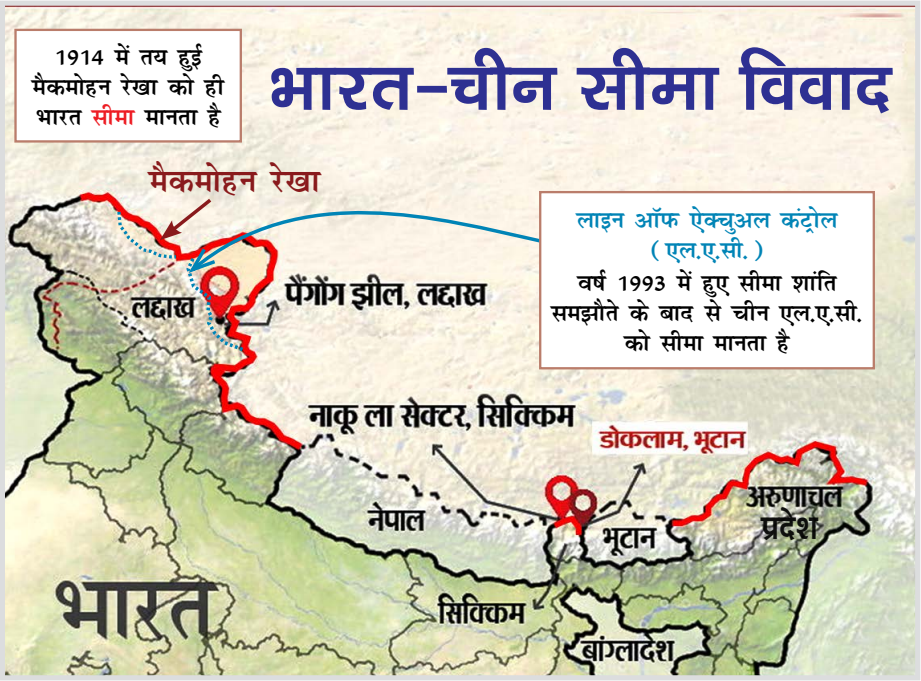

अतिमहत्त्वाकांक्षी और अविश्वासी राष्ट्र है। वह न तो भारत की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति से इत्तेफाक रखता है और न ही भारत की संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा से। इसलिये उसके साथ कभी भी भारत की स्वाभाविक मैत्री नहीं हो सकती। विश्व व्यवस्था में वर्ष 2008 एक महान विभाजक (Great devide) जैसा रहा क्योंकि इस वर्ष अमेरिका में आए सब-प्राइम संकट के चलते दुनिया के देशों में एक तरह की डीकपलिंग (Decoupling) शुरू हुई, अमेरिका एक वास्तविक महाशक्ति से प्रतीकात्मकता की ओर खिसकना शुरू हुआ और नई शक्तियों के उभरने के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। हालाँकि, इसी समय रूस और भारत भी एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरे लेकिन चीन ने कुछ अधिक बढ़त ले ली, जबकि सब-प्राइम संकट की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा झटका लगा था। चीन जैसे-जैसे बढ़त ले रहा था, वैसे-वैसे डिप्लोमैटिक बैंडविड्थ के एक छोर पर वह भारत के साथ सकारात्मक आर्थिक कूटनीतिक के जरिये अच्छी बॉन्डिंग बना रहा था, विशेषकर ब्रिक्स एवं रिक (रूस, भारत, चीन) के माध्यम से; वहीं दूसरी तरफ अपनी शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से वह भारत के खिलाफ प्रेशर पॉइंट स्ट्रैटेजी भी अपना रहा था। इसी क्रम में, चीन ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमैसी को अपनाते हुए ब्रिक्स बैंक व एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसी संस्थाओं की स्थापना कर वाशिंगटन के प्रभुत्व वाली संस्थाओं को चुनौती पेश की। एक तरफ, उसने दुनिया के देशों को ऋण देकर विश्व बैंक की तरह उदार ऋण की खिड़की जैसा उदारवादी चरित्र दिखाया, वहीं दूसरी तरफ, इन देशों की अर्थव्यवस्था को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव जैसी अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना के जरिये बीजिंग ने एक नई किस्म की औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव रखी। हालाँकि, भारत ने इसमें शामिल होने से न सिर्फ इकार कर दिया बल्कि इसकी आलोचना भी की। इन घटनाक्रमों ने चीन को भारत के प्रति और अधिक आक्रामक बनाने का काम किया।

कोविड-पूर्व एवं कोविड-कालीन विश्व व्यवस्था और चीन

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। वस्तुतः वर्तमान समय में आत्म-केंद्रित नीति अपनाने वाले उन देशों ने चीन को ऐसा बनने का अधिक अवसर दिया जो विश्व व्यवस्था के केंद्र में थे और स्वयं को दुनिया का नेता होने का दावा करते थे। इस स्थिति का आकलन करने के लिये कोविड-पूर्व और कोविड काल की विश्व व्यवस्था और चीन की स्थिति को देखने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2008 में जब अमेरिका सब-प्राइम संकट के प्रभाव में आया और विश्व बैंक के कुछ अर्थशास्त्रियों ने डिकपलिंग की घोषणा कर उस वैश्वीकरण की बुनियाद में सेंध लगा दी जो बेहद तैयारी और एक वैश्विक मनोवैज्ञानिक गेम थ्योरी के साथ रखी गई थी। चीन ने इसे अवसर के रूप में देखाँ साथ ही, विश्व बैंक के अर्थशास्त्री डिकपलिंग के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को लीड करने के लिये एशियाई दावेदारी की ओर इशारा कर भी चुके थे, जिसमें चीन के साथ भारत भी शामिल था। परंतु, चीन ने अकेले अथवा सर्वप्रमुख नेतृत्वकर्ता के सिद्धांत पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस स्थिति में भारत उसे एक सहयोगी की बजाय एक प्रतिद्वंद्वी अधिक लगा। कारण यह कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान तो बना ही चुका था, जो तीव्र संवृद्धि के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता था। साथ ही, चीन इस तथ्य से भी अवगत था कि सर्वाधिक संभावित क्षमता (Potential) वाला देश होने के नाते भारत उसे कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दे सकता है। इसने भारत के प्रति चीन के शत्रुवत भाव को बढ़ावा दिया। वर्ष 2015 के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन काल शुरू हुआ, जिसमें चीन के विरुद्ध अमेरिकी व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई। इस समय तक भारत अमेरिका के प्रमुख सामरिक भागीदार का दर्जा प्राप्त कर चुका था। वैसे, देखा जाए तो भारत-अमेरिका की सहभागिता भारत के नजरिये से चीन के खिलाफ नहीं थी, लेकिन चीन ने इसे अपने खिलाफ गठबंधन के रूप में प्रचारित किया और भारत के प्रति अपने शत्रु भाव में इजाफा करता गया। एक बात और, चीन ने जब 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' की शुरुआत के लिये बीजिंग के पीपुल्स हॉल में एक ग्लोबल इवेंट का आयोजन किया, उसमें अमेरिकी सहयोगियों के साथ नाटो सदस्य भी शामिल हुए थे। इसलिये चीन का इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक था कि वह विश्व व्यवस्था में अमेरिका का स्थान ले चुका है। ऐसे में भारत से उसकी अपेक्षाएँ काफी बढ़ गई होंगी, लेकिन भारत ने आधिकारिक रूप से इस प्रोजेक्ट को औपनिवेशिक चरित्र वाला बताते हुए इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। यह चीन के लिये एक बड़ा झटका था, भले ही पीपुल्स हाल में इसकी प्रतिध्वनि सुनाई न दी हो लेकिन डोकलाम के ट्राइ-जंक्शन पर अवश्य सुनाई दी थी।

अब, कोविड कालखंड की बात करते हैं। कोविड-19 महामारी की पहली लहर के समय यह प्रश्न उठ रहा था कि यह महामारी चीन को एक बड़ा स्पेस देगी या फिर उसका कैनवस छोटा कर देगी? कारण यह था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई थी, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'वुहान' अथवा 'चीनी वायरस' भी कहा था। वुहान वायरस अभी भी चीन का पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि अब कुछ खबरें तो यहाँ तक बता रही हैं कि यह चीन के जैविक युद्ध का हिस्सा है जिसकी तैयारी वह वर्ष 2015 से कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन वर्ष 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। 'अननैचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैनमेड वायरस' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में चीन की वैश्विक महत्त्वाकांक्षा और उसे पूरा करने के तरीके पर बात की गई है। इसमें कहा गया है कि तीसरे विश्वयुद्ध में जैविक हथियार निर्णायक साबित होंगे और चीन के वैज्ञानिक एवं उसकी सेना जिन जैविक हथियारों पर विश्वसनीयता के साथ भरोसा कर सकती है, उनमें कोरोना वायरस भी हो सकता है।

वैसे, इसमें तो किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिये कि अन्य देशों में फैलने से पहले चीन में कोरोना वायरस का प्रभाव लंबे समय से था और वह यह भी जानता था कि इसकी मारक क्षमता कितनी या कैसी है? फिर भी उसने दुनिया को आगाह करने की बजाय इस वायरस को अपने यहाँ नियंत्रित करके दुनिया भर में फैलने दिया। संभवत: उसने ऐसा इसलिये होने दिया क्योंकि वह इसके पीछे छुपे हुए दवा और कोविड संबंधी उपकरणों के बाजार को देख रहा था। दरअसल, वह मानकर चल रहा था कि इसके प्रसार के बाद उसे दुनिया में नया और बड़ा बाजार मिल सकता है, ऐसा हुआ भी। वस्तुत: इसके पश्चात् होना यह चाहिये था कि विश्व भर में चीन के प्रति विश्वास में कमी होनी चाहिये थी और उसे दुनिया से अलग-थलग कर दिया जाना चाहिये था (विशेषकर कूटनीतिक और आर्थिक रूप से), किंतु ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसके विपरीत उसने दुनिया के सामने अपना मसीहा वाला चेहरा पेश किया। साथ ही, उसने दुनिया के तमाम देशों को मदद के साथ अपना ग्लोबल प्रोपेगैंडा कैंपेन शुरू किया है ताकि वह अपनी मसीहा वाली छवि को गढ़ सके। कमोबेश वह इसमें भी सफल रहा। इस वैश्विक स्वीकारोक्ति ने उसे और शक्ति प्रदान कर दी। इससे उसके दंभ में वृद्धि हुई जिसका प्रदर्शन उसकी सेना के जरिये होना स्वाभाविक है, यह दिख भी रहा है।

एक देश एक व्यवस्था की राह पर अग्रसर चीन

चीन की निरंतर बढ़ रही आर्थिक शक्ति उसे सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिये उकसाती रहती है। इस शक्ति का प्रदर्शन वह किसी भी रूप में कर सकता है, चाहे लघु युद्ध के रूप में या फिर अपने नागरिकों के खिलाफ तानाशाही प्रतिक्रिया के रूप में जिसकी प्रयोगशाला तिब्बत, शिनजियांग, हॉन्गकॉन्ग, मकाऊ....आदि कहीं भी हो सकती है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिये वह अपने यहाँ विभिन्न हिस्सों में प्रचलित परंपराओं और वैचारिक स्वतंत्रताओं को समाप्त करने की युक्तियों को व्यावहारिक रूप देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह नागरिकों के परंपरागत मूल्यों और व्यवस्थाओं को समाप्त कर चीनी स्वरूप को थोपता है। यथार्थ रूप में यह पैटर्न 17वीं-18वीं शताब्दी के यूरोपीय उपनिवेशवाद से भी खतरनाक है। गौर से देखें तो चीन ने पिछले लगभग 7 दशकों में तिब्बत को इसी पैटर्न पर परिवर्तित किया है।

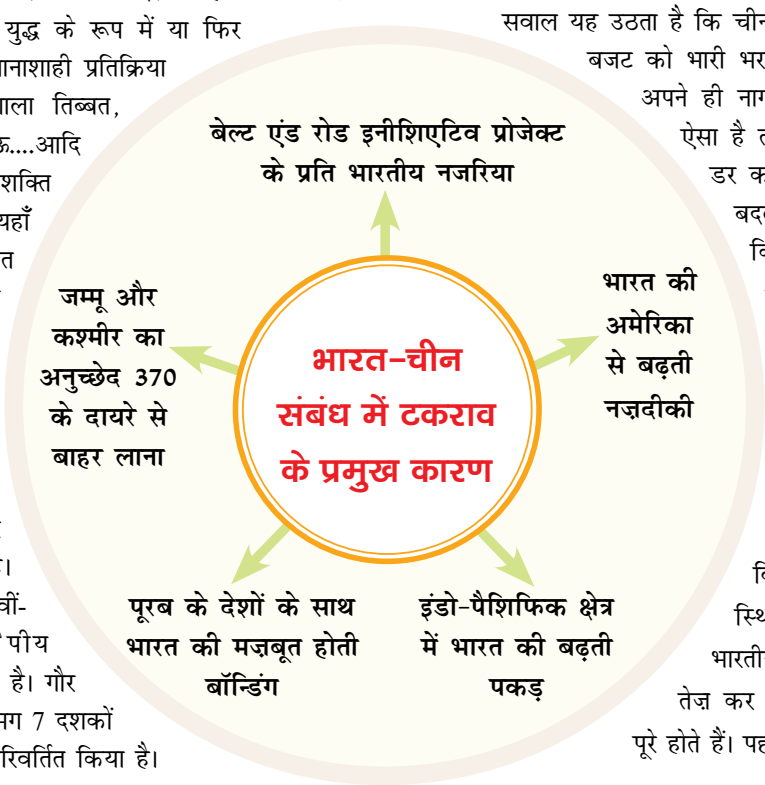

आज का तिब्बत 1950 के दशक तक का तिब्बत नहीं है। चीन ने बेहद रणनीतिक ढंग से तिब्बत की मौलिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, जिसके चलते तिब्बत सही अर्थों में अपना अर्थ खोकर एक चीनी उपनिवेश की हैसियत में पहुँच गया है। अब वह हॉन्गकॉन्ग में भी इसे ही दोहराने की राह पर आगे बढ़ रहा है। वस्तुत: अब चीन 'एक देश-दो व्यवस्थाएँ' (वन कंट्री-टू सिस्टम्स) ही स्थिति में नहीं रहना चाहता, बल्कि 'एक देश-एक व्यवस्था' को स्थापित करना चाहता है। ध्यान रहे कि वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने हॉन्गकॉन्ग को चीन को हस्तांतरित करते समय यह गारंटी हासिल की थी कि चीन कम-से-कम वर्ष 2047 तक 'वन कंट्री-टू सिस्टम' के तहत लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी स्थिति को बनाए रखेगा। हालाँकि, चीन के वर्चस्ववादी रवैये के खिलाफ वर्ष 2014 में हॉन्गकॉन्ग के लोकतंत्रवादियों ने 'अंब्रेला मूवमेंट' चलाया था जो 79 दिनों तक चला था। इसके बाद हॉन्गकॉन्ग में लगातार लोकतंत्रवादी आंदोलनरत हैं। बीजिंग का तानाशाह इससे भयभीत दिख रहा है।

यही वजह है कि चीन न केवल अंतर्राष्ट्रीय मामले में बल्कि घरेलू मामलों में भी इस मंत्र पर चल रहा है कि अकेली अर्थव्यवस्था फायदेमंद नहीं है, बल्कि सुरक्षा कहीं ज़्यादा जरूरी है।

चीनी राष्ट्रवाद और भारत

दिसंबर 2020 में शी जिनपिंग ने कहा था कि 'जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा का मूलभूत बल माना जाना चाहिये' और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये 'अपने नागरिकों पर निर्भर' होना चाहिये। ऐसे में, सवाल यह उठता है कि चीन अपने आंतरिक सुरक्षा संबंधी बजट को भारी भरकम क्यों बनाता है? क्या वह अपने ही नागरिकों से डरने लगा है? यदि ऐसा है तो वह अपने नागरिकों के इस डर को समय-समय पर राष्ट्रवाद में बदलने की कोशिश करेगा। इस किस्म के राष्ट्रवाद के लिये असल ईंधन भारतीय सीमा पर टकराव है। इसलिये चीन को डोकलाम या गलवान घाटी की जरूरत पड़ी और आगे भी पड़ती रहेगी।

गौर से देखें तो तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ जब भी विरोध तेज़ होता है या होने की स्थिति दिखती है तो बीजिंग भारतीय सीमा पर अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर देता। इससे उसके दो मकसद पूरे होते हैं। पहला- तिब्बत में निर्मित प्रतिरोध

को समाप्त करने की खबर को दबाना और दूसरा- राष्ट्रवाद को उभारना। ध्यान रहे कि वर्तमान में चीन ने तिब्बत को अपनी प्रभुसत्ता का प्रमुख मुद्दा बना रखा है। इसे देखते हुए ही उसने तिब्बत को सामरिक तैयारी का अत्याधुनिक केंद्र बना दिया है, जहाँ पाँच एयरबेस (पूर्णत: कार्यशील), बहुत से हैलीपैड, विस्तृत रेल नेटवर्क, सीमा पर दो दर्जन से अधिक डिवीजनों की तैनाती की गई है। अगर इन तैयारियों का व्यावहारिक विश्लेषण किया जाए तो चीन की ये तैयारियाँ तिब्बत के लिये नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध हैं, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर। सच तो यह है कि डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक चीन द्वारा उत्पन्न स्थितियाँ किसी स्वाभाविक टकराव का परिणाम नहीं थीं बल्कि इनके पीछे कारण दूसरे थे, जैसे- चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव प्रोजेक्ट के प्रति भारत का नजरिया, भारत की अमेरिका से नजदीकी, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती पकड़ (विशेषकर क्वाड के निर्माण के बाद), पूरब के देशों के साथ भारत की मजबूत होती बॉण्डिंग और जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर ले आना...आदि। चीन को भारत के कदम स्वीकार नहीं थे। इसीलिये चीनी सेना के थिंक टैंक, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटिजिक स्टडीज द्वारा भारत को यह संदेश दिया गया कि भारत स्थिति को समझने में वैसी गलती ना करे जो उसने वर्ष 1962 में की थी।

हालाँकि, इस बीच दोनों पक्षों के बीच टकराव को रोकने के लिये कई पहलें भी हुईं। इनमें 20 फरवरी को मोल्दो/चुशूल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट के चीनी हिस्से पर भारत और चीन के कोर कमांडर्स की हुई बैठक काफी महत्त्व रखती है। 10वें दौर की इस बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से एक साझा बयान भी जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों ने यह स्वीकार किया है कि पैंगोंग-त्सो इलाके में तैनात सेनाओं की वापसी एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) समेत दूसरे मुद्दों के समाधान के लिये भी एक अच्छा आधार प्रदान किया। इस बैठक में आपसी बातचीत को जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिये समाधान तलाशने की बात पर भी सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि पैंगोंग इलाके में चीन के साथ डिसइंगेजमेंट समझौता हुआ है। यह डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होने का निर्णय हुआ था। इसके पहले चरण में आर्मर और मैकेनाइज्ड यूनिट्स को मोर्चों से पीछे हटाने संबंधी समझौता शामिल है। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: नॉर्थ और साउथ किनारों से इंफैंट्री पीछे हटनी थी और चौथे चरण में कैलाश रेंज से डिसइंगेजमेंट होना था। चारों चरणों के पूरे होने के बाद दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग करके इसकी पुष्टि की जानी थी, फिर 48 घंटे के भीतर एक कोर लेवल की मीटिंग होनी थी।

इस क्रम में 20 फरवरी को हुई 10वें दौर की कोर मीटिंग को लेकर विशेषज्ञों का अलग-अलग मत है। कुछ का मानना है कि भारत-चीन कोर कमांडर की 10वें दौर की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान आगे के चरण की बारीकियों को स्पष्ट नहीं करता। इसलिये आगे भी विवाद की संभावनाएँ बनीं रहेंगी। इनके अनुसार जिस समझौते के तहत दोनों सेनाओं को पीछे जाना था, वह फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मत है कि डेपसांग का मसला हल हो पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि भारत के पास सिर्फ पैंगोंग-त्सो क्षेत्र में बढ़त थी, वह भी अब नहीं रही। ऐसे में, अब डेपसांग और डेमचांग के लिये काफी समस्या हो सकती है। हालाँकि, इसका दूसरा पक्ष भी है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) संजय कुलकर्णी के मुताबिक, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा था- एक बार यदि डिस्इंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके 48 घंटों के बाद दोनों पक्ष पुन: मिलेंगे; शेष फिक्शन पॉइंट्स, जैसे हॉट-स्प्रिंग, गोगरा तथा डेपसांग को बातचीत के जरिये सुलझाया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच प्रक्रिया के सामान्यीकरण का संकेत है।

क्या हो भारत की रणनीति

कुल मिलाकर, ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिये आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, तब दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। वस्तुत: डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक का चीन का मित्रवत-शत्रुवत रवैये वाला खेल असहज करने वाला तो है लेकिन चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि भारत को लेकर चीन ऐसा रवैया शुरू से ही अपनाता रहा है। यह अलग बात है कि डोकलाम और गलवान, विशेषकर गलवान घाटी जैसी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों को और जटिल बना दिया है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को ही नहीं, बल्कि दोनों की प्रकृति तथा उनकी व्यवस्थाओं को भी समझा जाए। एक बात और, चीन निरंतर इस कोशिश में रहता है कि वह दुनिया को यह संदेश देने में सफल हो जाए कि जब दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही व्यवस्था विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर दबाव बढ़ाती है तो भारत जैसा देश भी प्रतिकार नहीं कर पाता। हमें इस रणनीतिक चाल को भी गंभीरता से समझना होगा। साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि भारत और चीन के बीच टकराव का मतलब केवल सीमा पर टकराव नहीं है बल्कि इसका विस्तार विकास के दो राजनीतिक और सामाजिक मॉडलों तक है। इसलिये परस्पर विपरीत दिशा में बहने वाली अंडरकरेंट केवल हिमालयी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी दिखती रहेगी। अत: भारत के लिये इस चीनी पैटर्न को समझना अत्यंत आवश्यक है।

❑❑❑

पिघलते हिमनद एक बड़ी त्रासदी के संकेत हैं

कबीर संजय

जलवायु परिवर्तन और पिघलते हिमनद

आइसलैंड एक बर्फ से ढका और ठंडा देश है। अगस्त 2019 में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुनिया में पहली बार किसी हिमनद या ग्लेशियर का अंतिम संस्कार हो रहा था। दरअसल, आइसलैंड में 'ओक्जोकुल' नाम के हिमनद को अंतिम विदा दी गई। अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैडरिन जाकोबस्दोत्र भी मौजूद रहे। आइसलैंड का यह पहला हिमनद था, जिसने वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के चलते दम तोड़ दिया। हिमनद विज्ञानियों (Glaciologist) के मुताबिक वर्ष 1890 में ओक्जोकुल नाम का यह हिमनद कुल 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो वर्ष 2012 में सिर्फ 0.7 वर्ग किलोमीटर रह गया। अब यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि आइसलैंड के हिमनदों से हर साल 11 अरब टन से ज़्यादा बर्फ पिघल रही है। अनुमान है कि वर्ष 2200 तक यहाँ के चार सौ से ज़्यादा हिमनद पिघल जाएँगे। इस घटना के एक महीने बाद ही स्विटजरलैंड में' पिजोल' हिमनद को अंतिम विदा दी गई। आल्प्स पर्वत शृंखला पर मौजूद रहे इस हिमनद के बारे में माना जाता है कि इसका 80 फीसदी हिस्सा वर्ष 2006 के बाद से ही पिघल गया। जाहिर है कि इन घटनाओं ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

पृथ्वी पर जीवन के अपरिहार्य अवयवों में पानी भी शामिल है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है- ठोस, द्रव और गैस। ध्यातव्य है कि पानी के ये तीनों ही रूप महत्त्वपूर्ण हैं और पृथ्वी के संपूर्ण क्रियाकलाप में इनकी हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर होने वाले बदलावों के सबसे पहले और सबसे ज़्यादा संकेत पानी की इन्हीं अवस्थाओं के जरिये प्राप्त होते हैं। पृथ्वी का लगभग 71 फीसदी हिस्सा पानी है। छोटे-छोटे द्वीप हों या विशालकाय महासागर, सभी चारों तरफ से समुद्र से यानी पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन, इस पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा, यानी सिर्फ तीन फीसदी पानी ही पीने-योग्य है। पेयजल का भी बड़ा हिस्सा हिमनदों के रूप में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर या पृथ्वी के ऊँचाई वाले हिस्सों पर जमा है। इसके अलावा, नदियों, झीलों, जलाशयों आदि में भी पानी का एक बड़ा हिस्सा जमा है।

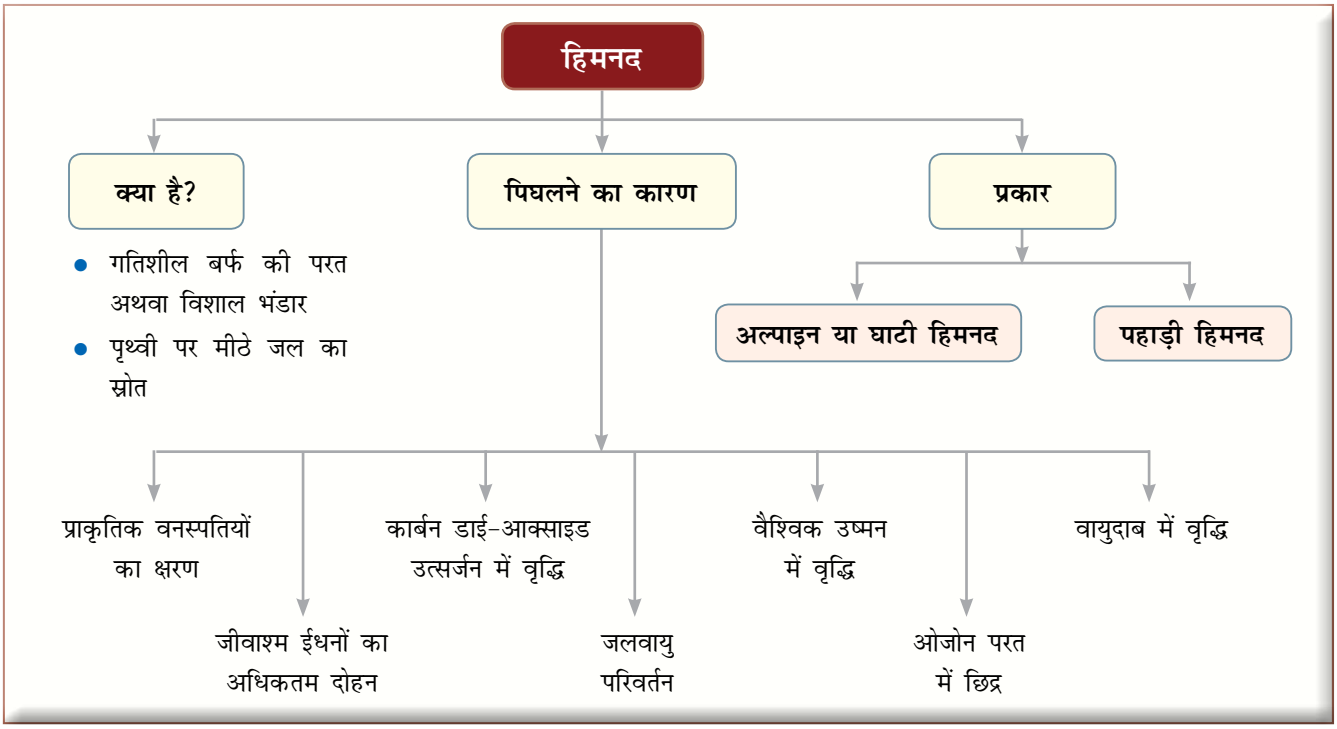

हिमनदों पर जमी बर्फ बहुत धीरे-धीरे पिघलती रहती है। पानी यहाँ से रिस-रिस कर निकलता रहता है। हिमनद तमाम सदानीरा नदियों के लिये पानी का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। सूर्य हर दिन पृथ्वी को गर्मी देता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी के तमाम क्रियाकलाप संचालित होते हैं, किंतु इससे पृथ्वी गर्म भी होती है। ध्रुवों पर जमा बर्फ इसको काफी हद तक ठंडा रखती है। इसके अलावा, इंसान दिन भर हजारों-लाखों तरीकों से पृथ्वी को गर्म करता है, घर में चाय बनाने से लेकर हवाई यात्रा तक हर दिन न जाने कितना ईंधन जलाया जाता है। इनके अतिरिक्त, हम सामान्य रूप से भी जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी से भी गर्मी निकलती है। यह गर्मी पूरी पृथ्वी को गरम कर रही है। यह गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ध्रुवों तथा पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ या हिमनद पिघलने लगे हैं, यहाँ तक कि वे समाप्त होने की कगार पर हैं। और तो और, हिमनदों की मौत की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और दुनिया को इस खतरे के बारे में सजग करने के लिये उनका अंतिम संस्कार तक करने की नौबत आ गई है।

इसी वर्ष अप्रैल में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2000 के बाद से अब तक हिमनदों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। शोधकर्ताओं का दावा है कि हर साल लगभग 267 अरब टन बर्फ पिघल रही है। फ्राँस की यूनिवर्सिटी ऑफ तुलूस के शोधकर्ताओं ने लगभग दो साल तक विस्तृत अध्ययन के पश्चात् हिमनदों के पिघलने के संबंध में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के लिये शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के दो लाख 17 हजार 175 हिमनदों के उच्च रिजॉल्यूशन मानचित्रों का विश्लेषण और डाटा की जाँच कर हिमनदों में हो रहे बदलावों के कारण खोजने की कोशिश की है। शोध के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2019 तक इन हिमनदों की सतह में तेज़ी से बदलाव आया है। वर्ष 2000 के बाद से हिमनद प्रत्येक दशक में 48 गीगाटन प्रति वर्ष की गति से सिकुड़ रहे हैं। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि जिस तेज़ी से हिमनद पिघल रहे हैं, उसी अनुसार समुद्र की सतह में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके चलते हाल के वर्षों में समुद्र का जल-स्तर 21 फीसदी तक बढ़ गया है।

समुद्र के जल स्तर में होने वाली यह बढ़ोतरी खासतौर पर समुद्र तट के निकट स्थित देशों या द्वीपों के लिये बड़ा खतरा है। इन देशों के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने मई महीने में ऐसे ही एक और चिंताजनक बदलाव को दर्ज किया। एजेंसी के मुताबिक अंटार्कटिका के वेडेल सागर में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड (Iceberg) टूटकर अलग हो गया है। यह हिमखंड करीब 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। कॉपरनिकस सेंटीनल सेटेलाइट ने इसका पता लगाया है। यद्यपि इस हिमखंड के टूटने से समुद्र के जल स्तर में तत्काल बढ़ोतरी होने की आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन इसके टूटने के लिये भी वैश्विक तापन को ही उत्तरदायी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी चेतावनी जारी की है कि अंटार्कटिका पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है।

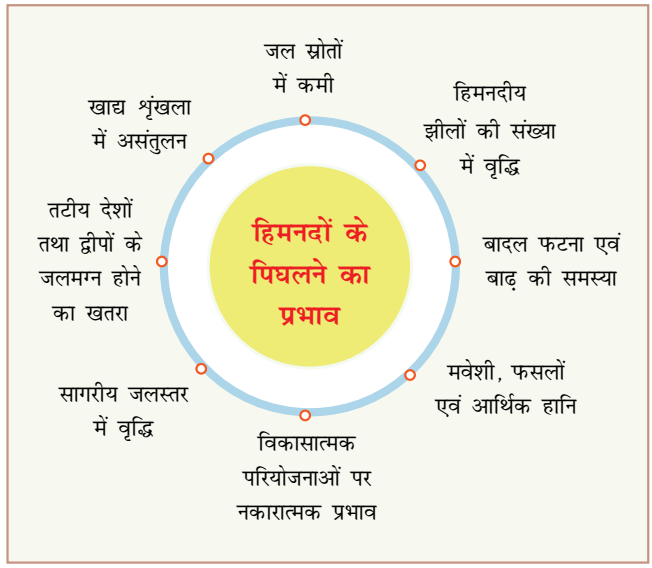

पहली बार दिख रही है बिना बर्फ के पृथ्वी

पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, आर्कटिक एवं अंटार्टिका पर हाल के वर्षों में भारी बदलाव देखने को मिला है। दोनों ही ध्रुवों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा रहा है जहाँ साल भर बर्फ की मोटी परत जमी रहती थी, लेकिन अब इन जगहों पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार यहाँ के बहुत सारे हिस्से नग्न यानी बिना बर्फ के देखे जा रहे हैं। बर्फ की परत पतली या फिर साफ होती जा रही है। ध्यातव्य है कि इंसानी गतिविधियों के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के लिये इन दोनों ही ध्रुवों को बैरोमीटर जैसा माना जाता है।

हाल के कुछ वर्षों में आर्कटिक के तापमान में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके चलते ऐसी आशंकाएँ भी जताई जा रही हैं कि इस सदी के समाप्त होने तक आर्कटिक साल में दस महीनों के लिये बिना बर्फ वाला हो सकता है। अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (NCAR) की वैज्ञानिक लॉरा लांड्रा का कहना है कि कुछ दशक पहले से ही आर्कटिक एक अलग जलवायु वाली जगह हो गई है। यह पहले से ज़्यादा गर्म है और यहाँ के मौसम में अचानक होने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अपने शोध 'एक्स्ट्रीम बिकेम रुटीन' में वे मुख्यत: चार बिंदुओं की तरफ इशारा करती हैं। पहला, आर्कटिक के समुद्र की बर्फ बेहद तेज़ी से पिघल रही है। अब यहाँ सबसे अधिक सर्दी वाले दिनों में भी इतनी बर्फ नहीं रहती, जितनी बीसवीं सदी के मध्य तक गर्मियों के मौसम में भी हुआ करती थी। इसका मतलब है कि यहाँ के मौसम के चरित्र में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। दूसरा, इक्कीसवीं सदी के मध्य

तक जाड़े के मौसम में यहाँ की हवा का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि जलवायु की दृष्टि से यह एक अलग प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगा। इसके चलते मौसम में और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आसमान में बादल ज़्यादा छाएँगे और पहले की तुलना में ज़्यादा बारिश होगी। पहले जिन स्थानों पर आसमान से बर्फ गिरती थी, वहाँ पर सिर्फ बारिश की बूंदें ही गिरा करेंगी। तीसरा, अलग-अलग मॉडलों के जरिये पता चला है कि यहाँ के समुद्र की बर्फ लगातार पिघल रही है और बीसवीं सदी के अंतिम दशकों तथा इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में समुद्र की बर्फ के लिये एक अलग जलवायु बन चुकी है। चौथा, नई जलवायु के चलते इस सदी के मध्य तक यहाँ बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़कर 20 से 60 तक हो जाएगी, जबकि सदी के अंत तक यह संख्या भी बढ़कर 60 से 90 दिन हो जाएगी। अतः आर्कटिक क्षेत्र के अलग-अलग प्रदेशों को किसी भी महीने में बारिश का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा।

समुद्र भी हो रहे हैं तेजी से गरम

ध्यातव्य है कि पृथ्वी पहले की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रही है। नेचर जर्नल के अनुमान के मुताबिक, औद्योगिक युग के पहले यानी वर्ष 1850 से 1900 के बीच की तुलना में अब तक तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्ष 2020 को दूसरा सबसे गर्म साल माना गया है। इससे पहले वर्ष 2016 का वर्ष वैश्विक तौर पर सबसे गर्म साल रहा था। समुद्रों और महासागरों की स्थिति भी इससे अछूती नहीं है। ओशन हीट कंटेंट को वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के सबसे प्रमुख संकेतकों में से एक माना जाता है, क्योंकि वातावरण में मौजूद 90 फीसदी तक गर्मी को समुद्र और महासागर सोख लेते हैं। अलग-अलग अध्ययन बताते हैं कि महासागरों में शून्य से 2,000 मीटर तक की गहराई का हीट कंटेंट वर्ष 2019 में अपने चरम पर पहुँच गया था। वर्ष 2020 में भी स्थिति इससे कुछ खास अलग नहीं रही। इस बात पर लगभग आम सहमति है कि पिछले दो दशकों के दौरान ओशन हीट कंटेट में तेज़ी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में समुद्र की सतह का तापमान काफी ज़्यादा रहा। यहाँ तक कि महासागरों के 80 फीसदी तक हिस्से ने कम-से-कम एक बार मरीन हीट वेव को अवश्य अनुभव किया, जबकि इस दौरान समुद्र की सतह या 300 फीट गहराई के तापमान में सामान्य की तुलना में पाँच से सात डिग्री तक का इजाफा दर्ज किया गया।

ध्रुवीय हिस्सों के तापमान में भी तेज़ी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते भी बर्फ के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। यहाँ तक कि हमेशा बर्फ की चादर में ढके रहने वाले साइबेरिया जैसा क्षेत्र भी अब पहले जैसा ठंडा नहीं रहा। साइबेरिया के वर्खोयांस्क में जून 2020 में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब तक आर्कटिक क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाने वाला यह सर्वाधिक तापमान है, जो सामान्य से 18 डिग्री ज़्यादा है।

क्या है मानव युग या एंथ्रोपोसीन

पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव-जंतुओं का जीवन मुख्यतः दो ही तरह के कार्य-व्यापार में उलझा रहता है। पहला, पोषण और दूसरा, प्रजनन। यानी जैसे ही किसी जीव को खाना मिलता है, वह प्रजाति अपने वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के काम में लग जाती है। पोषण के इस कार्य को विभिन्न प्रजातियाँ अलग-अलग ढंग से करती रही हैं। कोई अपने जीवन रक्षा हेतु मांद में निवास करता रहा तो किसी ने पेड़ों को अपना घर बना लिया। कुल मिलाकर, सभी जीव-जंतुओं ने अपने आपको पर्यावास के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। किसी की नाक ही उसका हाथ बन गई, किसी के पैर भी हाथ का काम करने लगे। कोई बिना हाथ-पैर के भी तैरने और पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के अंडे चुराने में माहिर हो गया। किसी ने अपने अंदर रात्रिचर की खूबियाँ विकसित कीं तो किसी ने तेज़ धूप में शिकार करने का हुनर पैदा किया। कोई रेगिस्तान में रहता है तो कोई बर्फ की मोटी चादरों के बीच स्वच्छंद विचरण करना पसंद करता है। जाहिर है कि इन सभी स्थानों पर रहने और अपना पोषण करने के लिये इन जीव-जंतुओं की शारीरिक बनावट से लेकर विभिन्न आदतों में भी बदलाव आए।

अगर हम गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो यहीं पर इंसान अन्य जीव-जंतुओं से अलग हो जाता है। इंसान ने ये सभी काम करने के लिये अपने शरीर में बदलाव लाने की बजाय दूसरे तरीके अपनाए। उसने हर काम के लिये एक नया तरीका खोजा। ठंड से बचने के लिये उसने पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल तक का प्रयोग किया। उसके पास पैने दाँत, पंजे और सींग नहीं थे तो उसने इनका विकल्प पत्थर और जानवरों की हड्डियों व सींगों से बनाए गए हथियारों में खोज लिया। उसने हर कार्य के लिये उपकरण बनाए। यही उपकरण उसे अन्य जीवों से अलग करते हैं। इंसान ने अपने शरीर की बनावट में बदलाव करने की बजाय प्रकृति के नियमों को सीखने और उन्हें अपने हित में मोड़ने की शुरुआत की।

वस्तुतः इंसानी इतिहास में एक बड़ी छलांग तब लगी, जब उसने आग पर नियंत्रण पा लिया। आग की महत्ता उसे पहले भी पता थी, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना नहीं आता था। मनचाहे समय पर आग जला लेना और उसे बुझा देना इंसान के लिये एक बड़ी कामयाबी थी। अगर गौर से देखें तो आज भी हमारी पूरी सभ्यता इसी आग जलाने और बुझाने के ज्ञान पर टिकी हुई है। इसीलिये, इसे अग्नि सभ्यता भी कह सकते हैं। मानव जगत के समस्त कार्यव्यापार कुछ न कुछ जलाकर हासिल हो रहे हैं। चाहे आसमान में उड़ता हवाई जहाज, सड़कों पर दौड़ते वाहन, पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी हो या फिर हमारा भोजन। इसी प्रकार, कोयला जलाकर पैदा की गई बिजली से हमारे घर रौशन हो रहे हैं। इस तरह, देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से ईंधन जलाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु, इसका दूसरा पहलू यह है कि यह आग हर दिन ऊर्जा के साथ-साथ गर्मी भी पैदा करती है। यह

गर्मी हमारे वातावरण में जाती है। इससे कार्बन व अन्य हानिकारक गैसें भी निकलती हैं।

ऊर्जा प्राप्ति के लिये हम ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाने वाला यह ईंधन सदियों से पृथ्वी के अंदर संरक्षित रहा है। हमारी दुनिया का संचालन बहुत हद तक जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर है, किंतु इनके दहन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन हमारी पृथ्वी के लिये घटक साबित हो रहा है। वायु में निरंतर कार्बन कणों की मात्रा बढ़ती जा रही है।

दूसरी ओर, इंसान ने अपने विकास के आरंभिक दौर से ही उपकरणों के निर्माण एवं इस्तेमाल को सीखा है। आग के उपयोग की तरह ही उपकरणों का इस्तेमाल भी इंसान को अन्य जीवों से अलग करता है। प्रकृति में कुछ अन्य जीव भी हैं जो आंशिक तौर पर कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें उन उपकरणों को सुधारने या उन्हें अपने उपयोग के अनुसार ढालने की क्षमता कम होती है। इंसान जानवरों की हड्डियों, सींगों और लकड़ी के उपकरणों से शुरुआत करते हुए फिर पत्थर के बने परिष्कृत औजारों तक पहुँचा। यहाँ से वह हथियारों से बर्तनों की तरफ बढ़ा। लकड़ी और सींग के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तन आ गए। उपकरण और बर्तन निर्माण का यही काम फिर धातुओं से होने लगा। इस क्रम में जो सबसे नई चीज है, जिसने तमाम उपकरणों व आवश्यकताओं की जगह लेनी शुरू की है वह प्लास्टिक। प्लास्टिक का उत्पादन होने से जहाँ इसके इस्तेमाल से तमाम सुविधाएँ बढ़ी हैं, वहीं प्लास्टिक के प्राकृतिक तौर पर क्षरित न होने की वजह से इसने दुनिया भर में अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न की हैं।

इस तरह, आग और उपकरण वे दो मूलभूत चीजें थीं, जिन्होंने मानव को इंसान बनाया। लेकिन, आज यही दोनों चीजें सही तरह से इस्तेमाल न करने या फिर अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से न सिर्फ इंसानियत बल्कि पूरी पृथ्वी के लिये ही खतरा बन गई हैं। यह सबकुछ इंसानी गतिविधियों के चलते हुआ है। इसी को आज एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग कहा जाता है।

माना जाता है कि यदि पृथ्वी के कुल जीवन काल को 24 घंटे मान लिया जाए तो इंसान को पृथ्वी पर आए सिर्फ 19 सेकेंड हुए हैं। पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ के मुताबिक, लगभग साढ़े ग्यारह हजार साल पहले होलोसीन युग में पिछला हिमयुग समाप्त हुआ, उसके पश्चात् पृथ्वी पर जंगल बढ़े। यह एक तरह का अंतर-हिमयुगीय काल है, जबकि एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत 1950 के आसपास मानी जाती है। यह वह युग है जिसमें इंसानी गतिविधियों के चलते जलवायु परिवर्तन की घटनाओं की शुरुआत हुई। ब्रॉइलर चिकन को भी एंथ्रोपोसीन युग का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। हमारी पृथ्वी पर मौजूदा 2300 करोड़ ब्रॉइलर चिकन इंसान का भोजन बनने के लिये तैयार हैं। यानी ये जमीन पर पाए जाने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ब्रिटेन के लीसेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्षों तक गहराई से शोध करने के बाद दिसंबर 2018 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किये। इनका कहना था कि ब्रॉइलर चिकन पूरी तरह से मानव निर्मित हैं। हमने उनके जीन को बदलकर उनके चयापचय को नियंत्रित करने वाले रिसेप्टर को म्यूटेंट (परिवर्तित) कर दिया है, जिस कारण वे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। इससे उनके आकार में वृद्धि होती है। सिर्फ यही नहीं, उनका पूरा जीवन चक्र मानव प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुर्गियाँ जिस कारखाने में अपने अंडों से निकलती हैं, वहाँ का तापमान और आर्द्रता कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। पहले ही दिन से उन्हें बिजली की रोशनी में रखा जाता है ताकि उनके भोजन के घंटे बढ़ाए जा सकें।

दुनिया का कचराघर बन गए समुद्र

मई महीने के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में जब चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae) भारत के पश्चिमी तट के साथ टकराया तो उसने बहुत सारे भेद खोल दिये। भयंकर बारिश, तेज़ हवाओं और समुद्री उफान का दौर जब थमा तो लोगों ने देखा कि समुद्र तट प्लास्टिक कचरे से भरे हुए हैं। समुद्र के किनारों पर दूर-दूर तक प्लास्टिक की वे तमाम चीजें मौजूद थीं, जो किसी-न-किसी तरह से हमारी वजह से समुद्रों में पहुँच गई थीं। केरल, कर्नाटक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसा नजारा देखने को मिला विशेष रूप से समुद्र तट पर बसे शहरों में। इसे समुद्र का एक तरह का रिटर्न गिफ्ट भी कहा गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई कि आखिर समुद्र ने हमें यह रिटर्न गिफ्ट दिया क्यों?

दुनिया भर के समुद्र कचराघर बनते जा रहे हैं। विभिन्न देशों का कचरा समुद्रों में फेंका जा रहा है। इसके चलते समुद्रों में प्लास्टिक कचरे की इतनी मात्रा जमा हो रही है कि समुद्र में रहने वाली तमाम प्रजातियों का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 तक दुनिया में 13 करोड़ मीट्रिक टन के लगभग कचरा समुद्रों और महासागरों में पहुँच चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पाँच सालों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उत्पादन 30 फीसदी तक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि दुनिया भर में जितना भी एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक का उत्पादन होता है, उसके आधे के लिये सिर्फ बीस कंपनियाँ जिम्मेवार हैं। यानी, सिर्फ इन बीस कंपनियों को निर्देशित करने से ही दुनिया भर में एक बार इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक के उत्पादन को 50 फीसदी तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट का कहना है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली 35 फीसदी प्लास्टिक को जलाया गया, जबकि 31 फीसदी को लैंडफिल साइट में दफन कर दिया गया, वहीं 19 फीसदी हिस्सा ऐसा है जिसे सीधे समुद्र में या जमीन पर फेंक दिया गया। प्लास्टिक का यह कचरा दुनिया भर के समुद्रों में तैरता रहता है, समुद्रों में अब ऐसी जगहें बहुत कम बची हैं जहाँ इंसान द्वारा फैलाया गया कचरा न दिखता हो।

जलवायु संकट के सबसे बड़े संकेतक

ध्रुवों और पहाड़ों पर जमी बर्फ का तेज़ी से पिघलना जलवायु संकट के सबसे बड़े संकेतकों में शामिल है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी जलवायु में कितनी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। हम इंसान हों या कोई अन्य जीव-जंतु या फिर पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ; सभी ने अपनी-अपनी जलवायु के अनुरूप जीने के ढंग सीखे हैं। वस्तुत: जलवायु ही हमारे जीवन को निर्धारित करती है। विभिन्न प्रजातियाँ जलवायु में होने वाले बहुत धीमे परिवर्तनों को तो झेल जाती हैं और उनके साथ स्वयं को भी बदलती जाती हैं, लेकिन जब ये बदलाव बहुत तेज़ी से एवं व्यापक स्तर पर होने लगते हैं तब विभिन्न प्रजातियों पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है और बहुत सी प्रजातियाँ विलुप्त होने लगती हैं।

आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में शामिल 1,05,732 प्रजातियों का अध्ययन किया गया। इसमें किये गए अपडेट के अनुसार 28,338 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। इसके अनुसार, मीठे पानी और गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजातियाँ खतरनाक ढंग से कम होती जा रही हैं। उदाहरण के लिये, जापान में पाई जाने वाली मीठे पानी की पचास प्रतिशत से अधिक मछलियाँ विलुप्तप्राय हो चुकी हैं। इसकी मुख्य वजह नदियों के निर्बाध प्रवाह में कमी, कृषि क्षेत्र और शहरों में बढ़ता प्रदूषण है। दुनिया भर में मीठे पानी की 18,000 प्रजातियाँ विभिन्न कारणों से अत्यंत दबाव में हैं और तेज़ी से खत्म हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि हिमनदों के पिघलने से समुद्र जल-स्तर में तेज़ी से इजाफा होता है। इसके चलते समुद्र तल से कम ऊँचाई वाले देशों और क्षेत्रों के समक्ष डूबने का खतरा पैदा हो जाता है, खासतौर पर एटॉल नेशन इन खतरों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में पूर्व-औद्योगिक युग के तापमान की तुलना में तीन डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते में इस तीन डिग्री को कम करके डेढ़ डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। अलग-अलग देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी है, ताकि वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोका जा सके। अगर इस संदर्भ में अभी तक की स्थिति को देखा जाए तो इसमें खास प्रगति होती नहीं दिख रही है।

वैश्विक तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के चलते पिघलते हिमनद तमाम अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रहे हैं। हिमनदों के सूखने से पानी के लिये इन पर निर्भर नदियाँ भी सूख जाएँगी। इसके साथ ही इन नदियों के पानी पर निर्भर जीव-जंतु और इंसान भी प्रभावित होंगे या हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नदियों पर निर्भर कृषि व्यवस्था भी नष्ट होने की कगार पर पहुँच जाएगी। इसी तरह, वैश्विक तापमान में होने वाली बढ़ोतरी से मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। तमाम घटनाओं में हम इसे होते हुए देख रहे हैं। समुद्र की सतह के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी चक्रवाती तूफानों को जन्म देती है। जैसे-जैसे हमारे समुद्र गरम हो रहे हैं, वैसे-वैसे चक्रवाती तूफानों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। गर्मी के चलते कम वायु दाब के क्षेत्र पहले की तुलना में ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि गरम सतह के चलते इससे उठने वाली भाप से नमी बढ़ जाती है, जिससे चक्रवाती तूफान ज़्यादा भयावह और शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे ही एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तौकते को हमने मई के महीने में भारत के पश्चिमी तट से टकराते हुए देखा है, जबकि हाल ही में आया 'यास' बंगाल की खाड़ी से उठकर बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा रहा है।

मौसम के इस असामान्य व्यवहार के चलते ही दुनिया भर में बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। हैरत तो इस बात की है कि प्राय: जिन जगहों पर लोग सूखे से पीड़ित रहते हैं, वहीं पर कुछ दिनों बाद लोग बाढ़ का सामना कर रहे होते हैं। बारिश के पैटर्न में बदलाव के चलते ऑस्ट्रेलिया जैसी कई जगहों के जंगलों में नमी का स्तर कम हो रहा है। इसके चलते जंगलों में दावानल की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं, जबकि मृदा में नमी कम होने का नतीजा धूल भरी आँधी और लू के रूप में भी देखने को मिलता है।

मौसम के इस तरह के असंबद्ध बर्ताव को आप राजधानी दिल्ली के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। इसी वर्ष दिल्ली में 19 मई की सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर 20 मई की सुबह साढ़े आठ बजे के बीच यानी चौबीस घंटे के भीतर ही 119.3 मिलीमीटर बारिश हुई। मई माह के किसी एक दिन में होने वाली बारिश के लिये यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 1976 की 24 मई को 60 मिलीमीटर बरसात हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। सामान्यत: मई के महीने में यहाँ 19.7 मिलीमीटर बरसात होती है। इस तरह से देखा जाए तो चौबीस घंटे के भीतर ही पूरे महीने भर की सामान्य बारिश का छह गुना पानी बरस गया। वहीं, इसके पहले फरवरी के महीने में सामान्य से 86 फीसदी, मार्च में सामान्य से 77 फीसदी और अप्रैल में सामान्य से 76 फीसदी कम बारिश हुई थी। इस प्रकार, मई माह के एक दिन में हुई बारिश ने पिछले तीन महीनों में हुई बारिश की कमी का आँकड़ा पूरा कर दिया। किंतु, यदि इस तथ्य को हम गंभीरता से समझें कि अगर यही 119.3 मिलीमीटर बारिश धीरे-धीरे या कई दिनों में थोड़ी-थोड़ी करके होती तो मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता, वहीं इस पानी के 24 घंटे के अंदर बरस जाने से क्या प्रभाव पड़ा है?

जाहिर है कि इंसान और पृथ्वी का भविष्य इसी तरह की अलग-अलग मुसीबतों से घिरा हुआ दिखाई देता है। हिमनदों का पिघलना इन तमाम मुसीबतों के तेज़ी से गहराने का संकेत है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े इस तरह के संकेतों के मद्देनजर हमें ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो विनाश की इस प्रक्रिया को रोक सकें या फिर धीमा कर सकें।

❑❑❑

करेंट अफेयर्स खंड

प्रश्नपत्र -1

इतिहास, कला एवं संस्कृति 20
- मुक्त और स्वतंत्र विश्व की आवश्यकता 20
- विवादों के घेरे में इतिहास का नवीन पाठ्यक्रम 21
- रामानुजाचार्य : विशिष्टाद्वैत दर्शन 22
- खजुराहो मंदिर 22

भूगोल 24
- चक्रवाती तूफान और भारत 24

सामाजिक मुद्दे 29
- महामारी के दौर में कैदियों के अधिकार 26
- आदेश के प्रमुख बिंदु 26
- मनरेगा और कोविड-19 27
- चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 28

प्रश्नपत्र -2

राजव्यवस्था एवं शासन 30
- कोविड सहायता में बाधक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 30
- नए ज़िलों के गठन की प्रक्रिया 31
- न्यायिक संघवाद तथा उच्च न्यायालयों की स्वायतता 32
- अधिकरणों की दक्षता का मुद्दा 33
- मीडिया का रिपोर्टिंग करने का अधिकार 34
- पिछड़ों का उत्थान : क्या कहता है संविधान 35
- आरक्षण और उच्चतम न्यायालय 36
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 38

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 40
- चीन द्वारा दबाव की कूटनीति 40
- चीन का पड़ोसी देशों के साथ बढ़ता सुरक्षा सहयोग 40
- अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया और भारत के हित 41
- भारत-चीन सीमा विवाद और महामारी 42
- इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष और भारत 43
- यरुशलम की आन : झगड़ते हुक्मरान 44
- भारत-ब्रिटेन संबंध 45
- हमास : इस्लामिक अतिवादी या लड़ाके या राष्ट्रवादी! 46
- जी7 और चीन 49
- पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के सुधरते आपसी संबंध 49
- भारत-जापान के संबंधों के नए आयाम 50
- भारत-रूस संबंधों के नवीन समीकरण 51
- म्याँमार में बढ़ता विद्रोह और एकीकरण पर चोट 53
- अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी का दक्षिण एशिया पर प्रभाव 54
- कोविड-19 और भारतीय विदेश नीति 56
- भारत-आसियान और डिजिटल संबंध 56
- शरणार्थी समस्या 58
- भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग के साझा प्रयास 59

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 62
- विषाणुओं के वेरियंट्स का वर्गीकरण 62
- कोविड-19 और गुजरात का स्वास्थ्य मॉडल 63
- कार्य के बोझ से होने वाली मौतें 63
- भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन की आवश्यकता 64
- डिजिटल शिक्षा: आचार नीति की आवश्यकता 66
- महामारी का कहर : अनाथ होते बच्चे 67
- चुनौतियों के भँवर में फँसा टीकाकरण अभियान 69
- भारत में टीकाकरण की उपादेयता 70
- भारतीय चिकित्सा शिक्षा में सुधार 71
- कोविड-19 से निपटने में सक्षम ताइवान मॉडल 72
- महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा 73
- कोरोना वैरिएंट्स की भयावहता का प्रश्न 74

प्रश्नपत्र -3

आर्थिक घटनाक्रम 75
- उत्पादकता और आर्थिक विकास 75
- ऑनलाइन आधारित अर्थव्यवस्था की व्यवहार्यता 76
- महामारी का प्रकोप झेलती महिला श्रमिक 77
- भू-जल स्तर में गिरावट का फसल गहनता पर प्रभाव 77
- महँगाई, बेरोज़गारी तथा असमानता से संबंधित चुनौतियाँ 78
- सार्वभौमिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता 80
- दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये सरकार की रणनीति 81
- विदेशी मुद्रा भंडार नीति की आवश्यकता 81
- वैश्विक स्तर पर समान निगम कर : आवश्यकता और निहितार्थ 83

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 85
- सी.टी. स्कैन और स्टेरॉइड से संबंधित चिंताएँ 85
- अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चिंताएँ 86
- स्वास्थ्य आपदा के दौर में बौद्धिक संपदा अधिकार 87
- कोविड टीकों की कमी और बौद्धिक संपदा अधिकार 87
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता 88
- आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 89
- भारत में 5G प्रौद्योगिकी की वस्तुस्थिति 90
- कोविड-19 : प्लाज्मा थैरेपी 92
- पशु एवं मानव चिकित्सा का सह-संबंध 93
- 'म्यूकॉरमाइकोसिस' (ब्लैक फंगस) 95

आंतरिक सुरक्षा 96
- महामारी के दौर में बढ़ता साइबर अपराध 96

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 98
- हरित हाइड्रोजन : स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सहायक 98
- जलवायु परिवर्तन का पवन ऊर्जा पर प्रभाव 99
- जलवायु परिवर्तन से जुड़ा पर्माफ्रॉस्ट का पेंच 100
- वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु संबंधी जोखिम 102
- पैंगोलिन पर गहराता संकट 103
- ग्रेट निकोबार परियोजना और संबंधित मुद्दे 104
- प्लास्टिक कचरे से कराहते शहर तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र 105

आपदा प्रबंधन 107
- सार्वजनिक भवन तथा अग्नि-सुरक्षा संबंधी नियम 107

प्रश्नपत्र -4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 109
- विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सिविल सेवकों की भूमिका 109

विविध

1 इतिहास, कला एवं संस्कृति

मुक्त और स्वतंत्र विश्व की आवश्यकता

संदर्भ

विगत कुछ समय से 'मुक्त और स्वतंत्र विश्व' (The Free World) जैसे विचार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से गायब होने लगे हैं। ऐसे में, इनकी उपादेयता पर पुनः चर्चा होने लगी है।

मुक्त विश्व की परिकल्पना

- द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर विभिन्न यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और अन्य लोकतांत्रिक देशों ने सोवियत संघ के स्टालिन से 'सैन्य और राजनीतिक खतरा' महसूस किया।
- इन देशों ने स्वयं के लिये 'पश्चिम' (The West) शब्द का प्रयोग किया। एक अमेरिकी राजनयिक जॉर्ज एफ. केनन ने वर्ष 1946 में मॉस्को से भेजे गए अपने प्रसिद्ध 'लॉन्ग टेलीग्राम' में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता और जीवन शैली को एक ऐसी प्रणाली (देश) से खतरा बताया था, जिसका दृष्टिकोण 'खुले व मुक्त पूँजीवादी' समाज से मेल नहीं खाता था।
- उस दौर में 'मुक्त विश्व' एक अतिप्रचलित शब्द था। इसके पालनकर्ता देश आपसी सहयोग करते हुए बाज़ार अर्थव्यवस्था तथा उदार व लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का पालन करते थे।

विशेषताएँ

- इन देशों के नागरिक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव द्वारा सरकार बदल सकते हैं। यहाँ बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों का सम्मान, संविधान के माध्यम से कानून के शासन की स्थापना, 'जाँच और संतुलन' आधारित शासनव्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता, सभी धर्मों का सम्मान आदि का अस्तित्व रहता है। इन प्रगतिशील मानदंडों ने लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया तथा धीरे-धीरे ये देश समृद्ध होने लगे।
- साझा सिद्धांतों वाले देशों के इस गठबंधन के स्वीकृत नेता अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने फासीवाद, नाजीवाद और क्रूर राष्ट्रवाद पर जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके अनुपालक देश शांतिपूर्वक विकास करने को प्रेरित हुए।
- जब वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, तब उदारवादी लोकतंत्रों (मुक्त दुनिया) में इस बात पर सहमति थी कि सोवियत साम्यवाद का पतन उनकी जीत का संकेत है।

वर्तमान चुनौतियाँ

- वर्तमान में, उदार लोकतंत्र अपने मूल्यों की रक्षा करने और विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें चीन और रूस से उत्पन्न चुनौतियाँ प्रमुख हैं।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अपने सहयोगियों और सार्वभौमिक मानवाधिकारों में विश्वास नहीं करते थे। हालाँकि उन्होंने चीन के बुरे व्यवहार को बेहतर ढंग से उजागर किया, परंतु अमेरिका के पारंपरिक दोस्तों का तिरस्कार व रूस की बर्बरता को नज़रअंदाज़ भी किया।
- इसके अतिरिक्त, वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र का ऐसा कोई भी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन सके। यह वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति 'जो बाइडन' के समक्ष उपस्थित चुनौतियों में से एक है।

उपाय

- एक रचनात्मक व शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिये अमेरिका को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिये अडिग रहना चाहिये।
- बाइडन को इस विश्व अभियान की शुरुआत अमेरिका से ही करनी होगी। महामारी को नियंत्रित करना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नस्लीय विभाजन समाप्त करना आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या से निपटने के लिये चीन और रूस के साथ मिलकर काम करना होगा, परंतु अमेरिका इनसे निवेदन नहीं करना चाहता है।
- 'चीन' गरीब देशों में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित कर उन्हें भारी ऋण जाल में फँसा रहा है तथा उन पर दबाव बना रहा है। ऐसे में, अमेरिका दुनिया के गरीब देशों को कोविड वैक्सीन और सतत् विकास में सहायता प्रदान करके उनकी मदद कर सकता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर असमानता का उन्मूलन करने, निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहन देने व मानवाधिकारों का संरक्षण करने का भी प्रयास किया जाना चाहिये।

- सबसे बढ़कर, उदार लोकतांत्रिक देशों को उन देशों की सहायता भी करनी चाहिये, जिन पर चीन और रूस दबाव बना रहे हैं। इन उपायों के माध्यम से स्वतंत्रता को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है तथा स्वतंत्रत विश्व की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

विवादों के घेरे में इतिहास का नवीन पाठ्यक्रम

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा स्नातक स्तर पर इतिहास विषय के लिये तैयार किये जा रहे नए पाठ्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

विवाद के कारण

- आरोप लगाया जा रहा है कि नए पाठ्यक्रम में मुस्लिम शासकों का महत्त्व कम करके वैदिक काल व हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े कई मिथक शामिल किये जा रहे हैं।
- आशंका यह भी है कि इतिहास के नए पाठ्यक्रम में 'आइडिया ऑफ भारत', 'सिंधु-सरस्वती और उसके पतन के कारणों' तथा 'भारत की सांस्कृतिक विरासत' को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। इसके अलावा, इसमें 'आक्रमणकारी' शब्द का प्रयोग केवल मुस्लिम शासकों के लिये किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसमें आक्रमणकारी नहीं कहा गया है।
- यू.जी.सी. द्वारा पठन सूची के निर्धारण में 1950 के दशक में लिखी गई पुस्तकों को अधिक महत्त्व दिया गया है, जो वर्तमान के इतिहास लेखन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्त्वहीन कर देता है।

इतिहास में काल-विभाजन की धारणा

- इतिहास विषय का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है– 'विभिन्न अवधियों में इसका विभाजन करना।' इतिहास के काल-निर्धारण की धारणा का विकास 17वीं सदी के अंत में यूरोप में हुआ और इतिहास को तीन कालखंडों– प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बाँटा गया।
- वर्ष 1688 में एक जर्मन विद्वान क्रिस्टोफ सेलारियस ने इस त्रि-युगीन विभाजन को धर्मशास्त्र व चर्च से अलग पहचान दी तथा यूरोपीय देशों द्वारा किये जाने वाले औपनिवेशीकरण का समर्थन किया।
- भारत में यह धारणा विकृत रूप में विकासित हुई। जेम्स मिल ने वर्ष 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया' में भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में किया।
- यूरोपियों ने अपने इतिहास का विभाजन 'प्राचीनकाल, मध्यकाल व आधुनिक काल' में किया और संकेत दिया कि वह मध्ययुगीन 'अंधकार युग' से 'आधुनिक व तार्किक युग' में प्रवेश कर गया है, जबकि भारत के संदर्भ में मिल के दृष्टिकोण ने इंगित किया कि भारत अभी भी धार्मिक अंधकार के युग में फँसा हुआ है और उसे आधुनिक बनाने के लिये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आवश्यकता है।
- मिल द्वारा 'हिंदू काल' के अंतर्गत 'आर्यों से लेकर (क्योंकि तब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी) 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु तक, 'मुस्लिम काल' के अंतर्गत 1206 ई. में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु तक तथा 'ब्रिटिश काल' के अंतर्गत 1765 ई. के बाद के काल को माना गया।
- लेकिन 647 ई. से 1206 ई. और 1707 ई. से 1765 ई. के समयांतराल को 'ऐतिहासिक सूखे' के रूप में चिह्नित किया गया था।
- मिल ने अपने दृष्टिकोण में लंबे समय से विद्यामान हिंदू-मुस्लिम शत्रुता पर ज़ोर दिया, जिसे दो-राष्ट्र सिद्धांत का पूर्वगामी माना गया।
- आगे 1903 ई. में 'स्टेनली लेनपूल' ने भारतीय इतिहास को भी प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में पुनर्विभाजित किया, परंतु विभाजन का आधार स्वतंत्रता के बाद भी वही बना रहा।

इतिहास की बहुस्तरीय व्याख्या

- 1960 के दशक में भारतीय इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति देखी गई।
- इसके अंतर्गत राजवंशों व शासकों के इतिहास के अलावा, तत्कालीन सामाजिक-धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि आयामों पर भी ध्यान दिया जाने लगा, अर्थात् इतिहास की बहुस्तरीय व्याख्या पर ज़ोर दिया जाने लगा।
- गौरतलब है कि शासनकाल और राजवंशों के ऐतिहासिक घटनाक्रम को तो निश्चित तिथियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिये कोई निश्चित कालावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- अत: अब ऐतिहासिक घटनाओं के सीमांकन की अवधियों में लचीलापन दिखाई देने लगा।
- वर्ष 1980 के बाद इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में एक और नया आयाम जुड़ गया तथा तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का परीक्षण अब पर्यावरण-पारिस्थितिकी, महिलाओं की भूमिका, स्थानीय देवताओं की लैंगिक पहचान, बीमारियाँ व उसका इलाज आदि के दृष्टिकोण से भी किया जाने लगा।

रामानुजाचार्य : विशिष्टाद्वैत दर्शन

संदर्भ

18 अप्रैल, 2021 को श्री रामानुजाचार्य की 1004वीं जयंती मनाई गई। इनकी जयंती की तिथि तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर तय की जाती है। इन्होंने आम जनमानस में समानता और भक्ति-भाव का संचार किया था।

रामानुजाचार्य का परिचय

- रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ई. में तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर गाँव में हुआ था। इन्हें 'इलाया पेरूमल' (Ilaya Perumal) के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है– 'प्रकाशमान'। ये यमुनाचार्य जी के शिष्य थे।
- इन्हें वैष्णववादी दर्शन का सबसे सम्मानित आचार्य माना जाता है। ये वेदांत दर्शन परंपरा में 'विशिष्टाद्वैत' के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से प्राचीन भागवत (वैष्णव) धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया तथा उसे दार्शनिक आधार प्रदान किया।
- उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की तथा भगवद्गीता पर भाष्य लिखा। इनकी सभी रचनाएँ संस्कृत भाषा में हैं।
- रामानुजाचार्य ने अस्पृश्यों के साथ भेदभाव न करने की बात करते हुए कहा कि विश्व-रचयिता ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने जन्म या जाति की बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान की बात की तथा वेदों के गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को मंदिरों से निकाल कर आमजन तक पहुँचाया।
- इनके भक्तिवादी दार्शनिक तत्त्वों का भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 120 वर्ष की आयु में 1137 ई. में तमिलनाडु के श्रीरंगम में इनका निधन हो गया।

विशिष्टाद्वैत

- मध्यकालीन विभूति रामानुजाचार्य ने बौद्धिक आधार पर आदिशंकराचार्य के 'अद्वैतवाद' को कड़ी चुनौती दी तथा 'विशिष्टाद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया। इसमें तीन तत्त्वों यथा– ईश्वर (ब्रह्म), जीव (आत्मा) तथा प्रकृति को नित्य माना गया है।
- इस मत के अनुसार, यद्यपि जगत् और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न हैं, तथापि वे ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और वे ब्रह्म से उसी प्रकार संबद्ध हैं, जैसे सूर्य से उसकी किरणें संबद्ध होती हैं। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है।
- इसके अंतर्गत आदिशंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है। शंकराचार्य ने 'जगत को माया' करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है। लेकिन रामानुज के अनुसार, जगत का निर्माण भी ब्रह्म ने ही किया है, अतः यह मिथ्या नहीं हो सकता है। उनके अनुसार, माया का अर्थ ईश्वर की अद्भुत रचना-शक्ति से तथा अविद्या का अर्थ जीव की अज्ञानता से है। रामानुज ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करने के लिये सात तर्क दिये हैं, जिन्हें 'सप्तानुपत्ति' कहा जाता है।
- रामानुज 'ज्ञान को द्रव्य' मानते हैं तथा इसकी प्राप्ति के तीन सधान– प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द बताते हैं। विशिष्टाद्वैत के ज्ञान विषयक विचारों में सबसे महत्त्वपूर्ण है– 'सभी विज्ञान यथार्थ हैं।'
- रामानुज के अनुसार, ब्रह्म या ईश्वर एक सगुण तत्त्व है। आत्मा तथा ब्रह्म में कुछ विशिष्ट अंतर हैं। आत्मा अणु है तथा ब्रह्म विभु (सर्वव्यापी) है। आत्मा के विपरीत, ब्रह्म पूर्ण तथा अनंत है, आत्मा ब्रह्म का अंश तथा उसी पर निर्भर है। जिस प्रकार अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता, गुण कभी द्रव्य नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मा कभी ब्रह्म नहीं हो सकती है।
- इस मत के अनुसार, जीवात्मा के तीन प्रकार– बद्ध आत्मा, मुक्तात्मा तथा नित्यात्मा हैं। 'बद्ध आत्मा' से तात्पर्य भौतिक जगत में विद्यमान शरीर-बद्ध जीव से, 'मुक्तात्मा' का तात्पर्य ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने से तथा 'नित्यात्मा' का तात्पर्य ईश्वर के साथ बैकुंठ में निरंतर उनकी सेवा में लीन रहने से है। इनका पुनर्जन्म नहीं होता है।
- रामानुज के दर्शन में तीसरा तत्त्व 'प्रकृति' है, जो जड़ अथवा अचेतन है। यह ज्ञानरहित तथा विकारी द्रव्य है। प्रकृति रूपी बीज से तथा जीवात्माओं के पूर्व संचित कर्मों से ईश्वर संसार की रचना करता है। 'सत्व, रज तथा तम' प्रकृति के तीन गुण हैं और सभी सांसारिक वस्तुओं में इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है।
- रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है, जो सभी के लिये सदैव सुलभ है। इनके अनुसार, मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा (ब्रह्म) में विलय नहीं होता, अपितु वह ब्रह्म के सदृश (ब्रह्मप्रकार) हो जाता है।

खजुराहो मंदिर

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' शृंखला के अंतर्गत 'खजुराहो मंदिरों की वास्तुशिल्पीय भव्यता' पर वेबिनार का आयोजन किया।

- उल्लेखनीय है कि 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान' के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग' के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय विरासत की भव्यता इसके वास्तुशिल्प, कला, हस्तशिल्प और संस्कृति में परिलक्षित होती है। विशालकाय किले, प्राचीन मंदिर, स्मारक इत्यादि भारत के प्राचीन, समृद्ध व गौरवशाली इतिहास के प्रमाण हैं।
- खजुराहो की वास्तुशिल्प कुशलता न सिर्फ घरेलू पर्यटकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच अत्यंत आकर्षण का केंद्र है। भव्य मंदिरों के अलावा, यहाँ राजकीय जनजाति संग्रहालय और लोक कला केंद्र, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण स्थल, रानेह जलप्रपात इत्यादि भी पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
- पर्यटन मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत देशभर में ऐसे 19 स्थलों की पहचान की है, जिन्हें प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सूची में 'खजुराहो' भी शामिल है।
- पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत यहाँ 'महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र' विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य पर्यटन व्यावसाय से जुड़े लोगों को एक ऐसा स्थल उपलब्ध कराना है, ताकि वे आवश्यक सम्मेलनों का आयोजन कर सकें।
- इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया द्वारा सप्ताह में दो बार दिल्ली से वाराणसी होते हुए खजुराहो के लिये हवाई-यात्रा सेवा भी प्रस्तावित है।

खजुराहो का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- खजुराहो हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित हैं। इन मंदिरों का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख अबू-रिहान-अल-बरूनी तथा अफ्रीकी यात्री इब्नबतूता के विवरणों में मिलता है।
- इन मंदिरों का निर्माण 950-1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। गुप्तकाल के दौरान तराशे हुए पाषाण खंडों से मंदिर निर्माण की जो कला आरंभ हुई थी, वह चंदेलों के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। इस दौरान मंदिरों के निर्माण के लिये चिनाई पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा था।
- खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के 'नागर शैली' का अद्भुत उदाहरण हैं। गर्भगृह, शिखर (वक्रीय बुर्ज) और मंडप (प्रवेश द्वार) नागर शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है। इन मंदिरों के निर्माण के लिये हल्के रेतीले पत्थरों, लोहे की कीलकों और ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है।
- खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला अत्यंत जटिल है। एक गर्भगृह, महामंडप, सभागृह, अर्धमंडप (अतिरिक्त सभागृह) तथा प्रदक्षिणा पथ इसके प्रमुख घटक हैं। यहाँ कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी बने हैं।
- ध्यातव्य है कि पंचायतन शैली के अंतर्गत एक केंद्रीय मंदिर के चारों कोनों पर चार अतिरिक्त मंदिर बने होते हैं।
- मंदिरों की नक्काशी हिंदू जीवनशैली के चार पुरुषार्थों– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती हैं। ये मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिये विश्व-विख्यात हैं।
- माना जाता है कि 12वीं सदी के दौरान लगभग 20 कि.मी. में फैले इन मंदिरों की संख्या 85 थी। इनमें से अधिकांश मंदिर नष्ट हो गए हैं तथा वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 20-25 है।
- खजुराहो के मंदिर पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी समूह में विभाजित हैं। इनमें पश्चिमी समूह के मंदिर शैव एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं।
- इन मंदिरों में चौंसठ योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर (विष्णु मंदिर), वराह मंदिर आदि प्रमुख हैं।
- पूर्वी समूह के मंदिर हिंदू व जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। इसमें ब्रह्मा, वामन, आदिनाथ, पार्श्वनाथ तथा घंटाई मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा, दुलादेव (शैव संप्रदाय) तथा जटकारी (वैष्णव संप्रदाय) मंदिर दक्षिणी समूह से संबंधित हैं।
- इन मंदिरों को इनके शिल्पगत सौंदर्य के कारण यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा प्रदान किया गया था।

❑❑❑

2 भूगोल

चक्रवाती तूफान और भारत

संदर्भ

वर्तमान में, अरब सागर में उत्पन्न हुए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'ताऊते' ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी नुकसान पहुँचाया है। इस दौरान गुजरात में 'लैंडफॉल' (Landfall) की स्थिति भी देखने मिली। इस चक्रवात का नामकरण 'म्याँमार' द्वारा किया गया। बर्मी भाषा में 'ताऊते' शब्द का अर्थ 'गेको' अर्थात् 'अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली' होता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी व दक्षिणी गोलार्द्धों में 8 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागर की सतह पर होती है। ये विध्वंसक प्राकृतिक आपदा माने जाते हैं। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, चीन सागर में टाइफून, जापान सागर में टाइफू, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली तथा कैरीबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है।
- उत्तरी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में इन चक्रवातों की उत्पत्ति की औसत वार्षिक आवृत्ति लगभग 5 है। इनके विकसित होने की संभावना मई-जून तथा अक्तूबर-नवंबर के दौरान सर्वाधिक होती है। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात विकसित होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 'बंगाल की खाड़ी' और 'अरब सागर' में विकसित होने वाले चक्रवातों का अनुपात 4:1 होता है।
- चक्रवात के केंद्र की तरफ चलने वाली वायु की गति के आधार पर 'विश्व मौसम विभाग' ने चक्रवातों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है–
  - Low pressure area – 17 नॉट से कम (<31 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Depression– 17-27 (31-49 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Deep depression (DD)– 28-33 (50-61 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Cyclonic storm (CS)– 34-47 (62-88 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Severe cyclonic storm (SCS)– 48-63 (89-117 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Very severe cyclonic storm (VSCS)– 64-89 (118-166 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Extremely severe cyclonic Storm (ESCS)– 90-119 (167-220 कि.मी. प्रतिघंटा)
  - Super cyclonic Storm (SCS)–>=120 (>=220 कि.मी. प्रतिघंटा)
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति संघनन के दौरान निष्कासित होने वाली उष्मा से होती है। संघनन के समय ऊष्मा के अधिक मात्रा में निष्कासन के लिये वायुमंडल की आर्द्रता का अधिक होना आवश्यक है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इनकी दिशा वामावर्त (Counter Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) होती है।
- चक्रवात की उत्पत्ति के लिये समुद्र की सतह का तापमान कम से कम (Minimum Sea Surface Temperature) 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिये, ताकि वाष्पीकरण के साथ-साथ वायुमंडल की आर्द्रता भी अधिक हो सके और चक्रवात की उत्पत्ति के लिये अनुकूल दशाएँ निर्मित हो सकें।

अरब सागर के चक्रवात

- 'ताऊते' पूर्व-मानसून अवधि (अप्रैल-जून) में विकसित होने वाला चक्रवात है, इस तरह के चक्रवात अरब सागर में पिछले चार वर्षों से लगातार विकसित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में 'निसर्ग' चक्रवात (Nisarga Cyclone) ने महाराष्ट्र को, वर्ष 2019 में 'वायु' चक्रवात (Vayu Cyclone) ने गुजरात को तथा वर्ष 2018 में 'मेकानू' चक्रवात (Mekanu Cyclone) ने ओमान को प्रभावित किया था।
- वर्ष 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को या तो 'गंभीर चक्रवात' (Severe Cyclone) या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है।

चक्रवातों का नामकरण

- आरंभ में इनको अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था, परंतु भ्रम की स्थिति होने पर इनका नामकरण आरंभ किया गया।
- 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञानी ने महिलाओं के नाम पर इनका नामकरण शुरू किया था तथा वर्ष

1978 तक इसी परिपाटी का पालन किया जाता रहा, परंतु अब पुरुष तथा महिला दोनों के नामों पर इनका नामकरण किया जाता है।

- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई थी। जिसमें शामिल 13 देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन) पहले ही नामों की सूची तैयार कर नामकरण करने वाली समिति को सौंप देते हैं। फिर वह समिति इस सूची में से देश के नाम के वर्णमाला क्रम के हिसाब से चक्रवातों का नामकरण करती है।

भारतीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO)

- **गठन–** 1875 ईस्वी
- **मुख्यालय–** नई दिल्ली
- **क्षेत्रीय कार्यालय–** चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली।
- **संबंधित मंत्रालय–** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- आई.एम.डी. 'विश्व मौसम विज्ञान संगठन' के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- इसके पास उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पूर्वानुमान, नामकरण और वितरण की ज़िम्मेदारी है। इसमें मलक्का जलडमरूमध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी शामिल हैं।
- आई.एम.डी. मौसम संबंधी सूचना के लिये इनसैट उपग्रहों का उपयोग करता है। वर्तमान में इनसैट-3ए तथा इनसैट-3डी का प्रयोग मौसम संबंधी इमेजिंग और डेटा संग्रहण में किया जा रहा है।

3 सामाजिक मुद्दे

महामारी के दौर में कैदियों के अधिकार

संदर्भ

महामारी काल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य तथा जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया है।

आदेश के प्रमुख बिंदु

- शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2014 के 'अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य' मामले में दिये गए अपने का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया। इस मामले में न्यायालय ने फैसला दिया था कि जिन मामलों में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, उनमें अनावश्यक गिरफ्तारी करने से बचा जाए।
- अदालत ने अपने एक अन्य आदेश को भी दोहराया, जिसमें कैदियों की अंतरिम जमानत पर रिहाई तथा स्क्रीनिंग करने के लिये राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष समितियाँ गठित करने का कहा था।
- बेंच ने कहा कि वर्ष 2020 में जिन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, उन्हें पुन: रिहा किया जाना चाहिये क्योंकि पिछले वर्ष रिहा हुए कैदियों में से लगभग 90% फरवरी-मार्च 2021 तक वापस जेलों में लौट आए थे। इससे जेलों पर दबाव बढ़ गया है।
- इसी तरह, जिन कैदियों को वर्ष 2020 में पैरोल दी गई थी, उन्हें जेलों में भीड़भाड़ कम करने तथा महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये 90 दिनों की पैरोल पर पुन: भेज देना चाहिये।
- सभी ज़िलों के अधिकारी 'आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता' (Criminal Procedure Code – CrPC) की धारा 436ए का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इस धारा के तहत उन विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत गारंटी पर रिहा किया जा सकता है, जिन्होंने कारावास में अपनी निर्धारित सजा का आधा समय गुजार लिया है।
- अदालत ने एक ऐसी परिस्थिति पर भी विचार किया, जिसमें कैदी अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहाई के पात्र होने के बावजूद भी घर नहीं जाना चाहते। कोविड-19 से संक्रमण का भय या सामाजिक परिस्थिति इसकी वजह हो सकती है।
- ऐसे मामलों में अदालत ने कैदियों तथा जेलकर्मियों, दोनों की उचित चिकित्सा देखभाल का आदेश दिया है।
- इसके अलावा, न्यायालय ने राज्य यह भी आदेश दिया कि रिहा हुए कैदियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाया जाए, ताकि उन्हें लॉकडाउन के चलते किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

भारतीय जेलें और विचाराधीन कैदी

- भारतीय जेलें विभिन्न समस्याओं से जूझ रही हैं, इनमें अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, क्षमता से अधिक कैदी, कर्मचारी व राजस्व की कमी, कैदियों के मध्य हिंसक झड़पें आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2019 में 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (NCRB) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' में भारतीय जेलों में कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है।
- दुनिया में सर्वाधिक विचाराधीन कैदी भारत में हैं। वर्ष 2016 में अधिकांश विचाराधीन कैदियों को 6 महीने से भी कम समय के लिये गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 के अंत तक कुल 4,33,033 कैदियों में से करीब 68% 'विचाराधीन' थे। इसके अलावा, विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या के प्रमुख कारण सुनवाई के समय अनावश्यक गिरफ्तारी, अप्रभावी कानूनी सहायता आदि हैं।
- जागरूकता का अभाव भी विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या प्रमुख कारण है। एमनेस्टी इंडिया के शोध में पाया गया कि अधिकांश कैदियों तथा जेल अधिकारियों को सी.आर.पी.सी. की धारा 436ए के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- वर्ष 2016 में धारा 436ए के तहत रिहाई योग्य पाए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या 1557 थी, जिनमें से केवल 929 कैदियों को ही रिहा किया गया था।
- वर्ष 2017 में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि 7 साल तक की कैद वाले अपराध के लिये अपनी अधिकतम सजा का एक-तिहाई पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिये।

अप्राकृतिक मौतें

- ज़िलों में अप्राकृतिक मौतों की संख्या वर्ष 2015 में 115 थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 131 हो गई थी। कैदियों की आत्महत्या की दर में भी 28% की वृद्धि हुई है। जिसमें वर्ष 2015 में आत्महत्याओं की संख्या 77 थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 102 हो गई।

- वर्ष 2014 में मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि औसतन एक व्यक्ति के जेल में आत्महत्या करने की संभावना बाहर रहने वाले व्यक्ति से डेढ़ गुना अधिक होती है, जो जेलों में मानसिक स्वास्थ्य की भयावहता का एक संकेतक है। इसके अलावा, कैदियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों की कमी भी एक गंभीर समस्या है।

जेल सुधार संबंधी अमिताभ रॉय समिति

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में कैदियों की समस्याओं की जाँच करने के लिये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति का गठन किया था। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें दीं–

1. भीड़-भाड़ संबंधी सिफारिश

- जेल में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिये तीव्र सुनवाई की जानी चाहिये। जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या दोषी ठहराए गए कैदियों की तुलना में अधिक है।
- प्रत्येक 30 कैदियों पर कम-से-कम एक वकील का होना चाहिये, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये।
- इसके अलावा, जिन अभियुक्तों पर छोटे-मोटे अपराधों का आरोप है और जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो जमानत की राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें 'व्यक्तिगत पहचान (PR) बॉण्ड' पर रिहा कर कर दिया जाना चाहिये।

2. कैदियों के संबंध में सिफारिश

- कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने, उनको व्यावसायिक कौशल व शिक्षा प्रदान करने संबंधी कदम उठाए जाने चाहिये।
- प्रत्येक नए कैदी को जेल में पहले सप्ताह के दौरान परिवार के सदस्यों से बात करने के लिये दिन में एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिये और उनका वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किया जाना चाहिये।
- अपराधियों को जेल भेजने के बजाय न्यायालय अपनी 'विवेकाधीन शक्तियों' का प्रयोग कर सकता है और यदि संभव हो तो 'जुर्माना और चेतावनी' जैसे उपकरणों का प्रयोग कर सकता है।

3. भोजन संबंधी सिफारिश

जेलों में भोजन पकाने के तरीकों को आदिम तथा कठिन बताया गया है। जेलों में रसोइयाँ काफी छोटी व अस्वास्थ्यप्रद होती हैं और वहाँ वर्षों से एक जैसा आहार ही परोसा जा रहा है। जेलों में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, आधुनिक विधि से खाना पकाने और कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

स्मरणीय तथ्य

- प्रत्येक 'कैदी' संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत आता है तथा जेलों का प्रशासन और प्रबंधन राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी होती है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित मुद्दों पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिशा-निर्देश दे सकता है।
- अनुच्छेद 39क के अनुसार, किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता और किसी अक्षम व्यक्ति को राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। 'मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार' संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनाता है, जिसमें कहा गया है कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा'।

मनरेगा और कोविड-19

संदर्भ

हाल ही में हुए लॉकडाउन को देखते हुए कई रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को संशोधित किया है। उदाहरणार्थ, नोमूरा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये जी.डी.पी. अनुमान 12.4% से घटाकर 11.5% कर दिया है।

मनरेगा योजना के प्रमुख उद्देश्य

- इस 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005' के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसके तहत अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी जाती है।
- यह योजना कींस के सिद्धांत पर आधारित है। जिसके अनुसार, मंदी के दौरान सरकारें लोगों के हाथों में पैसा देकर रोज़गार और माँग बढ़ाने का प्रयास करती हैं।
- मनरेगा योजना का उद्देश्य रोज़गार पैदा करना और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। सरकारों ने पिछले कई वर्षों में इस योजना को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है और इसकी दक्षता में वृद्धि की है।

योजना का आर्थिक महत्त्व

- ग्रामीण रोज़गार की बढ़ती माँग संगठित और लघु, दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में आनुपातिक श्रम की कमी का सूचक है।

- ऐसे में, राज्य आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये प्रतिबंधों को निरंतर कम कर रहे हैं तथा प्रयास कर रहे है कि औद्योगिक इकाइयों में श्रम की कमी न हो।
- प्रवासी मज़दूर इस श्रमापूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा अर्थव्यवस्था को गति देते हैं।

मनरेगा के तहत नौकरियों की माँग

- कोविड-1.0 के दौरान प्रवासियों की पुनर्वापसी के कारण मनरेगा में नौकरियों की माँग में वृद्धि देखी गई, जो मई-जून 2020 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर थी, जबकि कोविड-2.0 के दौरान मनरेगा के तहत नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से हुए पंजीकरणों की संख्या मई-जून 2020 की अपेक्षा दोगुनी हो गई है।
- मनरेगा के तहत नौकरियों के लिये पंजीकरण कराने वालों की संख्या मार्च 2021 में 36 मिलियन थी, जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 40 मिलियन हो गई है।

योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था को लाभ

- 'घरेलू खपत' भारतीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करती है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 80% घरेलू बाज़ार पर निर्भर करता है।
- भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण आबादी की निरंतर बढ़ती माँग ने संकट के समय में अर्थव्यवस्था को उबारा है।
- वर्ष 2008-09 के सब-प्राइम संकट के दौरान 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' से ग्रामीणों की क्रय शक्ति में कमी नहीं आई, इसी का परिणाम रहा कि इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट से अछूती रही थी।
- लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण महामारी की पहली लहर से क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत तेज़ी से रिकवर हुई।

समाज की प्रतिक्रिया

- मनरेगा केवल एक बफर के रूप में जारी रहना चाहिये। वर्तमान समय की माँग है कि विनिर्माण क्षेत्र तथा बुनियादी ढाँचे के विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, ताकि संकट के दौरान प्रवासियों की सुरक्षा की जा सके।
- प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार देकर नियोक्ता अपने मानव संसाधन क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। इस हेतु प्रवासियों के लिये आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा भोजन की व्यवस्था करने पड़ सकती है।
- केंद्र सरकार को शहरी गरीबों के लिये समान रोज़गार के अवसर विकसित करने का प्रयास करना चाहिये, ताकि प्रवासियों पुनर्वापसी को कम किया जा सके।

चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट

संदर्भ

हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की जनसंख्या वर्ष 2025 तक अपने उच्च स्तर तक होगी और तत्पश्चात् इसमें कमी आने की संभावना है।

चीन में जनसंख्या की स्थिति

- पिछले कुछ वर्षों से चीन में जन्म दर निरंतर गिर रही है और जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या में लगातार चौथे वर्ष कमी हुई है। चीन में एक दशक में एक बार जनगणना होती है।
- चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 1961 के बाद पिछले वर्ष सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ। वर्ष 1961 के दौरान चीन भुखमरी का सामना कर रहा था। इसका कारण माओ जेदांग द्वारा वर्ष 1958 में अपनाई गई 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति' थी, जिसने कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर दिया था और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- वर्ष 2020 में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन रही, जो वर्ष 2010 की जनगणना से 72 मिलियन अधिक है और इस अवधि में 5.38% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 की तुलना में औसत वार्षिक वृद्धि 0.53% रही। चीन में जनसंख्या वृद्धि की यह दर सबसे धीमी है।

कारण और प्रभाव

- जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आना दशकों से चीन द्वारा चलाए जा रहे कठोर परिवार नियोजन नियमों का परिणाम है, जिसे 'एक बच्चे की नीति' के रूप में जाना जाता है।
- चीन की प्रजनन दर में आने वाले वर्षों में गिरावट दर्ज की जा सकती है और यह विश्व में न्यूनतम रह सकती है। उल्लेखनीय है कि चीन ने जनसंख्या संबंधी संकट के चलते वर्ष 2016 में 'एक बच्चे की नीति' पर रोक लगाते हुए दो बच्चों के जन्म की अनुमति दे दी थी। हालाँकि बदलती जीवनशैली और प्राथमिकताओं में परिवर्तन के चलते यह पहल विशेषकर बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि दर में तेज़ी लाने में विफल रही है।
- अधिकारिक अनुमानों के अनुसार, अगले वर्ष तक औसत वार्षिक वृद्धि दर में और गिरावट आ सकती है, जिससे श्रमिकों की कमी, उपभोग स्तर में कमी तथा वृद्ध समाज का निर्माण जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में, चीन के भावी आर्थिक परिदृश्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है तथा चीन 'धनी होने से पहले ही वृद्ध' हो सकता है।

- चीन में 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के लोगों की संख्या करीब 264 मिलियन है, जो वर्ष 2010 से 5.44% अधिक है। यह संख्या कुल आबादी का 18.70% है। 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 894 मिलियन है, जो वर्ष 2010 से 6.79% कम है। यह संख्या कुल आबादी का 63.35% है। चीनी सरकार के अनुसार, वर्ष 2011 में चीन में 15 से 59 आयु वर्ग वाले कार्यबल की संख्या 925 मिलियन के सर्वोच्च शिखर तक पहुँच गई थी, जो अब 894 मिलियन रह गई है और वर्ष 2050 तक घटकर 700 मिलियन रहने की संभावना है।
- यद्यपि चीनी विशेषज्ञों ने इसे गंभीर स्थिति माना, तथापि इसे कम्युनिस्ट पार्टी की कठोर परिवार नियोजन नीति से प्रत्यक्षत: नहीं जोड़ा जा रहा है। विदित है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जुलाई 2021 में अपनी 100वीं वर्षगाँठ मनाने जा रही है।

जनगणना के सकारात्मक बिंदु

- चीन में शिक्षित कार्यबल और शहरीकरण में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या करीब 218 मिलियन थी। यह संख्या वर्ष 2010 में 8,930 प्रति 100,000 जनसंख्या की तुलना में 15,467 हो गई है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि हुई है और निरक्षरता दर 4.08% से घटकर 2.67% हो गई है। इसे अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा नीति का परिणाम माना गया। इस जनगणना में शहरी आबादी बढ़कर 901 मिलियन हो गई है, जो कुल जनसंख्या का 63.89% है, जो वर्ष 2010 में 49.68% थी।

भारत संबंधी अनुमान

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत और चीन की प्रजनन दरों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2025-27 तक चीन से अधिक हो सकती है और इसके साथ ही भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी संभावना व्यक्त की है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है।

❒❒❒

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा – कुमार गौरव

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

4 राजव्यवस्था एवं शासन

कोविड सहायता में बाधक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

संदर्भ

अस्पतालों, धर्मार्थ ट्रस्टों व भारतीय चिकित्सा संस्थाओं को विदेशी दानकर्ता व्यक्तियों या दानकर्ता संस्थाओं से कोविड-19 राहत सामग्री प्राप्त होने की उम्मीद है। हालाँकि जब तक इन संस्थाओं को चिकित्सा देखभाल के उद्देश्य 'विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम' (FCRA) के तहत पंजीकृत नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें प्राप्त होने वाली विदेशी धनराशि को वैध नहीं माना जा सकता है।

नवीनतम अधिसूचना

- सरकार ने विदेशों से दान के रूप में प्राप्त होने वाली 'महामारी राहत सामग्री' को देश में मुफ्त वितरित करने का फैसला लिया है तथा यह घोषित किया है कि इस सामग्री के आयात को जी.एस.टी. से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही, प्रतिनिधि राज्य इस तरह के आयात को प्राप्त करने वाली संस्थाओं को प्रमाणित भी करेंगे।
- हालाँकि एफ.सी.आर.ए. कानून के तहत विदेशी सामग्री या नकद दान प्राप्त करने वाली प्रत्येक घरेलू इकाई को गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

समस्याएँ

- नवीनतम अधिसूचना इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकरण के बिना कोई भी संस्था जीवन रक्षा के लिये विदेशों से नकद धनराशि या अन्य सामग्री प्राप्त नहीं कर सकती है।
- इसके अलावा, इस तरह के विदेशी योगदान के उपयोग का उद्देश्य एफ.सी.आर.ए. पंजीकरण के समय ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्य से भी मेल खाना चाहिये।
- उल्लेखानीय है कि एफ.सी.आर.ए. कानून में पिछले वर्ष सितंबर में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत यदि कोई संस्था, उसे प्राप्त होने वाले विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करती है तो ऐसी स्थिति में इन संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन के पश्चात् स्थिति यह है कि एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत होने वाले किसी एन.जी.ओ. के पदाधिकारी को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

प्रभाव

- नई अधिसूचना में अस्पष्टता तथा एफ.सी.आर.ए. अधिनियम के सख्त प्रावधानों के कारण मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जो बड़े दानदाताओं की ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर्स जैसे उपकरण खरीदने की योजना को प्रभावित कर रही है। इससे भारतीय अस्पतालों, ग्रामीण क्षेत्रों की कमज़ोर स्वास्थ्य अवसंरचना और छोटी चैरिटियों में सुधार करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा।
- इससे एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत संस्थाओं के लिये मरीजों, छोटे एन.जी.ओ. या अन्य समूहों को राहत सामग्री प्रदान करना मुश्किल हो जाता है तथा महत्त्वपूर्ण दवाओं की दानस्वरूप आपूर्ति करने में भी समस्या आती है। स्पष्ट है कि विदेशों से दानस्वरूप प्राप्त होने वाली चिकत्सीय सामग्री भारत के स्वास्थ्य खर्च में कमी करेंगी।
- साथ ही, बड़े अस्पतालों में विदेशी दानदाताओं द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की योजना भी एफ.सी.आर.ए. मंजूरी के अभाव में प्रभावित हो रही है।
- एफ.सी.आर.ए. कानून के तहत केंद्र सरकार ने आयात किये जाने वाले उत्पादों को कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की है, अत: कोविड-19 से संबंधित सामग्री के लिये भी आयातकों को कोई छूट उपलब्ध नहीं है।
- यह अधिसूचना केवल एफ.सी.आर.ए. अनुमोदन के साथ-साथ राज्य द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के लिये और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिये ही लाभकारी हो सकती है।

संभावित उपाय

- यह सिर्फ आयातित वस्तुओं पर जी.एस.टी. से छूट प्रदान करने से संबंधित नहीं है। सरकार को इस इस स्थिति को और स्पष्ट करना चाहिये कि एफ.सी.आर.ए. नियम कोविड-19 राहत सामग्री के आयात पर लागू नहीं होंगे।
- चूँकि एफ.सी.आर.ए. के तहत मंजूरी प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है, इसलिये सरकार को ऐसे सभी दानों को मंजूरी प्रदान करने वाले कानूनों को भी स्पष्ट करना चाहिये।
- एफ.सी.आर.ए. कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रत्येक विदेशी वस्तु, मुद्रा व विदेशी प्रतिभूति का दान,

वितरण या हस्तांतरण को विदेशी योगदान माना जाएगा। 3 मई की अधिसूचना में उल्लिखित आयातित उत्पादों को विदेशी योगदान की इस परिभाषा के दायरे में रखा जा सकता है।

एफ.सी.आर.ए. से संबंधित कुछ प्रमुख दिशा-निर्देश

- भारत सरकार ने विदेशी अंशदान की स्वीकृति व विनियमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम लागू किया था।
- एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत संस्था को किसी वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 9 माह के भीतर आय-व्यय का विवरण, प्राप्ति व भुगतान खाते, बही खाते आदि का प्रतिवर्ष ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
- किसी पंजीकृत संस्था को किसी वित्तीय वर्ष में कोई विदेशी अंशदान न प्राप्त होने की स्थिति में भी नियत अवधि में उस वित्त वर्ष के लिये शून्य रिटर्न (Nil Return) भरना होता है।

नए ज़िलों के गठन की प्रक्रिया

संदर्भ

14 मई, 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 'मलेरकोटला' को राज्य का 23वाँ ज़िला घोषित किया। 'पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887' की धारा 5 में कहा गया है कि 'राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य की तहसीलों, ज़िलों और प्रभागों की संख्या तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।'

नए ज़िलों का गठन

- नए ज़िले गठित करने या मौजूदा ज़िलों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। यह कार्य या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून के माध्यम से किया जा सकता है।
- इस कार्य के लिये राज्य सरकारें सामान्यत: कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती हैं और एक अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

गठन की तार्किकता

- राज्यों का तर्क है कि छोटे ज़िले शासन-प्रशासन के बेहतर संचालन में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2016 में, असम सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से 'प्रशासनिक सुविधा' के दृष्टिकोण से माजुली उप-मंडल को माजुली ज़िले के रूप में परिवर्तित किया था।
- यदि प्रशासनिक क्षेत्र वृहत् होता है, तो इससे कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलंब तथा असुविधा होती है। जबकि वर्तमान समय में जनसंख्या, मानव बस्तियाँ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
- नए ज़िलों के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि नागरिकों की प्रशासन तक पहुँच हो तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।
- नए ज़िले का गठन विकास प्रक्रिया को भी गति दे सकता है। चूँकि नवगठित ज़िले में एक नया 'कलेक्टरेट' होगा, जो रोजगार के अवसरों के साथ नवीन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगा।

नए ज़िले में विशिष्ट अधिकारियों की भूमिका

- जब कोई सरकार राजस्व प्रशासन के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करती है, तो नागरिकों के सुझावों, शिकायतों तथा विवादों को सुना जाना चाहिये। विशेष अधिकारी, ज़िला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से परामर्श कर लोगों की राय लेता है।
- सरकार द्वारा नए ज़िलों की घोषणा के उपरांत विशेष अधिकारी क्षेत्रों का मानचित्र प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात् तहसीलों एवं राजस्व प्रभागों को शामिल करने व बाहर करने के संबंध में कलेक्टरों तथा अन्य अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हैं। वे नए ज़िलों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण भी करते हैं।
- वस्तुत: एक नया ज़िला न सिर्फ प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करता है, बल्कि क्षेत्र का पर्यवेक्षण करने में ज़िला कलेक्टर को सुविधा भी प्रदान करता है। एक ज़िला कलेक्टर चार निर्वाचन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण आसानी से कर सकता है, लेकिन यदि किसी ज़िले में चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हों, तो कलेक्टर के लिये पर्यवेक्षण-कार्य अपेक्षाकृत मुश्किल हो सकता है।

केंद्र सरकार की भूमिका

- नए ज़िलों के गठन या उनमें परिवर्तन करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इस संबंध में राज्य अंतिम निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्रालय तब हस्तक्षेप करता है, जब कोई राज्य किसी ज़िले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करना चाहता हो।
- राज्य सरकारें अपने अनुरोध अन्य संस्थाओं, जैसे- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय को भी मंजूरी के लिये भेजती हैं तथा जाँच के दौरान उनके अनुरोध में कोई त्रुटी न पाए जाने की स्थिति में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate & NOC) जारी किया जाता है।

भारत में ज़िलों की संख्या

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 593 ज़िले थे। जनगणना के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001-2011 के मध्य, राज्यों द्वारा 46 नए ज़िलों का गठन किया गया था।

- हालाँकि वर्ष 2021 की जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने अभी शेष हैं। भारत सरकार की वेबसाइट 'नो इंडिया' (Know India) के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 718 ज़िले हैं।
- ज़िलों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से एक पृथक राज्य 'तेलंगाना' का जन्म होना भी है। वर्तमान में, तेलंगाना में कुल 33 तथा आंध्र प्रदेश में कुल 13 ज़िले हैं।

न्यायिक संघवाद तथा उच्च न्यायालयों की स्वायतता

संदर्भ

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे- ऑक्सीजन, आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, लॉकडाउन की घोषणा आदि के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 'स्वत: संज्ञान' लिया। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामलों की सुनवाई किये जाने को 'भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने' की भी संज्ञा दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विद्यमान स्थिति को लगभग 'राष्ट्रीय आपातकाल' के समतुल्य माना तथा इस स्थिति से निपटने के लिये भारत सरकार को एक 'राष्ट्रीय योजना' प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

न्यायालयों का सीमित दायरा

- सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका का दायरा सीमित है। न्यायालय न तो बेहतर स्वास्थ्य ढाँचे का निर्माण कर सकता है, न वह सीधे ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है और ना ही वह इसके लिये औपचारिक रूप से बाध्य है।
- सामाजिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को तय करने में न्यायालयों के पास विशेषज्ञता और संसाधनों का भी अभाव है। लेकिन इस संबंध में न्यायालय विद्यमान कानूनों व विनियमों का क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के आवंटन के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सकता है।

न्यायिक सक्रियतावाद की झलक

- उच्चतम न्यायालय ने 'आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति एवं वितरण' के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि वह प्रथम दृष्टया, स्वास्थ्य प्राधिकरण को आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति एवं वितरण समानतापूर्वक करना चाहिये।
- कोविड-19 काल में दिल्ली, गुजरात, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालयों ने सक्रियता दिखाई और ऑक्सीजन आपूर्ति से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की, जैसे गुजरात उच्च न्यायालय ने रोगियों की जाँच बढ़ाने तथा ऑक्सीजन क्रय करने का आदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
- न्यायालय ने राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों से पूछा कि 'वह एकसमान आदेश क्यों न जारी करे?' साथ ही, न्यायालय ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के भी संकेत दिये।
- 'परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद, 1989' में मानव जीवन के मूल्य को रेखांकित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि 'आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार' नागरिकों का मूल अधिकार है।

न्यायिक संघवाद

- अनुच्छेद 139क के अनुसार, यदि ऐसे मामले, जिनमें विधि के व्यापक महत्त्व का प्रश्न हो तो उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा या भारत के महान्यायवादी के आवेदन के आधार पर उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लंबित मामले या मामलों को अपने पास मँगवा सकेगा।
- हालाँकि कुछ वकीलों का दावा है कि हाल के दिनों में कार्यपालिका द्वारा नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाने के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है तथा अधिकतर निर्णय 'आलंकारिक' हैं।
- विभिन्न उच्च न्यायालयों के बार संगठनों ने उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के स्थानांतरण का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय के इस कदम को कुछ विधि विशेषज्ञ 'शक्ति के अहंकार' तथा 'उच्च न्यायालयों की अवमानना' की संज्ञा दे रहे हैं।

उच्च न्यायालयों का महत्त्व

- विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च न्यायालयों की संवैधानिक योजना को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संविधान की सातवीं अनुसूची में 'सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सालय' राज्य सूची का विषय है। इन मामलों का समाधान संबंधित उच्च न्यायालय करता है।
- 'एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ वाद, 1997' में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि "उच्च न्यायालय श्रेष्ठ न्यायिक परंपराओं से संपन्न संस्थान हैं और उन्होंने 19वीं सदी से लेकर अब तक लोगों का विश्वास बढ़ाया है।"
- कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय से भी व्यापक है, जैसे- अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य किसी मामलों में भी 'रिट' जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय ऐसा केवल मूल अधिकारों के मामले में ही ऐसा कर सकता है। 'उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा वाद, 1951' में न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पुन: दोहराया था।

निष्कर्ष

न्यायिक लोकतंत्र के सिद्धांत को आधुनिक संघीय प्रणाली के सभी न्यायालयों ने स्वीकार किया है। अतः कहा जा सकता है कि समान न्यायिक आदेश तभी जारी किये जाने चाहियें, जब ऐसा करना अपरिहार्य हो। कोविड-19 से संबंधित मामलों में, देश के उच्च न्यायालयों ने व्यापक न्यायिक ज़िम्मेदारी की भावना से कार्य किया है तथा इसे और भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अधिकरणों की दक्षता का मुद्दा

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए 'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021' को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

अध्यादेश के प्रावधान

- इस अध्यादेश के माध्यम से कई अपीलीय न्यायाधिकरणों और अधिकरणों समाप्त कर, उनके क्षेत्राधिकार अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित कर दिये गए हैं।
- यह अध्यादेश 'वित्त अधिनियम, 2017' में भी संशोधन करता है ताकि इस अधिनियम में उल्लिखित 'खोज-सह-चयन समितियों' (Search-Cum-Seletion Committees) की संरचना और अधिकरणों के सदस्यों के कार्यकाल संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन किया जा सके।
- इसके अनुसार, खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे-
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (अध्यक्ष)
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव
  - मौजूदा या निवर्तमान अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
  - उस मंत्रालय का सचिव, जिसके तहत अधिकरण का गठन किया जाना है।
- अधिकरण के अध्यक्ष पद के लिये कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।
- अधिकरण के अन्य सदस्यों के लिये कार्यकाल 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।
- इसके अलावा, इस अध्यादेश के ज़रिये निम्नलिखित अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किये गए अधिकरणों को भी 'वित्त अधिनियम, 2017' के दायरे से बाहर कर दिया गया है-
  - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
  - कॉपीराइट अधिनियम, 1957
  - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
  - पेटेंट अधिनियम, 1970
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994
  - ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
  - माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
  - राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002

वित्त अधिनियम, 2017

इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा-शर्तें तथा अधिकरण के लिये खोज-सह-चयन समिति की संरचना के लिये नियम अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है।

न्यायाधिकरणों की समाप्ति के कारण

- इनके निर्णयों की गुणवत्ता अधिकांश मामलों में खराब रहना।
- उनके अंतिम निर्णय में अत्यधिक देरी होना।
- जटिल व खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया।
- वर्ष 1985 से 'बार एसोसिएशनों' द्वारा लगातार इन न्यायाधिकरणों की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के संबंध में सवाल उठाना

अध्यादेश की आलोचना

- विधायी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया तथा किसी हितधारक समूह से परामर्श किये बिना 'फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण' जैसे कई न्यायाधिकरण समाप्त किये गए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में 'रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक' मामले में कहा था कि किसी न्यायाधिकरण को समाप्त करने से पहले उसके न्यायिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा, परंतु इस अध्यादेश में इस निर्देश का पालन नहीं किया गया है।
- इस अध्यादेश में वर्ष 2020 के 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में दिये गए 'खोज-सह-चयन समिति की संरचना तथा उसकी अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित' सुझावों को शामिल तो किया गया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तय करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अभी तक 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' (NTC) का गठन नहीं किया है, जो अधिकरण के कामकाज, सदस्यों की नियुक्ति और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक

कार्यवाही की निगरानी करने के लिये संकल्पित होता। यह आयोग अधिकरणों की प्रशासनिक और ढाँचागत जरूरतों की देखभाल के लिये एक स्वतंत्र छत्रक (Umbrella) निकाय है। उल्लेखनीय है कि एन.टी.सी. का विचार पहली बार वर्ष 1997 के 'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ' मामले में रखा गया था।

अध्यादेश

- अनुच्छेद 123 : राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- अनुच्छेद 213 : राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- राष्ट्रपति/राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है या वापस लेता है।
- अध्यादेश को पूर्ववर्ती तिथि से भी लागू किया जा सकता है।
- अध्यादेश संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है।
- संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किये जा सकते हैं।

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) को संवैधानिक दर्ज़ा देने के निहितार्थ

- अधिकरणों के कामकाज, सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के संबंध में कार्यपालिकायी हस्तक्षेप कम किया जा सकेगा।
- देशभर के सभी न्यायाधिकरणों में समान प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात किया जा सकेगा।
- विभिन्न न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग किया जा सकेगा।
- एक बोर्ड, एक सीईओ और एक सचिवालय 'एन.टी.सी.' की एक 'निगमीकृत' संरचना प्रदान करेंगे, इससे न्यायाधिकरणों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
- अत: एन.टी.सी. की स्थापना संवैधानिक संशोधन के माध्यम से की जानी चाहिये ताकि इसके कार्य, परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) के प्रशासनिक कार्य

- अधिकरणों के प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करना।
- अधिकरणों की दक्षता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिये मानक निर्धारित करना।
- न्यायाधिकरण के सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा उनकी नियुक्ति के लिये एक स्वतंत्र भर्ती निकाय के रूप में कार्य करना।
- अधिकरणों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये उनके सदस्यों के वेतन, भत्तों व सेवा-शर्तों का निर्धारित करना।
- अधिकरण के सदस्यों, वादियों और वकीलों को सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने व उन्हें आधुनिक बनाने, न्यायाधिकरणों के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने आदि की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

अधिकरणों की दक्षता बढ़ाने तथा इनमें कार्यपालिकायी हस्तक्षेप कम करने के लिये एन.टी.सी. का गठन करना अनिवार्य प्रतीत होता है। इसके अलावा, प्रशासनिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने, स्वतंत्र व निष्पक्ष निरीक्षण तंत्र गठित करने तथा सुदृढ़ कानूनी ढाँचा स्थापित करने के लिये भी एन.टी.सी. आवश्यक है।

मीडिया का रिपोर्टिंग करने का अधिकार

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की बात कही गई थी।

पृष्ठभूमि

- कुछ समय पूर्व तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस दौरान विभिन्न 'राजनीतिक रैलियों' व 'सामूहिक समारोहों' का आयोजन हुआ। इस कारण कोविड-19 महामारी के प्रसार तीव्र गति से हुआ। महामारी के प्रसार के लिये मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार ठहराया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति देने के लिये चुनाव आयोग के साथ-साथ मतदान अधिकारियों पर भी आरोप तय किये जाने चाहियें।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले की रिपोर्टिंग करने से न तो मीडिया को प्रतिबंधित किया और न ही अपनी टिप्पणी को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। ऐसी स्थिति में भारतीय चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायलय में अपील की थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ "हत्या" के मामले भी दर्ज किये गए थे।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक सुनवाई के दौरान की जाने वाली बहस के प्रसारण या रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों तथा वकीलों के मध्य होने वाले वाद-विवाद एवं न्यायिक कार्यवाही का मीडिया द्वारा वास्तविक प्रसारण करना 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार' का हिस्सा है। मीडिया के माध्यम से लोगों को किसी मुद्दे की वास्तविक समय में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुत: यह

मीडिया को प्रदत्त 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का विस्तार है।

- न्यायालय ने माना कि बाल यौन शोषण तथा वैवाहिक मुद्दों से संबंधित मामलों को छोड़कर, शेष मामलों में मीडिया को न्यायिक कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग करने का अधिकार प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग तथा उच्च न्यायालय दोनों संवैधानिक निकाय हैं तथा इस मामले में न्यायिक कार्यवाही का ईमानदारी से तथा वास्तविक समय में प्रसारण करना मीडिया की शक्ति को दर्शाता है।
- न्यायपालिका ने माना कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान कौन-कौन-से बिंदुओं पर बहस हुई। मीडिया ने कई बार ऐसे मामलों की अदालती कार्यवाही का भी प्रसारण किया है, जो व्यापक जन-महत्त्व की थी। इसने न्यायिक व्यवस्था में जन-विश्वास तथा न्यायपालिका की अखंडता को बढ़ाया है।
- कुछ समय पूर्व, न्याय के वितरण में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के लिये गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही के लाइव प्रसारण की शुरुआत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय की इस पहल की भी तारीफ की।

सावधानी की आवश्यकता

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को खुली अदालत में बिना सोचे समझे (off-the-cuff) कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिये क्योंकि ऐसा करना नए विवाद को जन्म दे सकता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग
(Election Commission of India - ECI)

- यह एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी का दिन 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान में भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं।
- इसका मुख्य कार्य भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी 'राज्य निर्वाचन आयोग' को दी गई है।

- न्यायपालिका ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा तथा उनके निर्णयों की भाषा न्यायिक स्वामित्व से मेल खानी चाहिये।
- शीर्ष अदालत ने माना कि 'भाषा' न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती है तथा यह संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होती है।

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय

- भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।
- वर्ष 2019 में 'उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) अधिनियम' पारित किया गया था। इसके बाद से वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल अधिकृत संख्या 34 है।
- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।
- वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय उपस्थित हैं। इनमें से केवल तीन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है।
- 'दिल्ली' एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है।

पिछड़ों का उत्थान : क्या कहता है संविधान

संदर्भ

मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes – SEBC) को चिह्नित करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ का देने के लिये केंद्रीय सूची में शामिल करने का 'एकमात्र अधिकार' केंद्र सरकार के पास है।

102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

- अनुच्छेद 338ख (1) के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये एक आयोग होगा, जो 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के नाम से जाना जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे।
- आयोग का कर्तव्य होगा कि वह सामजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करे।
- **अनुच्छेद 342क (1)** के अनुसार, राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श के करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से

पिछड़े ऐसे वर्गों को विर्निदिष्ट कर सकेगा, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा।

- **अनुच्छेद 342क (2)** के अनुसार, संसद विधि द्वारा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में शामिल कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित (Exclude) कर सकेगी।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम ने 3:2 के बहुमत से निर्णय दिया कि '102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018' के पारित होने के बाद राज्यों के पास एस.ई.बी.सी. को चिह्नित करने की कोई शक्ति नहीं है।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 342क की व्याख्या करते हुए कहा कि इस उपबंध से आशय है कि केवल राष्ट्रपति ही प्रत्येक राज्य के संबंध में पिछड़े वर्गों की सूची प्रकाशित कर सकता है तथा केवल संसद ही इन्हें सम्मिलित या अपवर्जित कर सकती है।
- अनुच्छेद 342क का प्रारूप ठीक उसी भाषा में तैयार किया गया है, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची से संबंधित है। इसलिये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संसद का इरादा भी पिछड़े वर्गों के संबंध में इसी प्रक्रिया को 'दोहराने' का ही है।
- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 342क में शामिल परिभाषा संबंधी उपबंध, जिसमें कहा गया है कि यह 'संविधान के प्रयोजनों' के लिये है। अर्थात् इसे संवैधानिक उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये अंत:स्थापित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधान शामिल है। ध्यातव्य है कि ये अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिन्हें राज्यों द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता है।
- गौरतलब है कि मराठा आरक्षण को विभिन्न आधारों पर बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसमें एक आधार यह भी था कि राज्य के अधिनियम में मराठा से संबंधित एक एस.ई.बी.सी. नामक श्रेणी बनाई गई थी। इसी आधार पर मराठा आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि 102वाँ संविधान संशोधन अस्तित्व में आने के पश्चात् राज्य विधायिका के पास किसी भी नए वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित करने की शक्ति नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि इस यह संशोधन संघीय ढाँचे का उल्लंघन करता है क्योंकि यह राज्यों को उनकी शक्तियों से वंचित करता है। हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संशोधन अधिनियम को विधि घोषित किया।

निष्कर्ष

- उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिये एस.ई.बी.सी. सूची अधिसूचित करे। जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक राज्य सूची का प्रयोग किया जाए।
- वर्तमान में सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है, या तो वह उक्त निर्णय का अनुपालन करे या एक संशोधन के माध्यम से इस स्थिति को स्पष्ट करे कि उसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों को कम करना नहीं है।

आरक्षण और उच्चतम न्यायालय

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पारित किये गए 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) अधिनियम' को असंवैधानिक करार दिया है। यह अधिनियम मराठा समुदाय के लिये आरक्षण की व्यवस्था करता था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य द्वारा प्रदान किया गया 16% कोटा 'न्यायसंगत' नहीं है। न्यायालय ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और सार्वजनिक नियुक्तियों में 13% कर दिया था। इसी वर्गीकरण की अनुशंसा 'महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग' (MSBCC) द्वारा भी की गई थी।
- न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये। हालाँकि असाधारण परिस्थितियों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित किये बिना इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992' में दिये गए अपने निर्णय का ज़िक्र करते हुए कहा कि साधारण परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा महाराष्ट्र में अभी कोई 'असाधारण परिस्थिति' नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने 'गायकवाड़ आयोग' की सिफारिशों तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और कहा कि जिन छात्रों को मराठा आरक्षण के तहत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है, वह बना रहेगा।

महाराष्ट्र में मौजूदा आरक्षण

वर्ष 2001 के 'राज्य आरक्षण अधिनियम' के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% हो गया था तथा इस अधिनियम के माध्यम से मराठा समुदाय को दिये गए 12-13% आरक्षण के बाद यह बढ़कर 64-65% हो गया था, लेकिन अब इसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग' (Economically Weaker Sections – EWS) के लिये घोषित 10% कोटा भी राज्य में प्रभावी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 'लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता' का प्रावधान करता है। संविधान का यही अनुच्छेद सरकारों को आरक्षण संबंधी नीतियाँ बनाने की शक्ति देता है।

- इस दौरान न्यायालय ने '102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018' के तहत गठित हुए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के क्षेत्राधिकार पर भी विचार किया। इसके अलावा, इंदिरा साहनी मामले के निर्णय पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया।

'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद, 1992'

'मंडल वाद' के नाम से ज्ञात उच्चतम न्यायालय का आरक्षण संबंधी यह ऐतिहासिक मामला है। इसमें नौ जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गए निर्णय के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- 'जाति' पिछड़े वर्ग की एकमात्र पहचान नहीं है क्योंकि पिछड़ी जातियों में सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न भी मौजूद हैं। अत: पिछड़े वर्ग में 'मलाईदार परत' (Creamy Layer) का सिद्धांत होना चाहिये। तब से सरकार, समय-समय पर आर्थिक स्थिति के आधार पर मलाईदार परत का निर्धारण करती रही है।
- पिछड़े वर्गों को सूचीबद्ध करने व उन्हें आरक्षण की सीमा से बाहर करने के लिये एक सांविधिक संस्था का निर्माण किया जाए।
- आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% निर्धारित की गई और कहा गया कि आरक्षण प्रदान करते समय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार 'सेवाओं में दक्षता' से समझौता न किया जाए।
- प्रोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार करते हुए इसे केवल आरंभिक नियुक्ति में ही उचित माना।
- 'आर्थिक आधार पर आरक्षण' दिये जाने को असंवैधानिक माना।
- 'आगे ले जाने के नियम' (Carry forward rule) को स्वीकार किया, परंतु कहा कि इससे आरक्षण की उच्चतम सीमा प्रभावित नहीं होनी चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन स्वीकार किया जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में राज्य अनिवार्यत: अपना स्पष्टीकरण देगा।

इंदिरा साहनी मामले का प्रभाव

- आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर तमिलनाडु सरकार ने इसे 69% कर दिया था तथा केंद्र सरकार ने इसे न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिये 76वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1994 पारित कर नौवीं अनुसूची में डाल दिया।
- न्यायालय के 'प्रोन्नति में आरक्षण न देने' के फैसले को समाप्त करने के लिये सरकार ने 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 पारित कर संविधान में अनुच्छेद 16(4) अंत:स्थापित किया था तथा अनुच्छेद 16(4)(क) के माध्यम से अनुसूचित जातियों व जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।
- 'आगे ले जाने के नियम' (Carry forward rule) की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये केंद्र ने '81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000' पारित कर अनुच्छेद 16(4)(ख) अंत:स्थापित किया और इसमें प्रावधान किया कि पूर्व वर्ष की रिक्तियों को भरने के लिये उन्हें 50% आरक्षण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा।
- आगे '82वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000' के माध्यम से अनुच्छेद 335 में एक और प्रावधान किया गया कि 'योग्यता के लिये अंक घटाने तथा एस.सी. व एस.टी. के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिये शिथिल मूल्यांकन करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा।'
- सरकार ने 'वीरपाल सिंह चौहान वाद' के फैसले को रद्द करने के लिये '85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001' पारित किया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 16(4)(क) की भाषा में संशोधन करके लिखा गया कि एस.सी व एस.टी. को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाएगा। इसे 'परिणामिक वरिष्ठता का सिद्धांत' (Theory of Consequential Seniority) कहा जाता है।
- वर्ष 2007 के 'एम. नागराज मामले' में 77वें, 81वें, 82वें तथा 85वें संविधान संशोधन अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रोन्नति में दिया जाने वाला आरक्षण वैध है तथा प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिये तीन शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा, जिसमें-

i. एस.सी. व एस.टी. के पिछड़ेपन के आँकड़े प्रदर्शित करने होंगे।
ii. एस.सी. व एस.टी. का सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सिद्ध करना होगा।
iii. प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने के आधारों से न्यायालय को अवगत कराना होगा।

- '102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018' के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338(ख) तथा 342(क) जोड़े गए।

- इनमें अनुच्छेद 338(ख) में कहा गया कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) होगा। जबकि अनुच्छेद 342(क) में कहा गया कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- '103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' के माध्यम से अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में नए प्रावधान जोड़े गए तथा अनारक्षित श्रेणी में 'आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग' (EWS) को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि यह 10% आरक्षण दिये जाने के बाद कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया है।

स्थानीय लोगों के लिये कोटा प्रणाली पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

- 'डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामला, 1955' में उच्चतम न्यायालय ने अधिवास (निवास स्थान) तथा जन्म स्थान में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा था कि व्यक्ति का निवास स्थान बदलता रहता है, लेकिन उसका जन्म स्थान निश्चित होता है।
- पूर्व में उच्चतम न्यायालय जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दिये जाने को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। 'डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामला, 1984' में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया 'सन ऑफ द सॉइल' (Son of the Soil) की नीति असंवैधानिक करार दे थी, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया था।
- 'सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 1995' में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की वर्ष 1984 की उस नीति को रद्द कर दिया था, जिसमें उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त भारांक दिये जाने का प्रावधान किया गया था।
- वर्ष 2002 में, उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया था, जिसमें राज्य चयन बोर्ड द्वारा 'संबंधित ज़िले या ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों' को वरीयता दी गई थी।
- वर्ष 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती अधिसूचना को अमान्य घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

संदर्भ

हाल ही में, संसद ने 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021' पारित किया। गृह मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिये अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अधिनियम 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991, में संशोधन करता है।

69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991

- इस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में 70 सदस्यीय विधानसभा स्थापित की गई तथा मंत्रिपरिषद् का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% निर्धारित किया गया। ध्यातव्य है कि दिल्ली अन्य राज्यों की तरह पूर्ण राज्य नहीं है तथा दिल्ली विधानसभा व सरकार के अधिकार अपेक्षाकृत सीमित हैं।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा, अन्य सभी संघ राज्यक्षेत्रों में अनुच्छेद 239 लागू होता है, जबकि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' पर अनुच्छेद 239कक और अनुच्छेद 239कख को लागू होते हैं।

अनुच्छेद 239कक

- 'दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र' को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का दर्जा दिया गया तथा तय किया गया कि 'उपराज्यपाल' इसका प्रशासक होगा व इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराता है तथा 'उपराज्यपाल' मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- यदि किसी मुद्दे पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकते हैं।
- दिल्ली के उपराज्यपाल को राज्यों के राज्यपालों से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली विधानसभा 'पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि' विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। इन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद के पास है। इसके अलावा, यदि किसी विषय पर संसद और दिल्ली विधानसभा, दोनों कानून बनाती हैं, तो संसद का कानून मान्य होगा।
- वर्ष 2018 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 'पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि' के अलावा अन्य किसी भी मुद्दे पर दिल्ली सरकार के लिये उपराज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है।
- हालाँकि दिल्ली सरकार को अपने निर्णयों की सूचना आवश्यक रूप से उपराज्यपाल को देनी होगी। न्यायालय ने उपराज्यपाल की भूमिका एक 'प्रशासक' तक सीमित बताई थी।

अनुच्छेद 239कख

इसके अनुसार, यदि उपराज्यपाल को लगता है कि दिल्ली सरकार संविधान के उपबंधों के अधीन शासन चलाने में अक्षम हो गई है तो वह राष्ट्रपति को आपात स्थिति लागू करने की सिफारिश कर सकेगा। ऐसी स्थिति में 'राष्ट्रपति' सामान्यत: उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली का शासन चलाता है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- 1991 के अधिनियम में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों में स्पष्ट विभाजन नहीं था। ऐसे में, दोनों पक्षों के मध्य टकराव होता रहता था।
- उपराज्यपाल की भूमिका व अधिकार स्पष्टत: परिभाषित नहीं थे।
- मूल अधिनियम में कुछ आधिकारिक कार्यों के संचालन की प्रक्रियाएँ स्पष्ट नहीं थीं, इससे जन कल्याण हतोत्साहित होता था।

इस संशोधन अधिनियम, 2021 के मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 तथा 44 में संशोधन करेगा।
- नए अधिनियम के तहत दिल्ली में 'सरकार' शब्द का आशय 'उपराज्यपाल' से होगा। दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में संदर्भित 'सरकार' शब्द का अर्थ 'उपराज्यपाल' से होगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार किया गया है एवं उपराज्यपाल को उन मामलों में और अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जहाँ कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है।
- यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय ली जाएगी।
- दिल्ली विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मामलों पर विचार करने अथवा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में स्वयं को मज़बूत करने के लिये कोई नियम नहीं बनाएगी।
- विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त विधेयक विधानसभा और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा। साथ ही, निर्वाचित सरकार एवं उपराज्यपाल के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा।
- इसमें कहा गया है कि संशोधन मौजूदा कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं, और क्रमश: 4 जुलाई, 2018 और 14 फरवरी, 2019 के उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के अनुरूप हैं।

आलोचना

- नवीनतम प्रावधान दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली एवं समयबद्धता को कम कर देगा। साथ ही, कोई भी कार्य करने से पूर्व उपराज्यपाल से परामर्श करने की शर्त पुन: विवाद का कारण बनेगी।
- आलोचकों का मानना है कि नवीनतम प्रावधानों के साथ उपराज्यपाल की शक्ति में ओर अधिक बढ़ोतरी होगी, जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक रूप से बाधा उत्पन्न करेगी।
- ध्यातव्य है कि उपराज्यपाल, सरकार को एक समय सीमा के भीतर सलाह देने के लिये बाध्य नहीं है। अत: यह भी सरकार के कामकाज में देरी का कारण बनेगा।
- यह प्रावधान निर्वाचित सरकार के अधिकारों को सीमित करता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है।
- आलोचकों के अनुसार, नवीनतम प्रावधान संविधान में निहित शासन के विकेंद्रीकरण एवं संघवाद की भावना के विपरीत हैं।

निष्कर्ष

नवीनतम संशोधन अधिनियम के माध्यम से शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय की माँग विकेंद्रीकृत प्रशासन की है। साथ ही, अधिनियम के प्रावधान उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों एवं अधिकारों में बढ़ोतरी करते हैं, जो उसे निरंकुश बना सकते हैं एवं सरकार के अस्तित्व के लिये संकट पैदा कर सकते हैं।

❑❑❑

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर
करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...
फॉलो करें
www.sanskritiias.com
न्यूज़ आर्टिकल
• अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
• पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
• राज्यसभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।
जिस्ट
करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ईपीडब्ल्यू) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।
PT Card
प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.
कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स
करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।
PT Quiz
प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या-सहित उत्तर।
मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर
प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।
महत्त्वपूर्ण शब्दावली
शॉर्ट आर्टिकल
मासिक करेंट अफेयर्स संकलन
नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on:

5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन द्वारा दबाव की कूटनीति

संदर्भ

हाल ही में, 'राजनयिक संवाददाता संघ' की बैठक में चीनी राजदूत ने बांग्लादेश की विदेश नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी की। इस पर बांग्लादेश सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेशी राजदूतों से 'शालीनता और मर्यादा बनाए रखने' की अपील की है।

चीन की टिप्पणी

- चीनी राजदूत ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि बांग्लादेश 'क्वाड समूह' में शामिल होने पर विचार न करे और यदि वह ऐसा करता है तो दोनों देशों संबंध बिगड़ सकते हैं। इसे चीन द्वारा बांग्लादेश पर दबाव बनाए जाने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पूर्व चीनी रक्षा मंत्री ने भी बांग्लादेश और श्रीलंका की यात्रा के दौरान दक्षिण एशियाई देशों से किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होने का आग्रह किया था।
- हालाँकि बांग्लादेश द्वारा विरोध किये जाने पर चीन ने कहा कि वह हमेशा सभी देशों के साथ समान व्यवहार करता है और हमेशा 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के सिद्धांत का पालन करता है। चीन ने कहा कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करता है।
- इसके अलावा, चीन यह मानता रहा है कि क्वाड उसका एक विरोधी गुट है, जो चीन के पड़ोसियों को उसके विरुद्ध संगठित करता है।

बांग्लादेश की प्रतिक्रिया

- बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक संप्रभु देश के रूप में बांग्लादेश अपने लोगों के हित में विदेश नीति का निर्धारण करने में सक्षम है तथा ढाका में विदेशी राजदूत सार्वजनिक रूप से बोलते समय शालीनता और मर्यादा का पालन करें।
- बांग्लादेश की यह प्रतिक्रिया बांग्लादेश की स्वतंत्र और दबाव से मुक्त विदेश नीति की ओर इशारा करती है। उल्लेखनीय है कि 'क्वाड समूह' में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं तथा इसकी विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। चीन 'क्वाड' को 'एशियाई नाटो' की संज्ञा देते हुए एक सैन्य गठबंधन के रूप में वर्णित करता है। बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद '5 लाख टीके उपहार में देने' के लिये चीन को धन्यवाद दिया।

चीन और बांग्लादेश संबंध: वर्तमान परिदृश्य

- अप्रैल 2021 में, चीन ने अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों को कोविड-19 सहयोग पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया था।
- इस दौरान दक्षिण एशियाई देशों में चीनी टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक आपातकालीन रिज़र्व स्थापित करने पर सहमति बनी थी। चीनी के अनुसार, इस वार्ता में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु वह शामिल नहीं हुआ।
- हाल ही में, चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग ने बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया था। इसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

चीन का पड़ोसी देशों के साथ बढ़ता सुरक्षा सहयोग

संदर्भ

हाल ही में, चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ने भारत के पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरे को भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

चीन का बढ़ता सैन्य सहयोग

- बांग्लादेश और श्रीलंका में चीन के रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देशों से 'दक्षिण एशिया में सैन्य गठबंधन स्थापित करने वाले इस क्षेत्र के बाहर की शक्तियों' का विरोध करने का आह्वान किया है। उनका इशारा क्वाड समूह की ओर था।
- इसके अलावा, चीनी रक्षा मंत्री ने श्रीलंका में कहा कि कुछ प्रमुख देश 'गुटों व समूहों का निर्माण करने' और 'क्षेत्रीय आधिपत्य' स्थापित करने की फिराक में हैं, जो लोगों की साझी आकांक्षाओं तथा क्षेत्रीय देशों के हितों के प्रतिकूल है।
- श्रीलंका और चीन ने 'सैन्य सहयोग सहित' सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही, श्रीलंका और चीन ने एक 'सैन्य सहायता प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर भी किये।

चीन और श्रीलंका

- श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी को विकसित करने के लिये चीन ने $1.4 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है। श्रीलंका सरकार ने इसके लिये एक विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक का लोगों द्वारा न सिर्फ तीखा विरोध किया जा रहा है, बल्कि

इसे श्रीलंका की संप्रभुता के लिये खतरा मानते हुए वहाँ के उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई है। चीनी रक्षा मंत्री की श्रीलंका यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

- चीन ने श्रीलंका के लिये ऋणों और मुद्रा विनिमय सुविधा को बढ़ाकर $2 बिलियन से अधिक कर दिया है, ताकि श्रीलंका को आर्थिक संकटों से निपटने में मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में श्रीलंका पर चीन का लगभग $5 बिलियन का कर्ज है।
- चीनी मीडिया ने श्री राजपक्षे के हवाले से कहा है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है। वह न तो कभी इस क्षेत्र के बाहर की शक्तियों के आगे झुकेगा और न ही कभी किसी देश के साथ गठबंधन करेगा।
- श्रीलंका ने कहा की चीन ने उसको 'दीर्घकालिक और बहुमूल्य' सहयोग प्रदान किया है और श्रीलंकाई राष्ट्रपति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण पुनरुत्थान के अनुभवों को जानने के लिये उत्सुक हैं। इससे पूर्व, अक्टूबर 2020 में चीनी विदेश नीति के उच्च अधिकारी ने उच्च स्तरीय वार्ता के लिये में श्रीलंका की यात्रा की थी।

चीन और बांग्लादेश

- चीन के रक्षा मंत्री की बांग्लादेश यात्रा को दोनों देशों की सेनाओं के मध्य 'उच्च स्तरीय सहयोग बढ़ाने, उपकरण प्रौद्योगिकी में सहयोग करने, विशेषीकृत क्षेत्रों में व्यापक आदान-प्रदान करने और सैन्य संबंधों में प्रगाढ़ता लाने' के रूप में देखा जा रहा है।
- दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया कि दक्षिण एशिया में शांति-स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेंगे तथा इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले सैन्य गठबंधनों का मिलकर विरोध करेंगे।

यात्रा और टिप्पणी का महत्त्व

- क्वाड के संबंध में चीन की टिप्पणी इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड समूह को चीन ने अर्ध-सैन्य गठबंधन के रूप में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह चार देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन है।
- विदित है की पिछले वर्ष श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा था कि क्वाड का उदय एक सैन्य गठबंधन के रूप में हो रहा है जो काफी चिंताजनक है। लेकिन यदि क्वाड आर्थिक पुनुरुत्थान के लिये लक्षित रहे, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
- चीन ने कहा कि वह श्रीलंका की स्वतंत्र व गुटनिरपेक्ष नीति की सराहना करता है और श्रीलंका के साथ संबंध मज़बूत करने तथा क्षेत्रीय शांति के लिये संयुक्त प्रयास करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
- श्रीलंका ने टीके की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये चीन को धन्यवाद दिया और महामारी-पश्चात् आर्थिक सुधार एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के साथ कोविड-19 और आर्थिक सहयोग पर छह देशों के दक्षिण एशिया संवाद का आयोजन भी किया था।

अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया और भारत के हित

संदर्भ

अमेरिका सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। हालाँकि हिंसक परिदृश्य में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ताएँ निरंतर विफल हो रही हैं। ऐसे में, अफगानिस्तान के भविष्य, उसकी राजनीतिक स्थिति और भारत के हितों की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

शांति वार्ता की वर्तमान स्थिति

- तालिबान द्वारा लगातार जारी हिंसक गतिविधियों के कारण शांति वार्ताएँ सफल नहीं हो पा रही हैं। फरवरी 2020 में संपन्न हुए 'अमेरिका-तालिबान शांति समझौते' में हिंसा में कमी करना भी शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। 'ईद-उल-फितर' के अवसर पर अफगानिस्तान में अस्थायी युद्धविराम लागू हो गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी के बावजूद तालिबान हिंसा के सहारे सत्ता हासिल करने पर तुला है। अशरफ गनी सरकार ने स्थायी युद्धविराम का आह्वान किया है और वह सत्ता हस्तांतरण के लिये जल्द चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन तालिबान इससे सहमत नहीं है।

शांति स्थापना के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- अफगानिस्तान में शांति स्थापना के उद्देश्य से मार्च 2021 में मॉस्को में आयोजित हुई वार्ता में अफगानिस्तान व तालिबान के प्रतिनिधियों के अलावा अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने भी भाग लिया था।
- अप्रैल 2021 में तुर्की एक वार्ता आयोजित होनी थी, लेकिन तालिबान द्वारा इसमें भाग लेने से इनकार करने पर यह रद्द हो गई थी।

भारत का रुख

- भारत अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार का समर्थन करता है। उसने अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिये $3 बिलियन की सहायता देने का वादा किया है।

- भारत 'अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित' (Afghan-Led, Afghan-Owned and Afghan-Controlled) शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है। 'भारत' अफगानिस्तान में 'पाकिस्तान समर्थित तालिबान सरकार' के पक्ष में नहीं है।

भारत की स्थिति

- 'भारत' अफगानिस्तान को अपने विस्तारित पड़ोसी नीति के हिस्से और मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (POK) की भौगोलिक सीमा प्रत्यक्षत: अफगानिस्तान के साथ लगती है।
- माना जा रहा है कि विगत वर्षों में तालिबान की रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन आया है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
- अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का अर्थ होगा- अफगानिस्तान में भारत संबंधी नीति पर पाकिस्तान का नियंत्रण। इससे पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन के लिये अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है।

अमेरिका की वापसी के निहितार्थ

अमेरिका ने परोक्षत: तालिबान की माँगें स्वीकार ली हैं क्योंकि अब वह अपनी सैन्य-वापसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 का 'अमेरिका-तालिबान शांति समझौता' अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार की अनुपस्थिति में संपन्न हुआ था। ऐसे में, अफगानिस्तान भीषण हिंसा की चपेट में आसक्त है तथा वहाँ गृहयुद्ध छिड़ सकता है और यह स्थिति अनिश्चितकालीन तक जारी रह सकती है।

भारत-चीन सीमा विवाद और महामारी

संदर्भ

उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों, कुछ आधिकारिक बयानों आदि से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष का लद्दाख संकट सात भौगोलिक अवस्थितियों पर था। इनमें देपसांग मैदान, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग-सो झील का उत्तरी भाग, कैलाश श्रेणी और डेमचोक शामिल हैं। अत: वर्तमान परिस्थितियों में सीमा-विवाद का विश्लेषण आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

- गलवान क्षेत्र में झड़प के कुछ सप्ताह बाद गलवान मुद्दे को सुलझा लिया गया था और दोनों पक्ष संघर्ष वाले क्षेत्र (Face-off Site) से हट गए थे। भारतीय सेना ने अगस्त 2020 में कैलाश श्रेणी के कुछ ऊँचे क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया था। इस वर्ष फरवरी में दोनों पक्ष पैंगोंग-सो झील क्षेत्र से हटने पर सहमत भी हुए थे।
- भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा था कि दोनों देशों की सेनाएँ पीछे हटने के बाद 'शेष सभी मुद्दों के समाधान के लिये' 48 घंटों के भीतर वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाएगी, किंतु चीन ने शेष मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर दिया है।
- भारत ने पैंगोंग-सो झील से डिसइंगेजमेंट के लिये कैलाश श्रेणी पर अपनी एकमात्र मज़बूत स्थिति को भी कमज़ोर कर लिया था क्योंकि भारत लद्दाख के सभी विवादित बिंदुओं (Flash Point) को क्रमिक रूप से हल करने की अपेक्षा एक साथ सुलझाना चाहता था। वस्तुत: इस समय दोनों पक्षों के सैनिकों और टैंकों के बीच दूरी अत्यल्प थी और छोटी-सी चूक बड़े संकट को जन्म दे सकती थी। इसके अलावा, भारत सरकार भी शांतिपूर्ण तरीके से सीमा-विवाद सुलझाकर विश्व में शांति का संदेश देना चाहती थी।
- भारत सरकार ने घोषित किया था कि अप्रैल 2020 तक यथास्थिति बहाल कर दी जाएगी और भारत पूर्व की भाँति अपेक्षित क्षेत्रों में गश्त करने लगेगा, लेकिन 3 माह के बाद भी ऐसा नहीं हो सका है। दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापना की बात पुन: दोहराई। यद्यपि सितंबर 2020 के बाद से गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई, तथापि चीन सीमा अभी भी अस्थिर है और दोनों तरफ सैन्य साजो-सामान भारी मात्रा में तैनात है।

कोविड-19 और भू-राजनीति

- सीमा पर मुश्किल स्थिति के बीच कोविड-19 कुप्रबंधन के कारण भारत की भू-राजनीतिक चिंताएँ बढ़ गई हैं। भारत, विशेषकर दक्षिण एशिया में 'वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम' के माध्यम से स्वयं को चीन की वैक्सीन कूटनीति के बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर रहा था। हालाँकि हाल-फिलहाल में भारत पड़ोसी देशों को प्रतिबद्धतापूर्वक टीके-आपूर्ति नहीं कर सका है।
- बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों ने चीन से टीकों की खरीद शुरू कर दी है। ऐसे में, भारत की विश्वसनीयता तथा चीन का विरोध करने की भारत की क्षमता प्रश्नांकित हो रही है। इसे एक अवसर मानते हुए चीन ने भारत को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों को टीकों की आपूर्ति करने के लिये एक बैठक आयोजित की है।
- चीन के प्रभाव को कम करने के लिये क्वाड ने वर्ष 2022 तक पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बिलियन टीकों की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, इससे भारत चिंतित है। इसके अलावा, 'गावी' (GAVI) की 'कोवैक्स' (COVAX) योजना के तहत गरीब देशों को टीके की आपूर्ति करने से भी भारत पीछे हट रहा है। इन सबका कारण है- भारत की विशाल आबादी और उसके लिये टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसके लिये भारत खुद टीके आयात करने की कोशिश कर रहा है।

- इस स्वास्थ्य संकट ने भारत के 'आत्मनिर्भर तथा वैश्विक महाशक्ति' बनने के स्वप्न को ठेस पहुँचाई है तथा वैश्विक सहायता स्वीकारने संबंधी 16 वर्ष पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। इसने भारत की अक्षमता को उजागर किया, इससे क्वाड में इसकी स्थिति को कमज़ोर हुई है।

प्रभाव

- भारत की वैश्विक स्वीकार्यता में कमी आएगी तथा चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये अमेरिका पर निर्भरता बढ़ेगी। अत: चीन की यह धारणा बलवती होगी कि 'भारत' अमेरिका के इशारे पर काम करता है। इससे भारत-चीन संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं।
- एक विचार यह भी है कि भारत समुद्री कौशल को मज़बूत कर अपनी स्थलीय सीमाओं की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है। हालाँकि वर्तमान परिस्थितियों में यह विचार भी परीक्षण के दायरे में आ सकता है, अत: भारत इसे हर कीमत पर टालना चाहता है।
- लद्दाख संकट के बाद 'दो मोर्चों पर युद्ध' (Two Front War) की आशंका ने भारत को पाकिस्तान के साथ शांति-वार्ता करने के लिये विवश किया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित बैक-चैनल वार्ता ने नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन भारत व पाकिस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है और यह प्रक्रिया लड़खड़ाती दिख रही है।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान की जीत एक अशुभ संकेत हैं। इसके अलावा, चीन तथा पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौती भारत को संकट में डाल सकता है। इस स्थिति से भारत को हर हाल में बचना होगा।

भारत के प्रति चीन का रुख और महामारी

- हाल-फिलहाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महामारी के संबंध में मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदना के विषय में एक संदेश भेजा, जो पिछले वर्ष सीमा-विवाद शुरू होने के बाद दोनों के बीच पहला संचार (Communication) है।
- चीनी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष से दो बार बात की और महामारी से निपटने के लिये मदद की पेशकश की। परिणामस्वरूप चीन से कार्गो उड़ानों को जल्द ही मंजूरी मिली।
- यह सहायता चीनी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि निजी कंपनियों, रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट सोसाइटी से प्राप्त दान के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि चीनी मीडिया इसे चीन की सरकारी सहायता के रूप में प्रदर्शित कर रहा है।
- चीन की मंशा स्वयं को एक ऐसी शक्ति के रूप में पेश करने की है, जो भारत की सहायता करती हैं। विदित है कि भारत चिकित्सा आपूर्ति के लिये चीन पर अत्यधिक निर्भर है।

निष्कर्ष

भारत व चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद की स्थिति है, लेकिन महामारी काल में दोनों देश मिलकर कार्य कर सकते हैं तथा विश्व की सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, दोनों देशों को आपसी बातचीत के माध्यम से किसी ऐसे समझौते की ओर भी बढ़ाना चाहिये, जो इनकी भौगोलिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित कर सके।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष और भारत

संदर्भ

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्' में भारत ने परोक्ष रूप से पुन: फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन यरुशलम की स्थिति या इज़रायल-फिलिस्तीन की सीमाओं के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। इसके अलावा, भारत ने यह भी कहा कि वह न्यायपूर्ण फिलिस्तीन के लिये 'दो-राज्य समाधान' (Two-State Solution) के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। विदित है कि 'भारत' वर्तमान में सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य है।

भारत के बयान के प्रमुख बिंदु

- इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका, अल्बानिया सहित 25 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को ट्वीट किया और कहा कि ये देश पूरी तरह से इज़रायल के साथ हैं तथा इज़रायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। इनमें भारतीय ध्वज शामिल नहीं था।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के बयान से दो बातें स्पष्ट हुई हैं। प्रथम, भारतीय प्रतिनिधि ने 'अल-अक्सा परिसर और पूर्वी यरुशलम' में हुई हिंसा का ज़िक्र करते हुए कहा कि पूर्वी यरुशलम में एक सप्ताह पूर्व हिंसा शुरू हुई थी।
- इसका अर्थ है कि भारत ने 10 मई को हमास द्वारा रॉकेट दागे जाने की घटना को नजरंदाज करने की कोशिश की। खबरों की मानें तो पहले हमास ने रॉकेट दागे और फिर इज़रायली सेना ने अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया।
- द्वितीय, भारत ने यरुशलम में हिंसा और पूर्वी यरुशलम के शेख जर्राह तथा सिलवान क्षेत्रों से लोगों के निष्कासन पर चिंता व्यक्त की। वस्तुत: पूर्वी यरुशलम क्षेत्र से 'अरब परिवारों को इज़रायल द्वारा निष्कासित किया जाना' अरब विरोध के प्रमुख कारणों में से एक है।
- भारत ने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे यथास्थिति को परिवर्तित करने के लिये एकतरफा फैसले ना लें। यहाँ भारत का इशारा इज़रायल की ओर था, जो अल-अक्सा परिसर में सैनिकों की तैनाती करने तथा फिलिस्तीनियों को निष्कासित करने की कोशिश कर रहा है।

भारतीय बयान के निहितार्थ

- भारत ने इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे में विकसित होती नवीन परिस्थितियों की ओर इशारा किया और संकेत दिया कि पूर्वी यरुशलम में यथास्थिति बनी रहनी चाहिये। लेकिन इस बिंदु को छोड़ दिया की 'यरुशलम' भविष्य में फिलिस्तीन की राजधानी होगी अथवा नहीं!
- पहले भी 'दो-राज्य समाधान' को लेकर भारत का ऐसा ही रुख था। अत: भारत 'दो-राज्य समाधान' के मुख्य हिस्से में पूर्वी यरुशलम को शामिल किये बिना आदर्शवादी बातें कर रहा है।
- वर्ष 2017 तक भारत ने इस मुद्दे पर फिलिस्तीन का समर्थन किया था तथा बातचीत के माध्यम से पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनने के साथ वहाँ एक संप्रभु, स्वतंत्र और संयुक्त फिलिस्तीन के निर्माण की बात की।

दोनों पक्षों को साधने की कोशिश

- भारत ने वर्ष 2017 से पूर्वी यरुशलम और इज़रायल-फिलिस्तीन सीमाओं का ज़िक्र करना छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बिना कोई हल बताए 'न्यायसंगत' समाधान का आह्वान किया।
- भारत के बयान में 'हराम-ए-शरीफ' का दो बार ज़िक्र आया और इसे भारत की ओर से 'टेंपल माउंट' भी कहा गया। अर्थात् भारत ने इस पर पूर्णत: फिलिस्तीनी या इस्लामी स्वामित्व नहीं माना, बल्कि इस पर यहूदियों व मुस्लिमों, दोनों का साझा अधिकार माना।
- इसके अलावा, भारत ने इज़रायल का ज़िक्र किये बिना रॉकेट हमले की तीखी आलोचना की तथा गाज़ा से रॉकेट दागे जाने को भी दुखद घटना बताया। अत: भारत ने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दोनों पक्षों को साधने की कोशिश की।

यरुशलम की आन : झगड़ते हुक्मरान

संदर्भ

10 मई 2021 को 'यरुशलम दिवस' के दिन यरुशलम स्थित 'अल-अक्सा मस्जिद' में इज़रायल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का मामला सामने आया। इसमें कई लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया

- सुरक्षा परिषद् ने यरुशलम की स्थिति पर बैठक की, किंतु कोई बयान नहीं दिया।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस परिस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा इज़रायली अधिकारियों को संयम बरतने की सलाह दी।
- अमेरिका ने भी इसे गंभीर चिंता का विषय बताया।
- संयुक्त अरब अमीरात ने इस संघर्ष तथा फिलिस्तीनियों के योजनाबद्ध निष्कासन की कड़ी आलोचना की। ध्यातव्य है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिये एक शांति समझौता हस्ताक्षर किया था।
- सऊदी अरब ने 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) को मौन सहमति दी है तथा कहा कि 'इज़रायल द्वारा यरुशलम से फिलिस्तीनियों को बेघर करने की कार्रवाई अस्वीकार्य है।'
- पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिये इज़रायल की निंदा की।

यरुशलम का धार्मिक महत्त्व

- 'यरुशलम' मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, तीनों समुदायों का पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ 705 ई. में उमैय्यद वंश के खलीफा 'अब्द अल-मलिक' द्वारा अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसे इस्लाम में 'हराम-ए-शरीफ' के नाम से जाना जाता है। इसी मस्जिद के पास 'डॉम ऑफ द रॉक' भी स्थित है।
- मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से अल-अक्सा आए थे और फिर यहीं से स्वर्ग की यात्रा की थी। मस्जिद-अल-हरम (मक्का की महान मस्जिद) और अल-मस्जिद-नबावी (मदीना में पैगंबर की मस्जिद) के बाद यह मुसलमानों क तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
- यरुशलम में ईसाइयों का पवित्र 'द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर' भी है। ईसाइयों के अनुसार, ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं वे पुनर्जीवित हुए थे।
- अल-अक्सा परिसर में एक तरफ पश्चिमी दीवार (Western Wall) है, जिसे यहूदियों की पवित्र दीवार के रूप में जाना जाता है। यहाँ यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल 'होली ऑफ होलीज' है। इनके अनुसार, इसी स्थान से विश्व का निर्माण आरंभ हुआ था।
- यरुशलम की ओल्ड सिटी तो इज़रायल के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ स्थित मस्जिद वर्ष 1967 से जॉर्डन और फिलिस्तीनी नेतृत्व वाले इस्लामिक वक्फ के प्रशासनाधीन है। यह वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट है, जो यरुशलम में 'टेंपल माउंट' के आस-पास इस्लामिक ऐतिहासिक स्थलों का प्रबंधन करता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- यरुशलम को लेकर लगभग एक शताब्दी से इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष जारी है। वर्तमान इज़रायल के क्षेत्र में कभी ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। वर्ष 1914 में आरंभ हुए प्रथम विश्वयुद्ध में 'तुर्की' मित्र राष्ट्रों के विरोधी देशों के साथ था। चूँकि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, अत: युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के परिणामस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्ज़े में आ गया।

- इस दौरान जियोनिज्म की भावना अपने चरम पर थी, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। फलत: दुनियाभर से यहूदी फिलिस्तीन आने लगे।
- वर्ष 1917 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को यहूदियों देश बनाने की प्रतिबद्धता जताई, किंतु वर्ष 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक ब्रिटेन की शक्ति कमज़ोर हो गई। अन्य देशों ने ब्रिटेन पर यहूदियों के पुनर्वास का दबाव बनाया। अंतत: ब्रिटेन ने स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया और यह मामला नवगठित संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया।
- नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 'अरब राज्य' और 'इज़रायल' नामक दो हिस्सों में बाँट दिया तथा 'यरुशलम' को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। अरब देशों ने इस फैसले को ठुकराते हुए कहा कि उन्हें आबादी के अनुपात में कम भूमि प्राप्त हुई है। फिर वर्ष 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 'इज़रायल' की स्थापना हुई।

अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

यह सयुंक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और इज़रायल के मध्य हस्ताक्षर किया गया एक शांति समझौता है। इसके तहत यू.ए.ई. और बहरीन ने इज़रायल को मान्यता दी है। इसका उद्देश्य तीनों देशों के आपसी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाना है।

इज़रायल-फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र

- **वेस्ट बैंक :** इज़रायल और जॉर्डन के बीच अवस्थित यह क्षेत्र वर्ष 1967 से ही इज़रायल के कब्ज़े में है। इज़रायल और फिलिस्तीन, दोनों इसे अपना क्षेत्र बताते हैं।
- **गाजा पट्टी :** इज़रायल और मिस्र के बीच में स्थित इस क्षेत्र पर इज़रायल विरोधी समूह 'हमास' का कब्ज़ा है। सितंबर 2005 में इज़रायल ने यहाँ से अपनी सेना वापस बुला ली थी। वर्ष 2007 से ही इज़रायल ने इस क्षेत्र पर कई प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं।
- **गोलन हाइट्स :** राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण यह क्षेत्र सीरिया का एक पठार है। वर्ष 1967 के बाद से ही इस क्षेत्र पर इज़रायल का कब्ज़ा है।

- गौरतलब है कि वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के पश्चात् इज़रायल ने अल-अक्सा परिसर का प्रशासन जॉर्डन को वापस सौंप दिया और गैर-मुस्लिमों को अल-अक्सा में पूजा करने की अनुमति नहीं दी। अत: यहूदियों ने समय-समय पर 'माउंट टेंपल प्लाजा' में प्रवेश की कोशिश की।
- वर्ष 1967 में पूर्वी यरुशलम पर कब्ज़े के बाद से ही इज़रायल यहाँ जन्मे यहूदियों को इज़रायली नागरिक मानता है, जबकि यहीं पर जन्मे फिलिस्तीनियों को विभिन्न शर्तों पर यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। इसमें एक शर्त यह भी है कि एक निश्चित अवधि से ज्यादा समय तक यरुशलम से बाहर रहने पर उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी।
- इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों ने यरुशलम को अपनी राजधानी घोषित किया है। जुलाई 1980 में इज़रायल की संसद ने यरुशलम कानून पारित कर इसे देश की राजधानी घोषित किया था।
- जबकि वर्ष 2000 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा पारित एक कानून द्वारा यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी घोषित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता की घोषणा के दौरान भी यरुशलम को राजधानी घोषित किया गया था। वर्तमान में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का मुख्यालय 'रामल्लाह' में है।

भारत-ब्रिटेन संबंध

संदर्भ

मई 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री व उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के मध्य 'वर्चुअल शिखर सम्मलेन' आयोजित हुआ। यह सम्मलेन कोविड-19 के कारण कई बार स्थगित किया गया।

द्विपक्षीय शिखर सम्मलेन के मुख्य बिंदु

- भारत की तरह ब्रिटेन भी कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित था, इसलिये यह मुद्दा चर्चा का प्रमुख बिंदु था। कोविड-19 के उपचार के लिये चिकित्सा ऑक्सीजन व चिकित्सीय उपकरणों की तत्काल आपूर्ति के अलावा, दोनों ने इस क्षेत्र में व्यापक सहयोग की बात की।
- इस दौरान एक महत्त्वाकांक्षी 'रोडमैप 2030' को अपनाया गया, ताकि 'द्विपक्षीय संबंधों' को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाया जा सके। इसका उद्देश्य अगले दस वर्षों में दोनों देशों के मध्य नागरिक संपर्क, रक्षा-सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा, वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से भी अधिक करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया गया तथा एक 'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ETP) का शुभारंभ किया। 'ई.टी.पी.' के एक हिस्से के रूप में एक व्यापक एवं संतुलित 'मुक्त व्यापार समझौते' (FTA) का रोडमैप तैयार करने पर सहमति बनी, जिसमें शीघ्रतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिये एक 'अंतरिम व्यापार समझौते' पर विचार करना भी शामिल है।
- परिणामस्वरूप दोनों देशों में हजारों प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

- अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में 'ब्रिटेन' भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। शिखर सम्मेलन में नई भारत-ब्रिटेन 'वैश्विक नवाचार साझेदारी' की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों 'भारतीय नवाचार' हस्तांतरित करना है। इसकी शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से होगी।
- दोनों पक्षों ने डिजिटल एवं आई.सी.टी. उत्पादों सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर आपसी सहयोग बढ़ाने तथा आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई। दोनों ने रक्षा-सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने पर भी सहमति व्यक्त की, इसमें समुद्री क्षेत्र, आतंकवाद, साइबरस्पेस जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- इस सम्मलेन में भारत और ब्रिटेन के अतिरिक्त, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि आगले माह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'ग्रुप ऑफ सेवेन प्लस थ्री' सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

भारत-ब्रिटेन संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- यूँ तो भारत-ब्रिटेन संबंध मज़बूत रहे हैं, मगर 'ब्रिटेन' भारत का एक स्थायी साझेदार नहीं बन पाया है। इसके विपरीत अमेरिका, फ्राँस जैसे अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध वर्तमान में काफी सामान्य हैं।
- भारत-ब्रिटेन के अस्थायी संबंधों का एक प्रमुख कारण औपनिवेशिक इतिहास भी है। जहाँ आम जनमानस व भारतीय शासन इससे अब तक पूर्णत: नहीं उबर पाया है, तो वहीं ब्रिटेन अभी भी औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से बाहर निकल नहीं पाया है।
- विभाजन की कड़वी विरासत तथा पाकिस्तान के प्रति 'कथित ब्रिटिश झुकाव' ने भी संबंधों के स्थायित्व को बाधित किया है। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में मौजूद दक्षिण एशियाई डायस्पोरा ने भी घरेलू व अंतर-क्षेत्रीय राजनीति को ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति से संबद्ध कर संबंधों को और जटिल बना दिया है।
- भारत व उसके पड़ोसी देशों के आपसी मुद्दों पर ब्रिटिश लेबर पार्टी का रुख भारत के प्रतिकूल है, जैसे- कश्मीर मुद्दा। वैसे तो भारतीय बौद्धिक वर्ग कंजर्वेटिव पार्टी की अपेक्षा लेबर पार्टी का समर्थक रहा है और मानता रहा है कि लेबर पार्टी भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखती है। जबकि विगत तीन दशकों में ब्रिटिश लेबर पार्टी की बजाय कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत को ज़्यादा महत्त्व दिया है।
- अत: स्पष्ट है कि लेबर पार्टी औपनिवेशिक शासन की मुखर आलोचक होते हुए भी भारत के प्रति सकरात्मक रुख नहीं रखती है, किंतु कंजर्वेटिव पार्टी औपनिवेशिक शासन की समर्थक होते हुए भी, भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील है।

द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती के लिये नए आयाम

- सम्मलेन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिये '10 वर्षीय रोडमैप' की घोषणा की गई।
- चूँकि 'ब्रिटेन' यूरोपीय संघ से बाहर हो गया तथा 'भारत' चीन-केंद्रित आर्थिक समझौतों में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसे में, इन नई परिस्थितियों अनुरूप आपसी संबंधों को मज़बूती देने के लिये प्रतिबद्धता जताई गई।
- क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार जारी रखने के लिये 'व्यापक वैश्विक भागीदारी' की दिशा में प्रयास करने की चाहत प्रकट की गई।
- प्रमुख यूरोपीय शक्ति 'ब्रिटेन' का झुकाव 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र' की तरफ भी है और इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। ऐसे में, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये भारत के साथ मज़बूत संबंध बनाना ब्रिटेन के लिये अपरिहार्य है।
- इसके अलावा, 'ब्रिटेन' भारत के रक्षा आधुनिकीकरण लक्ष्य में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

निष्कर्ष

दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को मज़बूत करने तथा क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दे रहे हैं, इसलिये ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई प्रवासियों (Diaspora) को प्रबंधित करना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। यदि वर्तमान में दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाएँगे, तो दोनों के बीच भविष्य के लिये मज़बूत आधार तैयार हो सकेगा।

हमास : इस्लामिक अतिवादी या लड़ाके या राष्ट्रवादी

संदर्भ

- 10 मई, 2021 को 'यरुशलम दिवस' के अवसर पर जब इज़रायली सैनिकों ने मुस्लिम जगत की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद 'अल-अक्सा' में प्रवेश किया, तो इस्लामी अतिवादी संगठन 'हमास' ने इज़रायल को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी इज़रायली सैनिक 'अल-अक्सा' मस्जिद से बाहर निकल जाएँ तथा पूर्वी यरुशलम के 'शेख जर्राह' और 'सिलवानसे' क्षेत्रों से फिलिस्तीनियों को निकालकर यहूदियों को बसाने की प्रक्रिया बंद कर दें।
- इज़रायल द्वारा इसे नजरअंदाज किये जाने के पश्चात् हमास ने पश्चिमी यरुशलम सहित इज़रायल के विभिन्न हिस्सों में रॉकेट दागे। प्रतिक्रियास्वरूप इज़रायल ने हमास के विरुद्ध वर्ष 2014 के बाद का सबसे बड़ा अभियान लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि

- 'यरुशलम' मुस्लिमों, यहूदियों और इसाइयों का पवित्र धार्मिक स्थल है। यहीं पर यहूदियों का पवित्र स्थल 'वेस्टर्न वॉल' भी स्थित है।

- वर्ष 1967 में हुए 6 दिवसीय अरब-इज़रायल युद्ध में इज़रायल विजयी हुआ था और उसने यरुशलम शहर के पूर्वी भाग पर कब्ज़ा कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में इज़रायल प्रतिवर्ष 10 मई का दिन 'यरुशलम दिवस' के रूप में मनाता है।
- वर्ष 2007 में हमास ने गाज़ा पर कब्ज़ा किया था, तब से इज़रायल और हमास के मध्य दिसंबर 2008 में, नवंबर 2012 में तथा जुलाई-अगस्त 2014 में तीन बड़े संघर्ष हो चुके हैं। इस दौरान इज़रायल की अपेक्षा फिलिस्तीन को अधिक जान-माल की हानि झेलनी पड़ी।
- विडंबना यह है कि 1970 व 80 के दशक में यासिर अराफात के 'सेक्युलर नेशनल मूवमेंट' के विरुद्ध इज़रायल ने ही 'हमास' को तैयार किया था, मगर आज वही 'हमास' इज़रायल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।

हमास की जड़ें

- 'हमास', जिसका अरबी भाषा में अर्थ 'उत्साह' होता है, की जड़ें 'मुस्लिम ब्रदरहुड' से जुड़ी हैं। वर्ष 1928 में ब्रदरहुड की स्थापना मिस्र के हसन अल-बन्ना ने की थी। वर्ष 1930 तक इस संगठन ने तत्कालीन ब्रिटिश-फिलिस्तीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
- बन्ना ने अपने भाई अब्द-अल-रहमान-अल-बन्ना को रूढ़िवादी इस्लामिक विचारों का प्रचार करने के लिये फिलिस्तीन भेजा था। फिलिस्तीन की राष्ट्रवादी भावनाओं का नेतृत्व करने वाले संगठन 'फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाईजेशन' (PLO) का गठन वर्ष 1964 में हुआ था।
- इज़रायल ने जॉर्डन से 'वेस्ट बैंक' तथा पूर्वी यरुशलम व मिस्र से गाज़ा पट्टी छीन ली थी। इसके पश्चात् पी.एल.ओ. ने पूरे फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिये इज़रायल के विरुद्ध छापामार युद्ध आरंभ किया।
- मुस्लिम ब्रदरहुड इन गतिविधियों से दूर रहा तथा उसके शीर्ष नेतृत्व ने पी.एल.ओ. के 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद' की आलोचना की। ब्रदरहुड ने जिहाद आरंभ करने की अपेक्षा मुस्लिम समाज को पहले मजहब-उन्मुख तथा मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया।
- इसी बीच इज़रायल ने ब्रदरहुड नेतृत्व से संपर्क किया। वर्ष 1973 में ब्रदरहुड से संबंधित एक मौलवी शेख अहमद यासीन ने एक इस्लामिक केंद्र 'अल-मुजम्मा-अल-इस्लाम' की स्थापना की तथा इज़रायल ने इसे एक चैरिटी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की।
- यासीन ने इस संस्था के नाम पर धन एकत्रित किया और इसका प्रयोग विभिन्न मस्जिदों तथा गाज़ा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया।
- हालाँकि वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति ने पश्चिमी एशिया की इस्लामिक राजनीति को ही बदल दिया। ईरान में 'मौलवियों की सफलता' ने अन्य देशों के मौलवियों की महत्त्वाकांक्षाओं को जगा दिया।
- इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में 1980 के दशक में पी.एल.ओ. तथा इस्लामिक अतिवादियों के मध्य में कई हिंसक झड़पें हुईं।

उत्थान

- 'हमास' की स्थापना वर्ष 1987 में प्रथम 'इंतिफादा' (बगावत या विद्रोह) के बाद हुई थी। वर्ष 1987 में गाज़ा में हुई एक यातायात दुर्घटना में कई फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसमें एक इज़रायली ड्राइवर के भी शामिल होने के कारण फिलिस्तीनियों का विरोध तीव्र हो गया था।
- इज़रायली कब्ज़े वाले क्षेत्र में वृहत् स्तर पर विद्रोह हुआ तथा पी.एल.ओ. ने अपने समर्थकों से इंतिफादा में शामिल होने का आह्वान किया। इसी दौरान दिसंबर 1987 में, ब्रदरहुड ने भी यासीन के नेतृत्व में एक पत्रक जारी किया और फिलिस्तीनियों से इज़रायल के कब्ज़े के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया।
- जनवरी 1988 में, उसने 'हरकत-अल-मुकावामा-अल-इस्लामियाह' (the Islamic Resistance Movement) नामक एक और पत्रक जारी किया। अंततः वर्ष 1989 में हमास ने इज़रायल पर पहला हमला किया और दो इज़रायली सैनिकों का हत्या कर दी। बदले में इज़रायल ने 'क्रैक-डाउन' कर यासीन को गिरफ्तार कर लिया तथा उसे आजीवन जेल में डाल दिया।
- हमास का दृष्टिकोण पी.एल.ओ. से अलग था। हमास के अभियान को तीसरी दुनिया का वामपंथी छापामार आंदोलन कहा गया था। उसने वर्ष 1988 में यहूदी-विरोधी टिप्पणियों से भरा एक चार्टर जारी किया।
- उक्त चार्टर के अनुसार, "फिलिस्तीन एक इस्लामी वक्फ़ भूमि है, जो मुस्लिम पीढ़ियों के लिये समर्पित है। फिलिस्तीन समस्या का एकमात्र समाधान 'जिहाद' है तथा शांति के सभी प्रयास समय की बर्बादी और बेतुके कार्य हैं।"
- जब पी.एल.ओ. ने फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिये शांति प्रयासों में शामिल होने का निर्णय लिया, तो हमास ने इसका तीखा विरोध किया।
- इसने 'ओस्लो समझौते' के उस प्रावधान का भी विरोध किया, जिसके अंतर्गत इज़रायली कब्ज़े वाले क्षेत्रों के भीतर सीमित शक्तियों के साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण के गठन की अनुमति प्रदान की गई थी।
- पी.एल.ओ. द्वारा इज़रायल को मान्यता दिये जाने के उपरांत, हमास ने 'दो-राज्य समाधान' (Two State Solution) के प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया तथा 'जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक' पूरे फिलिस्तीन को मुक्त कराने की कसम खाई।

- हमास ने अपने संगठन में कई शाखाओं का निर्माण किया। इसकी 'सामाजिक इकाई' इस्लामी शिक्षा एवं दान, जबकि 'सैन्य इकाई' सैन्य योजनाओं तथा हथियार अधिग्रहण का कार्य करती है। इसका एक राजनीतिक ब्यूरो भी है।
- अक्टूबर 1994 में, ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के एक वर्ष पश्चात्, इसने तेल अवीव में पहला आत्मघाती हमला कराया था।

विकास-क्रम

- 1990 तथा 2000 के दशक के आरंभ में हमास ने इज़रायलियों को लक्षित करके कई आत्मघाती हमले किये। वर्ष 2000 में, जब द्वितीय इंतिफादा का आरंभ हुआ तो हमास मज़बूत स्थिति में था। हमास समर्थकों ने इज़रायली सैनिकों के साथ सरेआम हिंसक संघर्ष किया।
- प्रत्युत्तर में इज़रायल ने 'टारगेट किलिंग' की रणनीति अपनाई और वर्ष 2004 में इसके तहत शेख यासीन तथा उसके उत्तराधिकारियों को मार गिराया। वर्ष 2005 में, हमास के हिंसक प्रतिरोध के बाद इज़रायल ने अपने सैनिकों को गाज़ा पट्टी से वापस बुला लिया।
- इज़रायल की फिलिस्तीनियों को 'सामूहिक दंड' देने की रणनीति के चलते हमास को फिलिस्तीनियों की सहानुभूति प्राप्त हुई, जिसका लाभ हमास को वर्ष 2006 के फिलिस्तीनी आम चुनावों में मिला।
- हमास ने इस चुनाव में कुल 132 सीटों में से 74 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि पी.एल.ओ. समर्थित फतेह पार्टी को मात्र 45 सीटें ही प्राप्त हुई थीं।
- हमास ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पहली बार शांति के संकेत दिये थे। इसने इज़रायल के 'विनाश' की उस प्रतिज्ञा को त्याग दिया, जिसका उल्लेख वर्ष 1988 के चार्टर में किया था, और कहा कि "उसकी पहली प्राथमिकता फिलिस्तीनियों के लिये अनुकूल स्थिति निर्मित करना है, सशस्त्र संघर्ष को बनाए रखना नहीं।"
- हमास ने फिलिस्तीन में सरकार तो बनाई, किंतु उसे इज़रायल सहित अधिकांश वैश्विक शक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ा तथा इज़रायल, अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।
- वेस्ट बैंक में फतेह और हमास के मध्य तनाव बढ़ने पर, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास सरकार को भंग कर आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके कारण फतेह और हमास के मध्य हिंसक झड़पें हुईं। वर्ष 2007 में, फतेह ने हमास को वेस्ट बैंक से तथा हमास ने फतेह को गाज़ा से बाहर कर दिया था। तब से गाज़ा पट्टी में हमास की ही सरकार है।
- गाज़ा पट्टी पर हमास के कब्ज़े के बाद से, इज़रायल ने इस क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। जिसने व्यावहारिक रूप से लगभग 2 मिलियन लोगों के राज्यक्षेत्र को एक खुली जेल में बदल दिया है।
- हमास ने 'सशस्त्र प्रतिरोध' की रणनीति को कभी नहीं छोड़ा। इस संगठन का दृष्टिकोण भी कई वर्षों में विकसित (Evolved) हुआ है, जैसा कि पी.एल.ओ. ने पूर्व-ओस्लो वर्षों (Pre-Oslo years) में किया था। यह संगठन अभी भी इज़रायल को मान्यता देने से इनकार करता है। हमास ने 'हुदना' (एक स्थाई युद्धविराम) की पेशकश की है, जिसके अनुसार इज़रायल को वर्ष 1967 की सीमा पर लौटना होगा।

नया चार्टर

- वर्ष 2017 में, हमास एक नया चार्टर अपनाया, इसमें से मूल चार्टर में की गई 'यहूदी-विरोधी टिप्पणियों' को हटा दिया था। इसमें कहा गया है कि हमास, यहूदी लोगों के साथ युद्ध नहीं चाहता। वह केवल जायोनिज्म (Zionism) का विरोध करता है, जो फिलिस्तीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है।
- हमास ने कहा कि वह न तो अपना कोई अधिकार छोड़ेगा और न ही इज़रायल को मान्यता देगा। साथ ही, इज़रायल को वर्ष 1967 की सीमाओं तक खदेड़कर पूरे फिलिस्तीन को मुक्त कराएगा।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति के साथ एक नई शुरुआत होनी चाहिये थी, लेकिन इज़रायल वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। इज़रायल का मत है कि वह न तो किसी 'आतंकवादी इकाई' से बातचीत करेगा और न ही उसे मान्यता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

- वस्तुतः हमास इतना सक्षम नहीं है कि वह इज़रायल को वर्ष 1967 की सीमा तक वापस धकेल सके, लेकिन इज़रायल के लिये भी हमास को पूर्णतः समाप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
- वैसे तो, पिछले कुछ वर्षों में हमास ने अपने अधिकांश संस्थापक नेताओं को खो दिया है तथा अमेरिका सहित अन्य शक्तियों ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसे अक्सर इज़रायल के हमलों का सामना करना पड़ता है। इज़रायल, हमास के अतिवादी ढाँचे को नष्ट करने के लिये गाज़ा पर अक्सर बमबारी करता रहता है, लेकिन हमास एक और दिन लड़ने के लिये बच जाता है।
- सबसे बढ़कर, हमास फिलिस्तीनी राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा है। अतः कहा जा सकता है कि इज़रायल-फिलिस्तीन समस्या का समाधान हमास को शामिल किये बिना नहीं किया जा सकता है।

G7 और चीन

संदर्भ

हाल ही में, चीन के विश्वभर में के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिये G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ईरान व उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक के परिणाम

- अमेरिका ने चीन के 'झिंजियांग क्षेत्र के मुद्दे' पर चीन पर दबाव बनाने के लिये ब्रिटेन का 'मज़बूत सहयोग' करने का वादा किया। जहाँ चीन द्वारा करीब एक मिलियन उइगर मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है।
- इस दौरान हॉन्गकॉन्ग में मानवाधिकार के मुद्दे का समर्थन करने पर भी सहमति बनी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश उपनिवेश था और वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंपा तो वहाँ एक अलग शासन व्यवस्था स्थापित करने का वादा किया गया था। लेकिन चीन ने अब तक ऐसा नहीं होने दिया।

G7 संगठन

- विश्व के सात लोकतांत्रिक देशों यथा- कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यू.के. और यू.एस.ए. ने वर्ष 1975 में एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसका गठन किया था। ये सभी देश औद्योगिक क्षेत्र में भी अग्रणी हैं।
- इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है। कभी-कभी यह आर्थिक मुद्दों के अलावा, अन्य वैश्विक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करता है।

G8 संगठन

- वर्ष 1998 में 'रूस' भी इस समूह का औपचारिक सदस्य बन गया था, इसलिये इसका नाम G7 की बजाय G8 हो गया था।
- लेकिन वर्ष 2014 में जब रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया तो संगठन के अन्य सभी देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की और रूस को G8 संगठन से निष्कासित कर दिया। इसी के साथ यह संगठन जी8 से पुन: G7 हो गया।

पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के सुधरते आपसी संबंध

संदर्भ

- हाल ही में, प्रमुख पश्चिम एशियाई देशों ने ऐसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।
- यह स्थिति वैश्विक राजनीति में नवीन समीकरण स्थापित करेगी तथा शांति बहाली को प्रोत्साहित करेगी।

नीति में परिवर्तन के कारण

- चूँकि पश्चिम एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ 'तेल' पर आधारित हैं और महामारी के दौरान तेल की कीमतें गिरी हैं। ऐसे में, इन देशों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अत: इन देशों को अपनी नीति परिवर्तित करने के लिये विवश होना पड़ा है।
- विभिन्न पश्चिम एशियाई देशों, यथा- सीरिया, यमन, लीबिया आदि लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन जान-माल की हानि के अलावा इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। ऐसे में, इस क्षेत्र में विदेशी संबंधों के पुनर्गठन की माँग बलवती होने लगी। उल्लेखनीय है कि यमन में जारी संघर्ष में ईरान तो हाउती विद्रोहियों (शिया) का, जबकि सऊदी अरब यमन सरकार (सुन्नी) का समर्थन कर रहा है।

पश्चिम एशियाई देशों द्वारा किये गए प्रयास

- इस वर्ष बगदाद में सऊदी अरब और ईरान के मध्य बातचीत हुई। जनवरी 2016 में राजनयिक संबंध टूटने के बाद दोनों देशों की यह पहली बैठक थी। ईरान ने सऊदी अरब के 'यमन में युद्धविराम' के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। इसके अलावा, दोनों देशों ने अब तक आपसी प्रतिद्वंद्विता की भारी वित्तीय कीमत भी चुकाई है।
- वर्तमान वर्ष में ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर पर लगाए गए राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध भी हटा लिये हैं।
- वर्ष 2013 में, जब मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया था, तब तुर्की और मिस्र ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिये थे। तत्पश्चात् अभी मई में तुर्की और मिस्र की पहली राजनयिक बैठक काहिरा में संपन्न हुई।
- तुर्की जहाँ एक तरफ, लीबिया में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में अपने हितों की पूर्ति के लिये ग्रीस, इज़रायल और साइप्रस को चुनौती भी दे रहा है। इसके अलावा, तुर्की ने सऊदी अरब से भी नजदीकी बढ़ाई। उसने 'खशोगी हत्याकांड' पर सऊदी अदालत का फैसला स्वीकार किया तथा हाउती विद्रोहियों के खिलाफ सउदी अरब का साथ देने की बात कही।
- मिस्र तथा कतर के रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। 'कतर' द्वारा मिस्र में भारी निवेश किये जाने की संभावना है। अल जजीरा टेलीविजन पर मिस्र विरोधी प्रसारण में भी कमी आई है।
- ऐसे में, कतर ने क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिये ईरान तथा खाड़ी देशों के मध्य वार्ता के आयोजन की पेशकश की है, जिसका ईरान ने स्वागत किया है।

चुनौतियाँ

- यह अभी केवल एक शुरुआत है और सभी पक्षों को मतभेद सुलझाने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। उदाहरणार्थ, 'मिस्र' मुस्लिम ब्रदरहुड और उसकी महत्त्वाकांक्षाओं को लेकर तुर्की के साथ असहज बना हुआ है।
- इसी तरह, सऊदी अरब की भी तुर्की के संबंध में समान चिंताएँ हैं तथा सऊदी-ईरान संबंधों सहज करना अत्यंत कठिन है।
- सीरिया में विभिन्न देशों के हित निहित हैं, अत: उनमें आपसी सामंजस्य बिठाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा।

अमेरिकी दृष्टिकोण

- पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के दृष्टिकोण में इस परिवर्तन की वजह अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाना माना जा रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब व मिस्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई तथा यमन में युद्ध का तीखा विरोध किया। इसके अलावा, अमेरिका 'ईरान' के साथ हुए परमाणु समझौते को भी पुनर्जीवित कर सकता है।
- 'रूस-तुर्की संबंध' अमेरिका की तुर्की से दूरी का प्रमुख कारण है। 'तुर्की' अमेरिकी समर्थक 'सीरिया' में कुर्दों को सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है। इस पर अमेरिकी रुख में नरमी की उम्मीद है। हाल में अमेरिका ने 'अर्मेनियाई नरसंहार' की कड़ी निंदा की थी।

निष्कर्ष

- कहा जा सकता है कि पश्चिम एशियाई राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हो रहा है कि विभिन्न देश पुरानी दुश्मनी भुलाकर आपसी आत्मविश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं तथा शांति बहाली के लिये तत्पर दिखते हैं।
- आज पश्चिम एशियाई देश बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने साझा हितों पर बातचीत करने के लिये तैयार हैं। इन देशों को क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना होगा, जो समूचे क्षेत्र के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

भारत-जापान के संबंधों के नए आयाम

संदर्भ

हाल ही में, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रारंभ की गई विदेश नीति को बखूबी आगे बढ़ाया। महामारी का प्रकोप कम होने पर जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भी प्रस्तावित है।

जापान-अमेरिका के मध्य बातचीत

- जापान के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन की आक्रामक नीति के खिलाफ अपनी नीति को ओर सख़्त बनाने की बात की व क्वाड को और मज़बूत करने पर सहमत हुए। ज्ञातव्य है कि दोनों देश चीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार की नीति सुधारने के लिये भी दबाव बनाते रहते हैं।
- चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, झिंगझियांग प्रांत में रहने वाले उईगर मुस्लिमों के दमन तथा हॉन्गकॉन्ग के विरुद्ध उसके आक्रामक रवैय के खिलाफ भी दबाव बनाने की बात कही।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन मज़बूत किया जाएगा।
- नई उभरती तकनीकों, जैसे- 5G, क्वांटम तकनीक आदि के क्षेत्र में दोनों देश निवेश बढ़ाकर चीन का प्रभाव को कम करेंगे।
- चीन अपनी व्यापारिक नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ाने के लिये अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जो दूसरे देशों के व्यापार को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिये भी दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई।

भारत-जापान संबंध : ऐतिहासिक परिदृश्य

- अगस्त 2000 में जापानी प्रधानमंत्री योशीरो मोरी की भारत यात्रा ने भारत-जापान संबंधों को मज़बूत करने का प्रयास किया। मोरी और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'भारत-जापान वैश्विक साझेदारी' की स्थापना का निर्णय लिया।
- अप्रैल 2005 में जापानी प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी की भारत यात्रा के बाद से ही दोनों देशों के मध्य वार्षिक शिखर बैठकों की शुरुआत हुई। दिसंबर 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जापान दौरे के साथ जापान व भारत के बीच 'वैश्विक और सामरिक साझेदारी' भी शुरू हुई।
- सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर बैठक हुई तथा दोनों पक्षों ने 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' को अपग्रेड किया।
- दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान भी शिखर बैठक आयोजित हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' को एक गहन, व्यापक और परिणामोन्मुख बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 'भारत-जापान विजन 2025, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के साथ-साथ शांति और समृद्धि के लिये इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और विश्व' के लिये एक संयुक्त वक्तव्य घोषित किया, जो भारत-जापान संबंधों में एक मार्गदर्शक का काम करेगा।
- अक्टूबर 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान जारी किये गए 'भारत-जापान विजन स्टेटमेंट' में स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना की बात कही गई।

सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग

- वर्ष 2008 में दोनों देशों ने 'जापान-भारत सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' जारी की।
- हाल की शिखर बैठकों में द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग तथा संस्थान को मज़बूत बनाने की पुष्टि हुई तथा 'टू प्लस टू' वार्ता, अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते (ACSA) पर वार्ता शुरू हुई। नवंबर 2019 में नई दिल्ली में पहली 'टू प्लस टू' वार्ता (विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री) आयोजित हुई।

आर्थिक संबंध

- पहले 'भारत' जापान का 21वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जो वर्ष 2019 में 12वें स्थान पर पहुँच गया।
- जापान से भारत आने वाले प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2019 में 'जापान' भारत के लिये चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया था।
- भारत में जापानी निजी क्षेत्र की रुचि बढ़ी है और वर्तमान में, लगभग 1,454 जापानी कंपनियों की शाखाएँ भारत में मौजूद हैं।
- दोनों देश आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिये भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रौद्योगिकीय सहयोग आदि के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं।
- दोनों देशों ने 75 बिलियन अमरीकी डॉलर की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, व्यापक भारत-जापान डिजिटल साझेदारी तथा अन्य सहयोग समझौते हस्ताक्षर किये हैं।
- पिछले दशकों में 'भारत' जापानी ओ.डी.ए. ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। दिल्ली मेट्रो ओ.डी.ए. ऋण के रूप में जापानी आर्थिक सहयोग का सबसे सफल उदाहरण है।
- जापान अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' और 'क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये साझेदारी' के बीच तालमेल स्थापित कर 'दक्षिण एशिया' व 'दक्षिण पूर्व एशिया' के बीच रणनीतिक कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा।
- भारत ने वर्ष 2015 में जापानी शिंकानसेन तकनीक आधारित हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। यह तकनीक अपनी सुरक्षा के लिये विश्व विख्यात है। वर्ष 2018 में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। वर्ष 2023 तक बुलेट ट्रेन के परिचालन की उम्मीद है।

सांस्कृतिक संबंध

- वर्ष 2012 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगाँठ के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए।
- वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच जन-संपर्क को बढ़ावा देने की घोषणा हुई तथा वर्ष 2017 को 'भारत-जापान मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का वर्ष' घोषित किया गया।

भारत-जापान के बीच अन्य मुद्दे

- चीन की ओर से उत्पन्न की जा रही चुनौती दोनों देशों के हितों के प्रतिकूल है।
- दोनों के बीच विस्तृत होते उच्च-मंत्रिस्तरीय और नौकरशाही संपर्क बेहतर संकेत है।
- 'संयुक्त सैन्य अभ्यास' तथा 'अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते' (ACSA) रसद समझौते जैसे सैन्य समझौते हस्ताक्षर हो चुके हैं।
- साइबर सुरक्षा और उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना बेहतर होगा।
- दोनों देशों ने मिलकर एक 'डिजिटल अनुसंधान और नवाचार साझेदारी' स्थापित किया था, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास को आगे बढ़ाएगा।
- वैश्विक साइबर सुरक्षा से संबंधित 'बुडापेस्ट कन्वेंशन' को लेकर भी दोनों देश वार्ता करेंगे।
- बुनियादी ढाँचा विकास के मुद्दे पर भी वार्ता हो सकती है।
- जापान ने पिछले दो दशकों में जापान ने भारत में लगभग 34 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, 'जापान' भारत का 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वार्ता के दौरान 'मेक इन इंडिया' और 'जापान औद्योगिक टाउनशिप' जैसी प्रमुख विनिर्माण पहलों का जापान द्वारा समर्थन किया जा सकता है।
- दोनों देश ईरान और अफ्रीका में बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं तथा म्याँमार और श्रीलंका का भी सहयोग कर रहे हैं।

निष्कर्ष

वर्ष 2006 में शिंजो आबे ने अपनी पुस्तक 'उतसुकुशी कुनी ई' (टूवर्ड ए ब्यूटीफुल कंट्री) में लिखते हुए आशा व्यक्त की कि 'यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि अगले 10 वर्षों में भारत-जापान संबंध जापान-अमेरिका और जापान-चीन से आगे निकल जाएँ'। अतः कहा जा सकता है कि भारत-जापान संबंध अधिक मज़बूती के साथ उभरकर सामने आएँगे।

भारत-रूस संबंधों के नवीन समीकरण

संदर्भ

हाल ही, भारत व रूस के बीच टू-प्लस-टू वार्ता के आयोजन पर सहमति बनी। रूस ऐसा पहला देश होगा जो 'क्वाड समूह' हिस्सा ना होते हुए भी भारत के साथ टू प्लस टू वार्ता करेगा। विदित हैं कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका 'क्वाड समूह' के सदस्य हैं।

राजनीतिक संबंध

- दोनों देश आपस में अंतर-सरकारी आयोगों की दो वार्षिक बैठक आयोजित करते हैं, जिनमें से पहली 'व्यापारिक आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग' (IRIGC-TEC) से संबंधित है, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रूसी उप प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जबकि दूसरी बैठक 'सैन्य तकनीकी सहयोग' (IRIGC-MTC) से संबंधित है जिसकी सह-अध्यक्षता रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- रूस व भारत की 'रणनीतिक साझेदारी' के तहत कई कारक आते हैं। इनमें परमाणु, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) आदि शामिल हैं।

रक्षा संबंध

- ब्रह्मोस मिसाइल, पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एस.यू.-30 विमान, टी-90 टैंक आदि का विकास दोनों के रक्षा सहयोग का उदाहरण है।
- भारत अभी भी लगभग 60-70% रक्षा उपकरणों की खरीद रूस से करता है तथा रक्षा उद्योग से संबंधित स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति भी रूस से ही करता है।
- वर्ष 2014 में रूस द्वारा निर्मित विमान वाहक जहाज आई.एन.एस. विक्रमादित्य भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- वर्ष 2015 में द्वितीय विश्वयुद्ध विजय की 70वीं वर्षगाँठ के दौरान भारतीय सैनिक टुकड़ी ने मॉस्को में सैनिक परेड में हिस्सा लिया था। इसी वर्ष दोनों देशों ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत के.ए.-226 हेलीकॉप्टर के विनिर्माण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये थे।
- इसके अलावा, रूस ने भारत को अपना सबसे उन्नत 'एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम' देने पर भी सहमति व्यक्त की है।

आर्थिक संबंध

- 'भारत-रूस व्यापार एवं निवेश मंच' की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री तथा रूस के आर्थिक विकास मंत्री करते हैं। इसके अलावा, 'भारत-रूस सी.ई.ओ. काउंसिल' की स्थापना भी की गई है। इन दोनों निकायों का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2014 में द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक 30 बिलियन यू.एस. डॉलर पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया था। वर्ष 2014 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 9.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का था और व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में था।
- 'भारतीय सौर ऊर्जा निगम' ने भारत में सूर्य संयंत्रों के निर्माण के लिये रूस के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये हैं।
- हाल ही में, रूस ने 'चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर' व स्पुतनिक-V टीका देने के रूप में भारत की सहायता की है।

परमाणु ऊर्जा

- रूस के सहयोग से भारत में 'कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र' का निर्माण किया गया है।
- वर्ष 2015 में भारत में परमाणु उपकरणों के स्थानीयकरण को लेकर सहमति बनी।

टू-प्लस-टू वार्ता के निहितार्थ

- टू-प्लस-टू वार्ता की घोषणा से संदेश जाता है कि भारत किसी विचारधारा, राजनीतिक स्थिति या बाहरी दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।
- इसके अलावा, अन्य क्वाड सदस्यों (विशेषकर अमेरिका) और रूस के मध्य भारत एक कड़ी का काम कर सकता है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में रूस-चीन की बढ़ती घनिष्ठता भारत-रूस संबंधों में विचलन पैदा कर रही है।
- रूस अब रक्षा उपकरणों की आपूर्ति भारत के साथ-साथ पाकिस्तान को भी करने लगा है।
- अफगानिस्तान में रूस द्वारा तालिबान का समर्थन करना भी भारत के लिये चिंतनीय है।

भारत-रूस संबंध और क्वाड

- भारत-रूस टू-प्लस-टू वार्ता की घोषणा संकेत करती है कि 'भारत' क्वाड के लिये रूस से अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगा तथा 'भारत' रूस की संतुष्टि के लिये क्वाड में अपनी भूमिका से समझौता भी नहीं करेगा।
- 'रूस' और 'क्वाड' भारतीय हितों के लिये दोनों अपरिहार्य हैं। इसके अलावा, रूस से भारत की नजदीकी क्वाड के अन्य सदस्यों, विशेषकर अमेरिका के भी हित में है। वस्तुतः रूस की भारत से नजदीकी उसका चीन की ओर झुकाव कम करेगी।
- क्वाड में भारत की उपस्थिति रूस के हित में हैं क्योंकि इससे रूस को आश्वासन मिलेगा कि क्वाड 'दूसरा नाटो' नहीं बनेगा।
- भारत का साथ रूस व अमेरिका दोनों के लिये फायदेमंद हैं क्योंकि इससे ये दोनों देश भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

आगे की राह

- भारत को चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये रूस के साथ संबंध मज़बूत करने होंगे, तभी रूस का चीन के प्रति आकर्षण कम होगा तथा भारत को ध्यान रखना होगा रूस चीन के साथ

कोई ऐसी रक्षा तकनीक साझा ना करे, जो भारत के लिये खतरा पैदा करती हो।

- भारत को रूस का उपयोग चीन के मन से भारत के प्रति अविश्वास को कम करने के लिये करना चाहिये। इसके लिये 'शंघाई सहयोग संगठन' जैसे मंच उपयोगी हो सकते हैं।
- इसके अलावा, 'भारत' अमेरिका व रूस दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने व्यापक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है।

म्याँमार में बढ़ता विद्रोह और एकीकरण पर चोट

संदर्भ

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में कुछ 'नृजातीय सशस्त्र संगठन' भी शामिल हो गए हैं। जुंटा शासन के विरुद्ध उनका विरोध बढ़ता जा रहा है तथा म्याँमार सेना विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रही है। ऐसे में, म्याँमार की इस राजनीतिक अस्थिरता ने क्षेत्रीय अशांति का संकट भी पैदा कर दिया है।

कई प्रांतों में तनाव

- म्याँमार के दक्षिण-पूर्व में थाईलैंड की सीमा पर 'करेन' (वर्तमान में कायिन) प्रांत स्थित है। यहाँ 'करेन नेशनल यूनियन' नामक विद्रोही संगठन का कुछ गाँवों पर अच्छा-खासा प्रभाव है। जब इन विद्रोहियों पर म्याँमार सेना ने जवाबी कार्रवाई की, तो वहाँ से लगभग 24000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा।
- 'करेन' म्याँमार के कई अल्पसंख्यक नृजातीय समूहों में से एक हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बिखरे हुए बसे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, 'करेन नेशनल यूनियन' ने साल्वीन नदी के पास एक सैन्य चौकी पर हमला किया था। यह नदी म्याँमार- थाईलैंड सीमा पर बहती है।
- उत्तरी म्याँमार में चीन से सटे और भारत के साथ त्रिकोण बनाने वाले 'काचिन' प्रांत में कई दिनों से हवाई हमले जारी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उपस्थित संगठन 'काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी' ने भी पुलिस चौकियों और सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया था। इससे वहाँ लगभग 5,000 लोग विस्थापित हुए हैं।
- मिज़ोरम की सीमा पर स्थित म्याँमार के पश्चिमी चिन प्रांत में भी सशस्त्र संघर्ष जारी है। 'चिन' भी म्याँमार का एक नृजातीय समूह है।

महासंघ बनने का अधूरा होता सपना

- नृजातीय सशस्त्र संगठनों द्वारा किये जाने वाले विद्रोह ने म्याँमार की सेना को आश्चर्यचकित कर दिया है। लगभग 21 नृजातीय सशस्त्र संगठनों सहित कई उग्रवादी संगठन म्याँमार के सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। उनमें से कई संगठन ऐसे हैं, जो दशकों से राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं।
- 'आंग सान सू की' की पार्टी ने वर्ष 2015 से 2020 तक म्याँमार पर शासन किया और इस चुनाव में भी उसको बहुमत प्राप्त हुआ। सत्ता के दौरान आंग सान की प्राथमिकताओं में अपने पिता 'जनरल आंग सान' के प्रयासों को आगे ले जाना भी शामिल था। जनरल आंग सान ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिये आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे बामर बहुसंख्यकों और नृजातीय अल्पसंख्यकों को एकजुट कर संघीय म्याँमार बनाने के लिये प्रयासरत थे।
- हालाँकि वर्ष 2015 में आंग सान की सरकार ने 12 नृजातीय सशस्त्र संगठनों के साथ संघर्ष विराम समझौता हस्ताक्षर किया था, इसके बावजूद आंग सान सरकार इन संगठनों को नियंत्रित करने तथा अन्य समूहों को साथ लाने में असफल रही। पहले कार्यकाल के अंत तक 'सू की' को यह विश्वास हो गया था कि जब तक देश के संविधान में अपेक्षित सुधारों के माध्यम से सेना पर नियंत्रण नहीं किया जाता, तब तक म्याँमार कभी भी महासंघ नहीं बन सकता है।

बामर और अन्य नृजातीय समूह

- म्याँमार सेना 'बहुसंख्यक बामरों और अल्पसंख्यक नृजातीय समूहों के बीच विभाजन' तथा 'विभिन्न नृजातीय समूहों के मध्य आपसी शत्रुता' को बढ़ावा देने के माध्यम से स्वयं को सशक्त करने का प्रयास करती है। हालाँकि 1 फरवरी, 2021 को हुए तख़्तापलट के बाद युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ नृजातीय सशस्त्र संगठनों व अन्य समूहों ने लोकतंत्र समर्थकों के साथ एकजुटता दिखाई है।
- सेना ने सभी समूहों से युद्ध विराम की पेशकश की थी, परंतु 'काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी' और 'करेन नेशनल यूनियन' सहित कई प्रभावशाली समूहों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 'करेन नेशनल यूनियन' और 'चिन नेशनल फ्रंट' वर्ष 2015 में हुए युद्धविराम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता रहे हैं। चिन समूहों ने सबसे पहले विद्रोह किया था और मिज़ोरम में शरण प्राप्त की थी।
- तीन सीमावर्ती प्रांतों में उपजी अशांति ने यंगून सहित देश के केंद्रीय हिस्सों में हो रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों से सेना का ध्यान भटका दिया है। यदि अन्य नृजातीय सशस्त्र संगठन भी सेना का विरोध करते है तो म्याँमार के सशस्त्र बल स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रों में कई छोटे-छोटे युद्धों में संलग्न हो सकते हैं। ये संगठन 1990 के दशक की तरह स्वयं को पुन: प्रभावशाली बनाना चाहते हैं।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, नृजातीय सशस्त्र संगठनों और अन्य उग्रवादी समूहों में लड़ाकों की संख्या लगभग 1,00,000 है, जबकि म्याँमार की सेना में सैनिकों की संख्या लगभग 3,50,000 है।

शांति के लिये आसियान की योजना

- शायद सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष के कारण ही जुंटा शासन ने कहा है कि वह म्याँमार में किसी समाधान और संकल्प के लिये आसियान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजना पर विचार करेगा, परंतु इसके लिये उसने म्याँमार में 'शांति व स्थिरता बहाली' की शर्त रखी है।

पाँच-सूत्रीय आसियान सर्वसम्मति योजना

- जकार्ता में म्याँमार के सेना जनरल के लिये 'पाँच-सूत्रीय आसियान सर्वसम्मति योजना' प्रस्तुत की गई थी। ये पाँच बिंदु इस प्रकार हैं-
  - i. म्याँमार की सेना द्वारा हिंसा पर तत्काल रोक लगाना
  - ii. सभी पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालना
  - iii. आसियान के विशेष दूत द्वारा मध्यस्थता किया जाना
  - iv. आसियान के विशेष दूत द्वारा म्याँमार की यात्रा करना
  - v. आसियान से मानवीय सहायता प्राप्त करना

- प्रदर्शनकारियों द्वारा इस योजना को खारिज़ कर दिया गया क्योंकि इसमें 'सू की' और 'जुंटा शासन' द्वारा गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की रिहाई के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने सेना द्वारा तैयार किये गए वर्ष 2008 के संविधान को भी समाप्त करने की माँग की है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि म्याँमार का राजनीतिक संघर्ष 'नृजातीय और क्षेत्रीय संघर्ष' में बदलता जा रहा है। यह संघर्ष अब त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले चुका है। इसमें सेना, राजनीतिक विरोध और लोकतंत्र की माँग करने वाले समूह तथा सशस्त्र विद्रोही गुट शामिल हैं। इससे शांति और स्थिरता बहाली के प्रयासों को धक्का लगेगा, जो शांतिपूर्ण और समन्वयकारी संघीय म्याँमार की स्थापना में बाधक सिद्ध होंगे।

अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी का दक्षिण एशिया पर प्रभाव

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की है कि यू.एस.ए. 11 सितंबर, 2021 तक, जो 9/11 के आतंकी हमले की 20वीं वर्षगाँठ है, अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका के इस कदम से अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति के साथ-साथ दक्षिण एशियाई देशों व अन्य समीपस्थ देशों पर भी व्यापक प्रभाव परिलक्षित होंगे।

एशिया की क्षेत्रीय भू-राजनीति और यू.एस.ए.

- माना जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से प्रस्थान करने के साथ ही 'अमेरिका' पश्चिमी एशिया की अपेक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र पर विभिन्न महाशक्तियाँ प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं।
- उल्लेखनीय है कि लगभग आधी सदी से 'विस्तृत पश्चिमी एशियाई क्षेत्र' में ब्रिटेन को प्रतिस्थपित कर यू.एस.ए. अपना दबदबा बनाए हुए है। असल में, यू.एस.ए. ही वह राजनीतिक धुरी है, जिसके चारों ओर क्षेत्रीय शक्तियाँ घूम रही हैं।
- जब से एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व पूर्ववर्ती यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से स्थानांतरित होकर यू.एस.ए. के हाथों में गया है, तब से रूस तथा चीन इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयासरत रहे हैं। लेकिन इन एशियाई महाशक्तियों की महत्त्वाकांक्षा से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिये कई क्षेत्रीय शक्तियों ने यू.एस.ए. के साथ गठबंधन कर लिया।
- अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की भाँति भारत व पाकिस्तान का भी यही मत रहा है कि वृहत् पश्चिमी एशिया में यू.एस.ए. की भूमिका अपरिवर्तनीय ही रहेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में इन दोनों देशों को यह समझना चाहिये कि यू.एस.ए. द्वारा यह क्षेत्र अब उतनी कुशलता से 'प्रबंधित' (Manage) नहीं किया जा सकेगा, जितनी कुशलता से वह अफगानिस्तान में उपस्थित रहकर कर रहा था।
- पश्चिम एशियाई क्षेत्र में यू.एस.ए. लंबे समय से विभिन्न मुद्दों, जैसे- इज़रायल को सुरक्षा प्रदान करना, तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना, अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना, क्षेत्रीय शांति स्थापित करना, आतंकवाद का दमन करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना आदि के आधार पर सैन्य-हस्तक्षेप करता रहा है।
- लेकिन इस क्षेत्र में अत्यधिक समय व धनराशि खर्च करने के पश्चात् यू.एस.ए. को यह महसूस हो रहा कि पश्चिम एशिया में सदियों से चले आ रहे इन संघर्षों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अब यू.एस.ए. की प्राथमिकता पश्चिम एशिया नहीं बल्कि चीन की कड़ी चुनौती का सामना करना है।

पश्चिमी एशिया के समीकरण

- जैसे ही यू.एस.ए. पश्चिमी एशिया से अपने कदम वापस खींचता है, ज़्यादातर क्षेत्रीय शक्तियों को या तो अपने पड़ोसियों से तनाव कम करने होंगे या उन्हें किसी वैकल्पिक शक्ति की तलाश करनी होगी।
- हालाँकि रूस और चीन इस क्षेत्र में अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ पहले ही ज़ाहिर कर चुके हैं लेकिन दोनों में से किसी के पास भी

यू.एस.ए. जैसा सामरिक भार वहन करने की क्षमता नहीं है। अत: वर्तमान परिस्थितियों में यही उचित होगा कि इस क्षेत्र की शक्तियाँ आपस में सामंजस्य स्थापित करें।

- जहाँ तक इस क्षेत्र की एक अन्य शक्ति 'तुर्की' का प्रश्न है, उसकी अर्थव्यस्था इतनी मज़बूत नहीं है कि वह राष्ट्रपति एर्दोगन की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। हालाँकि एर्दोगन ने लंबे समय से तुर्की को मुस्लिम जगत का नेता बनाने के लिये सऊदी अरब के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है, लेकिन हालिया घटनाएँ यह संकेत दे रही हैं कि वह अब सऊदी अरब के साथ शांति स्थापित करना चाहता है।
- इसी क्षेत्र के दो चिर-प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और ईरान, वर्षों की 'कड़ी शत्रुता' के बाद अब द्विपक्षीय तनाव तथा अपने 'प्रॉक्सी' संघर्षों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, कतर को अलग-थलग करने की कोशिशों को कम करके खाड़ी देशों के मध्य विद्यमान दरार को भरने की भी कोशिश कर रहा है।
- उक्त परिवर्तन विगत वर्षों में इस क्षेत्र के कुछ देशों, जैसे- संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को तथा सूडान द्वारा इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिशों के परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं।

पश्चिम एशिया तथा पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध

- तुर्की को छोड़कर अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है। एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की ने अनेक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का विरोध किया है। उम्मीद है कि नए समीकरण स्थापित होने के बाद, वह भारत के साथ संबंधों पर नए सिरे से विचार करने के लिये प्रेरित होगा।
- वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारत यदि व्यावहारिक रुख अपनाता है तो पाकिस्तान को पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
- पाकिस्तान अपनी 'घरेलू वैचारिक विवशताओं' के कारण चाहकर भी यहूदी देश इज़रायल के साथ संबंध सामान्य नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वह अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के आपसी संबंधों की खेमेबाजी का शिकार भी हो रहा है।
- कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर 'इस्लामिक ब्लॉक' बनाने की घोषणा की थी, जो सीधे-सीधे सऊदी नेतृत्व को चुनौती देने के समान था।
- हालाँकि सऊदी अरब तथा यू.ए.ई. पर पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता के चलते पाकिस्तान ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
- फरवरी 2021 में दिल्ली व रावलपिंडी (पाकिस्तान का सैन्य मुख्यालय) ने दोनों देशों के मध्य नियंत्रण-रेखा पर जारी तनावों को कम करने के लिये सीज़फायर की घोषणा की थी। यह कदम भी पश्चिम-एशियाई समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
- इसके पश्चात् पाकिस्तान अब इस दुविधा में है कि अपने इस कदम को भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में किये गए संवैधानिक परिवर्तन से अलग करके कैसे देखा जाए? यह भी देखना होगा कि इसका भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यू.एस.ए. के सैनिकों की वापसी के बाद चुनौतियाँ

- अफगानिस्तान से यू.एस.ए. के सैनिकों की वापसी के भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में व्यापक निहितार्थ हैं। दिल्ली और रावलपिंडी, दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में यू.एस.ए. की सैन्य उपस्थिति हमेशा बनी रहे। इसके पीछे दोनों से अपने पृथक-पृथक कारण हैं।
- दिल्ली का मुख्य हित यह है कि यू.एस.ए. की सैन्य उपस्थिति अफगानिस्तान में अतिवादी शक्तियों को नियंत्रित रखेगी तथा भारत वहाँ एक रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा।
- जबकि रावलपिंडी का मुख्य हित यह है कि यू.एस. सेना अफगानिस्तान में भौगोलिक पहुँच तथा परिचालन संबंधी सहायता हेतु पाकिस्तान पर निर्भर रहेगी तथा इसी निर्भरता का लाभ वह भारत के विरुद्ध लामबंदी में उठा सकेगा।
- यू.एस.ए. के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद काबुल में तालिबान की वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में 'हिंसक धार्मिक अतिवाद' की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने इस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिये तालिबान सीमा-पार बैठे धार्मिक अतिवादियों से भी संबंध स्थापित करेगा, जो अंतत: पूरे क्षेत्र में अशांति को जन्म देगा।
- विगत कुछ दिनों में अफगानिस्तान हुई हिंसक घटनाओं में वृद्धि तथा मालदीव के स्पीकर पर हुआ आतंकी हमला, इन्हीं चुनौतियों को रेखांकित करता है। जब तक सभी दक्षिण एशियाई देश इस अतिवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध नहीं करते हैं, तब तक वे इसके विरुद्ध कमज़ोर ही रहेंगे।

निष्कर्ष

अंतत: यह कहा जा सकता है कि विस्तृत पश्चिमी एशिया में जारी उथल-पुथल भारतीय महाद्वीप के समक्ष आने वाली समस्यायों को रेखांकित कर रही है। पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया तथा यूरोप के साथ पाकिस्तान के संबंधों को वहाँ की धार्मिक ताकतों द्वारा 'दिशा' दी जाती है। ध्यान रखना चाहिये कि सत्ता द्वारा अतिवादी ताकतों को शह नहीं देनी चाहिये, बल्कि कुचला जाना चाहिये।

कोविड-19 और भारतीय विदेश नीति

संदर्भ

कोविड-2.0 ने भारत को 17 साल बाद विदेशी सहायता लेने के लिये मज़बूर कर दिया है। वर्ष 2004 में आई सुनामी के पश्चात् भारत ने किसी भी आपदा से निपटने के लिये स्वयं को मज़बूत करने की नीति पर बल दिया है।

भारत और पड़ोसी देश

- कोविड-2.0 की आक्रामकता भारत के घरेलू राजनीतिक समीकरण को अस्त-व्यस्त कर सकती है। भारत में सामान्य आर्थिक संकट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, बेरोज़गारी में वृद्धि इत्यादि ऐसे अनेक पहलू हैं, जो पहले से ही भारतीय राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
- यदि पड़ोसी देशों की बात करें तो इन देशों के साथ अपने संबंध मज़बूत करने के लिये भारत ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करता है। इसके अलावा, विभिन्न अवसरों पर इन देशों को आवश्यक सामग्री प्रदान करना, राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में उनकी सहायता करना आदि भी भारत द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे कदम हैं, जिनके माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करता है।
- लेकिन कोविड-2.0 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगी है। ऐसी स्थिति में, भारत पड़ोसी देशों को उचित समय पर सहायता देने में असमर्थ होने लगा है। अत: भारत की इस असमर्थता के चलते पड़ोसी देश एक विकल्प के रूप में चीन की तरफ रुख कर सकते हैं।

भारत-चीन समीकरण

- कोविड-2.0 महामारी का विनाशकारी स्वरूप भारत की चीन-नीति में नरमी ला सकता है।
- हालाँकि अभी तक भारत ने चीन की अपेक्षा अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि भारत आगे भी इसी नीति को जारी रखेगा। यदि भारत आगे भी चीनी मदद को दरकिनार करता है तो इससे भारत के प्रति चीन का रुख और कड़ा हो सकता है।
- बहरहाल, इस महामारी के दौरान चीन ने स्वयं को मज़बूत किया है, लेकिन भारत की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है।
- कोविड-19 महामारी के प्रथम चरण में विभिन्न देशों ने चीन के प्रति आक्रोश के चलते भारत को एक विकल्प के रूप में देखना प्रारंभ किया था, परंतु इस दौरान भी 'भारत' चीन के साथ व्यापार जारी रखे हुए था। ऐसे में, भारत द्वारा चीन के प्रति अपनाई जाने वाली दोहरी नीति अन्य देशों को भारत से विमुख कर सकती है।
- कोविड-19 महामारी के द्वितीय संस्करण (कोविड-2.0) के कारण भारत की स्थिति और कमज़ोर हुई है। इससे भारत की भौतिक शक्ति, वैचारिक दृढ़ता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी आएगी, जो भारत की चीन से मुकाबला करने की क्षमता को कम करेगा।
- सबसे बढ़कर, वे विभिन्न कंपनियाँ जो चीन छोड़कर भारत आने का विचार कर रही थीं, अब अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती हैं।
- इसके अलावा, कोविड-19 महामारी अमेरिका-चीन संबंधों को भी नया रुख प्रदान कर सकती है।

भारत की स्थिति

- भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट से भारत सरकार की सुरक्षा सामानों में निवेश करने की क्षमता में भी कमी होगी।
- इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि के चलते भारत सरकार विभिन्न वैश्विक मुद्दों यथा- अफगानिस्तान, श्रीलंका, हिंद-प्रशांत क्षेत्र आदि पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकेगी।
- इसके अलावा, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये गठित किये गए 'क्वाड समूह' में भी भारत के सहयोग में कमी आ सकती है।
- कुछ लोग यह कयास भी लगा रहे हैं कि इस महामारी से उपजने वाली स्थिति वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तथा वर्ष 2024 में भारत में होने वाले आम चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता व राजनीतिक हिंसा में भी वृद्धि कर सकती है।

निष्कर्ष

- विभिन्न देशों ने इस दौर में भारत को सहायता प्रदान की है, यह स्थिति भविष्य में भारत को इस बात के लिये बाध्य करेगी कि भारत सहायता प्रदान करने वाले देशों के प्रति कठोर नीति ना अपनाए।
- इसके अलावा, भारत को एक बार पुन: सार्क संगठन के सुदृढ़ीकरण पर विचार करना चाहिये, ताकि इन देशों के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी तथा चिकित्सकीय सुविधाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।

भारत-आसियान और डिजिटल संबंध

संदर्भ

हाल ही में आसियान देशों के मंत्रियों की 'प्रथम डिजिटल बैठक' संपन्न हुई। इसमें डिजिटल सहयोग बढ़ाने, मानव संसाधन को विकसित करने तथा उभरती तकनीकों के संवर्द्धन के लिये वर्ष 2025 तक के एक 'आसियान मास्टर प्लान' के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई।

आसियान
(Association of South East Asian Nations & ASEAN)

- **स्थापना**- वर्ष 1967 आसियान घोषणा पत्र (बैंकॉक घोषणा)
- **मुख्यालय**- जकार्ता, इंडोनेशिया
- **आसियान दिवस**- 8 अगस्त
- **संस्थापक देश**- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड
- **सदस्य देश**- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया
- **प्रेक्षक देश**- पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते
- **आदर्श वाक्य**- 'वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी'
- 'ब्रुनेई' वर्ष 1984 में, 'वियतनाम' वर्ष 1995 में, 'लाओस' और 'म्यांमार' वर्ष 1997 में तथा 'कंबोडिया' वर्ष 1999 में आसियान के सदस्य बने।
- वर्ष 1997 में 'आसियान विजन 2020' अपनाया गया।
- वर्ष 2015 में 'आसियान समुदाय' का शुभारंभ किया गया। इसके तीन स्तंभ हैं-
  i. आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय
  ii. आसियान आर्थिक समुदाय
  iii. आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय

भारत-आसियान व्यापार

- 'भारत' आसियान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। वर्ष 2019 एवं 2020 में संपन्न हुए 'भारत-आसियान शिखर सम्मेलन' में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की 'एक्ट- ईस्ट नीति' में आसियान के केंद्रीय महत्त्व को रेखांकित किया था।
- वर्ष 2020 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा था कि यदि भारत और आसियान देश अपने मतभेदों को सुलझा लें तथा अपनी व्यापार क्षमता का इष्टतम दोहन करें, तो दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 300 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों से ज्ञात होता है कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान भारत-आसियान व्यापार में लगभग 17% (73.2 बिलियन डॉलर से 61.1 बिलियन डॉलर) की गिरावट दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान निर्यात तथा आयात में गिरावट क्रमशः 7% और 22% रही।
- हालाँकि व्यापार में यह गिरावट किसी एक कारण के चलते नहीं रही, अपितु इसके लिये कई कारणों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर भी, व्यापार में हुई इस गिरावट के लिये कोविड-19 महामारी को सबसे महत्त्वपूर्ण कारक माना जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत-आसियान व्यापारिक संबंध उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी अपेक्षा भारत रखता है। आसियान देशों के साथ अपने मज़बूत संबंध बनाने के लिये भारत द्वारा दोनों पक्षों के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

ई-कॉनॉमी 2020 रिपोर्ट (e-Conomy report, 2020)

- वर्ष 2016 से यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष गूगल, टेमासेक तथा बैन एंड कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है।
- वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में वर्ष 2020 में लगभग 40 मिलियन नए इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़े तथा इस क्षेत्र में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 400 मिलियन हो गई।
- वर्ष 2020 में दक्षिण-पूर्व एशिया में इंटरनेट अर्थव्यवस्था लगभग 100 बिलियन डॉलर की थी। डिजिटल सेवाओं की बढ़ती गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है की यह वर्ष 2025 तक लगभग 300 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

भारत के लिये डिजिटल अवसर

- डिजिटल क्षेत्र के बेहतर विकास के लिये भारत को आसियान क्षेत्र में अवसरों की तलाश को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर 'भारत' आसियान देशों के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) के समरूप 'एकीकृत भुगतान प्रणाली' विकसित करने के अपने अनुभवों को साझा कर सकता है।
- डिजिटल मोर्चे पर आसियान देशों के साथ भारत का जुड़ाव बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इससे सीमा-पार निर्बाध निधि हस्तांतरण, भुगतान प्रणालियों में नवाचार और फिनटेक कंपनियों को अपना कार्य-विस्तार करने के लिये प्रोत्साहन मिल सकता है।
- व्यापार क्षेत्र में भारत 'डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (DEPA) के माध्यम से आसियान देशों के साथ डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देकर लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, भारत और आसियान देशों के स्टार्ट-अप और बड़ी कंपनियाँ एक-दूसरे के बाज़ारों का उपयोग कर व्यापार गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं।
- इसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाना, डेटा प्रवाह को विश्वसनीय व सुरक्षित बनाना तथा डिजिटल तंत्र में विश्वास-निर्माण करना है।
- मार्च 2020 में डाटालैब्स (Datalabs) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 35 से अधिक बड़े टिकटों में भारतीय स्टार्ट-अप का विस्तार हुआ है अथवा उनकी दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तार करने की योजना है। यह सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के बाद सबसे पसंदीदा स्थान है।

एक्ट-ईस्ट और एक्ट-फास्ट

- कोविड-19 महामारी ने सरकारों और व्यवसायों के साथ आसियान के डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया है। सरकारें व व्यावसायिक क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिये विवश हैं।
- आसियान के पास यह क्षमता है कि वह दुनिया की शीर्ष पाँच डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकती है। आसियान देशों का यह डिजिटल परिदृश्य निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
- भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्थिति और इसकी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में 'एक्ट ईस्ट नीति' को बढ़ावा देकर बेहतर लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल माध्यम से भारत-आसियान व्यापारिक संबंधों को अत्यंत प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, इसलिये आसियान के साथ भारत के डिजिटल जुड़ाव को प्रेरित करना चाहिये और दोनों पक्षों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को भी विस्तृत करना चाहिये।

शरणार्थी समस्या

संदर्भ

हाल ही में, मणिपुर उच्च न्यायालय ने म्याँमार के 7 ऐसे नागरिकों को भारत में निवास करने की अनुमति प्रदान की, जो म्याँमार में सैन्य तख़्तापलट होने के पश्चात् गुप्त रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे।

न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि इन नागरिकों की 'गैर-वापसी' अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनका अधिकार है। उच्चतम न्यायालय भी विभिन्न मामलों में कुछ ऐसे ही निर्णय दे चुका है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nation High Commissioner for Refugee - UNHCR)

- **स्थापना** - 14 दिसंबर, 1950
- **मुख्यालय** - जेनेवा, स्विट्जरलैंड
- **उद्देश्य** - शरणार्थियों के जीवन व अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना।
- यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी तथा वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यू.एन.एच.आर.सी. को वर्ष 1954 तथा वर्ष 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

- न्यायालय ने कहा कि भारत 'संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन' का पक्षकार नहीं है, परंतु वह वर्ष 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा वर्ष 1966 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्मेलन का पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कहा गया है कि किसी देश से उत्पीड़न के कारण भाग कर आने वाले व्यक्तियों को गैर-वापसी के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।

शरणार्थियों से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून

- शरणार्थियों से संबंधित 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में हैं, ये हैं- 'संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय, 1951' तथा वर्ष 1967 का एक प्रोटोकॉल।
- 'संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय, 1951' संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुपक्षीय संधि है, जो 'शरणार्थी' शब्द को परिभाषित करती है। यह संधि शरण प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के अधिकारों तथा शरण देने वाले राष्ट्रों की ज़िम्मेदारियाँ भी निर्धारित करती है। इस संधि में यह भी निर्धारित किया गया है कि कौन-से लोग 'शरणार्थी' कहलाने के पात्र होंगे। उदाहरणार्थ, 'युद्ध अपराधियों' को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
- 'संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय, 1951' ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या राजनीतिक गतिरोध के कारण उत्पीड़न का शिकार हुए हैं तथा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लिये हुए हैं।
- इस कन्वेंशन के तहत उत्पीड़ित लोगों के लिये यात्रा दस्तावेज़ भी जारी किये जा सकते हैं। इन विशिष्ट यात्रा दस्तावेज़ों के धारक कुछ वीजा-मुक्त यात्रा करने के लिये अधिकृत होते हैं।
- यह कन्वेंशन वर्ष 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 पर आधारित है, जो उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण पाए व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है।
- वर्ष 1951 के कन्वेंशन में तो केवल यूरोप के शरणार्थियों को शामिल किया गया था, जबकि वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल में सभी देशों के शरणार्थी शामिल थे।
- ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय कानून आज भी, शरणार्थियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के मूलाधार बने हुए हैं। इनके प्रावधान वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि वे अपने अस्तित्व में आने के समय थे।
- उल्लेखनीय है कि इन दोनों कानूनों के प्रावधान इनके हस्ताक्षरकर्ता देशों पर बाध्यकारी हैं। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इनमें से किसी भी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948

- **घोषणा**- 10 दिसंबर, 1948
- **सदस्य देश**- 192
- **आधिकारिक भाषाएँ**- अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्राँसीसी, रूसी, स्पेनिश
- **उद्देश्य**- मानव की गरिमा व मानवाधिकार सुनिश्चित करना

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Convent on Civil and Political Rights)

- **निर्माण**- वर्ष 1954
- **हस्ताक्षर**- 16 दिसंबर, 1966
- **क्रियान्वयन**- 23 मार्च, 1976
- **हस्ताक्षरकर्ता देश**- 74
- **सदस्य देश**- 173
- **आधिकारिक भाषाएँ**- फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, स्पेनिश

- 'आई.सी.सी.पी.आर.' अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का हिस्सा है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से भी संबद्ध है।
- आई.सी.सी.पी.आर. की निगरानी 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति' (यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् से अलग निकाय है) द्वारा की जाती है। यह समिति विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट्स की नियमित रूप से समीक्षा करती है तथा यह निर्धारित करती है कि उन देशों में मानवाधिकारों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है।

आगे की राह

- वर्तमान में शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून न तो पर्याप्त हैं और न ही व्यावहारिक। विश्व में बढ़ती शरणार्थियों की समस्या तथा अवैध प्रवासन से निपटने के लिये सभी देशों द्वारा आपसी सहमति से एक प्रभावी कानून का निर्माण किया जाना चाहिये।
- भारत में भी शरणार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून का निर्माण होना चाहिये। यद्यपि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) भी शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित है, किंतु यह कुछ देशों के धर्म विशेष से संबंधित नागरिकों को ही शरणार्थी का दर्जा प्रदान करता है, इसलिये इसकी प्रकृति समतामूलक नहीं है।
- मूल रूप से यह अधिनियम शरणार्थियों के संरक्षण की बजाय उनकी उपेक्षा करता है। अत: इस प्रकार के भेदभावपूर्ण कानून का नैतिक आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता है।

अन्य स्मरणीय तथ्य

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल अनुच्छेद 124 से 147 तक के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। इस संख्या का निर्धारण 'उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम, 2019' के माध्यम से किया गया है।
- भारतीय संविधान के भाग 6 में शामिल अनुच्छेद 214 से 231 तक के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।
- भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। जिनमें से केवल तीन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है।

- शरणार्थियों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिये, जिसमें उनके लिये अस्थायी आवास, भोजन तथा रोज़गार प्राप्त करने का प्रावधान किया गया हो। वस्तुत: उचित कानूनी उपायों एवं कार्य परमिट की अनुपस्थिति में शरणार्थियों द्वारा आजीविका के अवैध साधनों का उपयोग करने का खतरा बना रहता है।
- साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अस्थायी प्रवासी कामगारों, अवैध अप्रवासियों तथा शरणार्थियों के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया जाए और उचित कानूनी एवं संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रत्येक के लिये अलग-अलग नीतियों का निर्माण किया जाए।
- भारत पहले भी शरणार्थियों की समस्या का सामना कर चुका है और इसने यथासंभव उनका समाधान भी किया है। ऐसे में, भारत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस समस्या के समाधान हेतु पक्षपातरहित नीति अपनाए।

भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग के साझा प्रयास

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई को 'भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन' में शामिल हुए। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और निवेश साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर पहले कई बार बातचीत की है। इस शिखर सम्मेलन में यह आशा की जा रही है कि दोनों पक्ष 'मुक्त व्यापार समझौते' पर वार्ता को पुन: शुरू करने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखा सकते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ नेताओं का शिखर सम्मेलन, 2021

- यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यूरोपीय परिषद् की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। वर्तमान में यूरोपीय संघ के परिषद् की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है।
- प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में शामिल होने वाले नेता कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग, स्थायी एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने, भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने के साथ-साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
- भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की यह बैठक राजनीतिक रूप से मील का पत्थर सिद्ध होगी, जो जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेज़ी को आगे और मज़बूत करेगा।

भारत-यूरोपीय संघ की मुक्त व्यापार समझौते संबंधी संभावनाएँ

- विगत शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों के नेताओं ने सहयोग के दायरे को और अधिक मज़बूत करने व इसमें व्यापकता लाने तथा बहुपक्षवाद का बचाव करने एवं जलवायु परिवर्तन का सामना करने पर ज़ोर दिया। साथ ही, हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण, डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और राजनीतिक व सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिये मिलकर कार्य करने का भी निर्णय लिया गया था।
- इस बैठक में भी इन सभी क्षेत्रों में प्रगति की उम्मीद है, जिसके कई कारण हैं। उदाहरणस्वरूप, यूरोपीय संघ और भारत वर्तमान में एक संयुक्त कनेक्टिविटी साझेदारी पर कार्य कर रहे हैं। एक अन्य प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 26वें सम्मेलन (COP 26) का पूर्वगामी प्रयास है। हरित और डिजिटल संक्रमण यूरोपीय संघ और भारत दोनों की साझा प्राथमिकताएँ हैं।
- यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने के एजेंडे पर कई बार चर्चा हो चुकी है, जिसमें बाज़ार पहुँच समाधान जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही, महत्त्वाकांक्षी, संतुलित और व्यापक व्यापार व निवेश समझौतों, बाज़ार पहुँच के मुद्दों के समाधान के लिये एजेंडा व नियामक सहयोग, सुरक्षित व लचीली मूल्य श्रृंखला तथा डब्ल्यू.टी.ओ. में सुधार जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सहयोग की उम्मीद है।

5जी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दे

- मुक्त व स्वतंत्र समाज और लोकतांत्रिक देशों के रूप में यूरोपीय संघ तथा भारत विश्व स्तर पर एक सुरक्षित, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के अनुकूल और व्यक्तिगत अधिकारों व स्वतंत्रता के पूर्ण सम्मान के साथ डिजिटल संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिये एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, डाटा सुरक्षा के मामले में ई.यू. की जी.डी.पी.आर. (GDRP) को प्रायः एक प्रासंगिक मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। साथ ही, दोनों पक्षों ने सृजनकारी संवाद स्थापित किया है, क्योंकि डाटा का मुक्त प्रवाह दोनों पक्षों के हित में है।
- दोनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिये एक विश्वसनीय व मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं और इसके लिये ए.आई.पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने वाले हैं।
- इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों के लिये साइबर स्पेस एक अन्य साझा चिंता है। विशेषकर तब, जब 5जी को शुरू करने की बात की जा रही है। इसके लिये यूरोपीय संघ ने एक 'टूलबॉक्स' विकसित किया है, जो जोखिम व कमज़ोरियों को कम करने के लिये एक उद्देश्य प्रक्रिया को परिभाषित करता है। साथ ही, संवेदनशील नेटवर्क परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिये आपूर्तिकर्ताओं को मानकों के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

कोविड के विरुद्ध सहयोग

- यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देश इस कठिन समय में, 'टीम यूरोप' के साथ मिलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिये यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, जो सदस्य राज्यों से प्रतिक्रिया, पूलिंग विशेषज्ञता, क्षमता एवं परिवहन का समन्वय कर सकता है।
- कोविड वैक्सीन के संदर्भ में, यूरोपीय संघ व अफ्रीकी देशों के लिये कोवैक्स (COVAX) सुविधा के आरंभकर्ताओं में से एक है और इसके लिये यूरोपीय संघ ने बड़े स्तर पर दान भी किया है। कोवैक्स में भारत की भूमिका वैक्सीन के वैश्विक निर्माता के रूप में है।
- उल्लेखनीय है कि कोवैक्स परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिये वैक्सीन उपलब्ध कराने की एक वैश्विक पहल है। इस प्रकार, भारत की तरह यूरोपीय संघ का भी दृष्टिकोण घरेलू जरूरतों को पूरा करते हुए एकजुटता और पारदर्शिता पर आधारित है।

यूरोपीय संघ की नजर में हिंद-प्रशांत रणनीति और चीन : भागीदार या प्रतियोगी

- भविष्य की दुनिया का मार्ग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नवाचार, आर्थिक विकास एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई या डिजिटल संक्रमण से होकर गुजरता है।

- यूरोपीय संघ परिषद् द्वारा हाल ही में अपनाया गया दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट करता है कि यूरोपीय संघ स्वयं को इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक मानता है और समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम करना चाहता है, जिसमें विशेष रूप से भारत शामिल है।
- हिंद-प्रशांत के लिये यूरोपीय संघ की भविष्य की रणनीति का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सतत् विकास में योगदान करना है। यूरोपीय संघ ने 'समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UNCLOS) सहित लोकतंत्र, कानून के शासन, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक फोकस को मज़बूत करने का निर्णय लिया है। ये सिद्धांत व उद्देश्य दोनों पक्ष साझा करते हैं और इसके लिये यूरोपीय संघ व भारत नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देंगे।
- यूरोपीय संघ का चीन के साथ बहुपक्षीय संबंध है, जो इस समय जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक प्रतियोगी व प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में वार्ता भागीदार है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय संघ की चीन के साथ सहयोग की रणनीति वर्ष 2019 के रणनीतिक आउटलुक में प्रस्तुत दृष्टिकोण के अनुरूप है। यूरोपीय संघ यह मानता है कि उसे अपने मूल्यों पर अडिग रहकर स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कई दबाव वाले मुद्दों पर चीन के साथ काम करने की आवश्यकता है।

❑❑❑

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

6 सामाजिक न्याय एवं कल्याण

विषाणुओं के वेरियंट्स का वर्गीकरण

संदर्भ

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के एक वेरिएंट (प्रकार) को 'वैश्विक रूप से चिंताजनक वेरिएंट' (Global Variant of Concern) के रूप में वर्गीकृत किया है। B.1.617 नामक इस वेरिएंट को मई 2021 की शुरुआत में यू. के. के अधिकारियों ने 'जाँच के अधीन वेरिएंट' (Variant Under Investigation – VUI) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह वेरिएंट 17 से अधिक देशों में फैल चुका है, इसलिये कई देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा वर्गीकरण का तरीका

- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, किसी 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' (VOI) को 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' (VOC) घोषित करने के लिये तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी वेरिएंट संक्रमण दर में वृद्धि हो, कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव को तीव्र करता हो, नैदानिक लक्षणों में परिवर्तन हो, उसके निदान के लिये उपलब्ध टीके व चिकित्सीय उपचार अपर्याप्त साबित हों, तो उसे 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' घोषित किया जाता है।
- इनके अलावा, डब्ल्यू.एच.ओ. 'SARS-CoV-2 वायरस इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप' के परामर्श से भी किसी वेरिएंट को 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' घोषित कर सकता है।

भारत में बढ़ते कोविड मामले और B.1.617 वेरिएंट

- कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार ने इस वेरिएंट को 'डबल म्यूटेंट वेरिएंट' कहा था, जिसे कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का कारण माना गया। लेकिन कोविड मामलों में वृद्धि के लिये इसे ही एकमात्र ज़िम्मेदार कारक नहीं माना जा सकता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कहा कि देश के 18 राज्यों में पाए गए 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' या अन्य स्ट्रैन के अलावा, कोरोना वायरस के भी एक नए 'डबल म्यूटेंट वेरिएंट' का पता चला है।
- B.1.617 को पहली बार यू.के. के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 'जाँच के अधीन वेरिएंट' (VUI) के रूप में नामित किया था तथा व्यापक अध्ययन व मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता के आकलन के लिये भारत से इस स्ट्रैन के नमूने भेजने का अनुरोध किया था।

विषाणु के नए वेरिएंट का बनना

- किसी विषाणु में उत्परिवर्तन होने पर उसके वेरिएंट का निर्माण होता है। यह उत्परिवर्तन एक या एक से अधिक बार हो सकता है। वस्तुत: किसी विषाणु का लक्ष्य एक ऐसी अवस्था प्राप्त करना होता है कि वह शरीर में आसानी से रह (Cohabitate) सके। उसे सक्रिय रहने के लिये किसी शरीर की आवश्यकता होती है।
- SARS-CoV-2 वायरस का विकास तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इसने दुनिया भर में अत्यधिक लोगों को संक्रमित किया है। संक्रमण स्तर उच्च होने पर वायरस आसानी से परिवर्तित हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में द्विगुणन की क्षमता बढ़ जाती है।
- वायरस का B.1.617 वेरिएंट दो उत्परिवर्तनों का परिणाम हैं, जो E484Q और L452R हैं। ये दोनों वेरिएंट पहली बार भारत में पाए गए हैं। L452R म्यूटेशन कुछ अन्य 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' जैसे कि B.1.427 व B.1.429 में भी पाया गया है, जो अधिक संक्रामक हैं तथा एंटीबॉडी को बेअसर करने में सक्षम हो सकता है।

कोरोना वायरस के वेरिएंट का वर्गीकरण

- ब्रिटिश सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुसार, यदि SARS-CoV-2 के किसी वेरिएंट को महामारी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान या रोगजनक गुणों से युक्त माना जाता है, तो उसकी औपचारिक जाँच की जाती है।
- इंग्लैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य ने B.1.617 वंश (Lineage) से उत्पन्न होने वाले वेरिएंट को वर्ष, माह और संख्या के आधार पर 'वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन' (VUI) के रूप में नामित किया है। उदाहरणार्थ, भारत में पहली बार पहचाने गए तीन वेरिएंट को VUI-21APR-01, VUI-21APR-02 और VUI-21APR-03 कहा जाता है। संबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन के बाद भारत में पहचाने जाने वाले वेरिएंट को यू.के. स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (VOC) के रूप में घोषित किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, 'अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र' वेरिएंट्स को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है- 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट', 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' और 'वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सीक्वैंस'। लेकिन अभी तक अमेरिका में 'वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सीक्वैंस' नहीं मिले हैं।

कोविड-19 और गुजरात का स्वास्थ्य मॉडल

संदर्भ

विगत दिनों गुजरात का बजट पेश करते समय वहाँ के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में कोविड-19 के घटते मामलों के संदर्भ में राजकीय प्रयासों की सराहना की थी तथा गुजरात के 'स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे' में तीव्र सुधार लाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

गुजरात के स्वास्थ्य ढाँचे की वस्तुस्थिति

- कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य के प्रमुख शहरों के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, जीवनरक्षक दवाओं और ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति दयनीय हो गई थी। यह एक प्रणालीगत स्वास्थ्य समस्या थी। 'अवसंरचनात्मक ढाँचे का अपर्याप्त विकास' तथा 'स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण' इसके लिये प्रमुख उत्तरदायी कारक रहे।
- गुजरात में अस्पताल के बेड का किराया भारत के अधिकांश हिस्सों से काफी अधिक है। आँकड़ों के अनुसार, देश में प्रति एक लाख की आबादी पर अस्पतालों में 138 बेड हैं, जबकि गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में यह संख्या 100 से भी कम है।
- राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में भी प्रति एक लाख लोगों पर अस्पतालों में क्रमशः 123 और 130 बेड उपलब्ध हैं।

गुजरातः आँकड़ों में स्वास्थ्य की स्थिति

- पिछले कुछ दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे का विकास करने संबंधी राजकीय प्रयासों में कमी आई है, जिससे स्वास्थ्य सूचकांकों में इसकी स्थिति लगभग 'बीमारू (BIMARU) राज्यों' जैसी हो गई है।
- 'राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5' (NFHS-5 : 2019-20) के अनुसार, गुजरात में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 80 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यह स्थिति असम और बिहार से भी खराब है तथा एन.एफ.एच.एस.-4 (2015-16) की तुलना में यह आँकड़ा लगभग 17% अधिक है। एन.एफ.एच.एस.-4 में रक्ताल्पता से ग्रसित बच्चों के मामले में गुजरात का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से भी कमज़ोर रहा था।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 40% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। एन.एफ.एच.एस.-5 के अनुसार, 15 से 49 आयु वर्ग की 65% महिलाएँ रक्ताल्पता से ग्रसित हैं, जो एन.एफ.एच.एस.-4 की अपेक्षा 10% अधिक है।
- 'ग्लोबल डाटा लैब' के अनुसार, वर्ष 1990 में 'गुजरात' भारत के 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 23वें स्थान पर था, जो वर्ष 2018 में 22वें स्थान पर पहुँच गया।

बजटीय व्यय

- महामारी काल में प्रस्तुत बजट में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे पर पूँजीगत व्यय में कटौती की है। वित्त वर्ष 2020-21 में 914 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा केवल 737 करोड़ रुपए ही खर्च किये।
- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बजटीय पूँजी परिव्यय वर्ष 2021-22 में मात्र 856 करोड़ रुपए है, जो प्रति व्यक्ति 150 रुपए से कम है। यह बिहार जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के बजट आँकड़ों से भी कम है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये राज्य के जी.एस.डी.पी. का केवल 0.7% आरक्षित किया गया है, जो प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 5 रुपए स्वास्थ्य व्यय से भी कम है।

कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत

- 1980 के दशक में गुजरात में एस.सी. और ओ.बी.सी. जातियों की शिक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिये 'विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' शुरू किया गया था।
- 1990 के दशक में नए राजनीतिक समीकरण बने और अधिकार संबंधी माँग कमज़ोर होने लगी। कई अन्य मुद्दों को भी राज्य दरकिनार किया, जिसका प्रभाव कोविड-19 संकट के दौरान देखने को मिला। उदाहरणार्थ, गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जनता में महामारी संबंधी भय पैदा करने के लिये राज्य ने कई बार मीडिया का ज़िक्र किया।
- ऐसे में, जनता में विश्वास कायम रखने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए व सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाए। सबसे बढ़कर, राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

कार्य के बोझ से होने वाली मौतें

संदर्भ

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि प्रति सप्ताह 55 घंटे या इससे अधिक काम करना स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- 'एनवायरनमेंट इंटरनेशनल' में प्रकाशित डब्ल्यू.एच.ओ. और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, लंबे समय तक काम करने के कारण वर्ष 2016 में स्ट्रोक (Stroke) और इस्केमिक हृदय रोग (Ischemic Heart Disease-स्थानिक-अरक्तता संबंधी हृदय विकार) से लगभग 7,45,000

लोगों की मौत हुई, जो वर्ष 2000 के बाद से 29% की वृद्धि दर्शाता है।

- 'लंबे समय तक कार्य करने से जुड़े जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी क्षति' के वैश्विक विश्लेषण में इन संस्थानों ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रति सप्ताह कम से कम 55 घंटे काम करने के कारण 'स्ट्रोक' से करीब 3,98,000 और 'हृदय रोग' से करीब 3,47,000 लोगों की मृत्यु हुई।
- इस प्रकार, वर्ष 2000 और 2016 के बीच लंबे समय तक कार्य करने के कारण हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या में 42% और स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या में 19% की वृद्धि देखी गई।
- इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रति सप्ताह 35-40 घंटे काम करने वाले लोगों की तुलना में प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने वाले लोगों में स्ट्रोक का जोखिम 35% तथा इस्केमिक हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम 17% तक बढ़ जाता है।

विशिष्टता आधारित समस्या

- 'कार्य-संबंधी रोगों' की यह समस्या पश्चिम-प्रशांत और दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले मध्यम आयु वर्ग या अधिक आयु वर्ग के लोगों में अधिक है।
- चूँकि इन रोगों से हुई कुल मौतों में 72% मौतें पुरुषों की हुई हैं, अर्थात् यह समस्या पुरुषों को अधिक प्रभावित करती है। प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक समय तक कार्य करने के कारण अधिकांश मौतें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की हुई।
- कार्य-संबंधी कुल अनुमानित बीमारियों में से लगभग एक-तिहाई बीमारियाँ लंबे समय तक कार्य करने के कारण होती हैं।

नए प्रकार की समस्या

- उपजीविका-संबंधी रोगों (Occupational Diseases) में लंबे समय तक कार्य करने से होने वाली बीमारी को सबसे बड़ा जोखिम-कारक माना जाने लगा है। इसने उपजीविका-संबंधी स्वास्थ्य के लिये अपेक्षाकृत नए और अधिक मनो-सामाजिक जोखिम-कारक की ओर सोचने के लिये मज़बूर कर दिया है।
- लंबे समय तक कार्य करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह वैश्विक स्तर पर कुल जनसंख्या का लगभग 9% हो गई है। यह प्रवृत्ति लोगों को कार्य-संबंधी विकलांगता, विकार और समय पूर्व मृत्यु की ओर अग्रसर करती है।
- यह विश्लेषण कोविड-19 महामारी के संदर्भ में घर से कार्य और कार्य के घंटों के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है। महामारी कार्य की समयावधि को बढ़ा सकती है क्योंकि इसने कई लोगों की कार्यशैली को काफी परिवर्तित किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई उद्योगों मंल टेलीवर्किंग काफी सामान्य हो गया है और यह प्राय: घर व कार्य के बीच के अंतर को समाप्त कर देती है।
- इसके अतिरिक्त, कई व्यवसायों को धन की बचत के लिये अपने कार्य-संचालन को सीमित करने या बंद करने के लिये विवश होना पड़ा है तथा लोगों को लंबे समय तक कार्य करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- कोई भी कार्य 'जीवन' से बड़ा नहीं हो सकता है। सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक ऐसी अधिकतम कार्य-सीमा के निर्धारण पर सहमति बनानी चाहिये, जो श्रमिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके।
- इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने सुझाव दिया है कि सरकारों को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिये, जो अनिवार्य रूप से ओवरटाइम पर प्रतिबंध लगाते हों और कार्य करने की एक ऐसी अधिकतम समय-सीमा सुनिश्चित करते हों, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के अनुकूल हो।

भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन की आवश्यकता

संदर्भ

कोविड-19 महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाल स्थिति को उजागर कर दिया है। इस दौरान नैदानिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले 'केयर स्टाफ' को संक्रमण का अत्यधिक खतरा है। ऐसे में, 'ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' पर आधारित 'भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' के गठन पर विचार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य

- राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को संकट से उबारने के लिये पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है। हालाँकि केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में आपसी समन्वय स्थापित कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, रेलवे द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु विशेष ट्रेनों का संचालन, सेना को आपूर्ति शृंखला में शामिल किया जाना आदि।
- इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने निजी अस्पतालों में 75% बेड कोरोना रोगियों के लिये आरक्षित किये हैं। निजी अस्पतालों को इसका भुगतान एक राजकीय योजना के तहत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वभौमिक टीकाकरण के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने का सुझाव दिया है।
- इसके बावजूद, राजनीतिज्ञों द्वारा अदालती आदेश की अनदेखी की गई तथा निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई। ऐसे में, कोविड-19 को नियंत्रित करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

- वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न समस्याएँ विद्यमान हैं। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सीमित निवेश, अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना, जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य केंद्रों व स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी इत्यादि प्रमुख हैं। ऐसे में, भारत के लगभग 1.4 बिलियन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना गंभीर चुनौती है।
- 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तकरीबन 1,511 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के '1,000 लोगों पर एक डॉक्टर' के मानक से बहुत अधिक है। इसके अलावा, प्रशिक्षित नर्स-आबादी अनुपात 1:670 है, जो कि डब्ल्यू.एच.ओ. के मानक 1:300 के दोगुने से भी अधिक है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारत में कुल पंजीकृत डॉक्टर 11.54 लाख, नर्स 29.66 लाख तथा फार्मासिस्ट 11.25 लाख थे। भारत में गोवा में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:380 है, जबकि नागालैंड में 1:17,060 है। नर्सों के मामले में केरल में यह 1:111 हैं, जबकि झारखंड में 1:4,019 है। बिहार, झारखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में नर्सों की अत्यधिक कमी है।
- इसके अतिरिक्त, देशभर के मेडिकल कॉलेजों में सीटों का वितरण भी असमान है। एम.बी.बी.एस. की कुल सीटों में से दो-तिहाई सीटें सिर्फ सात राज्यों, यथा- तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ही केंद्रित हैं।
- अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी जनसंख्या की तुलना में साम्य नहीं रखती है। भारतीय अस्पतालों में कुल बेड्स का लगभग 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र के पास है।
- भारत में प्रति 1,000 की आबादी पर 1.4 बेड उपलब्ध हैं, जबकि चीन में यह संख्या 4 से अधिक है। श्रीलंका, यू.के. और अमेरिका में प्रति 1,000 की आबादी पर बेड्स की संख्या 3 है। थाईलैंड तथा ब्राजील में यह संख्या 2 से अधिक है।
- इसके अलावा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र पर जी.डी.पी. के 1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक ही खर्च करता है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग दोगुना हो सकता है।
- भारत में 'चिकित्सा व्यय' व्यक्तिगत ऋण का प्रमुख करणों में से एक है। 'लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका' के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण करीब 1.7 मिलियन मौतें हुईं। वर्तमान में, भारत में वायु प्रदूषण की वार्षिक अनुमानित व्यावसायिक लागत $95 बिलियन है, जो भारत की जी.डी.पी. का लगभग 3% है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा : एक बेहतर विकल्प

- कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों के आलोक में 'भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि यह कोई नया विचार नहीं है। वर्ष 1946 में, सिविल सेवक 'सर जोसेफ भोरे' ने तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार को 'ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' पर आधारित एक भारतीय 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' (NHS) स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसमें सभी स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक दवाओं को एकीकृत किये जाने की सिफारिश की गई थी।
- यह मसौदा वर्ष 1930 के दशक की दयनीय स्वास्थ्य स्थितियों पर तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य 'सार्वभौमिक निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा' स्थापित करना था।
- ब्रिटेन में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके तहत बजट के माध्यम से चिकित्सकों को भुगतान करने की व्यवस्था भी की जाती है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य सेवाएँ

- आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में 'स्वास्थ्य और देखभाल' भी एक प्रमुख स्तंभ है।
- पिछले वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए की अपेक्षा इस वित्त वर्ष का स्वास्थ्य बजट 2,23,846 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 137% अधिक है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों- रोकथाम, उपचार और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के व्यय के साथ केंद्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का शुभारंभ किया जाएगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, 9 बायो सुरक्षा स्तर-III प्रयोगशालाओं और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।
- कोविड-19 वैक्सीन के लिये 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
- देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में पोषण बढ़ाने के लिये 'मिशन पोषण 2.0' का आरंभ।
- नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्राशसनिक सुधार करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक' लाने का प्रस्ताव।

- यू.के. के कुछ क्षेत्रों में चिकित्सक द्वारा पर्ची पर उल्लिखित दवाओं व चिकित्सीय उपकरणों के संदर्भ में रोगियों को एक निश्चित अनुपात में ही भुगतान करना होता है, जबकि अस्पताल में सभी इलाज और दवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

- इन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिये ब्रिटिश सरकार जनता पर कर लगाती है।
- लगभग 1.1 मिलियन कर्मचारियों के साथ एन.एच.एस. यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका वर्तमान बजट जी.डी.पी. का लगभग 7.6% है।
- भारत वर्तमान में, आजादी के बाद संभवतः सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में, किसी भावी स्वास्थ्य संकट की परिस्थिति से निपटने के लिये भोरे द्वारा परिकल्पित भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन पर विचार किया जाना चाहिये।

डिजिटल शिक्षा: आचार नीति की आवश्यकता

संदर्भ

भारत में यूरोप की तरह 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन' (GDPR) जैसा कोई नियामक ढाँचा उपस्थित नहीं है। ऐसे में, 'एजुकेशन टेक्नोलॉजी' (EdTech) संबंधी ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।

ऑनलाइन शिक्षा का प्रभुत्व

- कोविड-19 काल में ऑनलाइन शिक्षा ने पारंपरिक कक्षा-निर्देशों को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस दौरान लॉन्च हुए कई 'एडटेक' (EdTech) में से कुछ अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं।
- विद्यालयों व महाविद्यालयों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को 'ऑफलाइन से ऑनलाइन' मोड में परिवर्तित कर दिया है। इससे वे सामग्री वितरण, संपर्क और मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक व्यवधान को न्यूनतम करने में सक्षम हुए हैं।
- इस प्रक्रिया ने शिक्षकों को विषय-वस्तु प्रदाता (Content Providers) बनने की बजाय अधिगम-सुगमकर्ता (Learning Facilitators) बनने के लिये प्रेरित किया है।
- 'एडटेक ऐप्स' का उपयोग करने से छात्रों को यह लाभ है कि वे शिक्षा प्रणाली को अपने अनुसार व्यवस्थित कर (Customise) सकते हैं तथा अधिकाधिक सीख सकते हैं।

सूचना संग्रहण क्षमता

- ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उसमें बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र हो जाता है। ऐसे में, इस डाटा का विश्लेषण करके ऐप के भावी संस्करणों को डिजाइन करने के दौरान 'अपने अनुसार सीखने' (Learning Customization) की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- नवीनतम मोबाइल फोन व 'हैंड-हेल्ड' उपकरणों में कैमरा और माइक्रोफोन के अतिरिक्त जी.पी.एस., जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर तथा बायोमेट्रिक सेंसर आदि शामिल होते हैं।
- ये सेंसर चेहरे के भावों तथा शारीरिक तापमान में परिवर्तन के माध्यम से अनुभव और व्यक्त की गई भावनाओं, जैसे- अंतरंग डाटा तथा विद्यार्थी के परिवेश के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। संक्षेप में, इन ऐप और उपकरणों के पास शिक्षार्थी के निजी स्पेस तक पहुँचने की क्षमता होती है, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है।
- मानवीय विषयों में संलग्न शोधकर्ताओं के लिये आवश्यक है कि वे संबंधित अनुसंधान संगठन के आचार नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करें।
- सबसे आधारभूत नियम होना चाहिये कि सूचना-संबंधी सहमति को नहीं तोड़ा जाना चाहिये। मानवीय विषयों पर कोई भी अनुसंधान करने से पूर्व, शोधकर्ताओं को अनुमति प्राप्त करने के लिये संबंधित आचार समितियों के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये तथा ये प्रस्ताव व अनुमतियाँ पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरने चाहियें।
- इसके अतिरिक्त, बच्चों के साथ कार्य करने वाले शोधकर्ताओं को चाहिये कि वे एकत्रित किये गए डाटा के प्रकार, भंडारण की विधि तथा संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षकों, माता-पिता तथा विद्यालय प्रबंधन को आश्वस्त करे।
- उक्त बातें लिखित रूप में दी जानी चाहियें, जबकि शिक्षार्थी को बिना किसी परिणाम के किसी भी समय अध्ययन प्रक्रिया से बाहर निकलने का विकल्प भी दिया जाना चाहिये।

न्यूनतम रक्षोपाय

- हालाँकि एडटेक उद्योग में, जहाँ निवेश निरंतर बढ़ रहा है, शोधकर्ताओं और ऐप डेवलपर्स को यथासंभव दखल देने के लिये प्रेरित भी किया जा रहा है। पारंपरिक शोधकर्ता जिन सुरक्षा उपायों के अधीन हैं, वे या तो गायब हैं या अनुसंधान में न्यूनतम हैं, जिसे एडटेक उद्योग बढ़ावा दे रहे हैं।
- बच्चे इन ऐप्स का प्रयोग माता-पिता या वयस्कों की बिना देखरेख में ही करते हैं तथा निजता के उल्लंघन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सूचना आधारित सहमति की अवधारणा उचित नहीं है क्योंकि सामान्य आदमी की पेचीदगियों को समझाने के लिये किसी उचित प्रावधान का अभाव होता है।
- चूँकि भारत में जी.डी.पी.आर. के समान सुरक्षा व्यवस्था उपस्थित नहीं है, ऐसे में, किसी एडटेक कंपनी द्वारा एकत्र किये गए निजी डाटा का दुरुपयोग किया जा सकता है या किसी अन्य कंपनी को बेचा जा सकता है।
- वर्ष 2014 में किये गये श्सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर भावनात्मक संचार का प्रायोगिक साक्ष्यश नामक अध्ययन के अनुसार, फेसबुक ने दिखाए जाने वाले पोस्ट के प्रकार को बदलकर लगभग 7,00,000 प्रयोगकर्ताओं की भावनाओं में परिवर्तन किया था।

निष्कर्ष

- इन वास्तविकताओं को देखते हुए शिक्षकों, शोधकर्ताओं, अभिभावकों, शिक्षार्थियों और उद्योग विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एडटेक कंपनियों के लिये एक आचार नीति तैयार करने की ज़रूरत है।
- इस तरह की मसौदा-नीति से संबंधित सुझाव आमंत्रित करने के लिये ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिये। प्रयोगकर्ताओं की निष्पक्षता, सुरक्षा, गोपनीयता और गुमनामी के मुद्दों का समाधान करना चाहिये। अंततः एक स्वस्थ शिक्षण परिवेश के हित में एडटेक कंपनियों को अनुपालन के लिये भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

महामारी का कहर : अनाथ होते बच्चे

संदर्भ

- हाल ही में, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अलावा, यूनिसेफ ने कहा कि भारत में 30 मिलियन से अधिक अनाथ व परित्यक्त बच्चे मौजूद हैं और कोविड-19 महामारी के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।
- सोशल मीडिया ऐसे कई बच्चों को गोद लेने के अनुरोधों से भरा पड़ा है। कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी ऐसे बच्चों की मदद के लिये आगे आए हैं। निश्चित ही, अनाथ बच्चों को गोद लेना एक बेहतरीन कदम है, लेकिन किसी अनाथ बच्चे को किसी एजेंसी, परिवार या व्यक्ति को सौंपने से पहले, अनाथ बच्चों की सुरक्षा व देखभाल संबंधी कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर लेनी चाहिये।

बच्चों की सहायता के प्रयास

- पहला, टोल फ्री नंबर पर कॉल करना। दरअसल, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे कहीं कोई अनाथ बच्चा मिलता है या कोई ऐसा बच्चा, जिसे किसी भी परिस्थिति में देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तुरंत टोल फ्री चाइल्डलाइन नंबर '1098' पर कॉल कर सकता है। यह पूरे देश में 24 घंटे संचालित होने वाली एक आपातकालीन फोन आउटरीच सेवा है।
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी 'चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन' द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बच्चे की अवस्थिति का पता लगने के बाद चाइल्डलाइन इकाइयाँ यथाशीघ्र बच्चे का कार्यभार संभालती हैं। वस्तुतः ये चाइल्डलाइन इकाइयाँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिक समाज संगठन (Civil Society Organisations) होती हैं।
- दूसरा, संबंधित 'जिला सुरक्षा अधिकारी' को सूचित करना। इस अधिकारी से संपर्क करने के लिये 'नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रेन' (National Tracking System for Missing and Vulnerable Children – TrackCHILD) पोर्टल की मदद ली जा सकती है। 'ट्रैकचाइल्ड पोर्टल' भारत सरकार के 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- तीसरा, निकटतम पुलिस स्टेशन या उसके 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' से संपर्क करना। यह अधिकारी किशोर अपराधों से निपटने या पीड़ितों की सहायता करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है।
- चौथा, 'इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम' (ERSS) पर संपर्क करना। यह अखिल भारतीय स्तर पर संचालित होने वाली एक आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति बच्चों की सहायता के लिये इसके द्वारा जारी एकल नंबर '112' पर कॉल कर सकता है।
- इसके अलावा, भारत सरकार ने बाल सहायता सुनिश्चित करने के लिये कई नियम-अधिनियम भी निर्मित किये हैं। इनमें दत्तक ग्रहण विनियम, 2017; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 आदि प्रमुख हैं। साथ ही, 'केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण' (CARA) अनाथ बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था है।
- गौरतलब है कि ऐसे बच्चों के संदर्भ में रिपोर्ट न करना भी 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (JJA) के तहत एक दंडनीय अपराध है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 1946 को 'यूनिसेफ' (UNICEF) का नामक एक कोष (Fund) गठन किया था, जो बाल संरक्षण को समर्पित निकाय है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित इस कोष को वर्ष 1965 में 'नोबेल शांति पुरस्कार' तथा वर्ष 1989 में 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण के लिये 'हेग कन्वेंशन' भी लागू किया गया है।

स्थापित प्रक्रिया

- आउटरीच एजेंसी द्वारा किसी अनाथ बच्चे को बरामद करने के बाद, उसका कर्तव्य होगा कि वह 24 घंटे के भीतर जिले की 'बाल कल्याण समिति' (CWC) के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करे।
- सी.डब्ल्यू.सी. अपनी जाँच के बाद यह तय करती है कि बच्चे को उसके घर भेजना है या एक उचित सुविधा केंद्र में। यदि बच्चे की उम्र छः वर्ष से कम है, तो उसे एक 'विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी' में रखा जाता है।

- राज्य ऐसे सभी बच्चों की देखभाल करता है, जिन्हें 18 वर्ष की आयु तक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। 'संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ वाद, 2018' में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्यक्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक 'बाल देखरेख संस्थान' का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
- इस प्रकार, कोई भी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन जे.जे.ए. के तहत पंजीकरण कराए बिना, ऐसे बच्चों को नहीं रख सकता है, जिन्हें देखरेख व सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने की कानूनी अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात् भारतीय या अनिवासी भारतीय या विदेशी दत्तक माता-पिता बच्चे को गोद ले सकते हैं।
- जे.जे.ए. की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अधिनियम पंथनिरपेक्ष और सरल प्रक्रिया से परिपूर्ण है, जबकि 'हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956' धर्म-केंद्रित होने के साथ-साथ प्रक्रियागत रूप से जटिल है।
- जे.जे.ए. अधिनियम का एक अन्य सबल पक्ष यह है कि इसके तहत गोद लेने की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है तथा इससे संबंधित प्रगति की निगरानी एक सांविधिक निकाय 'केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (Central Adoption Resource Authority – CARA) के पोर्टल से की जा सकती है।

न्यायपालिका द्वारा पुलिस को दिये गए निर्देश

- यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को बिना किसी वैध अधिकार के अपने पास रखता है, तो वह स्वयं को संकट में डाल सकता है।
- हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) के अनुसार, पिता तथा उसकी अनुपस्थिति में माता, बच्चे की स्वाभाविक संरक्षक होती है। कोई करीबी रिश्तेदार भी बिना अनुमति के बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता है।
- 'बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ वाद, 2013' में उच्चतम न्यायालय ने सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया था कि वे गुमशुदा बच्चे के प्रत्येक मामले में तस्करी या अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करें।
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उपनिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, अनिवार्य रूप से बच्चों की देखरेख व सुरक्षा संबंधी कानूनों के लिये प्रशिक्षित हो। ऐसे अधिकारियों का स्वाभाव बच्चों के अनुकूल होना चाहिये। इन्हें बिना वर्दी के रहने की अनुमति भी होती है।
- इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक 'विशेष किशोर पुलिस इकाई' होनी चाहिये। इसका नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का न हो।
- उच्चतम न्यायालय ने 'राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद' और प्रत्येक राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों को 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने तथा पुलिस अधिकारियों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया है।

आगे की राह

- 'कारा' (CARA) को सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और टेलीविज़न आदि के माध्यम से अवैध रूप से बच्चे गोद लेने के संदर्भ में चेतावनी जारी करनी चाहिये।
- गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया का पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिये।
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये गठित राष्ट्रीय और राजकीय निकायों को ईमानदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिये।
- बाल तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये।
- सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन व प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहे तथा जन-जागरूकता को भी गति प्रदान करें।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA)

स्थापना : वर्ष 1990

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के माध्यम से 15 जनवरी, 2016 को सांविधिक दर्ज़ा दिया

उद्देश्य

- भारतीय अनाथ बच्चों का पालन-पोषण, देखभाल करने व गोद लेने संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करना
- देशभर में बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions) में अधिक उम्र और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के पुनर्वास पर ज़ोर देना

निष्कर्ष

- 'बच्चे' राष्ट्र की एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। किसी राष्ट्र का भविष्य बच्चों के विकास व समृद्धि पर निर्भर करता है। बच्चे गोद लेने का प्राथमिक उद्देश्य उनका कल्याण सुनिश्चित करना और उनके परिवार आधारित अधिकार बहाल करना होता है।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 'कम उम्र बच्चों के किसी भी प्रकार दुरुपयोग को प्रतिबंधित' करता है।
- कहा जा सकता है कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ताकि उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना न करना पड़े। जे.जे.ए. के तहत जिन अधिकारियों को बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उन्हें उनका ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करना चाहिये।

चुनौतियों के भँवर में फँसा टीकाकरण अभियान

संदर्भ

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत टीकाकरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम अपेक्षित गति से संचालित नहीं हो पा रहा है।

पृष्ठभूमि

- कोविड-19 महामारी के विरुद्ध टीकों का निर्माण अन्य बीमारियों के लिये विकसित टीकों से कहीं कम समयांतराल में किया गया। इस महामारी के लिये विश्वभर में लगभग 250 प्रकार के टीकों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें से वैश्विक स्तर पर लगभग 10 टीकों को ही आपातकालीन प्रयोग के लिये मंजूरी प्रदान की गई है।
- दुनियाभर में इतनी संख्या में टीके विकसित होने के आधार पर कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के लिये उत्तरदायी विषाणु 'एस.ए.आर.एस.-सी.ओ.वी.-2' (SARS-COV-2) के विरुद्ध प्रभावी टीके का निर्माण करना बहुत मुश्किल नहीं है। जबकि सामान्यत: किसी टीके का निर्माण करने में 12-15 वर्षों का समय लग जाता है।
- ध्यातव्य है कि स्वीकृति प्राप्त टीकों का निर्माण ऐसी दो प्रौद्योगिकियों के आधार पर किया जा रहा है, जिनका प्रयोग मनुष्यों पर पहले कभी नहीं किया गया। इनमें फाइजर-बायोटेक (Pfizer-Biotech) तथा मोडर्ना (Moderna) की वैक्सीन 'mRNA तकनीक' पर तथा एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्पूतनिक-V, जॉनसन एंड जॉनसन तथा चीन की कैनसिनो बायोलोजिक्स (CanSino Biologics) का कोरोनावैक टीका 'वायरल वेक्टर' तकनीक पर आधारित है।
- एक प्रौद्योगिकी पर आधारित टीके में निष्क्रिय विषाणु को डाला जाता है। इसी पर भारत का स्वदेशी टीका 'को-वैक्सीन' आधारित है। इसे 'भारत बायोटेक' तथा 'आई.सी.एम.आर.' ने मिलकर बनाया। चीन की सिनोवेक और सिनोपार्म भी इसी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। ये टीके लोगों को इस बीमारी व मौत से बचाने में प्रभावी हैं।
- इन टीकों की दो खुराक दी जाती है, परंतु जॉनसन इसका अपवाद है क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही खुराक दी जाती है। अत: 'जॉनसन' भावी टीकों के विकास में सहायक हो सकता है।
- दुनियाभर में लगभग 3-4 अन्य टीके भी स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। इनमें भारत द्वारा डी.एन.ए. तकनीक के आधार पर विकसित किया जा रहा 'जाइडस कैडिला' भी शामिल है।

टीकों की कमी के कारण

- दुनिया भर में लगभग 7 अरब की आबादी को टीके की दो खुराक दी जानी है, अत: टीकों के उत्पादन व माँग के बीच अंतर अत्यधिक है। अमीर देश, जिनकी आबादी वैश्विक जनसंख्या का महज 20% ही है, उपलब्ध टीकों के करीब 80% हिस्से पर अपना नियंत्रण रखते हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. प्रयास के बावजूद अभी तक सिर्फ 1% अफ्रीकी आबादी की ही टीके तक पहुँच सुनिश्चित हो पाई है।
- यू.एस.ए. के एफ.डी.ए. ने अब तक केवल 3 टीकों- फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन - को ही अनुमोदित किया गया है, जबकि सबसे सस्ता 'एस्ट्राजेनेका' टीका अभी भी अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।
- 12 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिये 'फाइजर' टीके को तो मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जबकि 'मॉडर्ना' व 'जॉनसन' अभी भी परीक्षण के दौर में हैं। अत: अपनी वयस्क आबादी को टीकाकृत कर चुके पश्चिमी देश अब अपने बच्चों का टीकाकरण करेंगे। ऐसे में, अभी वे इन तीनों टीकों को विश्व बाजार में सुलभ नहीं कराएँगे।
- हाल ही में, ब्राजील ने रूस के टीके 'स्पूतनिक-V' को मंजूरी दी है, परंतु पश्चिमी देशों में अभी तक चीन के 'सिनोवक' तथा 'सिनोपार्म' टीकों को मंजूरी नहीं मिली है।

भारत के समक्ष चुनौती

- अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव अधिक है तथा इस विषाणु में उत्परिवर्तन हो रहा है।
- भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली अत्यंत सक्षम नहीं है तथा चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है। इसके अलावा, टीकों की भारी कमी के कारण अपनी आबादी को टीकाकृत करना अत्यंत कठिन हो गया है।
- यद्यपि संख्यात्मक दृष्टि से अपनी आबादी का टीकाकरण करने में 'भारत' अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ 13% आबादी को एक खुराक तथा 2% आबादी को दोनों खुराक प्रदान की जा सकी है।
- अत्यधिक जनसंख्या होने के साथ टीकों के लिये लोगों में जागरूकता का अभाव है।
- टीकों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है।

वैक्सीन उत्पादन में कमी का कारण

- टीकों के निर्माण के लिये कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति न हो पाना, जो आयात पर निर्भर है।
- भारी संख्या में टीकों के उत्पादन से लेकर उनकी पैकेजिंग करना, अत्यंत जटिल और समयसाध्य प्रक्रिया है।
- पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी मौजूदा उत्पादन क्षमता में सुधार करने में न्यूनतम 2-3 माह का समय लगेगा।

आगे की राह

भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिये टीकों का आयात बढ़ाना होगा। इसके अलावा, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर यू.एस.ए. ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके तहत कोविड टीकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को एक निश्चित अवधि के लिये अपना आई.पी.आर. साझा करना होगा। इस बीच उनके हितों का पर्याप्त ख्याल रखा जाएगा। यह कदम पूरी दुनिया के लिये उच्च गुणवत्तापरक और सस्ते टीकों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

भारत वर्ष 2021 के अंत तक स्वदेशी रूप से विकसित टीकों के अतिरिक्त कुछ विदेशी टीकों, यथा- स्पुतनिक-V, जॉनसन, नोवावैक्स आदि का उत्पादन भी करने लगेगा। इससे भारत भी इस महामारी से लड़ने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकेगा।

भारत में टीकाकरण की उपादेयता

संदर्भ

कोविड-2.0 के संबंध में किये गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों में 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या कम है।

भारत पर प्रभाव

- सामान्यत: प्रत्येक महामारी विभिन्न लहरों में आती है। पिछली शताब्दी में आई महामारी 'स्पेनिश फ्लू' के मामले में भी ऐसा ही देखा गया था।
- कोविड-19 की पहली लहर का सामना करने के लिये भारत ने अपने चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढाँचे में काफी सुधार किया था। भारत में इस संक्रमण की दूसरी लहर के लिये जिन कारणों को उत्तरदायी माना गया है, उनमें लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देना तथा बड़ी जनसंख्या का सामान्य जीवन शैली में पुन: लौटना प्रमुख हैं।
- इसके अलावा, वायरस में हुए उत्परिवर्तन को भी दूसरी लहर के लिये उत्तरदायी माना गया है। इसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ते संक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में टीकाकरण

- जैसा कि विभिन्न संक्रामक बीमारियों के मामलों में देखा जाता है कि उनके संक्रमण को कम करने तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिये टीकाकरण ही एकमात्र उपाय होता है। महामारी की शुरुआत से 1 वर्ष के भीतर प्रभावी टीकों का निर्माण किया जा चुका है, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि है।
- आरंभ में, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों (First Line Worker), जैसे- डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी इत्यादि का टीकाकरण किया गया था। तत्पश्चात् 1 मार्च, 2021 से 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों का तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्तियों का, जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, टीकाकरण आरंभ किया गया।
- 1 अप्रैल, 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों तथा 1 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण आरंभ किया गया है।

टीकाकरण का सकारात्मक प्रभाव

- यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध टीकों की प्रभावशीलता के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तथापि यह सत्य है कि टीकाकरण से संक्रमण की दर में काफी कमी आई है। आँकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 100 मिलियन लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा टीकाकरण के नकारात्मक प्रभाव अत्यंत कम हैं।
- नवंबर 2020 के बाद के आँकड़े बताते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाए गए टीकों के सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। टीकाकरण शुरू होने के बाद से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में संक्रमण की दर घटी है, जबकि इससे कम उम्र के लोगों में संक्रमण की दर बढ़ी है।

आगे की राह

- केंद्र तथा राज्य सरकारों को सर्वप्रथम टीकाकरण के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को समाप्त करना चाहिये तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिये।
- सरकारों को अधिकाधिक टीकाकरण केंद्र बनाकर 18-45 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में वृद्धि करनी चाहिये क्योंकि भारत की आधे से अधिक जनसंख्या 18-45 आयु वर्ग की है।
- सरकारों को दवा-निर्माता कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा टीकों की कीमत कम रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन टीकों की कालाबाज़ारी ना हो।
- इसके अलावा, सरकार दूसरे देशों के टीकों को भी यथाशीघ्र प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करे, ताकि टीकाकरण कार्यक्रम को गति दी जा सके।
- सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि टीकाकरण कार्यक्रम में लगे लोगों की अकुशलता दवा की बर्बादी का कारण न बने।

निष्कर्ष

टीकाकरण ने निश्चय ही इस महामारी के प्रकोप को कम किया है। ऐसे में टीकाकरण कर्यक्रम को गतिशील बनाया जाना चाहिये। 18-45 आयु वर्ग के सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति देना एक बेहतर कदम है। बेशक, भारत में 'टीकाकरण' एक समयसाध्य व श्रमसाध्य प्रक्रिया है, लेकिन इससे संक्रमण की भावी लहरों को रोकने में सहायता मिलेगी।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा में सुधार

संदर्भ

भारत वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहा है। इन संकटों से निपटने के लिये हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना अति आवश्यक है।

मानव संसाधन की कमी

- 'मानव संसाधन' स्वास्थ्य प्रणाली का महत्त्वपूर्ण घटक है। कुछ उत्तरी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेषकर डॉक्टरों की गंभीर कमी स्वास्थ्य संबंधी सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता न केवल स्वास्थ्य प्रणाली के सुचारू संचालन में, बल्कि कोविड-19 जैसी अनपेक्षित बीमारियों से उत्पन्न खतरों को नियंत्रित करने, उनका पता लगाने और उनका उपचार करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ऐसे में, यदि मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिये तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली और अधिक कमज़ोर हो जाएगी।
- देश में 'डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात' अत्यंत दयनीय स्थिति में है। उदाहरणार्थ, उत्तरी राज्यों में यह अनुपात आवश्यक मानदंड से बहुत कम है, जबकि तेलंगाना को छोड़कर शेष दक्षिणी राज्यों में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या मौजूद है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य कर्मियों का नितांत अभाव है।

सरकार का दृष्टिकोण

- चिकित्सा शिक्षा के प्रति सरकार द्वारा बाज़ारोन्मुख दृष्टिकोण अपनाए जाने से स्वास्थ्य क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों में काफी हद तक कमी आएगी। उत्तर भारत में योग्य डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि निजी अस्पतालों को जिला अस्पताल का आधा हिस्सा देकर उन्हें शिक्षण अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये तथा उसमें कम से कम 150 एम.बी.बी.एस. सीटें आवंटित की जानी चाहियें। यद्यपि यह सुझाव आकर्षक था किंतु इसके साथ विभिन्न चिंताएँ भी जुड़ी थीं, इसलिये इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया।

पी.पी.पी. मॉडल आधारित चिकित्सा शिक्षा का विकल्प

- चिकित्सा शिक्षा में पी.पी.पी. मॉडल के समावेशन से इसके निजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के निगमीकरण में वृद्धि होगी।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बेशक कम संसाधनों की समस्या से जूझ रही है, लेकिन इसे पी.पी.पी. मॉडल आधारित बनने से यह और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अभी जो सार्वजनिक अस्पताल गरीबों की स्वास्थ्य समस्या सुलझाने के अंतिम उपाय माने जाते हैं, यह स्थिति बदल जाएगी।
- चिकित्सा शिक्षा का निगमीकरण स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत महँगा बना देगा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने की दृष्टि से भी यह वांछित परिणाम नहीं दे सकेगा।
- निजी संस्थान चिकित्सा शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। अत: यह बड़ी संख्या में चिकित्सा उम्मीदवारों के लिये दरवाजे बंद कर देगा क्योंकि वे वित्त की कमी के कारण इन संस्थान में दाखिला नहीं ले सकेंगे।
- इसके अतिरिक्त, इन चिकित्सा शिक्षण संस्थानों से पासआउट होने वाले मेडिकल स्नातक अपने निवेश को पुन: प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में रोज़गार को प्राथमिकता देंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की समस्या जस-की-तस बनी रहेगी।
- अत: यह विकल्प भारत की 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य समानता' सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

राज्यवार डॉक्टर्स की संख्या

सबसे बेहतर		सबसे खराब	
राज्य	प्रति डॉक्टर लोगों की संख्या	राज्य	प्रति डॉक्टर लोगों की संख्या
तमिलनाडु	253	झारखंड	8,180
दिल्ली	334	हरियाणा	6,037
कर्नाटक	507	छत्तीसगढ़	4,338
केरल	535	उत्तर प्रदेश	3,767
गोवा	713	बिहार	3,207
पंजाब	789	हिमाचल प्रदेश	3,124

आगे की राह

- डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिये एक दीर्घकालिक सोच और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की आवश्यकता है। सरकार को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के अपने पिछले अनुभवों से सीखना चाहिये, जिसमें सरकार ने निजी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों तक प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो सका था।
- वस्तुतः पूर्व में पी.पी.पी. मॉडल आधारित कई परियोजनाओं को इसलिये स्थगित करना पड़ा था क्योंकि निजी क्षेत्र ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था।
- सबसे बढ़कर, 'चिकित्सा शिक्षा' एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि इसका उद्देश्य जन-स्वास्थ्य में सुधार करना होता है। अतः इसके दुरुस्तीकरण के लिये एक सधी हुई रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

महामारी ने एक बार फिर हमें चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने के लिये चेताया है तथा इसके अधिकाधिक सार्वजनीकरण करने पर बल दिया है। वस्तुतः चिकित्सा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होनी चाहिये, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने चाहियें, संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और चिकित्सा शिक्षा तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये। तभी चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

कोविड-19 से निपटने में सक्षम ताइवान मॉडल

संदर्भ

हाल ही में, चीनी गणराज्य 'ताइवान' के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री ने अपने देश में महामारी के प्रकोप को रोकने के लिये उठाए गए कदमों की चर्चा की। विशेषज्ञों का मत है कि वर्ष 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का उद्गम हुआ था और देखते ही देखते इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया।

ताइवान की स्थिति

ताइवान के चीन से निकट होने के कारण वहाँ महामारी के भीषण प्रकोप की अधिक संभावना थी। ताइवान में कोविड-19 का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था, तत्पश्चात् ताइवान ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नीति निर्मित की। परिणामस्वरूप ताइवान में 30 अप्रैल, 2021 तक सामने आए कुल 1128 मामलों में से मात्र 28 लोगों की ही मौत हुई।

ताइवान सरकार के प्रयास

- वर्ष 2003 में ताइवान ने एस.ए.आर.एस. (SARS) विषाणु का प्रकोप झेला था और ताइवान ने इसकी अनदेखी नहीं की थी।
- इस दौरान सरकार ने बीमारी से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ एकत्रित की थीं। इन्हीं सूचनाओं का प्रयोग ताइवान ने दिसंबर 2019 में कोरोना से निपटने में भी किया।
- वस्तुतः एस.ए.आर.एस. से निपटने के बाद ताइवान ने एक राष्ट्रीय 'संक्रामक रोग स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क' स्थापित किया था।
- यह नेटवर्क संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इससे बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली तक लोगों की आसान पहुँच संभव हो सकी व कोविड-19 से देश को होने वाले आर्थिक नुकसान को सफलतापूर्वक कम किया।
- ताइवान ने वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिये जहाजों और विमानों संबंधी प्रक्रियाओं को समायोजित किया ताकि मत्स्यपालन, अपतटीय पवन फार्म, हवाई परिवहन उद्योग आदि कार्यरत रह सकें।
- इन गतिविधियों के संचालन में सरकार ने जन-सहयोग को भी बढ़ावा दिया।
- रोग नियंत्रण नियम तैयार करते समय सरकार ने ध्यान रखा कि उनके क्रियान्वयन के पश्चात् होने वाली क्षति 'न्यूनतम' रहे तथा सरकार ने लोगों के 'जानने के अधिकार, निजता के अधिकार व स्वतंत्रता के अधिकार' के मध्य सामंजस्य को बनाकर रखा।
- इसके अलावा, ताइवान ने स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार और मानवाधिकार को सुनिश्चित किया तथा प्रवासी श्रमिकों व वंचित वर्गों के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी।

ताइवान का संकल्प

- कोविड-19 ने कमज़ोर और उच्च जोखिम वाले समुदायों को अधिक प्रभावित किया है। अतः ताइवान कोशिश करेगा कि इस वर्ग के लोगों की भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं के साथ काम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि सभी लोग जीवित रह सकें और ऐसी कार्यदशा का आनंद ले सकें, जो बेहतर स्वास्थ्य के अनुकूल हो।
- ताइवान ने कहा कि वह स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में उपस्थित असमानताओं को भी दूर करेगा।

आगे की राह

- डब्ल्यू.एच.ओ. व अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को ताइवान द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, मानवाधिकार के क्षेत्र में किये गए कार्यों की सराहना करनी चाहिये तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके योगदान को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये।

- ताइवान को अन्य देशों के साथ कार्य जारी रखना चाहिये ताकि डब्ल्यू.एच.ओ. के संविधान में उल्लिखित 'सभी के लिये स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार' सुनिश्चित किया जा सके।
- विभिन्न देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये ताकि बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्ष

ताइवान ने कोविड-19 महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर यह पुन: सिद्ध कर दिया है कि वह 'वैश्विक स्वास्थ्य नेटवर्क' का अभिन्न हिस्सा है। संक्रामक रोगों के खतरे का पता लगाने संबंधी वैश्विक निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में ताइवान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 संबंधी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, नैदानिक उपाय, वैक्सीन व अन्य चिकित्सीय प्लेटफॉर्म को प्रभावी बनने में ताइवान महती भूमिका निभा सकता है।

महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा

संदर्भ

महामारी काल में शिक्षण संस्थान बंद हैं तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे दैनिक शैक्षिक कार्यक्रम हो या परीक्षाओं का आयोजन, सभी ऑनलाइन माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों, प्रशासकों व नीति-निर्माताओं द्वारा विद्यार्थियों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास नाकाफी नज़र आ रहे हैं।

चुनौतियाँ

- डिजिटल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों व छात्रों के मध्य प्रभावी संवाद नहीं हो पाता है।
- इस दौरान आयोजित की जा रही ऑनलाइन परीक्षाएँ विद्यार्थियों का प्रभावी मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हैं।
- मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर लगातार देखने के कारण विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं।
- भारत में इंटरनेट की पहुँच केवल 50% लोगों तक ही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक दयनीय है।
- ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में अपेक्षाकृत कम शिक्षकों की आवश्यकता होती है, इससे बेरोज़गारी की समस्या में वृद्धि हुई है।

सुझाव

- इस दौरान शिक्षा के प्रसार के लिये सरकारी एजेंसी 'प्रसार भारती' की मदद ली जा सकती है। यह एजेंसी भारत में रेडियो व टेलीविजन पर प्रसारण से संबंधित है। 'प्रसार भारती अधिनियम' के तहत 'ऑल इंडिया रेडियो' (AIR) तथा 'दूरदर्शन' नामक एजेंसियों के प्रमुख कार्यों में शिक्षा के प्रसार को भी शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा ए.आई.आर. का सहयोग भी लिया जा सकता है। भारत में इसके 470 प्रसारण केंद्र उपस्थित हैं, जो भारत के 92% भौगोलिक क्षेत्र तथा 99.19% आबादी को कवर करते हैं।
- 'दूरदर्शन' भारत तथा दुनिया भर में टेलीविजन, ऑनलाइन और मोबाइल प्रसारण का काम करता है। दूरदर्शन के 34 सेटेलाइट चौनल, राज्य की राजधानियों में 17 स्टूडियो तथा अन्य शहरों में 49 स्टूडियो मौजूद हैं।
- शुरू में कक्षा 10 से 12 तक के लिये शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम लॉन्च करना चाहिये तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर 4:1 (रेडियो पर 4 घंटे और दूरदर्शन पर 1 घंटा) के अनुपात में प्रसारण करना चाहिये।
- जिन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन की या शारीरिक गतिविधियों को देखने आवश्यकता है, उन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना चाहिये।
- शिक्षकों को रेडियो तथा दूरदर्शन पर पढ़ाने तथा मूल्यांकन के लिये उपयुक्त उपकरण बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- यदि नियमित रूप से रेडियो का प्रयोग संभव नहीं हो सके, तो डिजिटल रेडियो स्पांगिंग एफ.एम. का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से चलाये जाते हैं।
- सरकार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से शिक्षकों तथा छात्रों के लिये कुछ घंटे मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिये कह सकती है।

निष्कर्ष

इन प्रकार, छोटी स्क्रीन पर पढ़ाई करने की समस्या से निजात पाई जा सकती है तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इसके अलावा, रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है तथा विद्यार्थियों को वित्तीय दबाव से उबारा जा सकता है।

अन्य स्मरणीय तथ्य

- अनुच्छेद 21(A) 'शिक्षा' को मौलिक अधिकार घोषित करता है। इसके अंतर्गत 'राज्य' 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
- विदित है कि अनुच्छेद 21(A), 45 तथा 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में अंत:स्थापित किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने 'मोहिनी जैन बनाम आंध्रप्रदेश राज्य मामला, 1993' में प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया था।
- संसद ने अनुच्छेद 21(A) के अंतर्गत बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 पारित किया था।

कोरोना वैरिएंट्स की भयावहता का प्रश्न

संदर्भ

पिछले कुछ माह में भारत में कोविड-2.0 के संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। एक समय इन मामलों की संख्या चार लाख प्रतिदिन के आँकड़ों को पार कर गई थी।

कोविड-2.0 आने के कारण

- लोगों में 'कोविड-उपयुक्त व्यवहार' यथा- मास्क व सैनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि में कमी आना।
- राजनीतिक समारोहों का आयोजन किया जाना।
- कोरोना विषाणु में उत्परिवर्तन से नए वैरिएंट का उत्पन्न होना।

कोरोना विषाणु के नए वैरिएंट

- वैज्ञानिक समुदाय विषाणु में हुए उत्परिवर्तन का कोविड मामलों में हुई वृद्धि से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। विषाणु में होने वाला उत्परिवर्तन उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है।
- उत्परिवर्तन से निर्मित कोरोना विषाणु के एक वैरिएंट को B.1.617 नाम दिया गया है। इसकी संक्रमण दर अपेक्षाकृत अधिक है। पहली बार यह वैरिएंट महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में देखा गया था। इसके अलावा, तेजी से फैलने वाला B.1.1.7 नामक एक अन्य वैरिएंट यूनाइटेड किंगडम सामने आया था, इसकी बड़ी संख्या उत्तर भारत में भी देखी गई है।
- वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना विषाणु के नए वैरिएंट्स को कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि का एक कारण तो माना जा सकता है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं।

वायरस की स्थानिक भिन्नता

- दिल्ली स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी' (IGIB) के अनुसार, नए वैरिएंट्स देश के कई हिस्सों में पाए गए हैं, लेकिन इन्हें कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल, 'जिन स्थानों पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आए, वहाँ वैरिएंट अपेक्षाकृत कम अथवा नगण्य मात्र में मिले।'
- उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र के विदर्भ में तो कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिये B.1.617 वैरिएंट को ज़िम्मेदार माना जा सकता है, मुंबई में मामलों की वृद्धि के लिये नहीं क्योंकि मुंबई में इस वैरिएंट से ग्रसित रोगियों की संख्या नगण्य पाई गई। अतः मुंबई में किन्हीं अन्य कारकों के चलते मामलों में वृद्धि हुई।
- केरल में N440K नामक वैरिएंट पाया गया, लेकिन केरल में हुई कोविड-19 मामलों की वृद्धि में इसकी भूमिका नहीं पाई गई।
- पंजाब और हरियाणा में यू.के. के वैरिएंट पाए गए और इन वैरिएंट्स के वजह से दोनों राज्यों में कोविड-19 के मामले भी बढ़े। एक अध्ययन के अनुसार, पंजाब में संक्रमित लोगों में से 80% से अधिक लोगों में यू.के. वाला वैरिएंट पाया गया। जबकि दिल्ली में यू.के. के वैरिएंट के अलावा, देश के विभिन्न राज्यों में पाए गए लगभग सभी वैरिएंट मिले।
- इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील आदि देशों में भी कोरोना वायरस के वैरिएंट्स पाए गए हैं। इनमें से ब्राजील में प्राप्त हुए वैरिएंट को B.1.618 नाम दिया गया है।

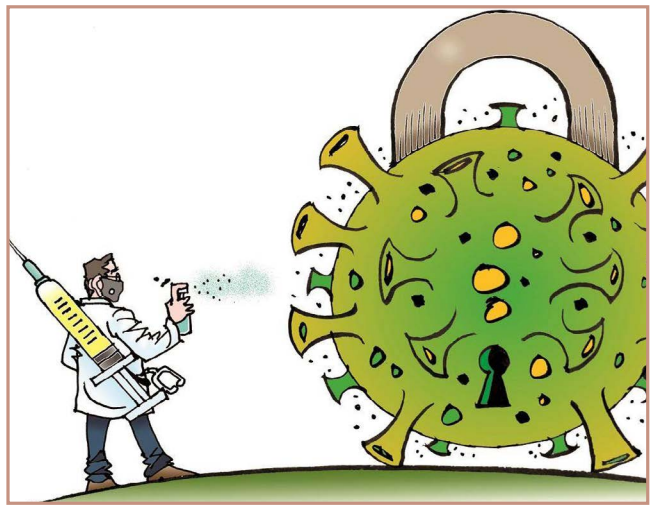

वैरिएंट्स में परिवर्तन

कोरोना वायरस के भारत में पाए गए B.1.617 नामक वैरिएंट को पहले भारत ने चिंताजनक करार दिया, तत्पश्चात् डब्ल्यू.एच.ओ. ने भी इसे 'वैश्विक रूप से चिंताजनक वैरिएंट' घोषित कर दिया। इस वैरिएंट हुए अन्य परिवर्तनों के कारण B.1.617.1, B.1.617.2 और B.1.617.3 नामक नए उप-वैरिएंट भी सामने आए हैं। इनकी संक्रमण दर मौलिक वैरिएंट से भी अधिक है।

निष्कर्ष

आई.जी.आई.बी. के अनुसार, ये तीनों नए उप-वैरिएंट चिंता का सबब बन सकते हैं। ऐसे में, न सिर्फ भारत को प्रौद्योगिकीय विकास व अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिये, बल्कि समूचे वैश्विक समुदाय को इस महामारी से निपटने के लिये कदमताल करनी चाहिये।

❑❑❑

7 आर्थिक घटनाक्रम

उत्पादकता और आर्थिक विकास

संदर्भ

उत्पादकता में वृद्धि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिये महत्त्वपूर्ण होती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल धीमी गति से बढ़ता है तथा पूँजी स्टॉक बड़ी मात्रा में पहले से ही मौजूद होता है। आमतौर पर 'श्रम और पूँजी' उत्पादन के अधिकांश भाग के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।

उत्पादकता में वृद्धि और आर्थिक सुधार

- उत्पादकता बढ़ाना आर्थिक प्रदर्शन में सुधार का सबसे सीधा और तात्कालिक उपाय है। उदाहरण के लिये, यदि अमेरिका में पूर्ण कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity) में वार्षिक वृद्धि विगत पाँच वर्षों में 0.5% से बढ़कर 2% हो जाती है तो इसके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-26 के लिये आई.एम.एफ. द्वारा अनुमानित 1.5% से दोगुनी हो जाएगी। 'पूर्ण कारक उत्पादकता' की गणना सामान्यत: 'कुल आउटपुट' को 'कुल इनपुट' से विभाजित कर की जाती है।
- उत्पादकता में तीव्र वृद्धि कोई अनोखी बात नहीं है। वर्ष 1996 से 2004 के बीच अमेरिका में ऐसा देखा गया था। इस अवधि को अक्सर 'नई अर्थव्यवस्था के वर्ष' भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान थोक, खुदरा व वित्त क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रियाओं को समावेश हुआ था।
- यदि इसी दर से उत्पादकता में पुन: वृद्धि होती है तो एक ही पीढ़ी में आय दोगुनी हो सकती है। सरकारों के पास राजस्व अधिक होगा तथा बजट घाटे कम होंगे। ऋण-जी.डी.पी. अनुपात सुधारेगा और विकास प्रक्रिया तीव्र होगी।

बदलाव के संकेत

- कोविड महामारी से इसमें बदलाव की उम्मीद है। 'मैकिन्से एंड कंपनी' जैसे आशावादी कहते हैं कि इससे दूरस्थ कार्य (Remote Work) की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि फर्में अपने कार्य-संचालन को अधिक कुशलता से संगठित कर रही हैं।
- कार्यों को 'स्वचालित' करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे मशीनों के द्वारा माँस की पैकिंग करना। महामारी ने ऑनलाइन खुदरा लेन-देन, टेली हेल्थ और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है।

समस्याएँ

- डिजिटल प्रौद्योगिकी में निवेश बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है। अत: बड़ी कंपनियों के वर्चस्व से प्रतिस्पर्धा में अभाव के साथ-साथ इन पर नवाचार का दबाव भी कम हो जाएगा।
- कोविड के प्रति 'सामूहिक प्रतिरक्षा' के अभाव में आतिथ्य क्षेत्र (Hospitality Sector) की कंपनियों को स्थायी रूप से उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा।
- 'आर.एन.ए. आधारित कोविड टीकों' के तीव्र विकास से वैज्ञानिक प्रगति तो दिखी, परंतु मेटामटेरियल्स, ह्यूमन जीनोमिक्स, नैनो तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ। मगर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में अत्यधिक वक्त लगेगा।

संभावनाएँ एवं उपाय

- वर्ष 1918-20 की इन्फ्लूएंजा महामारी के परिणाम पर विचार करें तो इसने मोटर वाहनों के लिये आंतरिक दहन इंजन और उत्पादन के लिये हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन के विकास को आगे बढ़ाया था। इसी समय सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का आविष्कार हुआ, जिसने रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका को उस युग की प्रमुख उच्च तकनीक कंपनी के रूप में स्थापित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित रासायनिक प्रक्रियाओं ने बाद में उर्वरक लागत को कम हुई और कृषि क्षेत्र को लाभ हुआ।
- हालाँकि 1920 के दशक में जब उत्पादकता बढ़ी, तो इसका पूर्ण प्रभाव 1930 के दशक में महसूस किया गया। फर्मों ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उत्पादन को पुनर्गठित करने का प्रयास किया और जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, वे बाज़ार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। सरकार ने सड़कों में निवेश किया, जिससे वितरण में उत्पादकता बढ़ाने के लिये ट्रकिंग उद्योग का विकास हुआ।
- प्रयास और परिणाम में यह विलंब दो महत्त्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला, उत्पादकता में तीव्र वृद्धि को वास्तविकता में बदलने में कुछ समय लगता है और सरकार व केंद्रीय बैंकों को इसके अनुसार ही योजना बनानी चाहिये। दूसरा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ कदम उठा सकती है कि उत्पादकता में वृद्धि अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो। इसके लिये सड़कों और पुलों में निवेश करने की तरह आज ब्रॉडबैंड में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि डिजिटलीकरण का दक्षतापूर्वक लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिल सके।

- आर्थिक क्षति और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को समाप्त करने के लिये उत्पादकता में तीव्र वृद्धि एक उचित आधार हो सकता है। हालाँकि बुनियादी सुविधाओं पर खर्च में कमी आने से यह प्रतिकूल भी हो सकता है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कम खर्च दीर्घावधि में नुकसानदायक होगा।

ऑनलाइन आधारित अर्थव्यवस्था की व्यवहार्यता

संदर्भ

कोरोना महामारी ने कार्य करने के तौर-तरीकों में काफी परिवर्तन किया है। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से 'घर से कार्य' (WFH) करने की संस्कृति का तेज़ी से विकास हुआ है। लेकिन लोगों में तकनीकी ज्ञान की कमी व तकनीकी सुविधाओं तक अप्रभावी पहुँच के चलते समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

घर से कार्य : आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी महत्त्व

- महामारी के कारण दुनिया भर में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन घर से कार्य करने का विकल्प कुछ लोगों को कमोबेश आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
- जन-संपर्क के माध्यम से आय अर्जित करने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक संकटग्रस्त हैं। इन लोगों के वेतन में कटौती होने या आजीविका खोने की अधिक संभावना है।
- इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जाना पड़ रहा है, वे अधिक स्वास्थ्य जोखिम का सामना कर रहे हैं।

घर से कार्य की स्थिति

- घर से कार्य करने पर कार्यशैली में लचीलेपन की सुविधा मिलती है। 'भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र' के अनुसार, अप्रैल 2021 में 7.35 मिलियन भारतीयों ने नौकरी गँवाई।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 557 मिलियन लोगों ने घर से काम किया, जो 3.2 बिलियन की कुल वैश्विक श्रम शक्ति का 17.4% है। अर्थात् वैश्विक कार्यबल के पाँचवें हिस्से से भी कम कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था और कार्य की प्रकृति

- किसी अर्थव्यवस्था में काम की प्रकृति उसकी संरचनात्मक विशेषताओं काफी निर्भर करती है। कई अध्ययन बताते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के श्रमिक भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में घर से काम करने की बेहतर स्थिति में हैं। यद्यपि विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अनुमान कभी-कभी भिन्न हो सकते हैं, परंतु अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं में 40% श्रमिक घर से कार्य करने में सक्षम हैं।
- एक अन्य अध्ययन के अनुसार, विकासशील देशों में 10% से भी कम शहरी नौकरियाँ घर से की जा सकती हैं। यह तथ्य इस बात की व्याख्या करता है कि लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों पर अधिक पड़ा है।
- यह असमानता एक ही देश में उपस्थित कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, टेलीवर्किंग (Teleworking) के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का अवरोही क्रम इस प्रकार है– सूचना प्रौद्योगिकी (IT), वित्त, कानून, शिक्षा, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य, विनिर्माण, खुदरा बिक्री, सपोर्ट सर्विसेज, परिवहन, निर्माण, आवास और खाद्य जैसे व्यवसाय। विदित है कि भारत में कृषि के बाद विनिर्माण और खुदरा बिक्री सबसे बड़े रोज़गार प्रदाता क्षेत्र हैं।
- आई.एम.एफ. के ही अनुसार, उच्च औसत आय वाले रोज़गार में घर से काम करने की संभावना अधिक होती है, जबकि कम आय वाले क्षेत्र टेलीवर्किंग के प्रतिकूल होते हैं तथा कम आय वाले श्रमिकों की बचत कम होने के कारण क्रेडिट तक पहुँच भी सीमित होती है।

भारत में ऑनलाइन बाज़ार का भविष्य

- हाल ही में, महामारी-पूर्व स्थिति की तुलना में ऑनलाइन खरीदारी का इरादा रखने वाले उपभोक्ताओं के व्यवहार के बदलाव पर एक अध्ययन किया गया। इसके लिये भारत सहित नौ देशों में उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया।
- सर्वे के अनुसार, भारत में ऑनलाइन शिफ्ट की बड़ी संभावना मौजूद है, विशेष रूप से घरेलू सामानों की खरीद में। हालाँकि अभी इस बदलाव के परिणाम परिलक्षित होने बाकी हैं।
- इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिये, यदि रेस्तराँ में जाने की अपेक्षा घर पर खाना ऑर्डर करने में तेज़ी से उछाल आता है तो इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? क्या इसका मतलब यह होगा कि वेटर की तुलना में रसोइये (Chefs) अधिक सुरक्षित हैं या डिलीवरी सेवाओं में और अधिक रोज़गार पैदा होंगे? ऐसे में, श्रम के पुनः आवंटन का प्रश्न भी उठ खड़ा होगा।

निष्कर्ष

महामारी ने कार्यशैली व उपभोग करने की शैली बदल दी है। ऐसे में, कुछ कार्यों की स्थिति दूसरों की तुलना में बेहतर हुई है। हालाँकि लंबे समय तक इस स्थिति के बने रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिये।

महामारी का प्रकोप झेलती महिला श्रमिक

संदर्भ

कोविड-19 महामारी ने लाखों आजीविकाओं को नष्ट कर गरीबी में आकस्मिक और व्यापक वृद्धि की है तथा भारतीय श्रम बाज़ार में बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है। विशेष रूप से, महिला कामगारों पर इसका अधिक असर पड़ा है। इसने महिलाओं की आय, स्वास्थ्य व सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

रोज़गार में व्यापक लैंगिक अंतराल

- यूँ तो वर्ष 2020 से पहले भी रोज़गार में बड़े स्तर पर लैंगिक विषमता विद्यमान थी। लगभग 75% पुरुषों की तुलना में केवल 18% कार्यशील महिलाएँ ही कार्यरत थीं। इसके लिये अच्छी नौकरियों का अभाव, भेदभावमूलक सामाजिक मानदंड और घरेलू काम का बोझ इत्यादि कारक ज़िम्मेदार हैं।
- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित किया है। 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड' के आँकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान 61% पुरुष श्रमिक अप्रभावित रहे, जबकि केवल 19% महिलाओं को रोज़गार की सुरक्षा मिली। इसके अलावा, वर्ष 2020 के अंत तक लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार हुई 47% रोज़गार-प्राप्त महिलाएँ काम पर नहीं लौटीं, जबकि इस श्रेणी के पुरुष महज़ 7% थे।
- हालाँकि अनिश्चितता में वृद्धि तथा कम आय के बावजूद बेरोज़गार हुए पुरुष श्रमिक पुन: रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास रोज़गार के विभिन्न विकल्प मौजूद थे, जबकि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में रोज़गार के विकल्प कम थे।
- महिलाओं के पास दैनिक वेतन भोगी रोज़गार के, जबकि पुरुषों के पास स्वरोज़गार के विकल्प अधिक थे। चूँकि दैनिक मजदूरी की अपेक्षा स्वरोज़गार अधिक आय वाला होता है, अत: पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिये आय की संभावनाएँ भी कम रहीं।

घरेलू कार्य में वृद्धि

- शिक्षण संस्थान बंद होने तथा सभी सदस्यों के अपने घर में रहने के कारण महिलाओं की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। यहाँ तक कि रोज़गार करने वाली महिलाओं के लिये भी घरेलू कार्य का बोझ बढ़ा।
- 'इंडिया वर्किंग सर्वे, 2020' के अनुसार, महामारी के दौरान नियोजित पुरुषों के कार्य के घंटे कमोबेश अपरिवर्तित रहे, जबकि महिलाओं के लिये घरेलू कार्य के घंटों में व्यापक वृद्धि हुई।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- ग्रामीण क्षेत्रों में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY–NRLM) के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ताकि महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके तथा टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सके।
- इसके अलावा, प्रमुख प्रशिक्षकों द्वारा 1,14,500 कम्युनिटी रेस्पॉन्स पर्सन्स (CRP) को तथा सी.आर.पी. के द्वारा स्वयं सहायता समूह की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- राहत प्रदान करने व रोज़गार उत्पन्न करने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 56 करोड़ रुपए का 'रिवॉल्विंग फंड' और 'कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड' महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये जारी किया गया।
- इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों और सामुदायिक वर्गों के लिये कृषि व गैर-कृषि आधारित आजीविका सुनिश्चित करने तथा एस.एच.जी. परिवारों के लिये कृषि-पोषक उद्यानों को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई।

आगे की राह

- राष्ट्रीय रोज़गार नीति के तहत महिला द्वारा रोज़गार हासिल करने संबंधी बाधाओं को दूर किया जाए तथा सामाजिक बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए।
- 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) का विस्तार किया जाए तथा और शहरी महिलाओं के लिये भी रोज़गार गारंटी योजना शुरू की जाए।
- सामुदायिक रसोई की स्थापना करना, विद्यालयों व आँगनवाड़ी केंद्रों को खोलना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना आदि उपाय महिला रोज़गार में वृद्धि कर सकते हैं।
- 25 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छ: माह तक 5,000 रुपए प्रतिमाह कोविड-19 आपदा भत्ता दिया जाना चाहिये।
- एक 'सार्वभौमिक बुनियादी सेवा कार्यक्रम' आरंभ किया जाए, जो सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान रिक्तियों को पूरा करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल में सार्वजनिक निवेश का विस्तार कर सके।

भू-जल स्तर में गिरावट का फसल गहनता पर प्रभाव

संदर्भ

'साइंस एडवांस' में प्रकाशित एक हालिया शोध-पत्र के अनुसार, भू-जल स्तर में गिरावट के कारण सर्दियों में बोई जाने वाली 'फसलों की गहनता' में 20% की कमी होने की संभावना है।

शोध-पत्र के प्रमुख बिंदु

- 'भारत' विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, देश में 30 मिलियन हेक्टयर से अधिक भूमि पर गेहूँ की बुवाई होती

है। भू-जल में गिरावट से सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूँ, जौ, सरसों, मटर इत्यादि फसलों के रकबे में वर्ष 2025 तक 20% की कमी होने की आशंका है।

- शोध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सर्दियों में प्रयोग किये जाने वाले तीन प्रमुख सिंचाई साधनों, यथा– कुएँ, नलकूप तथा नहरों का अध्ययन करने के साथ-साथ केंद्रीय भू-जल बोर्ड के भू-जल आँकड़ों का भी विश्लेषण किया और पाया कि सर्दियों में फसल उपजाने वाले 13 प्रतिशत गाँव गंभीर रूप से भू-जल गिरावट वाले क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
- शोध-पत्र में यह आशंका भी जताई गई कि यदि भविष्य में सभी भू-जल स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो इन गाँवों का लगभग 68 प्रतिशत फसली क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। उक्त शोध के अनुसार, सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर-पश्चिम तथा मध्य भारत के क्षेत्रों को होगा।

फसल गहनता

यह पद दिये गए वर्ष में 'किसी कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग' या 'भूमि उपयोग की बारंबारता' को प्रदर्शित करता है। पारिभाषिक रूप में, 'फसल गहनता' सकल बोए गए क्षेत्र एवं शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपातिक विश्लेषण है।

प्रभाव तथा वैकल्पिक सिंचाई स्रोत

- हालाँकि, परिणामों से पता चलता है कि राष्ट्रीय-स्तर पर नहरों द्वारा सिंचाई करने की क्षमता सीमित हो गई है। यदि भू-जल गिरावट वाले क्षेत्रों में भू-जल की बजाय नहरों द्वारा भी सिंचाई की जाती है, तब भी राष्ट्रीय-स्तर पर फसल गहनता में 7 प्रतिशत की कमी होगी।
- शोध-पत्र में जल-बचत प्रौद्योगिकियों, जैसे– स्प्रिंकलर (फव्वारा), ड्रिप इरीगेशन (टपकन सिंचाई) आदि के साथ-साथ न्यूनतम जल-गहन फसलों का प्रयोग करने पर ज़ोर दिया गया है।

नीतिगत समस्याएँ

- गेहूँ के किसानों के समक्ष पहली पीढ़ी (उत्पादकता) तथा दूसरी पीढ़ी (धारणीयता) से संबंधित समस्याएँ हैं।
- सरकार द्वारा समर्थित हरित क्रांति के कालखंड में उत्तर-पश्चिमी भारत विशेषकर, पंजाब और हरियाणा में चावल की कृषि को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन 'हल्की मृदा' वाला क्षेत्र होने के कारण यह पारिस्थितिक रूप से चावल की कृषि के लिये अनुपयुक्त है।
- नीतिगत समर्थन के कारण गहन कृषि को बढ़ावा मिला, जिसके लिये भू-जल का गैर-धारणीय प्रयोग किया गया। अतः भू-जल संकट में वृद्धि हुई है।
- इसके अतिरिक्त, समय से गेहूँ की बुवाई के लिये फसल उपरांत कृषि अवशेषों के दहन से भी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा है।
- पूर्वी भारतीय राज्यों में उच्च मॉनसून वर्षा के साथ-साथ पर्याप्त भू-जल संसाधन उपलब्ध है किंतु सिंचाई संबंधित पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण वहाँ किसान प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

निष्कर्ष

पूर्वी भारत में नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा सिंचाई अवसंरचना को विस्तृत करने की आवश्यकता है, इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी राज्यों पर पड़ने वाले दबाव में भी कमी आएगी।

महँगाई, बेरोज़गारी तथा असमानता से संबंधित चुनौतियाँ

संदर्भ

भारतीय अर्थव्यवस्था की नियमित रूप से निगरानी करने वाले संस्थान 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (CMIE) के एक हालिया अध्ययन अनुसार, भारत की 'श्रम बल भागीदारी दर' (LFPR) लगातार तीन महीनों से गिरकर अप्रैल, 2021 में 40 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। यह विगत वर्ष लॉकडाउन घोषित किये जाने के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, बेरोज़गारी दर भी 8 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

- 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2021' रिपोर्ट में कोविड-19 कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम बाज़ार का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार, लगभग 23 करोड़ व्यक्ति भारत के न्यूनतम वेतनमान '375 रुपए प्रतिदिन' से नीचे कार्य कर हैं।
- मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के मध्य गरीबी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गया है। इसका तात्पर्य है कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाले भारतीय परिवारों को उनकी दो माह की आय के बराबर का नुकसान हुआ है।
- महामारी की दूसरी लहर तथा लॉकडाउन के मद्देनज़र यह संभव नहीं है कि गरीबी अनुपात में शीघ्र ही कोई सुधार देखने को मिले और गरीबी की बढ़ती दर असमानता में वृद्धि का कारण भी बनेगी।
- आय पिरामिड के दूसरे छोर पर 'शेयर बाज़ार' संपत्ति और पूँजीगत लाभ प्रदान कर रहा है। वैश्विक वित्तीय प्रोत्साहन (Global Fiscal Stimuli) की उम्मीद के चलते में तरलता में वृद्धि की संभावना है, इसलिये वैश्विक शेयर बाज़ारों में तेज़ी देखी जा रही है।

- हालाँकि भारत में 'उपभोग और निवेश' दोनों ही न्यूनतम स्तर पर हैं। विगत दो वर्षों की अवधि में 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (Index of Industrial Production - IIP) में नकारात्मक वृद्धि रही है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अभी भी अपने पूर्व-महामारी के स्तर पर नहीं पहुँच पाई है।

महँगाई की चुनौतियाँ

- इस वर्ष अप्रैल में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) आधारित मुद्रास्फीति 10% से ऊपर रही। इसमें 20 प्रतिशत भाग 'फ्यूल सब-कंपोनेंट' का है, जो खुदरा बाज़ार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को दर्शाता है।
- पेट्रोल व डीजल, दोनों की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। इससे विनिर्मित उत्पादों सबंधी मुद्रास्फीति 9% के स्तर पर पहुँच गई है।
- डब्लू.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति का अधिकांश भाग इस्पात, लौह अयस्क, सीमेंट, रसायन और अलौह धातुओं जैसी वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करता है।
- वैश्विक स्तर पर, स्टील की वर्तमान कीमत $1,000 प्रति टन है, जो वर्ष 2008 के 'उच्चतम' मूल्य से भी अधिक है। इसके अलावा, ब्लूमबर्ग का 'कमोडिटी स्पॉट इंडेक्स' वर्ष 2011 के बाद के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।
- उक्त वृद्धि, आंशिक रूप से वैक्सीन कार्यक्रम तथा दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन में विकास की मज़बूत संभावनाओं के कारण परिलक्षित हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 18% की संवृद्धि दर्ज की है तथा उम्मीद है कि आगे भी 'चीन' इसी गति से बढ़ता रहेगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने अपनी अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिये एक महत्त्वाकांक्षी राजकोषीय व्यय योजना तैयार की है। अनुमान है कि यू.एस.ए. की अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ रही है क्योंकि उसकी नवीनतम मुद्रास्फीति दर 4.2% दर्ज की गई है।
- कार्गो व कंटेनर शिपमेंट, दोनों के लिये कंटेनरों की कमी तथा बढ़ती माल ढुलाई दरों से यह प्रतीत हो रहा है कि वैश्विक व्यापार में भी तेज़ी आ रही है।

महँगाई के प्रभाव

- बढ़ती कीमतों ने 'एग्रीकल्चर बास्केट' को भी प्रभावित किया है। 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) का 'खाद्य मूल्य सूचकांक' एक वर्ष में 31% बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, चीनी की कीमतें 58 फीसदी बढ़ी हैं तथा वनस्पति तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
- भारत की डब्लू.पी.आई. मुद्रास्फीति, जो उत्पादकों के लिये बढ़ती 'इनपुट लागत' को प्रदर्शित करती है, का कितना दबाव अंतिम उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जाएगा, यह देखना अभी शेष है।
- इसके अलावा, ईंधन की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ना तय है। 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) में खाद्य पदार्थों का भारांश ज़्यादा होता है। एक अच्छा मानसून, जो फसल की बेहतर पैदावार सुनिश्चित कर सकता है, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है।
- 'मानसून' किसानों और ग्रामीण उत्पादकों के लिये आपदा का कारण भी बन सकता है क्योंकि यदि फलों और सब्जियों जैसी मौसमी उपज की कीमतों में गिरावट होती है, तो इससे से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला, जहाँ किसानों ने अपने टमाटर बहुत कम कीमतों पर बेचने के बजाय उन्हें नष्ट करने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि चालू कीमतों पर वे इनपुट लागत को भी वसूलने में असमर्थ हैं।
- भारत में गेहूँ, चावल जैसे कुछ अनाजों के लिये तो 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन अन्य फसलों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो उनका मूल्य सुनिश्चित कर किसानों को राहत दे सके।
- कोविड-19 की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और वे कम आय, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी तथा असमानता की समस्या का सामना कर रहे हैं।

भावी राह

- एम.एस.एम.ई. और अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी संघर्षरत है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में उनके लिये विशेष ऋण और तरलता उपाय संबंधी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, उनके लिये 'ऋण-पुनर्भुगतान स्थगन' (Loan-repayment Moratorium) तथा पुराने ऋणों (Overdue Loans) को पुनर्गठित करने की आवश्यकता भी हो सकती है।
- 'प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता' (Direct Fiscal Support) के माध्यम से मुद्रास्फीति और आय-क्षति की दोहरी मार झेल रहे परिवारों की सहायता की जा सकती है।
- जैसा कि 'वर्किंग इंडिया रिपोर्ट' में सुझाया गया है कि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के सभी लाभार्थियों को कम से कम तीन महीने तक 5,000 रुपए प्रतिमाह का नकद हस्तांतरण करना उचित रहेगा।
- गौरतलब है कि पी.डी.एस. का कवरेज जन-धन बैंक खातों की तुलना में दोगुना है। विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नि:शुल्क अनाज वितरण आवश्यक प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

- नीति-निर्माताओं को सतर्क रहना चाहिये कि भारत में आय और आजीविका का संकट, खाद्य संकट में परिवर्तित न होने पाए। बेशक, तात्कालिक प्राथमिकता 'स्वास्थ्य सेवाएँ' सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके लिये भी तीव्र सार्वभौमिक और नि:शुल्क टीकाकरण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। इन कार्यों के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये भी सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिये।

सार्वभौमिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता

संदर्भ

भारत दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी राज्यों में से एक है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान भारत अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों को सुविधाएँ देने में विफल रहा है।

महामारी का प्रभाव

- कोविड-19 महामारी ने भारत में लगभग 75 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है।
- आर्थिक तथा सामाजिक पूँजी के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच अपर्याप्त सिद्ध हुई है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ सार्वभौमिक नहीं हैं, किंतु यह महामारी सार्वभौमिक है। भारत में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के माध्यम से 500 से भी अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, लेकिन इनकी पहुँच पात्र लोगों तक नहीं है।
- महामारी काल में एहसास हुआ कि मौजूदा देश में एक 'सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना' लागू करना अपरिहार्य है, ताकि कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के उदाहरण

- 19वीं शताब्दी में आयरलैंड ने भारी गरीबी व अकाल का दौर देखा। इससे निजात पाने के लिये एक 'गरीब कानून प्रणाली' लागू की गई थी। इसके तहत स्थानीय संपत्ति करों के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान की गई थी। आयरलैंड की यह सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 4 आयामों पर आधारित थी, ये थे– सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वभौमिक योजनाएँ तथा अतिरिक्त लाभ।
- भारत में 'पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम' एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में भारत पोलियो से पूर्णत: मुक्त हुआ। अत: स्पष्ट है कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ 'सार्वभौमिक योजना' भी विकास यात्रा का प्रमुख घटक है।

भारत में सार्वभौमिक सुरक्षा

- वर्ष 2016 में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (PMGKY) का शुभारंभ किया गया था। जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), गैस सिलेंडर तथा मनरेगा जैसे क्षेत्रों में रोज़गार प्रदान किया जा रहा है। महामारी के दौरान इस योजना में कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए।
- इनके अंतर्गत महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपए प्रतिमाह हस्तांतरित किये जाएँगे। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए की गई है। जबकि प्रत्येक चिकित्साकर्मी को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को पहले से मिल रहे लाभ के अतिरिक्त, प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूँ/चावल के साथ 1 किग्रा. दाल नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।
- कर्मचारी अपने पी.पी.पी. खाते से कुल जमा राशि का 75% निकाल सकेंगे तथा अगले 3 माह तक ई.पी.एफ. खाते में कर्मचारी व कंपनी के अंशदान का भुगतान सरकार करेगी।
- बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा विधवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ध्यातव्य है कि पी.एम.जी.के.वाई. की शुरुआत वर्ष 2016 में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये की गई थी।

सुझाव

- पी.एम.जी.के.वाई. और अधिक मज़बूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे देश में एक ही सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सुनिश्चित की जा सके।
- पूरे देश में एक ही सार्वभौमिक योजना क्रियान्वित करने से पहले एक सार्वभौमिक पहचान पत्र की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोग आसानी से लाभान्वित हो सकें। सार्वभौमिक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को मान्यता दी जा सकती है।

लाभ

- योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच सकेगा।
- सरकार के पास बेहतर डेटाबेस मौजूद रहेगा, जो प्रभावी नीति-निर्माण में सहायक होगा।
- इससे अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर गृह राज्य से अलग राज्य में भी सामान सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

वर्तमान परिस्थितियों में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर एक सार्वभौमिक योजना शुरू करना चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को इस दिशा में विचार करना चाहिये। इससे योजनाओं का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा तथा विभिन्न योजनाओं में होने वाले धन के अपव्यय में भी कमी होगी।

दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये सरकार की रणनीति

संदर्भ

खरीफ फसलों के आगामी मौसम के दौरान दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है।

सरकार की रणनीति

- इस विस्तृत योजना का उद्देश्य अरहर, मूँग तथा उड़द जैसी दलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके तहत अंतर-फसल प्रणाली के माध्यम से प्रोटीन युक्त फसल क्षेत्र का 4.05 लाख हेक्टेयर तक विस्तार किया जाएगा।
- कृषि मंत्रालय ने इस उदेश्य की प्राप्ति के लिये कृषकों को अरहर, मूँग तथा उड़द जैसी विभिन्न खरीफ फसलों के 20.27 लाख बीज किट वितरित करने का प्रस्ताव दिया है। बीज किटों की यह संख्या पिछले खरीफ मौसम में किसानों को वितरित किये गए बीज किटों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है।
- इस रणनीति के तहत केंद्र तथा राज्यों की बीज एजेंसियों में उपलब्ध उच्च उपज वाली किस्मों के बीज किसानों को मुफ्त में वितरित किये जाएँगे। इन बीजों का उपयोग अंतर-फसल या एकल फसल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
- अरहर की अंतर-फसल के लिये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान सहित 11 राज्यों के कुल 187 ज़िलों की पहचान की गई है, जबकि मूँग की फसल के लिये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों के कुल 85 ज़िलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, उड़द की फसल के लिये 6 राज्यों के करीब 60 ज़िलों को चुने जाने की उम्मीद है।
- इस पहल का उदेश्य भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। यद्यपि दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारत ने वर्ष 2020-21 में 24.42 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया था, इसके बावजूद भी लगभग 4 लाख टन अरहर, 3 लाख टन उड़द तथा 0.6 लाख टन मूँग की दालों का आयात किया गया था।
- इस रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कृषकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा और इस हेतु 'कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान' (ATARI) तथा 'कृषि विज्ञान केंद्रों' का सहयोग लिया जाएगा।

दलहन फसलों की उपयोगिता और भारत

- दलहन के क्षेत्र में 'भारत' विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक तथा उपभोक्ता देश है। वैश्विक दलहन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% तथा वैश्विक उपभोग में इसकी हिस्सेदारी लगभग 27% है।
- दलहन फसलें जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलन और शमन के रूप में दोहरी भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता बनाए रखने में भी अत्यंत सहायक होती हैं।
- भारत में दलहन फसलों को अवशिष्ट फसल के रूप में जाना जाता है, जो फलीदार पादप परिवार (Legume Family) से संबंधित हैं। इन फसलों में प्रोटीन, फाइबर, खनिज तथा विटामिन प्रचुर मात्र में पाए जाते हैं।
- लाल चना, अरहर, उड़द, मूँग तथा मसूर को भारत की प्रमुख दलहन फसलों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि राजमा, लोबिया, मोठ, खोसारी एवं कुल्थी को फलीदार दलहन फसलों के अंतर्गत गौण फसलों में शामिल हैं।

निष्कर्ष

सरकार की इस रणनीति से दालों के उत्पादन, उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे न सिर्फ भारत द्वारा किये जाने वाले दलहन के आयात में कमी आएगी, बल्कि भारत दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन सकेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार नीति की आवश्यकता

संदर्भ

हाल के दिनों में, भारतीय मुद्रा बाज़ार में व्यापक अनिश्चितता देखी गई। हालाँकि इस संबंध में ऐसे विनियमन का अभाव है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के क्रियाकलापों को परिभाषित करता हो।

वर्तमान परिदृश्य

- मौद्रिक नीति, जिसे 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' का स्पष्ट अधिदेश प्राप्त है, के इतर विदेशी मुद्रा प्रबंधन को आर.बी.आई. के विवेक पर छोड़ा गया है। विगत कई वर्षों से आर.बी.आई. ने रुपए का मूल्य लक्षित नहीं किया बल्कि इसकी अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिये समय-समय पर कई हस्तक्षेप किये हैं।
- हालाँकि मुद्रा बाज़ार के वृहत् परिमाण तथा प्रकृति को देखते हुए आर.बी.आई. का यह हस्तक्षेप विनिमय दर के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषकर, विगत कुछ माह से मुद्रा बाज़ार में केंद्रीय बैंक की भूमिका प्रभावी रूप में सामने आई है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आर.बी.आई. की हस्तक्षेप नीति को उत्कृष्ट माना गया क्योंकि इस दौरान विदेशी मुद्रा का उच्च अंतर्प्रवाह देखा गया। इस नीति के द्वारा आर.बी.आई. ने मुद्रा बाज़ार की अस्थिरता को रोकने में सफलता प्राप्त की।
- इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. ने रुपए के अत्यधिक अधिमूल्यन को रोकने का भी प्रयास किया, जो भारत के घरेलू उत्पादन, रोज़गार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता था।

वर्ष 2020-21 में विदेशी मुद्रा का प्रवाह

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा का रिकॉर्ड अंतर्प्रवाह हुआ। कोविड-19 के दौरान उपभोग तथा आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई, परिणामस्वरूप फरवरी 2021 तक चालू खाते में लगभग +27 बिलियन का अधिशेष दर्ज किया गया।
- इसी अवधि में $41 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा $36 बिलियन का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्राप्त हुआ। विदेशी मुद्रा के रिकॉर्ड अंतर्प्रवाह के बावजूद डॉलर, रुपए के मुकाबले मात्र 2% ही कमज़ोर हो सका।
- डॉलर-रुपए के समीकरण में यह सापेक्षिक स्थिरता इसलिये रही क्योंकि आर.बी.आई. ने 'स्पॉटमार्केट' में लगभग $74 बिलियन तथा वायदा बाज़ार में लगभग $79 बिलियन की खरीदारी की थी।
- बाज़ार में किये गए हस्तक्षेप और उसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए, आर.बी.आई. ने पुनः स्पष्ट किया कि उसके बाज़ार-हस्तक्षेप का उद्देश्य किसी भी स्तर को लक्षित नहीं करना होता है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल अस्थिरता को कुछ कम करना होता है।

आवश्यकता क्यों?

- भारत में मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिये तो 'मौद्रिक नीति समिति' के रूप में एक विधिक ढाँचा स्थापित है, लेकिन ऐसे किसी भी सार्वजनिक ढाँचे का अभाव है, जो 'विदेशी मुद्रा संचालन' के क्षेत्र में आर.बी.आई. का मार्गदर्शन कर सके।
- आर.बी.आई. को इस पर भी विचार करना होगा कि क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हुआ विदेशी मुद्रा का भारी अंतर्प्रवाह एक-तरफा था? इससे पूर्व भारत में वित्तीय वर्ष 2017-18 में $28.9 बिलियन विदेशी मुद्रा का उच्च अंतर्प्रवाह हुआ था।
- वर्तमान परिदृश्य में यदि आर.बी.आई. रुपए को बाज़ार के हाल पर छोड़ देता तो इसका स्तर डॉलर के मुकाबले 68 रुपए या उससे भी नीचे जा सकता था।
- इसी तरह, यदि विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह होता तो रुपए में तीव्र गिरावट हो सकती थी। इस प्रकार की अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिये प्रतिकूल होती है।
- उक्त परिस्थितियों में आर.बी.आई. द्वारा बाज़ार से अतिरिक्त तरलता कम करने के लिये उठाए गए कदमों को उचित ठहराया जा सकता है, किंतु यह उत्तर अभी भी शेष है कि ऐसे हस्तक्षेपों का आधार क्या होना चाहिये?
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान दौर में उपभोग, आयात तथा वैश्विक तरलता में हुई गिरावट कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रेरित है।

मुद्रा का उचित मूल्य

- मुद्रा का उचित मूल्य मापने की सबसे आसान और प्रभावी व्यवस्था 'वास्तविक प्रभावी विनिमय दर' (REER) होती है। इसे एक उदाहारण से समझ सकते हैं–
  - माना कि आज $1 का मूल्य 75 रुपए है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चॉकलेट का मूल्य $1 है तथा इसी चॉकलेट का मूल्य भारत में 75 रुपए है। इसी तरह, मान लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2% है, जबकि भारत में यही दर 6% है।
  - एक वर्ष उपरांत यदि डॉलर का मूल्य स्थिर रहता है तो उसी चॉकलेट का मूल्य यू.एस.ए. में 1.02 डॉलर तथा भारत में 79.5 रुपए होगा। डॉलर का मूल्य स्थिर रहने के कारण उसे यू.एस.ए. से 76.5 रुपए ($1.02 × 75) के मूल्य पर आयात किया जा सकता है, जो घरेलू मूल्य स्तर 79.5 रुपए से काफी कम होगा। ऐसी स्थिति में, चॉकलेट के घरेलू उत्पादक तब तक प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं, जब तक चॉकलेट की कीमतें तथा मुद्रा की दर पुनः संतुलित नहीं हो जाती है।
- बेशक, कई अन्य कारक भी मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिये उत्तरदायी होते हैं, लेकिन भारत के घरेलू उत्पादन एवं रोज़गार को बढ़ाने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार करने के लिये ये सिद्धांत भी उपयोगी हैं।

इम्पॉसिबल ट्रिनिटी

- 'असंभव-त्रय' या 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी' से आशय ऐसी स्थिति से है, जब एक केंद्रीय बैंक, दीर्घकाल में स्वतंत्र मौद्रिक नीति के संचालन के लिये एक निश्चित विनिमय दर तथा पूँजी के मुक्त आवागमन की उम्मीद करता है।
- उदाहरण के लिये, एक केंद्रीय बैंक लचीली मौद्रिक नीति के द्वारा समग्र मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर तथा मुद्रा बाज़ार में अपनी मुद्रा की बिक्री को प्रतिबंधित किये बिना यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि उसकी मुद्रा की विनिमय दर स्थिर रहेगी। यह विचार 'मुंडेल-फ्लेमिंग के सिद्धांत' पर आधारित है।
- उक्त अकादमिक परिभाषा से परे, इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत इसका संचालन कैसे करता है।
- कुछ समय पूर्व मौद्रिक नीति के माध्यम से लचीली मुद्रास्फीति को लक्षित किया गया था। हालाँकि यह ढाँचा 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी' से भिन्न है।
- इसका निहितार्थ यह है कि मुद्रा बाज़ार को अलग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, जबकि एम.पी.सी. केवल मुद्रास्फीति से निपटने के लिये मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है।

- हालाँकि एम.पी.सी. की समीक्षा के आधार पर आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित ब्याज दरें मुद्रास्फीति से ज़्यादा, मुद्रा बाज़ार और उसमें होने वाले प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं।

भावी राह

- कोविड-19 के दौरान बड़ी मात्रा एकत्रित हुए इस 'बफर' (विदेशी मुद्रा भंडार) का प्रयोग महामारी और उससे आगे की कठिनाइयों से लड़ने के लिये किया जा सकता है। इस कठिन घड़ी में यह मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक के समक्ष न सिर्फ पर्याप्त विदेशी मुद्रा की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, बल्कि उसे मौद्रिक नीति के स्वतंत्र संचालन में भी सक्षम बनाएगा।
- इसके अलावा, आर.बी.आई. अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र में निवेश के लिये भी कदम उठा सकता है, जैसे– यदि निवेश रुपए में है तो उधारकर्ता उसे आसानी से डॉलर में बेच सकता है, इससे आर.बी.आई. का मुद्रा भंडार भी बरकरार रहेगा।
- विदेशों में निवेशित आर.बी.आई. के व्यापक रिज़र्व के उचित प्रयोग को लेकर अभी भी ठोस रणनीति की आवश्यकता है। हालाँकि इसके विदेशों में निवेश के बारे में अभी भी सीमित जानकारी उपलब्ध है। इस संबंध में अनुमान है कि यह राशि उच्च गुणवत्ता वाले तथा अल्पकालिक संप्रभु बॉण्ड और जमाओं के रूप में मौजूद है।

निष्कर्ष

समेकित रूप से कहा जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक भूमिका सराहनीय रही है किंतु अन्य वैश्विक अनुभवों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को प्रबंधित करने के लिये एक विशिष्ट एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता है। इससे संबंधित अस्पष्टता को समाप्त करने के लिये आर.बी.आई. के विदेशी मुद्रा प्रबंधन के उद्देश्यों, उसके इंटर-लिंकेज तथा परिणामों के बारे में पर्याप्त संवाद की आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर समान निगम कर : आवश्यकता और निहितार्थ

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट एल. येलन द्वारा वैश्विक समन्वय के लिये प्रस्तावित 'निगम कर' के व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया कि वह वैश्विक स्तर पर 'समान निगम कर' व्यवस्था लाने का प्रयास करे।

समान निगम कर की आवश्यकता क्यों?

- वर्तमान में, सरकारों को व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है ताकि वे जन कल्याण के अधिकाधिक कार्य, जैसे– आय हस्तांतरण, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति आदि कर सकें।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण सरकार के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ गया है।
- महामारी के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ने के बावजूद शेयर बाज़ारों में पूँजी का प्रवाह बढ़ा है क्योंकि निकट भविष्य में माँग बढ़ने की उम्मीद है।
- इस समय, शेयर बाज़ार में निवेश करने वालों तथा महामारी के दौरान आय के साधन खोने वालों के मध्य असमानता में भारी वृद्धि हुई है।

उच्च बजट घाटा

- बाइडन प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से $3 ट्रिलियन का 'पैकेज' घोषित किया है। यह वर्ष 2021 में खर्च किये जाने वाले पूर्ववर्ती $1.9 ट्रिलियन के पैकेज से अलग होगा।
- इससे पूर्व ट्रंप प्रशासन ने भी वर्ष 2020 में क्रमशः $900 बिलियन तथा $2 ट्रिलियन के दो पैकेजों की घोषणा की थी। इस प्रकार, पूर्व में विद्यमान घाटे को वर्ष 2020 तथा 2021 में जी.डी.पी. के 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्तर तक पहुँचाया गया, यह बजटीय घाटे का एक अभूतपूर्व स्तर है।

अतिरिक्त कर संग्रहण

- अतिरिक्त कर संग्रहण से इस वृहत् घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी, इसी कारण अमेरिकी प्रशासन वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है।
- अमेरिकी व्यावसायिक वर्ग तथा रुढ़िवादियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हालाँकि जेफ बेजोस जैसे कुछ बड़े अमेरिकी उद्योगपतियों ने अमीरों पर अधिक कर लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
- अमेरिका तथा यूरोप के अमीरों पर अधिक कर लगाने का मुद्दा वर्ष 2011 से ही चर्चित रहा है। वर्ष 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सर्वप्रथम वारेन बफेट ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करने के लिये यह विचार प्रस्तुत किया था।
- तत्पश्चात् यह प्रस्ताव कई बार आया, लेकिन निगमों पर कर बढ़ाने की बजाय तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2018 में

निगम कर को 35% से घटाकर 21% कर दिया था, जो हालिया वर्षों सर्वाधिक कटौती है। इन तमाम बातों से यह संकेत मिलता है कि निगम कर की दरों को बढ़ाना बहुत मुश्किल है।

निगम कर की दर कम होने के कारक

- वर्ष 1990 के दौरान सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र बुरी प्रभावित हुए और उन्हें आर्थिक संकट से उबरने के लिये पूँजी की आवश्यकता थी।
- इन परिस्थितियों में वैश्विक पूँजी आकर्षित करने के लिये देशों ने कर की दरों में कटौती की और विभिन्न देशों में कर की दरें घटाने की होड़ लग गई।
- कई यूरोपीय देशों ने निवेश आकर्षित करने तथा पूँजी को अपने देश से बाहर जाने से रोकने के लिये भी कर की दरों में कटौती की।
- राष्ट्रों ने संसाधनों की कमी के कारण सार्वजनिक व्यय में कटौती कर निजीकरण को बढ़ावा दिया। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर बुरा असर पड़ा।
- विकासशील देशों ने यह जानते हुए भी, कि निजीकरण गरीबों के हितानुकूल नहीं होता, इस 'मॉडल' को अपनाया। अत: राष्ट्रों के मध्य असमानता बहुत बढ़ गई।

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण तथा राजस्व का नुकसान

- राष्ट्रों के मध्य कर की दरों में भिन्नता होने के कारण विश्व ने 'आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण' (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS) को अपनाया। फलत: कंपनियों ने अपने लाभ को निम्न कराधान वाले देशों (Tax Heaven Countries) में स्थानांतरित कर दिया।
- उदाहरण के लिये, गूगल और फेसबुक जैसी लाभकारी कंपनियों पर आरोप लगता है कि इन्होंने कर का कम भुगतान करने के उद्देश्य अपने लाभ को आयरलैंड तथा अन्य 'टैक्स हेवन देशों' में स्थानांतरित कर कर दिया।
- यूरोपीय संघ ने गूगल और ऐप्पल पर उक्त गतिविधियों के आरोप में जुर्माना लगाया था। वर्ष 2009 में तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि बी.ई.पी.एस. के कारण अमेरिकी राजस्व को लगभग $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है।
- चूँकि 'आर्थिक सहयोग व विकास संगठन' (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) के सभी देशों को कर की दरों में कटौती तथा बी.ई.पी.एस. का नुकसान उठाना पड़ रहा था, अत: उन्होंने इस पर अंकुश लगाने की पहल की।
- कोई भी देश जो आर्थिक प्रतिकूलता का सामना कर रहा, करों की दरों में कटौती करेगा तथा अन्य देश भी इस प्रथा का अनुसरण करेंगे। भारत ने भी 1990 के दशक में कर की दरों में कटौती की थी।
- वर्ष 2019 में भी निगम कर की दर दक्षिण-एशियाई देशों के समतुल्य रखने के लिये इसमें भारी कटौती की गई थी। इस प्रकार की कटौती असमानता को बढ़ावा देती है।

प्रतिगामी कर संरचना

- प्रत्यक्ष करों में कटौती एक अन्य निहितार्थ होता है कि सरकारें राजस्व प्राप्ति के लिये प्रतिगामी करों पर निर्भर होती हैं। वर्तमान में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व प्राप्ति का सर्वप्रमुख साधन है।
- प्रतिगामी कर अमीर वर्ग को अनुपातिक रूप से कम प्रभावित करता है, जबकि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जो गरीबों लिये कष्टदायी है।
- प्रत्यक्ष कर आय की असमानता कम करने में भी सहायक है। बढ़ती असमानता के कारण अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार होती है।
- 'निवेश' के माध्यम से मंदी तथा माँग में कमी की समस्या कम हो सकती है। हालाँकि यह आवश्यक नहीं कि इससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आ ही जाए क्योंकि निवेश के लिये करों में की गई कटौती अनिश्चित होती है। इसके विपरीत, सरकारी व्यय में वृद्धि से माँग में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है।
- 'वैश्विक वित्तीय पूँजी' की प्रकृति गतिशील होती है। इसका उपयोग 'टैक्स हेवन देशों' तथा 'शेल कंपनियों' के माध्यम से लाभ तथा पूँजी को स्थानांतरित करने के लिये किया जाता है।
- यह गतिशीलता देशों को मानदंडों में रियायत देने तथा कर की दरों को एक-दूसरे के समतुल्य रखने के लिये विवश करती है, इसे ही सामान्यतया 'रेस टू द बॉटम' कहते हैं। अत: बिना वैश्विक समन्वय के निगम करों को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अमेरिका का यह प्रयास तभी संभव होगा जब सभी देश वैश्विक पूँजी की शक्ति का दुरुपयोग बंद करने के इच्छुक हों। इसके अतिरिक्त, टैक्स हैवंस संबंधी प्रलोभन के संदर्भ में उपयुक्त वैश्विक नीतियाँ क्रियान्वित की जाएँ। इसके बाद विकासशील देशों में असमानता तथा पूँजी में कमी की स्थिति से निपटा जा सकेगा।

❑❑❑

8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सी.टी. स्कैन और स्टेरॉइड से संबंधित चिंताएँ

संदर्भ

हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक और कोविड-19 पर नेशनल टास्कफोर्स के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया ने प्रारंभिक अवस्था में रोग-निदान के लिये सी.टी. स्कैन के अंधाधुंध उपयोग के प्रति आगाह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेक्सामेथासोन (Dexamethasone) जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड (Corticosteroids) के प्रयोग के विरुद्ध सजग करता रहा है। यह कोविड-19 के गैर-गंभीर रोगियों के लिये एक प्रभावशाली प्रदाहरोधी दवा (Anti-Inflammatory Drug) है।

कोविड-19 रोगियों के लिये सी.टी. स्कैन की सलाह

- कोविड-19 की जाँच के लिये आर.टी.-पी.सी.आर. एक मानक परीक्षण है। कोविड-19 के निदान (जाँच) के लिये सी.टी. स्कैन का उपयोग केवल उन रोगियों के लिये ही होना चाहिये, जिनमें इस बीमारी के प्रमुख लक्षण तो दिखते हैं, परंतु उनका आर.टी.-पी.सी.आर. परिणाम नेगटिव आता है। हालाँकि सीने का सी.टी. स्कैन थ्रोम्बोम्बोलिज़्म (Thromboembolism) या न्यूमोमेडिस्टिनम (Pneumomediastinum) जैसी जटिलताओं की पहचान करने के लिये उपयोगी हो सकता है।
- इसके अलावा, आई.सी.यू. (ICU) में भर्ती कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज की स्थिति में कोई सुधार न दिखने और सीने के एक्स-रे में नए घाव दिखने की स्थिति में सी.टी. स्कैन कोविड-19 से संबंधित अत्यधिक संक्रामक कवक, जैसे- एस्पर्जिलोसिस (Aspergillosis) या म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis) के निदान में कुछ संकेत दे सकता है।
- हालाँकि इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर भी 2% से कम मामलों में ही कोविड-19 के मरीज को सीने के सी.टी. स्कैन की आवश्यकता होती है। सी.टी. स्कैन के बजाय ऑक्सीजन का स्तर उपचार-संबंधी निर्णय लेने के लिये अधिक आवश्यक है। लगभग 95% मामलों में सी.टी. स्कैन का बेवजह प्रयोग किया जा रहा है।

सी.टी. स्कैन से हानियाँ

- फास्ट स्कैनिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए सीने का सी.टी. स्कैन लो-डोज और एकल-चरणीय प्रोटोकॉल के साथ किया जाना चाहिये। कोविड-19 रोगियों का अत्यधिक सी.टी. स्कैन हानिकारक होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के आँकड़ों का हवाला देते हुए डॉ. गुलेरिया ने बताया कि एक सी.टी. स्कैन लगभग 300-400 चेस्ट-एक्स-रे के बराबर है, जो लंबे समय में युवाओं में कैंसर का खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- वर्ष 1991 से 1996 के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2007 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि अमेरिका में सभी प्रकार के कैंसर में 0.4% के लिये सी.टी. स्कैन विकिरण ज़िम्मेदार है और वर्तमान में यह अनुमान 1.5% से 2% के बीच हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, रेडियोलॉजी तकनीशियनों और कर्मचारियों को भी इससे प्रभावित होने का खतरा रहता है।

कोविड-19 रोगियों के लिये स्टेरॉयड

- भारत में कई डॉक्टरों ने बहुत पहले ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे- डेक्सामेथासोन का उपयोग गंभीर कोविड-19 रोगी के इलाज में कर दिया था, जबकि डब्ल्यू.एच.ओ. जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसके उपयोग की सिफारिश सितंबर 2020 में की।
- कई कोविड रोगियों की मौत उच्च-प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (साइटोकिन स्टॉर्म) के बाद होती है, जो फेफड़ों और अन्य अंगों को नुकसान पहुँचाती है। इससे 'बहु-अंग शिथिलता सिंड्रोम' होता है। डेक्सामेथासोन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रतिदाहक एजेंट अंगों की क्षति को रोकते हैं।
- स्टेरॉइड कोविड-19 का मुकाबला करने के लिये एक प्रभावी हथियार हैं, किंतु इसकी मात्रा और अवधि का निर्धारण सावधानी से करने की आवश्यकता होती है।

मुख्य चिंताएँ

- बीमारी के प्रारंभिक चरण में ही स्टेरॉइड का प्रयोग करने से प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राकृतिक क्षमता बाधित हो सकती है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, स्टेरॉयड उन रोगियों को दिया जा सकता है जिनमें ऑक्सीजन संतृप्ति का स्तर 94% से कम है और जिनके श्वसन की दर 24 प्रति मिनट से अधिक है।
- केरल सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यायाम या छह मिनट की वॉक टेस्ट के बाद बेसलाइन ऑक्सीजन स्तर से 3% से अधिक ऑक्सीजन संतृप्ति में गिरावट होने या ऑक्सीजन का स्तर

93% से नीचे जाने या व्यक्ति को साँस लेने में तकलीफ होने पर उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

- उन रोगियों का भी चयन किया जाता है, जिनमें आराम की स्थिति में हाइपोक्सिमिया (Hypoxemia) में वृद्धि का खतरा होता है। दवा की मात्रा व अवधि के गलत होने पर स्टेरॉयड नुकसानदायक साबित हो सकती है।
- कोविड-19 से मध्यम रूप से पीड़ित कई मामलों में स्टेरॉयड के प्रयोग ने वायरस की प्रतिकृति (Replication) को तीव्र किया, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आई। कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रस्त रोगियों में स्टेरॉयड के लंबे समय तक प्रयोग से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है।

अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चिंताएँ

संदर्भ

हाल ही में, चीन के सबसे बड़े रॉकेट 'लॉन्ग मार्च-5बी वाई2' का मलबा मालदीव के पश्चिम में हिंद महासागर क्षेत्र में गिरा। यह रॉकेट चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के एक प्रमुख घटक को लेकर गया था। यह वर्ष 1991 के बाद मलबा गिरने की सबसे बड़ी घटना है।

चीन का अंतरिक्ष स्टेशन

- 'लॉन्ग मार्च-5बी वाई2' रॉकेट 'तियान्हे' (हेवेनली हारमोनी) मॉड्यूल ले जा रहा था, जो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिये तीन प्रमुख घटकों में से पहला है। इस रॉकेट को द्वीपीय प्रांत हैनान के वेनचांग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था।
- तियान्हे इस स्पेस स्टेशन के प्रबंधक व नियंत्रक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसे 'तियानगोंग' (हेवेनली पैलेस) कहा जाता है। इस मिशन के अगले वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाद यह दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसे 10 वर्ष के लिये डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि यह 15 वर्षों तक कार्य कर सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आई.एस.एस. के जीवनकाल को भी वर्ष 2030 तक बढ़ाया जा सकता है और तब तक रूस द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना है।

चिंता का कारण

- जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो इसका पृथक्कृत बूस्टर चरण लिफ्ट-ऑफ के बाद जल्द ही वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता हैं और बिना कोई हानि पहुँचाए समुद्र में गिर जाता हैं। हालाँकि इस मामले में 18 मीट्रिक टन वजनी रॉकेट का 10 मंजिल लंबा यान निर्माणधीन अंतरिक्ष स्टेशन के घटक के साथ-साथ कक्षा में प्रवेश कर गया।
- कक्षा में रहते हुए यह यान वायुमंडल के शीर्ष पर वायु से घर्षण करता रहा। घर्षण के परिणामस्वरूप कारण इसकी ऊँचाई घटने लगी और यह लगभग 25,490 किमी. प्रतिघंटा की गति से निम्न-भू कक्षा से बाहर निकल गया।
- जब रॉकेट पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो उनके बूस्टर कक्षा में पहुँच जाते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद वे पुनः इंजन को चालू कर पृथ्वी पर लौट आते हैं। अंतरिक्ष एजेंसियाँ इस प्रक्रिया को ऐसे संयोजित करती हैं कि रॉकेट का मलबा समुद्र में गिरे।
- हाल ही में गिरे मलबे से जान-माल की हानि हो सकती थी। यद्यपि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, तथापि इस घटना ने चीन की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रश्नांकित कर दिया है।

आउट-ऑफ-कंट्रोल क्रैश के पूर्व उदाहरण

- इस साल मार्च में, एक स्पेस एक्स रॉकेट ने अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में एक खेत में अनियंत्रित लैंडिंग की। हालाँकि इंजन में खराबी आने के कारण ऐसा हुआ था।
- वर्ष 1979 में नासा के अंतरिक्ष स्टेशन 'स्काई लैब' को नीचे लाया गया था, तब इसका कुछ मलबा ऑस्ट्रेलिया में गिरा था। इसके लिये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने माफी माँगी थी। वर्ष 1978 में एक परमाणु-संचालित सोवियत उपग्रह कनाडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण संबंधी चिंता उत्पन्न हो गई थी।
- पिछले वर्ष भी एक लॉन्ग मार्च रॉकेट आइवरी कोस्ट में गिर गया था और इसने घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

आलोचना

- खगोलविदों चीनी रॉकेट संबंधी हालिया घटना इतिहास की चौथी सबसे बड़ी अनियंत्रित पुनर्प्रवेश की घटना करार दिया है।
- मालदीव का कोस्टगार्ड दल मालदीव के जलीय क्षेत्र में रॉकेट का मलबा गिरने की सूचना मिलने के बाद से सक्रिय है। नासा ने अपील की कि अंतरिक्ष में जाने वाले देश अंतरिक्ष से वापसी के दौरान पृथ्वी पर होने वाले जान-माल के नुकसान के प्रति सजग रहें।
- नासा ने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपने अंतरिक्ष मलबे उत्तरदायी तरीके से निपटाने में विफल रहा है। हालाँकि चीन ने कहा कि इसका अधिकांश मलबा पुनर्प्रवेश के दौरान जल गया था और इसके अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरने की प्रबल संभावना थी।
- चीन के अनुसार, इंजन में समस्या के कारण यह हादसा हुआ। चीन ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगते हुए कहा कि अमेरिकी स्पेस एक्स फाल्कन-9 रॉकेट का मलबा वॉशिंगटन में गिरने पर इस तरह की आलोचना नहीं की गई थी।

स्वास्थ्य आपदा के दौर में बौद्धिक संपदा अधिकार

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिये 'बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट' देने का समर्थन किया है। उसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है और वह 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यू.टी.ओ.) से छूट प्राप्त करने के लिये 'पाठ-आधारित वार्ता' को आगे बढ़ाएगा।

पाठ-आधारित वार्ता (Text-Based Negotiations)

- 'पाठ-आधारित वार्ता' में शामिल वार्ताकार अपने लिये उपयुक्त शब्दों या शर्तों के साथ पाठों का आदान-प्रदान करते हैं और फिर किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है।
- इसके लिये डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी 164 सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी तथा प्रत्येक सदस्य को इस पर वीटो करने का अधिकार होगा। 'सहमति-आधारित प्रकृति' और 'मुद्दों की जटिलता' के कारण यह एक समयसाध्य प्रक्रिया है। यूरोपीय संघ ने पहले इस छूट का विरोध किया था, परंतु अब इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की इच्छा प्रकट की है।

कोविड-19 टीकों के लिये बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट का अर्थ

- बौद्धिक संपदा (IP) में छूट मिलने से मध्यम आय वाले देशों में भी फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन तथा भारत बायोटेक द्वारा विकसित किये गए कोविड टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा।
- इन टीकों का अधिकांश उत्पादन वर्तमान में उच्च आय वाले देशों में केंद्रित है और मध्यम आय वाले देशों द्वारा इसका उत्पादन लाइसेंसिंग या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से हो रहा है। हालाँकि दवा कंपनियों ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि एक लंबी प्रक्रिया है, जो पेटेंट में छूट देने भर से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है।
- भारत व दक्षिण अफ्रीका द्वारा पिछले वर्ष डब्ल्यू.टी.ओ. में दिये गए आई.पी. छूट संबंधी प्रस्ताव के कारण अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में कोविड संबंधी सभी ज़रूरतों पर छूट की माँग की गई थी, जिसमें परीक्षण, निदान व नई चिकित्सा प्रणाली शामिल थी।

पेटेंट और आई.पी. अधिकार

- 'पेटेंट' एक प्रभावी बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। यह आविष्कारक को उसके द्वारा किये गए आविष्कार का एक सीमित और निर्दिष्ट समय के लिये का उपयोग करने का एकाधिकार प्रदान करता है। वस्तुतः यह किसी आविष्कार की नकल रोकने के लिये दिया गया एक कानूनी अधिकार है। पेटेंट में 'प्रक्रिया का पेटेंट' या 'उत्पाद का पेटेंट' शामिल होता है।
- 'उत्पाद पेटेंट' इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान पेटेंट धारक के अतिरिक्त कोई अन्य उस विशिष्ट उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा, भले ही वह एक अलग प्रक्रिया का उपयोग क्यों न कर रहा हो। जबकि 'प्रक्रिया पेटेंट' में पेटेंट धारक के अलावा, कोई भी उस निश्चित प्रक्रिया में संशोधन करके पेटेंट प्राप्त उत्पाद का निर्माण कर सकता है।

आई.पी. छूट का विरोध क्यों?

- आई.पी. सुरक्षा को समाप्त करना महामारी को रोकने के लिये किये जा रहे नवाचारों को हतोत्साहित करेगा। साथ ही, इससे भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो टीका सुरक्षा (वैक्सीन सेफ्टी) में सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकता है तथा सूचना साझाकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त, केवल आई.पी. सुरक्षा को समाप्त करने से उत्पादन में तेज़ी लाने का भी तर्क भी युक्तिसंगत नहीं लगता है।
- यह भी कहा जा रहा है कि गरीब और माध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन के तीव्र उत्पादन की क्षमता नहीं है और इनकी गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न है। वर्ष 1972 से 2005 के बीच भारत ने 'उत्पादों' का पेटेंट कराने के बजाय 'प्रक्रिया' के पेटेंट पर ज़ोर दिया। इससे भारत में एक व्यापक जेनेरिक दवा उद्योग का विकास हुआ। हालाँकि ट्रिप्स समझौते से उत्पन्न दायित्वों के कारण भारत को वर्ष 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और फार्मा, रसायन तथा जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 'उत्पाद पेटेंट' व्यवस्था को अपनाना पड़ा।

निष्कर्ष

विशेषज्ञों के अनुसार, आई.पी. छूट के प्रस्ताव में कोविड-19 के उपचार और रोकथाम में सहायक सभी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिये। इसके उपचार में सहायक सभी ज़रूरी वस्तुओं के सीमित उत्पादन होने और इसकी अधिकांश आपूर्ति उच्च आय वाले देशों में केंद्रित होने के कारण अन्य देशों की इन तक पहुँच कम है। पेटेंट से छूट मिलने पर कनाडा, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश सहित अन्य देशों ने कोविड टीकों के उत्पादन में रुचि दिखाई है।

कोविड टीकों की कमी और बौद्धिक संपदा अधिकार

संदर्भ

- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने घोषणा की है कि अमेरिका कोविड-19 टीके के उत्पादन के लिये 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं' (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) में छूट का समर्थन

करेगा। इससे पूर्व अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किये गए इस तरह के प्रस्ताव को रोक दिया था। लेकिन प्रश्न है कि क्या कोविड-19 टीकों के लिये ट्रिप्स नियमों में ढील देने से सर्वाधिक ज़रूरत वाले देशों में टीकों की पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी?

ट्रिप्स नियमों को शिथिल करने के पक्ष में तर्क

- भारत एवं ब्राज़ील में कोविड-19 मामलों में अत्यधिक उछाल आने के कारण में टीकों की त्वरित उपलब्धता अनिवार्य है। अत: ट्रिप्स नियमों में ढील देकर कोविड टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
- अनुमान है कि कोविड की दूसरी लहर के लिये ज़िम्मेदार भारतीय वैरियंट अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा किये गए कोविड नियंत्रण के प्रयासों को झटका लग सकता है।
- इसके अतिरिक्त, ब्राजीलियन और दक्षिण अफ्रीकी वैरियंट भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अत: टीकों के उत्पादन में तेज़ी लाना अनिवार्य है।

ट्रिप्स नियमों में छूट टीकों की आपूर्ति में कितनी सहायक?

- यह सत्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व भर में वैक्सीन की कमी का एक प्रमुख कारण है, लेकिन टीकों की कमी के लिये कुछ अन्य कारक भी ज़िम्मेदार हैं।
- पहली चिंता टीकों के औद्योगिक निर्माण से संबद्ध हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि मैसेंजर आर.एन.ए. (mRNA) तकनीक पर आधारित वैक्सीन संबंधी केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों में ढील दी जाती है और भारत व दक्षिण अफ्रीका जैसे उत्पादक देशों में जेनेरिक दवा कंपनियों को कोई तकनीकी सहायता नहीं दी जाती है, तो इस छूट का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि टीकों के उत्पादन के लिये 'तकनीकी हस्तांतरण' की आवश्यकता (विशेष रूप से mRNA टीकों के मामले में) भी होगी। फाइजर के अनुसार, इसके द्वारा निर्मित किये गए टीके के निर्माण के लिये 86 आपूर्तिकर्ताओं से 280 घटकों व अन्य विशिष्ट विनिर्माण उपकरणों की आवश्यकता होगी।
- दूसरा, इस बात की प्रबल संभावना है कि जेनेरिक उत्पादकों को अपनी इष्टतम क्षमता तक पहुँचने में अत्यधिक समय लगेगा, जो कई वर्ष भी हो सकते हैं। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या आज निर्मित किये गए टीके उस समय भी प्रासंगिक होंगे?
- तीसरा, पेटेंट में छूट जैसी नीतियाँ फार्मास्युटिकल कंपनियों को अगली पीढ़ी के टीके विकसित करने से हतोत्साहित कर सकती हैं।

टीकों के उत्पादन में वृद्धि में अन्य बाधाएँ

- सर्वप्रथम, यूरोपीय संघ सहित डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्य देशों को आपसी सहमति बनानी होगी। ट्रिप्स नियमों में छूट के बावजूद भी टीकों का उत्पादन विकासशील देशों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी वर्गों, कच्चे माल और उपकरणों की कमी से भी प्रभावित होगा।
- पेटेंट के अलावा, टीकों के कम उत्पादन में व्यापार बाधा, कमज़ोर आपूर्ति शृंखला, गरीब देशों को टीके उपलब्ध कराने में अमीर देशों की अनिच्छा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
- अमेरिका जैसे देशों ने 'अमेरिकी रक्षा उत्पादन अधिनियम' जैसे नियमों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 टीकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले महत्त्वपूर्ण कच्चे माल का निर्यात रोक दिया था। इससे भारत में कुछ कंपनियों द्वारा कोविड टीकों के उत्पादन में देरी हुई।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता

संदर्भ

कोविड-19 से विश्व स्तर पर तीन मिलियन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। यह संक्रामक रोगों के प्रति स्वास्थ्य प्रणालियों की कमज़ोरियों को उजागर करता है। इसके प्रसार की गति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, नियंत्रण और रोग की अधिसूचना को लेकर सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इन सबके बीच रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता की समस्या पर भी गहन विचार करने की आवश्यकता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (Antimicrobial Resistance – AMR)

- रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें जीवाणु और कवक का विकास इस तरह से होता है कि वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था उसके उपचार में अप्रभावी सिद्ध होती है। 21वीं सदी में यह प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, ए.एम.आर. एक ऐसी धीमी सुनामी है, जो विगत एक सदी की चिकित्सा प्रगति को धराशायी कर सकती है। ए.एम.आर. के कारण प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख मौतें होती हैं। यदि इसका तत्काल समाधान नहीं किया गया तो यह प्रतिवर्ष 1 करोड़ मौतों के लिये ज़िम्मेदार होगी तथा वर्ष 2050 तक 100 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

कारण

- रोगाणुरोधकों का दुरुपयोग, कृषि में इनका अनुचित उपयोग और दवा उद्योग के आसपास प्रदूषण आदि के कारण रोगाणुओं में

प्रतिरोधकता का विकास होता है। यह चुनौती इसलिये और गंभीर हो जाती है कि विकास और उत्पादन के पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव में विगत तीन दशकों में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी नया समूह बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाया है।

- एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एंटीबायोटिक्स का निर्माण छोटी कंपनियाँ अधिक करती हैं और बड़ी दवा कंपनियों ने इस क्षेत्र में नवाचार लगभग त्याग दिया है।

ए.एम.आर. और संबंधित चुनौतियाँ

- ए.एम.आर. आधुनिक चिकित्सा के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न करता है। जीवाणुगत और कवकीय संक्रमण का उपचार रोगाणुरोधी दवाओं के बिना कठिन हो जाएगा तथा सामान्य शल्य चिकित्सा व कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रियाएँ अधिक जोखिम युक्त हो जाएँगी। इससे मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।
- इसका प्रभाव वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ेगा, तथा एशिया और अफ्रीका के निम्न व मध्यम आय वाले देश अधिक प्रभावित होंगे। इन देशों में आसानी से उपलब्ध रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग से मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

उपाय

- इन विविध चुनौतियों से निपटने के लिये नई रोगाणुरोधी दवाएँ विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, संक्रमण-नियंत्रण उपायों के द्वारा एंटीबायोटिक के उपयोग को सीमित कर सकते हैं।
- प्रोत्साहन और वित्तीय अनुमोदन जैसे उपाय उचित नैदानिक उपयोग को (Clinical Use) प्रोत्साहित करेंगे तथा रोगाणुरोधी की आवश्यकता वाले लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उपचार योग्य दवाओं के अभाव में दुनिया भर में करीब 5.7 मिलियन लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं।
- इसके अलावा, रोगाणुओं में प्रतिरोध के प्रसार को ट्रैक करने व समझने के लिये इनकी पहचान आवश्यक है तथा इसके लिये अस्पतालों, पशुओं, अपशिष्ट जल, खेत-खलिहान आदि स्थानों के परीक्षण की आवश्यकता है।
- चूँकि रोगाणु नए रोगाणुरोधकों के प्रति भी प्रतिरोधी क्षमता का विकास करते रहेंगे, अत: नियमित आधार पर नए प्रतिरोधी उपभेदों (Strain) का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिये निरंतर निवेश व वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है।
- फार्मास्युटिकल अवशिष्ट के माध्यम से ए.एम.आर. का प्रसार होता है और इन पर अंकुश लगाने के लिये संबंधित कानूनों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- वर्ष 2020 में नई एंटीबायोटिक दवाओं का विकास करने के लिये $1 बिलियन का 'ए.एम.आर. एक्शन फंड' लॉन्च किया गया था।
- एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के संबंध में लोगों को शिक्षित करने में पेरू का प्रयास, प्रिस्क्राइबर के व्यवहार को विनियमित करने के लिये ऑस्ट्रेलियाई विनियामक सुधार और यूरोपीय संघ समर्थित वैल्यू-डी.एक्स. (VALUE-Dx) जैसे कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं।
- डेनमार्क ने पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग रोकने का सफल प्रयास किया, इससे इससे खेती की दक्षता में भी सुधार हुआ है।
- एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के साथ प्रदाताओं के लिये भी मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- कुछ देशों की नीतिगत सफलता वैश्विक सफलता की गारंटी नहीं देती है। इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर समन्वित प्रयास करने होंगे।

आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम

संदर्भ

इज़रायल तथा फिलिस्तीन ने आपसी संघर्ष के दौरान एक-दूसरे पर हवाई हमले किये। गाज़ा पट्टी से फिलिस्तीन द्वारा दागे गए रॉकेट को 'इज़रायली आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली' द्वारा बीच में ही रोक दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो रॉकेट किसी अदृश्य ढाल से टकरा रहे हों।

आयरन डोम

- यह एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 'वायु रक्षा प्रणाली' है। यह प्रणाली अपनी ओर आने वाले किसी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके बेअसर कर देती है। ऐसा करने के लिये इस रक्षा प्रणाली को 'रडार' तथा 'तामीर' इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस किया गया है।
- इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने तथा मोर्टार (Countering Rockets, Artillery & Mortars: C-RAM) के साथ-साथ विमान, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से निपटने के लिये भी किया जाता है।
- इस प्रणाली को वर्ष 2011 में तैनात किया गया था। राफेल के अनुसार, इसकी सफलता दर 90% से अधिक है। इसमें 2,000 से अधिक अवरोधनों (Interception) को शामिल किया गया है।
- वर्ष 2006 में इज़रायल-लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इज़रायल पर हजारों रॉकेट दागे। ऐसे में, इज़रायल ने एक ऐसी रक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता महसूस की, जिससे कि वह अपना अस्तित्व बचा सके। इसी के परिणामस्वरूप 'आयरन डोम' के विकास की परिकल्पना की गई।
- तत्पश्चात् इज़रायल ने राज्य द्वारा संचालित 'राफेल एडवांस सिस्टम' के तहत एक नई वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की और अंतत: 'इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' के सहयोग से

'आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली' का विकास किया।

- यह प्रणाली सुरक्षा के लिये तैनात एवं युद्धाभ्यासरत सैन्य बलों, शहरी क्षेत्र तथा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (Forward Operating Base) को हवाई हमलों से बचाने में सक्षम है।

कार्यप्रणाली

- 'आयरन डोम' में तीन प्रमुख प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों प्रणालियाँ विभिन्न खतरों से निपटने के लिये एक साथ कार्य करती हैं। 'आयरन डोम प्रणाली' दिन, रात व प्रत्येक मौसम में कार्य करने में सक्षम है।
- इस प्रणाली में 'युद्ध प्रबंधन एवं हथियार नियंत्रण प्रणाली' (Battle Management and Weapon Control System – BMC) का उपयोग किया गया है, ताकि किसी भी खतरे का पता लगाया जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके तथा रडार एवं हथियारों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा, मिसाइल फायर को नियंत्रित करने के लिये 'मिसाइल फायरिंग यूनिट' का प्रयोग भी किया गया है। बी.एम.सी. मूल रूप से रडार तथा इंटरसेप्टर मिसाइल के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है।
- नई दिल्ली स्थित 'सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज' (CAPS) के अनुसार, किसी भी वायु रक्षा प्रणाली में दो मुख्य तत्त्व होते हैं, पहला– 'रडार' तथा दूसरा– 'प्रोक्सिमिटी फ्यूज'। इनमें से 'राडार' वस्तुओं की सटीक पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। भावी खतरों को पहचानने तथा उन्हें ट्रैक करने के लिये वायु रक्षा प्रणाली में सामान्यत: 2-3 रडारों का उपयोग किया जाता है। 'ट्रैकिंग रडार' लक्ष्य की पहचान कर, उसे कुशलतापूर्वक भेदने में मिसाइल की मदद करता है।
- 'प्रोक्सिमिटी फ्यूज' को 'लेजर-नियंत्रित फ्यूज' भी कहा जाता है। चूँकि प्रत्येक बार लक्ष्य को सीधे भेदना संभव नहीं हो पाता है, अत: जब मिसाइल लक्ष्य के लगभग 10 मीटर करीब से गुज़रती है तो यह उपकरण मिसाइल को सक्रिय कर देता है और वारहेड में इस तरह से विस्फोट होता है कि मिसाइल तथा लक्ष्य पूर्णत: नष्ट हो जाते हैं।

भारत के पास उपलब्ध प्रणालियाँ

- रक्षा प्रणालियों के विकास की दृष्टि से इज़रायल, अमेरिका तथा रूस एक-दूसरे के समकक्ष हैं। 'भारत' रूस से लगभग 5 अरब डॉलर मूल्य की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिये प्रयासरत है। इसके अलावा, भारत इज़रायल से 'आयरन डोम रक्षा प्रणाली' खरीदने के लिये भी वार्ता कर रहा है।
- 'S-400 रक्षा प्रणाली' रॉकेट तथा क्रूज मिसाइल सहित अन्य मिसाइलों से निपटने में सक्षम है, किंतु इनकी रेंज काफी अधिक होती है। सतह से हवा में मार करने वाली S-400 रक्षा प्रणाली 300-400 कि.मी. की दूरी से दागी गई मिसाइलों व विमानों को मार गिराने में सक्षम होती है।
- 'बराक-8' मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में भारत तथा इज़रायल का सहयोग महत्त्वपूर्ण है। भारत ने इज़रायल के सहयोग से 'वायु रक्षा रडार' के विकास में भी कार्य किया है।
- वर्तमान में भारत के पास सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल 'आकाश' तथा रूसी रक्षा प्रणाली 'पिकोरा' (Pechora) उपलब्ध हैं। इन प्रणालियों को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, 'भारत' अमेरिका से भी दो अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ खरीदने की प्रक्रिया में है।

भारत में 5G प्रौद्योगिकी की वस्तुस्थिति

संदर्भ

जून 2019 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कहा था कि दूरसंचार सेवाओं में क्रांति लाने के लिये सरकार 100 दिनों के अंदर पाँचवीं पीढ़ी (5G) के वायरलेस नेटवर्क के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। लेकिन किन्हीं कारणवश यह अभी तक शुरू नहीं हो सका है।

विलंब के कारण

- सरकार की घोषणा के बाद से ही पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित रहा है, इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- इसी दौरान चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों संबंधी सुरक्षा और विश्वसनीयता का विवाद भी उपजा और यह प्रक्रिया बाधित हुई। इसके अलावा, भारत-चीन सीमा पर लंबे समय तक जारी रहे तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध से भी योजना की गति मंद हुई। साथ ही, सरकार की अन्य घरेलू व्यस्तताओं से भी योजना में विलंब हुआ।

वर्तमान स्थिति

- सरकार ने मई के प्रथम सप्ताह में 5G परीक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक ऑपरेटर्स को इस कार्य हेतु स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किये गए हैं।
- विशेषज्ञों ने भी कहा है कि इस परीक्षण के लिये भारत में आवश्यक 'नेटवर्क अवसंरचना' नहीं है, अत: इस परीक्षण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
- इस प्रौद्योगिकी में ग्राहकों की गहरी दिलचस्पी है, लेकिन अभी तक भारत में 5G का कोई व्यावसायिक उपयोग आरंभ नहीं हुआ है।
- 'एरिक्सन कंज्यूमर लैब' द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 40 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता इस प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग के प्रथम वर्ष में 5G प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं।

- रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि भारत में स्मार्टफोन उपभोक्ता 5G मोड में डिजिटल सेवाएँ प्राप्त करने के लिये 50% अधिक भुगतान करने को भी तैयार हैं, जबकि ऐसी कनेक्टिविटी के लिये केवल 10 प्रतिशत प्रीमियम की आवश्यकता होती है।
- ऑपरेटर्स द्वारा किये जा रहे 'ऑन-ग्राउंड परीक्षण' के बारे में अभी भी स्पष्टता का अभाव है। हालाँकि संसदीय स्थायी समिति को दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव ने बताया कि वर्ष 2021 के अंत तक या 2022 के प्रारंभ में 5G का चरणबद्ध शुभारंभ (Roll Out) किया जा सकता है।
- यदि उक्त समय में योजना आरंभ होनी है, तो केंद्र सरकार को दिसंबर 2021 से पूर्व ही 'महँगे स्पेक्ट्रम' की नीलामी करनी होगी।
- 'भारती एयरटेल' तथा 'वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड' जैसी दूरसंचार कंपनियाँ विभिन्न अवसरों पर कह चुकी हैं कि वे 5G सेवाओं की लॉन्चिंग के लिये तैयार हैं। इसके अलावा, 'रिलायंस जियो' ने यह दावा किया है कि उसने घरेलू स्तर पर 5G प्रौद्योगिकी तैयार की है, जिसे वह वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी।
- वस्तुत: तीनों प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने अपनी 5G प्रौद्योगिकी संबंधी तैयारियों में विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन क्या वास्तव में देश में इसके लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा विद्यमान है? इसकी पड़ताल करना आवश्यक है।

चुनौतियाँ

- भारत को 5G सेवाओं की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये अभी 'फाइबरीकरण' की प्रक्रिया से गुज़रना होगा, अर्थात् 'कॉपर आधारित दूरसंचार नेटवर्क' को 'सघन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क' से विस्थापित करना होगा। इसके लिये टॉवरों के बीच की दूरी कम करके एक सघन नेटवर्क तैयार करना होता है।
- भारत में लगभग 30% टावर ही फाइबर नेटवर्क के संपर्क में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 5G आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसे 60-70% तक विस्तृत करने की आवश्यकता है। दिसंबर 2019 में शुरू किये गए 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन' का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के लगभग 70 प्रतिशत टावरों को फाइबरीकृत करना, 20 लाख कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना तथा टावर घनत्व को 0.42 से बढ़ाकर प्रति 1,000 लोगों पर एक टावर स्थापित करना है।
- भारत को 5G से युक्त करने के लिये फाइबरीकरण करना अनिवार्य है क्योंकि 2G/3G/4G सेवाओं के लिये प्रति टावर की वर्तमान क्षमता लगभग 200 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड (mbps) है, जबकि 5G सेवा के लिये प्रति टावर 1-5 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड (gbps) की क्षमता आवश्यक होगी।
- केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में 'राइट ऑफ वे' (RoW) नीति लागू की थी। इसका उद्देश्य टावर स्थापित करना, फाइबर केबल बिछाना, विवादों का समयबद्ध निपटान करना तथा निजी कंपनियों और राज्य प्रशासन व नगर निकायों के मध्य समन्वय स्थापित करना था। अर्थात् यह नीति दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर केंद्रित थी।
- दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढाँचा प्रदाताओं को अन्य विभिन्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इनमें असमान या अत्यधिक मूल्य निर्धारण, आधिकारिक अनुमति में विलंब, मानकों की कमी, भूमि और भवनों की अनुपलब्धता इत्यादि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

- 5G नेटवर्क नीति के क्रियान्वयन को चीनी 'नेटवर्क संबंधी उपकरण' विक्रेताओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं ने और भी जटिल बना दिया है। हुवावे, ज़ेड.टी.ई. आदि उन मुट्ठी भर वैश्विक कंपनियों में से हैं, जो भारतीय ऑपरेटर्स को वायरलेस दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति करती हैं। चीनी उत्पादों की अनदेखी करने से लागत बढ़ सकती है तथा 5G के व्यावहारिक अनुप्रयोग में और भी विलंब हो सकता है।
- कई प्रमुख देशों ने चीनी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उदाहरणार्थ, 'यूनाइटेड किंगडम' ने सितंबर 2021 से हुवावे के 5G गियर की नई स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया है तथा वर्ष 2027 तक हुवावे के सभी नेटवर्क को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की घोषणा की है। 'अमेरिका' ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में मई 2021 तक हुवावे गियर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हालाँकि 'भारत' ने अभी तक चीनी विक्रेताओं पर आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है, किंतु इसके हालिया कदम उन्हें भविष्य में प्रतिबंधित करने के संकेत देते हैं। केंद्र सरकार साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आलोक में 'अनुमोदित दूरसंचार उपकरण विक्रेताओं' की सूची तैयार कर रही है।
- नोकिया इंडिया ने कहा कि "वे 5G एंटीना का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भारतीय ऑपरेटर्स को इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास 'डब्ल्यू.पी.सी.-अधिकृत स्पेक्ट्रम' नहीं है। अत: अभी इसे वह उन देशों को निर्यात कर रही है, जिन्होंने 5G को रोल आउट कर दिया है।"

दूरसंचार विभाग और 5G नेटवर्क

- 'वायरलेस प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन विंग' (WPC) दूरसंचार विभाग (DoT) का निकाय है। यह रेडियो लाइसेंस जारी करने, स्पेक्ट्रम आवंटित करने तथा उसकी निगरानी के लिये ज़िम्मेदार है।

- हालाँकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अगस्त 2018 में सिफारिश की थी कि 4G तथा 5G सेवाओं के लिये 'एयरवेव्स' की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाए।
- ऐसे में, उम्मीद थी कि सरकार एक ही समय में सभी आवृत्तियों के लिये एक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करेगी, लेकिन डी.ओ.टी. ने उन बैंड्स को बाहर कर दिया, जिन्हें 2 मार्च, 2021 को संपन्न हुई बिक्री में 5G के लिये चिह्नित किया गया था।
- दूरसंचार विभाग ने कहा कि 5G सेवाओं के लिये अगली बिक्री में 700 मेगाहट्र्ज बैंड के प्रयोग की संभावना है। 700 मेगाहट्र्ज बैंड अपनी उच्च दक्षता के कारण 5G के लिये सहायक है, इसलिये यह विक्रय-योग्य सात बैंडों में सबसे महँगा है।

महँगे स्पेक्ट्रम

- दूरसंचार ऑपरेटर्स का कहना है कि ट्राई द्वारा अनुशंसित स्पेक्ट्रम का न्यूनतम मूल्य 'अवहनीय' है तथा यह भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत को प्रभावित कर सकता है।
- समय-समय पर आर.ओ.डब्ल्यू. के संबंध में होने वाले मतभेद, उपकरणों की आपूर्ति के लिये अर्हता तथा स्पेक्ट्रम आगामी महीनों में तनाव के प्रमुख बिंदु हो सकते हैं।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, 5G के शुभारंभ के लिये स्पेक्ट्रम, साइटों तथा फाइबर केबल के लिये लगभग 1.3-2.3 ट्रिलियन रुपए के पूँजीगत व्यय का अनुमान है, जिसमें से 78,800-1.3 ट्रिलियन रुपए का व्यय केवल महानगरों तथा सर्कल्स के लिये अपेक्षित है।
- विशेषज्ञों का मत है कि यदि डी.ओ.टी. 'ट्राई' की 'एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी' अपनाता है, तो इस क्षेत्रक के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। बेस स्टेशनों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मोबाइल नेटवर्क संबंधी अन्य उपकरण, जैसे– एक्सेस नोड स्विच, फाइबर नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली आदि एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग हैं।
- वर्तमान में, दूरसंचार कंपनियों के मध्य 'एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर' की साझेदारी एंटीना, फीडर केबल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) तथा ट्रांसमिशन सिस्टम तक सीमित है। दूरसंचार अवसंरचना निर्माता 'एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर' को स्थापित करते हैं तथा इन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों को लीज पर देते हैं, जो प्रयोगानुसार भुगतान करते हैं।
- ट्राई द्वारा अनुशंसित और समर्थित 'एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी' से ऑपरेटर्स की लागत में उल्लेखनीय कमी होगी। इसके अतिरिक्त, नेटवर्क की गुणवत्ता व कवरेज में भी सुधार होगा और अंततः उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

निष्कर्ष

- दूरसंचार क्षेत्रक के विकास और विस्तार के लिये वृहत् निवेश की आवश्यकता है। ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार करने से देश में फाइबरीकरण तथा डिजिटल अवसंरचना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 5G संबंधी बुनियादी ढाँचे के सहज विकास के लिये दूरसंचार ऑपरेटर्स, उपकरण प्रदाताओं तथा सरकार, तीनों में समन्वय की आवश्यकता है।
- वैश्विक स्तर पर भी सरकारें इस दृष्टिकोण को तैयार करने तथा बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कोविड-19 : प्लाज्मा थैरेपी

संदर्भ

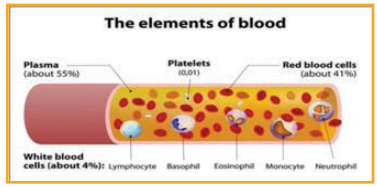

हाल ही में, आई.सी.एम.आर. के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भारत सरकार को प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने की सलाह दी थी। इसके आधार पर सरकार ने कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नहीं करने संबंधी दिशा-निर्देश किये हैं।

सलाह के मुख्य बिंदु

- आई.सी.एम.आर. ने प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि प्लाज्मा थेरेपी ने ना तो लोगों की जान बचाई है और न ही रोगी के स्वास्थ्य में सुधार किया है। जबकि डॉक्टरों ने रोगी के परिवारजनों पर रोगी प्लाज्मा थेरेपी कराने का अनावश्यक दबाव भी बनाया गया था।
- विशेषज्ञों ने ब्रिटेन के 'द लैसेंट' में प्रकाशित एक शोध पत्र का ज़िक्र करते हुए कहा कि ब्रिटेन ने लगभग 11000 व्यक्तियों की प्लाज्मा थेरेपी की, लेकिन यह कोविड-19 के उपचार में कारगर साबित नहीं हुई।

प्लाज्मा

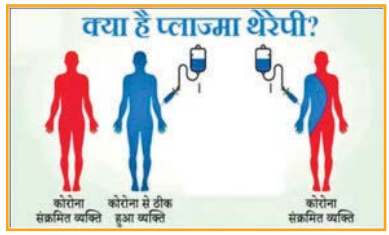

- 'प्लाज्मा' रक्त में उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्त्व पहुँचाने का कार्य करता है। रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा मौजूद होता है। जिसका लगभग 90-92% हिस्सा पानी, लवणों (इलेक्ट्रोलाइट्स) और प्रोटीन से बना होता है।

प्लाज्मा के कार्य

- 'एल्बुमिन' और 'फाइब्रिनोजेन' प्लाज्मा के मुख्य प्रोटीन होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से ऊतकों में तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने तथा संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
- प्लाज्मा में 'इम्यूनोग्लोबुलिन' नामक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो विषाणु, जीवाणु, कवक, कैंसर कोशिकाओं आदि से शरीर की रक्षा करती हैं तथा यह रक्त स्राव के दौरान खून के थक्के को भी नियंत्रित करती है।
- यह रक्त कोशिकाओं के लिये एक परिवहन प्रणाली है तथा रक्तचाप (Blood Pressure) को सामान्य बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्लाज्मा थैरेपी

- इसका प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1819 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट 'एमिल वॉन बेहिंग' ने डिप्थीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने में किया था।
- तत्पश्चात् वर्ष 1918 में आई महामारी 'स्पेनिश फ्लू' तथा वर्ष 1920 के 'डिप्थीरिया' के प्रकोप से बचने में भी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया था।
- इस थेरेपी के अंतर्गत, संक्रमण से ठीक हुए रोगी के शरीर से प्लाज्मा निकालकर एक प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से रक्त में मौजूद लाल रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स जैसे भारी तत्त्वों तथा हल्के पीले रंग के प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को संग्रहित कर लिया जाता है।
- प्लाज्मा को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित करना अनिवार्य होता है। तत्पश्चात् अगले 1 वर्ष तक इसका प्रयोग रोगी के इलाज में किया जा सकता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में पृथक किये गए लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट आदि को प्लाज्मा दाता के शरीर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है।
- यह 'प्लाज्मा' प्रोटीन तथा एंटीबॉडी से युक्त होता है। इसे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है, जो रोगी की बीमारी से लड़ने में सहायता करता है तथा रोगी के प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है।

प्लाज्मा थेरेपी की वर्तमान चिंताएँ

- विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि कोरोना वायरस में हुए उत्परिवर्तन में प्लाज्मा थेरेपी की संभावित भूमिका हो सकती है, हालाँकि अभी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।
- प्लाज्मा दाता व प्लाज्मा ग्राही को आपस में जोड़ने के लिये विभिन्न मोबाइल ऐप, सोशल साइट्स का उपयोग किया गया, जो लोगों की प्राइवेसी संबंधी समस्या उत्पन्न हुई।
- प्लाज्मा की बढ़ती लोकप्रियता से प्लाज्मा की कालाबाज़ारी, मनमानी कीमत वसूल करना, नकली प्लाज्मा देना इत्यादि समस्याएँ उत्पन्न हुई और अंततः लोगों की मौतों में भी इज़ाफा होने लगा। इसके अलावा, डॉक्टरों तथा प्लाज्मा ग्राही लोगों के मध्य कमीशन एजेंटों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

- विशेषज्ञों के द्वारा किये जाने वाले ऐसे विश्लेषण लोगों को उपचार की प्रकृति के बारे में अवगत कराते हैं तथा रोगियों की देखभाल करने बेहतर तरीके सिखाते हैं।
- इससे चिकित्सकों पर दबाव कम होता है तथा बेहतर उपचार प्रणाली विकसित करने में सहायता मिलती है।

पशु एवं मानव चिकित्सा का सह-संबंध

संदर्भ

- हाल ही में, 24 अप्रैल को मनाए गए 'विश्व पशु चिकित्सा दिवस' के अवसर पर 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' के बारे में चर्चा की गई। 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' के अंतर्गत जानवरों, मनुष्यों, इनके निवास स्थल तथा इनके पर्यावरण के सह-संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
- वर्ष 1856 में आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विर्चो ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि पशु तथा मानव चिकित्सा के बीच अनिवार्य रूप से कोई विभाजन रेखा नहीं होती है।

प्रसारण के प्रकार (Types of Transmission)

1. जूनोटिक (Zoonotic)

- वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में संचरित होते हैं, 'जूनोटिक रोग' कहलाते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से दो-तिहाई से अधिक रोग जूनोटिक रोग हैं। वर्तमान में उपस्थित कोविड-19 महामारी भी चमगादड़ से मनुष्यों में फैली है।
- हाल के वर्षों में निपाह वायरस, इबोला, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS), मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome - MERS) और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रामक रोग भी जूनोटिक रोगों की श्रेणी में आते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इन रोगों के गंभीर प्रभाव मनुष्यों व जानवरों के साथ-साथ पर्यावरण पर भी पड़ते हैं।

2. एंथ्रोपोजूनोटिक (Anthropozoonotic)

वे रोग जिनका संक्रमण मनुष्यों से जानवरों में होता है, 'एंथ्रोपोजूनोटिक रोग' कहलाते हैं।

भारत का 'वन हेल्थ विजन'

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) तथा विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'वन वर्ल्ड, वन हेल्थ' नामक वैश्विक पहल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) शामिल हैं।
- इसी वैश्विक पहल से प्रेरित होकर भारत ने भी 'वन हेल्थ विजन' शुरू करने का निर्णय लिया है।

भारत द्वारा उठाये गए कदम

- दीर्घकालिक उद्देश्यों के मद्देनज़र भारत ने वर्ष 1980 के दशक में जूनोसस पर एक 'राष्ट्रीय स्थायी समिति' का गठन किया गया था।
- वर्ष 2015 से 'पशुपालन और डेयरी विभाग' (DAHD) द्वारा विभिन्न पशु रोगों की रोकथाम के लिये अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा इन योजनाओं का वित्त पोषण सामान्य राज्यों के लिये 60:40 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। जबकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत फुट और माउथ रोग तथा ब्रूसेलोसिस नियंत्रण के लिये सरकार ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की है।
- इसके अलावा, 'पशुपालन और डेयरी विभाग' जल्द ही एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है।
- वर्ष 2021 में नागपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिये केंद्र सरकार ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ऐसे कार्यक्रमों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है, जो पशु चिकित्सकों की क्षमता निर्माण करने के लिये समर्पित हैं।
- केंद्र सरकार राज्यों को पशु रोगों के नियंत्रण (ASCAD) के लिये 'पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली' विकसित करने में भी सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु रोगों के खिलाफ टीकाकरण करने में भी सहायता प्रदान कर रही है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. का अनुमान है कि रेबीज नामक जूनोटिक रोग से प्रतिवर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 6 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। भारत में मानवों में सामने आने वाले रेबीज के कुल मामलों में से लगभग 97% कुत्तों द्वारा फैलते हैं, इसलिये कुत्तों में रोग प्रबंधन हस्तक्षेप को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कुत्तों के टीकाकरण की एक राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया है ताकि कुत्तों से फैलने वाली रेबीज बीमारी को खत्म किया जा सके। इस पहल के अंतर्गत निरंतर बड़े पैमाने पर कुत्तों का टीकाकरण किया जा रहा है तथा जन-जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन विषाणु मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश वायरस जूनोटिक संक्रमण वाले हैं। अर्थात् भविष्य में अनेक जूनोटिक बीमारियाँ सामने आ सकती है, इसलिये कोविड-19 महामारी को अंतिम महामारी नहीं माना जा सकता है।
- 'वन हेल्थ विजन' के तहत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को में भी विभिन्न चुनौतियाँ उपस्थित हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–
  - पशु चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों तथा स्टाफ की कमी का होना।
  - मानव स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान का अभाव होना।
  - खाद्य सुरक्षा के की आड़ में पशु-हत्या करना तथा खुदरा दुकानों के मध्य पर्याप्त समन्वय न होना।

आगे की राह

- शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिये ताकि वैज्ञानिक समुदाय सभी 1.7 मिलियन विषाणुओं का पता लगा सके। परिणामस्वरूप समय रहते न सिर्फ उनसे होने वाले रोगों का पता लगाया जा सके, बल्कि उनका उपचार भी सुनिश्चित किया जा सके।
- मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणालियों को समेकित करके इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करना चाहिये।
- पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिये एक सूचना नेटवर्क तैयार करना चाहिये तथा एक प्रभावी 'राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली' विकसित की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

भारत वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। अत: भारत को जूनोटिक बीमारियों के प्रति जन-जागरूकता बढ़नी चाहिये तथा भारत को अपनी 'वन हेल्थ विजन' पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निवेश में वृद्धि करनी चाहिये, ताकि भविष्य में किसी अन्य जानलेवा जूनोटिक बीमारी को पनपने से रोका जा सके।

म्यूकॉरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस)

संदर्भ

हाल-फिलहाल में दिल्ली, महाराष्ट्र तथा गुजरात में 'ब्लैक फंगस' के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद 'राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स' ने इस रोग से संबंधित साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

ब्लैक फंगस

- 'म्यूकॉरमाइकोसिस' (Mucormycosis) एक दुर्लभ, किंतु गंभीर कवक संक्रमण है। इसे बोलचाल की भाषा में 'ब्लैक फंगस' के नाम से जाना जाता है। यह एक श्लेष्मा संबंधी विकार है। कोविड-19 से संक्रमित रोगियों में इसके लक्षण अपेक्षाकृत अधिक पाए जा रहे हैं।
- यह वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 'म्यूकॉरमाइसेट्स' (Mucormycetes) नामक कवक समूह के कारण उत्पन्न होता है। यह मुख्यत: उन लोगों को प्रभावित करता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं और पर्यावरणीय रोगजनकों के प्रति उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है।
- वैसे तो इसका आरंभ शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकता है, लेकिन सामान्यत: इस रोग की शुरुआत त्वचा से होती है तथा यह फेफड़ों व मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है।

रोग के लक्षण

- इस रोग के लक्षण शरीर के विभिन्न भागों में हुए संक्रमण पर निर्भर करते हैं। इसके लक्षणों में चेहरे पर सूजन, सिरदर्द, सामान्य तथा खूनी उल्टी, नाक बंद होना, बुखार, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ, मानसिक स्थिति में बदलाव, मुँह के अंदर ऊपरी हिस्से में तथा नाक के आसपास दर्द और लालिमा तथा काले गंभीर घाव होना आदि शामिल हैं।
- यह रोग लंबे समय से स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने वाले मधुमेह, कैंसर आदि रोगियों के साथ-साथ प्रिमैच्योर बेबी को भी अधिक प्रभावित करता है। ध्यातव्य है कि कोरोना के रोगियों को स्टीरॉयड दिये जाते हैं।
- कोरोना के कारण व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, यदि उच्च मधुमेह का कोई रोगी को कोरोना से ग्रसित हो जाता है, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र और अधिक कमज़ोर हो जाता है। इन रोगियों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की संभावना अत्यधिक हो जाती है।
- यह कोई संचारी रोग नहीं है अर्थात् इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। इस रोग के कारण होने वाली मृत्यु दर 54% है तथा शरीर के विभिन्न भागों में हुए संक्रमण के अनुसार इसमें कमी या वृद्धि हो सकती है।
- उदाहरण के लिये, साइनस संक्रमण के दौरान मृत्यु दर 46% तथा फेफड़ों का संक्रमण होने पर यह 76% तक हो सकती है। अमेरिकी संस्था 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में होने वाले तमाम संक्रमणों में से सिर्फ 2% संक्रमण ही 'म्यूकॉरमाइकोसिस' संक्रमण होते हैं।
- यह कवक संक्रमण शरीर के जिस भाग में विकसित होता है, उसे पूर्णतया समाप्त कर देता है। सिर में इस संक्रमण से ब्रेन ट्यूमर सहित कई अन्य रोगों का खतरा बना रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

उपचार

- इसके उपचार के लिये कवकरोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है, किंतु रोग के अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। इस अवस्था में मधुमेह को नियंत्रित करना, स्टीरॉयड का उपयोग कम करना तथा इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग दवाओं का उपयोग पूर्णत: बंद करना अत्यावश्यक होता है।
- समय रहते पता लगने पर इसका इलाज संभव है। कोरोना प्रभाव से ठीक हुए रोगियों को निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते है, तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिये।
- बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव बहुत कम अथवा न के बराबर होता है।
- टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने कोविड-19 उपचार के बाद रोगमुक्त हुए व्यक्तियों व मधुमेह रोगियों में हाइपरग्लाइसेमिया को नियंत्रित करने तथा रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा, स्टीरॉयड का विवेकपूर्ण उपयोग किये जाने पर भी बल दिया है।
- इसकी रोकथाम के लिये धूल भरे स्थानों में मास्क का प्रयोग करने, बागवानी तथा जल लीकेज वाले स्थानों पर पूरे वस्त्रों, जूतों एवं दस्तानों का प्रयोग कर शरीर को पूरा ढकने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

❑❑❑

9 आंतरिक सुरक्षा

महामारी के दौर में बढ़ता साइबर अपराध

संदर्भ

हाल ही में जारी 'नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट, 2021' से पता चलता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले विगत वर्ष की तुलना में बढ़े हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- फरवरी 2020 से 2021 के बीच लगभग 120 मिलियन लोगों ने साइबर अपराध का सामना किया तथा वर्ष 2021 में साइबर अपराधों में बढ़ोतरी होगी, इसका कारण महामारी काल में लोगों द्वारा घर से काम करना बताया गया है।
- महामारी के कारण लोगों द्वारा की जा रही ऑनलाइन खरीददारी साइबर अपराध को बढ़ावा दे रही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा भी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन की प्रवृत्ति बढ़ी है और उनमें साइबर अपराधों संबंधी जागरूकता का अभाव है।
- पिछले 12 महीनों में लगभग 59 प्रतिशत भारतीय वयस्क साइबर अपराध के शिकार बने तथा भारत में लगभग 52 प्रतिशत वयस्क साइबर अपराध से बचाव के बारे में अनभिज्ञ हैं।
- वर्ष 2020 में इंटरनेट पर लगभग 45% वयस्क भारतीयों की अपनी पहचान चोरी हुई।
- साइबर अपराध के शिकार लोगों ने इन समस्याओं के समाधान के लिये सामूहिक रूप से 1.3 बिलियन घंटे इंटरनेट पर व्यतीत किये।
- लगभग 90% भारतीय उपभोक्ता अपनी डेटा सुरक्षा के प्रति सक्रिय हैं, लेकिन लगभग 42% लोगों की गोपनीयता की रक्षा करना असंभव प्रतीत होता है।

साइबर सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

- साइबर जागरूकता का अभाव।
- सख़्त कानूनों व केंद्रीकृत व्यवस्था का अभाव।
- संस्थाओं में प्रभावी समन्वय की कमी।
- उत्तरदायित्व एवं कार्यक्षेत्र में अतिव्यापन व अस्पष्टता।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनावश्यक प्रावधानों में संशोधन।
- स्पष्ट जवाबदेहिता का अभाव।
- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध।
- साइबर कुशल कर्मचारियों का अभाव।
- 'निजता बनाम निगरानी' का मुद्दा।
- साइबर सशक्त देशों द्वारा किये जाने वाले साइबर हमले।

वर्तमान में साइबर धोखाधड़ी के मामले

- कोविड-19 के बढ़ते मामले प्रयोगशाला परीक्षण की माँग पूरा करने में असमर्थ हैं। इसका लाभ उठाकर साइबर अपराधी धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं।
- सरकार द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण के लिये 'को-विन' (Co-Win) प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर लोगों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। साइबर अपराधी फर्जी ऐप के माध्यम से फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर टीकाकरण हेतु एडवांस बुकिंग, नकली दवाओं की बिक्री का लालच देकर साइबर अपराध कर रहे हैं।
- इसके अलावा, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके भी साइबर अपराध किये जा रहे हैं।

भारत की संस्थागत साइबर सुरक्षा अवसंरचनाएँ

- पिछले दो दशकों से भारत में साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न संस्थान स्थापित किये हैं। इनमें सर्वप्रमुख है– इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITy) के अंतर्गत वर्ष 2004 में स्थापित किया गया 'भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम' (Indian Computer Emergency Response Team – CERT-In)।
- वर्ष 2014 में ऊर्जा, वित्त, दूरसंचार, परिवहन आदि से जुड़ी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र' (National Critical Information Infrastructure Protection Centre – NCIIPC) की स्थापना की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (National Technical Research Organization – NTRO) के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के तहत की गई है।
- प्रधानमंत्री को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर सलाह देने के लिये वर्ष 2013-14 में 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र' (NCCC) की स्थापना की गई थी।

- भारतीय साइबर नीति परितंत्र के विकास में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्' की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसकी अध्यक्षता 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) करते हैं।
- 'राष्ट्रीय सूचना बोर्ड' साइबर सुरक्षा एवं नीति-निर्माण संबंधी शीर्ष अंतर-मंत्रालयी निकाय है। इसके अध्यक्ष भी 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' ही होते हैं।
- वर्ष 2018 में साइबर जागरूकता व नई तकनीकों से जुड़े शोध एवं विकास कार्यों के संचालन के लिये गृह मंत्रालय के अधीन 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' की स्थापना की गई थी।
- साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा क्षमता विकास करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 2018 को 'साइबर सुरक्षित भारत पहल' की शुरुआत की गई थी।
- वर्ष 2018-19 में रक्षा मंत्रालय के अधीन 'डिफेंस साइबर एजेंसी' को एकीकृत कमान एवं संयुक्त साइबर ऑपरेशन हेतु पुनर्गठित किया गया था।
- साइबर सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं नीति निर्माण के लिये विदेश मंत्रालय भी लगातार प्रयासरत रहता है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre – I4C)

- वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिये इस केंद्र का शुभारंभ किया गया था। यह योजना संपूर्ण भारत में लागू है। साइबर अपराध से बेहतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये इस योजना को 7 प्रमुख घटकों में बाँटा गया है–
  - (i) राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre)
  - (ii) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
  - (iii) साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
  - (iv) संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
  - (v) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
  - (vi) राष्ट्रीय साइबर अपराध धमकी विश्लेषण इकाई (National Cyber Crime Threat Analytics Unit)
  - (vii) राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)

सुझाव

- कोरोना के परीक्षण के लिये विश्वनीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थान का चयन करना।
- किसी ऐप को डाउनलोड करते समय जानकारी संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले लिंक और ई-मेल की जाँच करना।
- अपने खातों को द्विस्तरीय प्रमाणीकरण से सुरक्षित करना। मोबाइल नंबर, जन्म तिथि व अन्य गोपनीय सूचनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालने से बचना।
- एक पारदर्शी, सशक्त व सुस्पष्ट साइबर नीति निर्मित करना, ताकि साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र को मज़बूत किया जा सके।
- केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाना व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सॉफ्ट पॉवर के रूप में स्थापित करने के लिये क्षमता विकास पर ध्यान देना।
- साइबर सक्षम देशों द्वारा लगातार किये जाने वाले साइबर हमलों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना तथा इनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कार्रवाई करना।
- साइबर सुरक्षा में सुधार के लिये कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स आदि तकनीकों का उपयोग करना।
- साइबर सुरक्षा के लिये पर्याप्त मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम शुरू करना।
- साइबर सुरक्षा क्षेत्र के लिये पृथक रूप से बजट आवंटित करना तथा अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना।

नॉर्टन लाइफ लॉक (Norton Life Lock)

- **स्थापना–** वर्ष 1982
- **संस्थापक–** गैरी हेंड्रिक्स
- **मुख्यालय–** टेम्पे, एरिजोना, अमेरिका
- **कार्य–** साइबर सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर बनाना
- **विकास केंद्र (Devlopment Center)–** भारत में पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई
- इस संस्था द्वारा 'नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट' का वार्षिक प्रकाशन किया जाता है।

❑❑❑

10 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

हरित हाइड्रोजन : स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सहायक

संदर्भ

'ऊर्जा' एक ऐसा संसाधन है, जिसमें किसी विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों ने जलवायु विज्ञान सम्मेलनों तथा आपदा राहत प्रयासों पर अरबों रुपए खर्च करने को मजबूर किया है। वैश्विक बाज़ार में कार्बन मुक्त उत्पादों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित खतरे को महसूस करते हुए कई देशों ने नेट-शून्य लक्ष्यों की घोषणा की है। ऐसे में, 'हरित हाइड्रोजन' ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प प्रतीत होती है।

हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। आवर्त सारणी में यह प्रथम स्थान पर है। सामान्यत: इसके दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु (H2) बनता है। यह सबसे हल्का तत्त्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा परमाणु भार 1.008 है। हाइड्रोजन अत्यधिक कम ताप पर ठोस या द्रव में परिवर्तित हो जाती है।
- हरित हाइड्रोजन का निर्माण प्राय: नवीकरणीय ऊर्जा के ज़रिये जल से पृथक करके (जल-विघटन) किया जाता है। यह ऊर्जा का स्रोत न होकर ऊर्जा का वाहक है। 'ऊर्जा वाहक' (Energy Carrier) से आशय है कि हाइड्रोजन ईंधन को प्रयोग करने से पहले फ्यूल सेल नामक उपकरण से विद्युत में बदलना आवश्यक होता है। विदित है कि फ्यूल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

ऊर्जा अर्थव्यवस्था की स्थिति

- सार्वजनिक स्तर पर ऊर्जा अर्थव्यवस्था में विद्युत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि इसका हिस्सा भारत की कुल ऊर्जा माँग का केवल 18% है और शेष 82% में अन्य ऊर्जा स्रोत, जैसे- कोयला, तेल व गैस, बायोमास आदि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र अत्यधिक आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल का 85%, गैस का 53% और कोयले का 24% आयात किया जाता है। इन ईंधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का आयात बिल पर भारी प्रभाव पड़ता है।
- 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (IEA) के अनुसार, भारत वर्ष 2030 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में यूरोपीय संघ से आगे निकल जाएगा तथा अगले दो दशकों में भारत की ऊर्जा माँग में सर्वाधिक वृद्धि होगी।

भारत के लिये संभावनाएँ

- हरित हाइड्रोजन भारत में ऊर्जा आयात को प्रतिस्थापित कर सकता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अत्यधिक सस्ती होने के कारण हरित हाइड्रोजन का उत्पादन एक अच्छा विकल्प है। 'वैश्विक हाइड्रोजन परिषद्' ने कहा कि भारत वर्ष 2030 से हरित हाइड्रोजन का निर्यात करने लगेगा।
- हाइड्रोजन लगभग 70 मिलियन टन के मौजूदा वैश्विक बाज़ार के साथ एक रासायनिक फीडस्टॉक भी है। भारत वार्षिक स्तर पर लगभग 6 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उपभोग करता है, जो वैश्विक माँग की 8.5% है।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अत: इससे संबंधित उद्योगों के विकास की भारत में असीम संभावनाएँ हैं।

वैश्विक स्थिति

- वर्तमान में 25 से अधिक देशों ने हरित हाइड्रोजन के लिये रोडमैप तैयार किया है, जिसमें विनियमन और वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल हैं। पवन व सौर ऊर्जा, विद्युत गृहों व इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली प्रदान कर सकते हैं, परंतु ऊर्जा-गहन उद्योगों, जैसे- रिफाइनिंग, स्टील, सीमेंट आदि के लिये हरित हाइड्रोजन बिजली का एक आदर्श स्रोत हो सकता है।
- वैश्विक स्तर पर सरकारें मौजूदा हाइड्रोजन उद्योग को 'ग्रे हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र' से एक स्वच्छ ऊर्जा-आधारित 'हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र' में बदलने पर ज़ोर दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को 'ग्रे हाइड्रोजन' कहा जाता है। वर्तमान में इससे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- गैस और पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार वाले कुछ देश 'नीली-हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था' (Blue-Hydrogen Economy) पर ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि यह उनके लिये नए प्रकार के बाज़ार की संभावनाएँ खोल रहा है। दूसरी ओर, भारत स्थानीय स्तर पर सीमित हाइड्रोकार्बन संसाधनों, विशाल नवीकरणीय क्षमता एवं इनकी कम कीमतों के कारण 'हरित हाइड्रोजन' का एक प्रमुख उत्पादक बन सकता है।
- पश्चिम एशियाई देश, चिली और ऑस्ट्रेलिया का हरित हाइड्रोजन में अग्रणी बनने का लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऊर्जा संघ ने पिलबारा में 'एशियाई अक्षय ऊर्जा हब' नामक एक परियोजना के निर्माण की घोषणा की है, जो सिंगापुर के लिये हरित हाइड्रोजन बनाएगी।

लाभ

- वर्ष 2030 तक भारत के 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिये भी हरित हाइड्रोजन महत्त्वपूर्ण है। उच्च उत्पादन समय में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
- हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत में बिजली की हिस्सेदारी करीब 70% होती है। इसलिये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिशेष बिजली हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकती है। इससे ग्रिड की सुरक्षा भी होगी।
- हरित हाइड्रोजन एक उभरता हुआ उद्योग है और यह भारतीय उद्यमियों को काफी लाभान्वित कर सकता है। भारत में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरित हाइड्रोजन स्टील, रसायनों जैसे उद्योगों को भारत में आकर्षित कर सकता है क्योंकि हरित हाइड्रोजन इनके लिये अत्यधिक अनुकूल होती है।
- हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास और जल के विघटन में सहायक इलेक्ट्रोलाइजर का भारत में उत्पादन लगभग 18-20 बिलियन डॉलर का एक नया 'ग्रीन टेक्नोलॉजी मार्केट' विकसित कर सकता है और घरेलू रोज़गार का सृजन कर सकता है।

भावी राह

- सर्वप्रथम तो भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की तरह वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।
- दूसरा, तेल शोधन व उर्वरक जैसे उद्योगों में मौजूदा अनुप्रयोगों के लिये ग्रे हाइड्रोजन के साथ एक निश्चित मात्रा में हरित हाइड्रोजन को भी शामिल करना चाहिये तथा धीरे-धीरे पूर्णत: हरित हाइड्रोजन का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।
- तीसरा, भारत को विनिर्माण क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये तथा उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिये, जैसे- ग्रीन स्टील।
- चौथा, भारत को दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के साथ एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाना चाहिये और इन देशों के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की पूर्ति के लिये भारत से हरित हाइड्रोजन का निर्यात करना चाहिये।
- अंतिम, भारत को इलेक्ट्रोलाइजर की वैश्विक माँग की आपूर्ति करने के लिये इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना बनानी चाहिये।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत में स्वच्छ और स्थायी उत्पादों की माँग के अनुरूप अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता है। भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिये। इस प्रक्रिया में, भारत विकसित देशों को तेज़ वृद्धि के साथ सतत् विकास का रास्ता दिखा सकता है। हरित हाइड्रोजन भविष्य में ऊर्जा का बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से भी निपटने में भी सहायता मिलेगी।

जलवायु परिवर्तन का पवन ऊर्जा पर प्रभाव

संदर्भ

हालिया प्रकाशित एक शोध-पत्र के अनुसार, विगत 40 वर्षों में संभावित पवन ऊर्जा क्षमता में लगभग 13% की कमी आई है। हिंद महासागर के बढ़ते उष्मन के परिणामस्वरूप ग्रीष्मकालीन मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है। यह भारत के महत्त्वाकांक्षी पवन ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में बाधक बन सकता है।

मानसून और पवन ऊर्जा

- वर्ष 2020 मानसून के दृष्टिकोण से बेहतर रहा। जून-सितंबर के मध्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के द्वारा लॉन्ग-पीरियड एवरेज (LPA) का 109% वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो विगत 50 वर्षों के दौरान अभिलिखित वर्षा के औसत से अधिक थी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।
- भारत में लगभग दो-तिहाई पवन ऊर्जा का उत्पादन सितंबर में समाप्त होने वाले मानसून के चार महीनों के दौरान होता है। हालाँकि पवन ऊर्जा क्षेत्रक के लिये यह वर्ष ठीक नहीं रहा।
- सामान्यतया मानसून पवनों की गति लगभग 23-29 कि.मी. प्रतिघंटे होती है, जो टर्बाइनों के सहज संचालन के लिये मुफीद होती है।
- पिछले वर्ष मानसून पवनों की गति लगभग 20-27 कि.मी. प्रतिघंटे दर्ज की गई थी, जो अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे धीमी थी।
- पवन टर्बाइनों का औसत 'क्षमता उपयोग कारक' (Capacity Utilization Factor-CUF) विगत दो वर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20% की तुलना में 17% रहा।
- उल्लेखनीय है कि पवन टर्बाइनों के प्रदर्शन को अक्सर एक मीट्रिक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे 'क्षमता उपयोग कारक' कहा जाता है। यह एक पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा वास्तविक उत्पादन का अनुपात है।
- आदर्श परिस्थितियों में एक वर्ष के दौरान उससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। 'क्षमता उपयोग कारक' को सामान्यत: प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
- विशेषकर, जुलाई और सितंबर माह में पवन की गति सामान्य से भी कम रही। इससे मानसून के दौरान अधिकांश भारत में सी.यू.एफ. में व्यापक कमी दर्ज की गई।

भारत का हरित ऊर्जा कार्यक्रम

- 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (UNFCCC) के अंतर्गत हुए 'पेरिस जलवायु समझौते' का कार्यान्वयन वर्ष 2021 से आरंभ होगा। भारत ने इस समझौते तहत किये जाने वाले कार्यों की घोषणा करते हुए, अपना 'राष्ट्रीय अभिनिर्धारित योगदान' (INDC) प्रस्तुत किया है।
- आई.एन.डी.सी. के तहत निर्धारित किये गए 8 लक्ष्यों में प्रमुख हैं- वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से जी.डी.पी. की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करना, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करना आदि।
- इसी योजना के एक भाग के रूप में, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन लक्ष्य रखा है, जिसमें 60 गीगावाट पवन ऊर्जा के रूप में उत्पादित की जानी है।
- मार्च 2021 तक, देश में कुल 38.78 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन होने लगा था। मानसूनी पवनों की अनियमितता, महामारी, लालफीताशाही आदि के कारण इसके उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है।
- पिछले मानसून में पवनों की धीमी गति के लिये विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रेरित वैश्विक उष्मन तथा अनियमित वर्षा प्रतिरूप को ज़िम्मेदार ठहराया था। यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति हैं क्योंकि पवन ऊर्जा वैश्विक उष्मन को कम करने का एक प्रभावी साधन है।

जलवायु अस्थिरता

- यदि जलवायु परिवर्तन और हिंद महासागर का उष्मन ऐसे ही जारी रहता है तो पवनों की क्षमता में और गिरावट होगी, लेकिन जलवायु की अस्थिरता को देखते हुए पवनों की क्षमता में उच्च वृद्धि भी देखने को मिल सकती है।
- हरित ऊर्जा परियोजनाओं के निवेशक भी इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, जो दक्षिणी राज्यों के इतर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा मध्य प्रदेश में हुए निवेशों से पता चलता है।
- डेनमार्क स्थित 'वेस्टस विंड सिस्टम' जैसे पवन टरबाइन निर्माताओं ने कम और अति-निम्न पवन गति वाली स्थिति पर लक्षित एक नया टरबाइन बनाया है।
- विगत वर्ष मध्य भारत में मई-जून के दौरान गर्मी की तीव्रता कम रही थी, इसलिये पवनों की गति अपेक्षाकृत मंद रही थी। इस वर्ष भी लगभग ऐसी ही परिस्थितियाँ रहीं।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु में गिरावट न होने का मुख्य कारण उसका पूर्वी तट पर स्थित होना है तथा ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पवनों की स्थिति अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अलग होती है।

वर्तमान की चिंताएँ

- पवनों की गति कई पारस्परिक कारकों से प्रभावित होती है, इसलिये पवन के प्रतिरूप में संरचनात्मक को पहचान पाना मुश्किल है। हालाँकि कुछ हालिया अध्ययन मानसून के दौरान दीर्घकालीन पवनों की औसत गति में मामूली कमी होने की बात कहते हैं।
- हरित ऊर्जा के निवेशक पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे- विद्युत खरीद में कटौती, भुगतान में विलंब, भूमि, कनेक्टिविटी की समस्या आदि। यदि पवनों की गति में ऐसे गिरावट दर्ज की जाती रही तो संभवतः इन परियोजनाओं की नीलामी बढ़ी हुई कीमतों पर की जाए।

भावी राह

- भारत 7500 कि.मी. लंबी विशाल तटरेखा के साथ पवन ऊर्जा का पर्याप्त दोहन करने की क्षमता रखता है। अभी भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है।
- 100 मीटर के ऊपर भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 302 गीगावाट है। इसने दुनिया के बड़े निवेशकों तथा संप्रभु धन-कोष को भारत की ओर आकर्षित किया है।
- तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत में हरित ऊर्जा का क्षेत्र लाभदायक बना हुआ है। हाल के दिनों में पवन ऊर्जा क्षेत्र में लगभग %10 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है।
- पवन ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले निवेश में जोखम कम करने के लिये पोर्टफोलियो दृष्टिकोण बेहतर होगा क्योंकि पवन की गति 'स्थान और समय' के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ा पर्माफ्रॉस्ट का पेंच

संदर्भ

- हाल के वर्षों में, विश्व में जलवायु परिवर्तन का चरम स्वरूप देखने को मिला, इसमें समुद्री जलस्तर में वृद्धि से लेकर भीषण गर्मी का प्रकोप तथा बाढ़ से लेकर भयंकर चक्रवात शामिल हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना भी इसी का एक प्रभाव है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक जलवायु संबंधी पाँच प्रमुख उभरती चिंताओं में से एक कहा था। ऐसे में, यह समझना आवश्यक हो जाता है कि पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना क्यों मायने रखता है तथा नीति-निर्माण के दृष्टिकोण से इसकी क्या महत्ता है?

पर्माफ्रॉस्ट क्या है?

- बर्फीले क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के नीचे जमी हुई ऐसी आधार भूमि को 'पर्माफ्रॉस्ट' कहते हैं, जो लगातार कम से कम दो वर्षों

तक जमी हुई अवस्था में रही हो। इसके कुछ भाग तो हजारों वर्ष पुराने होते हैं तथा इनकी गहराई कुछ मीटर से लेकर कुछ कि.मी. तक हो सकती है।

- उत्तरी गोलार्द्ध का लगभग 25 प्रतिशत तथा पृथ्वी का लगभग 17 प्रतिशत भाग पर्माफ्रॉस्ट से आच्छादित है। यह मुख्यत: आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व के अन्य क्षेत्रों, जैसे- अलास्का का 80 प्रतिशत, कनाडा का 50 प्रतिशत तथा रूस का लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग पर्माफ्रॉस्ट से आच्छादित है। वैश्विक स्तर पर ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों, जैसे- आल्प्स, हिमालय तथा एंडीज पर्वत पर भी यह पाया जाता है।

पर्माफ्रॉस्ट की विशेषताएँ

- ये पृथ्वी के लिये एक विशाल फ्रीज़र की भूमिका निभाते हैं। यहाँ मृत वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, माइक्रोब्स तथा वायरस जैसे जैविक पदार्थ भारी मात्रा में जमी हुई अवस्था में उपस्थित हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट को पृथ्वी पर कार्बन और पारे का सबसे बड़ा भंडार भी माना जाता है। यहाँ अनुमानित 1600 अरब टन कार्बन जमा है, जो वर्तमान में वातावरण में विद्यमान गैसों का लगभग दोगुना है।
- पर्माफ्रॉस्ट कई कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। विशेषकर, जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक उष्मन का इन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के संदर्भ में तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में दो-तीन गुना अधिक गति से गर्म हो रहा है।
- 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (IPCC) के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित किया जाएगा, तो भी वर्ष 2100 तक पर्माफ्रॉस्ट का लगभग 25% हिस्सा पिघल सकता है। और यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहा तो यह आँकड़ा 70% तक भी पहुँच सकता है।
- पर्माफ्रॉस्ट दो तरीके से पिघल सकते हैं। पहला, आसपास की वायु का तापमान बढ़ने से धीरे-धीरे किंतु स्थाई रूप से पिघल सकते हैं। दूसरे, अपने भीतर विशाल मात्रा में जमी बर्फ के पिघलने से भी पर्माफ्रॉस्ट पिघलने लगते हैं। ऐसे में, पिघलती हुई जमीन अचानक दरकने लगती है और वृहत् गड्ढों, झीलों तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण होने लगता है।
- इसके अतिरिक्त, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण भूस्खलन भी आते हैं तथा पर्वतीय एवं तटीय क्षेत्रों का क्षरण होता है।

वैश्विक सुरक्षा संबंधी निहितार्थ

- पर्माफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में सैनिक-असैनिक बुनियादी ढाँचे के क्षतिग्रस्त होने का भी गंभीर खतरा रहता है। खतरे की परिधि में 'एवलॉन्श कंट्रोल सिस्टम' से संबंधित अवसंरचना भी शामिल होती है, जो स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक होती हैं।
- गौरतलब है कि आर्कटिक क्षेत्र में कई देशों के सैन्य अड्डे स्थित हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से यहाँ कई अग्निशमन केंद्र नष्ट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कों और मकानों की स्थिति भी बेहद संवेदनशील है।
- तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ समुदायों को अपना मूलस्थान छोड़कर सुरक्षित क्षेत्रों में जाने को विवश हुए हैं। आर्कटिक में विद्यमान समस्त अवसंरचना का लगभग 70% भाग उस क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ वर्ष 2050 तक पर्माफ्रॉस्ट के तेज़ी से पिघलने का अनुमान है।
- आर्कटिक में मौजूद तेल और गैस से संबंधित ढाँचों के लिये भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित हाइड्रोकार्बन की निकासी वाले विशाल भू-क्षेत्र के करीब 45 प्रतिशत भाग को वर्ष 2050 तक भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।
- यहाँ मौजूद कई पाइपलाइनों के लिये बेहद जोखिम भरी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना आगामी वर्षों में मानव सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती बन सकता है। पिघलता हुआ पर्माफ्रॉस्ट अपने अंदर दीर्घकाल से दबे तत्त्वों को वातावरण में उत्सर्जित करता है, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं।
- उत्सर्जित होने वाली जैविक गैसें आगे ग्रीन हाउस गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे निकलने वाला पारा मनुष्यों तथा पशुओं के लिये जहरीला हो सकता है। पारे की मात्रा में बढ़ोतरी खाद्य सुरक्षा के लिये भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, पर्माफ्रॉस्ट के नीचे हजारों वर्षों से दबे विषाणु भी गंभीर प्रभाव दर्शा सकते हैं। वातावरण में पहुँचते ही ये तत्त्व गतिशील हो जाते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2016 में साइबेरिया में पिघले पर्माफ्रॉस्ट ने रेनडियर के एंथ्रैक्स से संक्रमित 70 वर्ष पुराने कंकाल को सतह पर ला दिया था।
- अज्ञात विषाणुओं का उभरना संपूर्ण विश्व के लिये सामाजिक-आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से विनाशकारी साबित हो सकता है। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 'पर्माफ्रॉस्ट कार्बन फीडबैक' खा जाता है।
- ऐसी परिस्थिति से प्रभावित लोगों के मध्य उपलब्ध संसाधनों के लिये 'गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा' शुरू हो जाएगी, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिल रहा है।

नीति-निर्माण से संबंधित निहितार्थ

- पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक विशिष्ट पहलू है। यद्यपि इससे संबंधित आँकड़ों को लेकर कुछ मतभेद हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि पर्माफ्रॉस्ट ग्रीनहाउस गैसों का बड़ा स्रोत हो सकते हैं। पर्माफ्रॉस्ट जैसे-जैसे कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती चली जाएगी। फिर तापमान बढ़ने से पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की दर भी बढ़ेगी तथा कार्बन उत्सर्जन में पुनः वृद्धि होगी तथा यह कुचक्र ऐसे ही चलता रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि आई.पी.सी.सी. ने वर्ष 2018 से पहले तक पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से उत्सर्जित होने वाले कार्बन को अपने प्रेक्षणों में शामिल नहीं किया था। इसलिये आई.पी.सी.सी. के पूर्वानुमानों में वैश्विक उष्मन के प्रभाव को कम करके आँका गया था। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते से संबंधित लक्ष्यों को तय करने में भी इसी मॉडल को अपनाया गया था।
- पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि इसके गंभीर सुरक्षा प्रभाव भी हो सकते हैं। सुरक्षा संबंधी पारंपरिक खतरों, जैसे- सैन्य क्षमता, परमाणु प्रसार, आतंकवाद, साइबर हमले आदि की तरह ही जलवायु परिवर्तन भी नीति-निर्माताओं के लिये सुरक्षा स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मददगार साबित हो सकती है।
- ऐसी स्थिति में, अनेक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुरक्षा संबंधी मूल्यांकनों, नीतियों और ढाँचागत क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारकों को भी शामिल करने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ देशों की सेनाओं ने भी जलवायु परिवर्तन के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना शुरू कर दिया है।

उपाय

- वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी करके पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की दर घटाई जा सकती है। इससे मौजूदा व भावी बुनियादी ढाँचे को इस स्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- प्रभावित देशों के साथ मिलकर इससे निपटने के लिये बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है। निजी क्षेत्र और नागरिक समाज वर्तमान में प्रचलित उत्कृष्ट तौर-तरीकों को आपस में साझा करते हुए जलवायु क्षमता-निर्माण के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट आधारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ संबंधित सुरक्षा चुनौतियों को भी कम किया जा सकता है। यही तेज़ी से कदम उठाए जाएँ तो इससे होने वाले नुकसान को आधा किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि कोई कदम नहीं उठाया गया तो करीब 70 खरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। यदि समय रहते वैश्विक उष्मन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया तो इससे लगभग 25 खरब डॉलर का नुकसान होगा।
- पर्माफ्रॉस्ट पिघलने संबंधी हालिया अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करने के लिये वर्ष 2050 या 2044 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पूर्णतः नियंत्रित करना होगा।
- जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य हासिल करने में 126 देशों ने ही रूचि दिखाई है और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान केवल 51% है। दिसंबर 2020 में संपन्न हुए जलवायु संबंधी सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2050 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये काफी कुछ किया जाना शेष है।

निष्कर्ष

- 'पर्माफ्रॉस्ट' जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का पर्यावरण व सुरक्षा परिदृश्य, दोनों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष, वर्तमान एवं भावी तथा स्थानीय और वैश्विक हो सकते हैं।
- पेरिस समझौते के 5 वर्ष उपरांत नीति-निर्माताओं के एजेंडे में पर्माफ्रॉस्ट के मुद्दे को महत्त्व मिलने की संभावना बनी है। पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने के लिये और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे।
- पर्माफ्रॉस्ट पिघलने संबंधी मामलों में जैसे-जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती जाएगी, इससे संबंधित सुरक्षा मुद्दों तथा इसके वैश्विक प्रभावों को समझना भी आसान होता चला जाएगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु संबंधी जोखिम

संदर्भ

'जैव-विविधता संबंधी अर्थशास्त्र' पर आधारित एक रिपोर्ट में इस अवधारणा पर ज़ोर दिया गया कि हमें अपनी आर्थिक प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत तात्कालिक वित्तीय लाभ पर ध्यान-केंद्रित करने की बजाय सतत् विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई गई।

वर्तमान परिदृश्य

- पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र एक कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रजातियों की विलुप्ति दर पिछली सदी की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक है। वर्तमान आर्थिक प्रणाली ने प्राकृतिक संसाधनों पर पहले से ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है।
- विश्व सारी अर्थव्यवस्थाएँ प्रकृति से अंतर्सबद्ध हैं। ऐसे में, कुछ उद्योग पर्यावरणजनित खतरों के मद्देनज़र अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन कर भी रहे हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिये इस दिशा में सभी को संयुक्त प्रयास करना होगा।

- समता, सकारात्मक-प्रकृति तथा 'नेट-ज़ीरो फ्यूचर' जैसे लक्ष्य पाने के लिये हमें अपनी आर्थिक प्रणाली के मौजूदा नियम परिवर्तित करने होंगे।
- वे फर्में, जो राजस्व, लाभ, निवेश व रोज़गार के मामले में समतामूलक दृष्टिकोण अपनाती हों, पर्यावरण को प्राथमिकता देती हों तथा सामाजिक जोखिमों को कम करने की लिये दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाती हों, अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसी प्रकार, जो कंपनियाँ 'पर्यावरण, समाज तथा प्रशासन' (ESG) संबंधी नीतियों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग उच्च होती है।

जलवायु संबंधी जोखिम

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2021' के अनुसार, अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष शीर्ष पाँच जोखिमों में से चार पर्यावरण संबंधी हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता की हानि भी शामिल है।
- कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण प्रतिवर्ष लगभग $300 बिलियन की हानि होती है। ये नुकसान 'अंधाधुंध आर्थिक विकास' तथा 'मानवीय क्रियाकलापों' से अंतर्संबद्ध है। ऐसे में, निवेशकों व अन्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के संभावित जोखिमों को समझाना चाहिये।
- 'भूमि क्षरण' की आर्थिक लागत सकल वैश्विक उत्पाद का लगभग 10% है। इसके अतिरिक्त, मानव-जनित कारणों से महासागरों के स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट से वर्ष 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $428 बिलियन के नुकसान होने की आशंका है।
- इसके विपरीत, यदि सतत् अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है तो लगभग $10 ट्रिलियन की व्यापारिक संभावनाएँ तथा 400 मिलियन रोज़गार सृजित हो सकते हैं। बड़ी कंपनियाँ इस मुहीम का नेतृत्व कर सकती हैं।
- ई.एस.जी. संकेतकों का प्रयोग करने की बजाय, निवेशक अक्सर कंपनी के मूल्य और अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं। अत: व्यावसायिक सफलता की यह प्रवृत्ति परिवर्तित होनी चाहिये।

भावी राह

- हरित प्रणाली अपनाने के लिये सार्थक और विश्वनीय ई.एस.जी. आँकड़ों तथा पारंपरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की जरूरत है।
- पारिस्थितिक तंत्र, लोगों तथा मुनाफे की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिये कॉर्पोरेट निष्पादन संकेतकों को प्राकृतिक, सामाजिक तथा मानव पूँजी के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता भी है।
- जलवायु तथा जैव-विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों में निवेश बंद होना चाहिये। कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जलवायु-संबंधित वित्तीय कार्य-बल को भी स्थापित करना चाहिये।
- अक्टूबर, 2021 में संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता सम्मलेन (COP-15) चीन में आयेजोत होगा। इसके लियु 700 से अधिक कंपनियों ने सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 2030 तक प्राकृतिक संरक्षण करने वाली नीतियाँ अपनाएँ। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक रिपोर्टिंग में अपनाई गई नीति 'प्राकृतिक पूँजी लेखांकन' मील का पत्थर साबित होगी।
- अंत में, और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण कि सरकारों को केवल उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिये, जो सतत् अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं। इस तरह के उपाय से न केवल नए व्यावसायिक मार्ग खुलेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

महामारी के बाद के विश्व में रिकवरी के लिये उक्त सुधारों को अपनाने का मौका होगा। हमें अपनी आर्थिक प्रणालियों को सुधार कर धारणीय नीतियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

पैंगोलिन पर गहराता संकट

संदर्भ

हाल ही में, कोलकाता स्थित 'जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (ZSI) के शोधकर्ताओं ने भारतीय तथा चीनी पैंगोलिन संबंधी जानकारी जुटाने के लिये एक उपकरण विकसित किया है।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
(Zoological Survey of India & ZSI)

- स्थापना- 1 जुलाई, 1916
- मंत्रालय- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- मुख्यालय- कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- उद्देश्य- पशुओं का वर्गीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करना

पैंगोलिन

- पैंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी वाला स्तनधारी जीव है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षण प्राप्त है।
- विश्व में पैंगोलिन की 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनमें अफ्रीका महाद्वीप में 4 प्रजातियाँ ब्लैक-बेल्ड पैंगोलिन, व्हाइट-बेल्ड पैंगोलिन, जाइंट ग्राउंड पैंगोलिन और टेम्मिनैक ग्राउंड पैंगोलिन

पाई जाती हैं। जबकि अन्य 4 प्रजातियाँ इंडियन पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकाडाटा), फिलीपीन पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। सभी आठों प्रजातियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षण प्राप्त है।

- औषधि निर्माण के लिये मुख्यत: इसकी तस्करी की जाती है तथा इसका प्रतिवर्ष $2.5 बिलियन का गैर-कानूनी व्यापार होता है। आई.यू.सी.एन. के द्वारा भारतीय पैंगोलिन को एन्डेन्जर्ड तथा चीनी पैंगोलिन को क्रिटिकली एन्डेन्जर्ड घोषित किया गया है।
- भारतीय पैंगोलिन भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में मैदानी और तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि चीनी पैंगोलिन उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, दक्षिणी चीन में पाई जाती है।

जेड.एस.आई. का शोध

- जेड.एस.आई. को पैंगोलिन के 624 खोल प्राप्त हुए। उसने इनकी सभी 8 प्रजातियों से परस्पर तुलना की तथा उनकी स्वरूपात्मक विशेषताओं व आनुवांशिक विविधता की जाँच की।
- जेड.एस.आई. ने जाँच का आधार खोल के आकार, पैंगोलिन के आकार, उनके वजन तथा उनकी कठोरता को रेखांकित किया।

क्षति का अनुमान

- वन्यजीव अधिकारियों द्वारा पैंगोलिन के प्राप्त हुए सभी खोलों का वजन मापा जाता है और उसके आधार पर मारी गई पैंगोलिनों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है।
- एक परिपक्व चीनी पैंगोलिन के सूखे खोल का वजन 500-700 ग्राम तथा भारतीय पैंगोलिन के खोल का वजन 1.5-1.8 कि.ग्रा. तक होता है।
- विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के मध्य वैश्विक स्तर पर लगभग 8,95,000 पैंगोलिन मारी गई।
- एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने तथा 1 वर्ष में केवल एक ही बच्चे को जन्म देने के कारण चीनी पैंगोलिन की संख्या अत्यंत कम है। पैंगोलिन अपने निवास स्थान के क्षरण तथा शिकार के कारण भी विलुप्त हो रही हैं।

कौशल निर्माण कार्यशालाएँ

'जेड.एस.आई.' विभिन्न अधिकारियों, वन विभाग, पुलिस और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यशालाएँ का आयोजित कर रहा है। साथ ही नई विकसित पद्धति का प्रदर्शन भी शीघ्र ही किया जाएगा, ताकि इनके खोल की पहचान करने में आसानी हो सके।

निष्कर्ष

जेड.एस.आई. की यह पद्धति वन रक्षकों, सीमा शुल्क अधिकारियों या हवाई अड्डा प्राधिकरण को अधिक सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जब पैंगोलिन के खोल को जप्त किया जाता है, तो उनके पास इसकी जानकारी का अभाव होता है। साथ ही जेड.एस.आई. के इस अध्ययन ने तत्काल निर्णय लेने के तरीकों को निर्धारित किया है, जो अदालत में मुकदमा चलाने के लिये भी महत्वपूर्ण है।

ग्रेट निकोबार परियोजना और संबंधित मुद्दे

संदर्भ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आने वाली 'पर्यावरण मूल्यांकन समिति' (EAC) ने ग्रेट निकोबार द्वीप में क्रियान्वित की जाने वाली नीति आयोग की महत्त्वाकांक्षी परियोजना के संबंध में गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

मुख्य बिंदु

- यद्यपि 'पर्यावरण मूल्यांकन समिति' ने परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रथम बाधा को समाप्त कर दिया है तथा परियोजना के संबंध में 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' संबंधी अध्ययन के लिये 'संदर्भ शर्तें जारी करने' की सिफारिश की है। इसके तहत प्रथम तीन माह में परियोजना संबंधी आधारभूत अध्ययन किये जाएँगे।
- इस परियोजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए व्यय किये जाने का अनुमान है। इस राशि के उपयोग से ग्रेट निकोबार द्वीप क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक विद्युत संयंत्र, प्राचीन तटीय प्रणाली एवं उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के 166 वर्ग कि.मी. में एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स का निर्माण किये जाने की योजना है।

परियोजना के संबंध में चिंताएँ

- परियोजना संबंधी दस्तावेजों में भूकंप तथा सुनामी से उत्पन्न खतरों, ताजे जल की आपूर्ति तथा विशालकाय लेदरबैक कछुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।
- इस परियोजना तहत भारत के 130 वर्ग कि.मी. उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जबकि इसके विवरण में परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, 'पर्यावरण मूल्यांकन समिति' ने गैलाथिया की खाड़ी जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी प्रश्न चिह्न लगाया है। 'गैलाथिया की खाड़ी' क्षेत्र एक ऐसा बंदरगाह स्थल है, जिसका नीति आयोग ने प्रमुखता से उल्लेख किया है।

- गौरतलब है कि यह खाड़ी भारत में विश्व के सबसे विशालकाय समुद्री कछुए 'जायंट लेदरबैक' के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
- साथ ही, इस परियोजना के प्रस्तावक 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम' (ANIIDCO) द्वारा 5 अप्रैल को इन चिंताओं पर एक बिंदुवार प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी।

समिति द्वारा प्रस्तावित मुख्य बिंदु

- 'पर्यावरण मूल्यांकन समिति' ने स्थलीय एवं समुद्री जैव विविधता के स्वतंत्र मूल्यांकन, तेल रिसाव सहित तलकर्षण (Dredging), भूमि-सुधार तथा बंदरगाह परिचालन के प्रभाव के अध्ययन आदि बिंदुओं पर विशेष बल दिया है।
- इसमें लेदरबैक कछुओं के समक्ष उपस्थित संभावित खतरे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रभाव का आकलन तथा बंदरगाह हेतु वैकल्पिक स्थलों की तलाश करने पर ज़ोर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें भूकंप एवं सुनामी से उत्पन्न होने वाले खतरों का मानचित्रण करना, आपदा प्रबंधन योजना, भू-वैज्ञानिक अध्ययन, सतही जल परियोजना के संचयी प्रभाव का आकलन, श्रम विवरण, श्रम शिविरों तथा उनकी आवश्यकताओं के अध्ययन आदि को भी शामिल किया गया है।

कॉर्पोरेट नीति

- 'पर्यावरण मूल्यांकन समिति' ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से माँग की है कि वह कंपनी की पर्यावरण नीति का ब्यौरा प्रस्तुत करे। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिये निर्धारित की गई मानक प्रक्रिया का भी विवरण दे।
- निकोबार द्वीप परियोजना का प्रस्तावक 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम' एक सरकारी उपक्रम है, जिसका प्रमुख कार्य पर्यटन, व्यापार (लोहा, इस्पात, दूध, पेट्रोलियम उत्पाद, शराब आदि) तथा मत्स्यपालन के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग फर्म (AECOM) की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में वर्ष 2022-23 कार्य आरंभ किया जाना है। लेकिन द्वीप विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव नहीं है। यदि सरकार तथा परियोजना के प्रस्तावक 'समिति' की सिफारिशों का सही ढंग से पालन करते हैं, तो इसके लिये एक वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है।
- पारिस्थितिक सर्वेक्षणों में पिछले कुछ वर्षों में कुछ नई प्रजातियों के खोजे जाने की सूचना भी दी गई है, इनमें से कई तो केवल गैलाथिया क्षेत्र में ही सीमित हैं। इनमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त निकोबार छछूँदर (Nicobar Shrew), ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार मेंढक, निकोबार कैट स्नेक (Nicobar Cat Snake), एक नया स्किंक (Lipinia Sp), छिपकली की एक नई प्रजाति (Dibamus Sp) तथा लाइकोडोन एसपी (Lycodon Sp) का एक साँप भी शामिल है, जिसे अभी वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- इनमें से किसी का भी ए.ई.सी.ओ.एम. की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट या समिति के समक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रेट निकोबार की जटिल प्रणालियों के नाजुक अंतर-संबंधों को समझने के लिये यहाँ मौजूद विभिन्न प्रजातियों की जानकारी होना आवश्यक है।

प्लास्टिक कचरे से कराहते शहर तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के मध्य एक आभासी (virtual) समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या से ग्रसित शहरों' के संदर्भ में तकनीकी सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना के क्रियाकलाप 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, यह परियोजना स्थाई 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' तथा वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को पूर्णतः समाप्त करने के प्रधानमंत्री के विजन पर केंद्रित है।
- उल्लेखनीय है कि दोनों राष्ट्रों इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2019 में की थी। उस समय 'समुद्री कचरे की रोकथाम' के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये दोनों पक्षों ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर भी किये थे।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश, केरल तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में साढ़े तीन वर्षों के लिये लागू की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः कानपुर, कोच्चि व पोर्टब्लेयर शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रभाव

- समुद्री अपशिष्ट पर्यावरण के लिये अत्यंत हानिकारक होते हैं, जो विश्व के मत्स्य और पर्यटन उद्योगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। प्ला स्टिक के सूक्ष्म कण खाद्य श्रृंखला में भी प्रविष्ट कर जाते हैं, इससे समुद्री जीवों के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान में, सिंथेटिक सामग्रियों के बढ़ते उत्पादन व उपयोग के कारण महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट भारी मात्रा में जमा हो रहा है। इस स्थिति ने नागरिकों और नीति-निर्माताओं को समान रूप से परेशान किया है।

- एक अनुमान के मुताबिक, कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 15-20 प्रतिशत हिस्सा नदियों के माध्यम से महासागरों तक पहुँचता है और इसमें लगभग 90 प्रतिशत भूमिका विश्व की 10 सबसे प्रदूषित नदियों की है। इन प्रदूषित नदियों में से दो नदी तंत्र 'गंगा' और 'ब्रह्मपुत्र' भारत में स्थित हैं।
- वर्तमान में, समुद्री अपशिष्ट उत्सर्जन की दृष्टि से भारत का विश्व में 12 वाँ स्थान है, जिसके वर्ष 2025 तक पाँचवें स्थान पर आने की संभावना है। भारत में प्लास्टिक की वार्षिक खपत लगभग 16.5 मिलियन टन है, इसमें लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा 'एकल उपयोग प्लास्टिक' (single use Plastic) उत्पादों का है।

निहितार्थ

- उल्लेखनीय है कि देश में प्लास्टिक अपशिष्ट और विशेष रूप से समुद्री अपशिष्ट के संदर्भ में सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे में, यह परियोजना 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। इससे नदियों और अन्य जल निकायों मंद प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी।
- इसके माध्यम से प्लास्टिक कचरे का संग्रहण करने, कचरे के पृथक्करण की बेहतर प्रणाली विकसित करने तथा प्लास्टिक कचरे का विपणन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, बंदरगाहों और समुद्री अपशिष्टों के रख-रखाव में भी सुधार लाया जाएगा।
- इसके माध्यम से उन्नत रिपोर्टिंग प्रणाली तथा बेहतर डाटा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिये जन-सामान्य का सहयोग भी लिया जाएगा। इसके अलावा, यह परियोजना डिजिटल माध्यम से पुनर्चक्रण उद्योग (Recycling Industry) को भी बढ़ावा देगी।

निष्कर्ष

- यह परियोजना शहरों के बेहतर कायाकल्प के लिये भारत व जर्मनी के 'द्विपक्षीय विकास निगम' का एक अनूठा प्रयास है।
- इस प्रकार, एक कुशल प्रणाली के विकास से शहरी निकायों में अपशिष्टों के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और निपटान प्रक्रिया में सुधार होगा। फलतः नदीय व महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त रह सकेंगे।

❑❑❑

11 आपदा प्रबंधन

सार्वजनिक भवन तथा अग्नि-सुरक्षा संबंधी नियम

संदर्भ

भारत के विभिन्न सार्वजनिक भवनों में प्राय: प्रत्येक वर्ष आग लगने की घटनाएँ सामने आती हैं, इससे बड़ी संख्या में लोगों को असामयिक मृत्यु का शिकार होना पड़ता है तथा कई अन्य को शारीरिक क्षति पहुँचती है। विगत तीन वर्षों के अंदर कई चिकित्सालय आग की चपेट में आए हैं, इनमें वे चिकित्सालय भी शामिल हैं, जहाँ कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का उपचार चल रहा है।

अग्नि-सुरक्षा उपायों में कमियाँ

- हाल के दिनों में मुंबई, ठाणे, भड़ौच आदि कई स्थानों पर सार्वजनिक भवनों में आग लगने के कारण लगभग 37 लोगों की मृत्यु हो गई। 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में वाणिज्यिक भवनों में आग लगने से लगभग 330 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अतिरिक्त, आवासीय या अन्य रिहायशी क्षेत्रों में कुल 6,329 व्यक्ति दुर्घटना का शिकार बने।
- इन भवनों में आग लगने का मुख्य कारण विद्युत का 'शॉर्ट-सर्किट' होना होता है, लेकिन भवन-निर्माण संबंधी नियमों में ढील दिये जाने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग न किये जाने से भी सरकारों की आलोचना होती है।
- चिकित्सालयों के आई.सी.यू. ऑक्सीजन-युक्त होने के कारण उच्च अग्नि-जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं तथा वहाँ उच्च मानकों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

अग्नि तथा जीवन-सुरक्षा से संबंधित भवन निर्माण संहिता

- राष्ट्रीय स्तर पर भवन निर्माण से संबंधित सभी पक्षों का मार्गदर्शन करने के लिये 'भारतीय मानक ब्यूरो' (BIS) ने भारत की 'राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016' निर्मित की है। इसमें सभी आधुनिक प्रवृत्तियाँ और रीतियाँ शामिल है।
- इस संहिता का भाग 4 विशिष्टत: 'अग्नि और जीवन सुरक्षा' (Fire and Life Safety) से संबंधित है। यह भाग विनाशकारी आग के जोखिम को कम करने में आवश्यक डिज़ाइन और सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- इस संहिता के अंतर्गत, विद्यमान सभी भवनों को उनकी प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है, जैसे– आवासीय, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा (सिनेमा या प्रेक्षागृह), औद्योगिक आदि। 'चिकित्सालय' संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
- 'राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता' एक सलाहकारी दस्तावेज़ है। राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भवन-निर्माण संबंधी नियमों में इन प्रावधानों को 'अनिवार्य' बनाएँ।
- यद्यपि अग्नि सुरक्षा संबंधी नियम सभी राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में संहिता के प्रावधानों को अनदेखा किया जाता है। यहाँ तक कि अनिवार्य प्रमाणन का अनुपालन भी नहीं किया जाता है।
- चिकित्सालयों में आग लगने की घटनाओं के संबंध में इसी वर्ष बजट सत्र में सरकार ने संसद को सूचित किया था कि 'अग्नि सुरक्षा समिति' सार्वजनिक चिकित्सालयों के अग्नि स्थापना, हीटिंग, वेंटिलेशन व एयर कंडीशनिंग, विद्युत उप-केंद्रों तथा अन्य विद्युत उपकरणों वाले स्थानों का आवधिक ऑडिट करेगी।
- 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' ने भी चिकित्सालयों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिये आवश्यक मानक निर्धारित किये हैं, इनमें भवन निर्माण संहिता के तत्त्व भी शामिल हैं। डिज़ाइन संबंधी मानकों के अतिरिक्त न्यूनतम सुरक्षा स्थान, सुरक्षित निकास तंत्र, समर्पित सीढ़ियाँ, खाली करने के लिये आवश्यक 'मॉक ड्रिल' आदि भी इसके अंग हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण सहिंता में शामिल विशिष्ट निर्देश

- सूक्ष्म स्तर पर 'राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता' (NBC) के अनुसार, औद्योगिक तथा खतरनाक संरचना वाले भवन की अवस्थिति आवासीय, संस्थागत, कार्यालय तथा व्यावसयिक भवनों के अनुरूप नहीं होनी चाहिये।
- अग्नि-प्रतिरोधी सामग्रियों का प्रयोग बाहरी दीवारों, आंतरिक दीवारों, फर्श, छत, अग्नि को जाँचने वाले दरवाजों आदि पर किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, आग लगने की स्थिति में इसकी सूचना देने तथा अग्नि का प्रतिरोध करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किये जाने की सलाह दी गई है।
- हालाँकि एन.बी.सी. विभिन्न प्रकार के भवनों की व्यावहारिक कठिनाइयों से बचने तथा युक्तिसंगत सुरक्षा मानकों को नज़रअदाज़ किये बिना कई रियायतें भी प्रदान करती है।

राज्य सरकारों की स्थिति

- आग की घटनों से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाले महाराष्ट्र ने वर्ष 2008 में 'अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा अधिनियम' पारित किया था। अधिनियम की धारा 3 एन.बी.सी. के प्रावधानों को अनिवार्य बनाती है तथा अनुसूची-1 के सभी प्रावधान एन.बी.सी. से प्रभावित हैं।
- हालाँकि हालिया आग की घटनाओं के मद्देनज़र एक रिपोर्ट इस ओर ध्यानाकर्षित करती है कि अधिकारी हज़ारों भवन संबंधी निरीक्षण में असमर्थ हैं।
- वर्ष 2010 से 2015 की अवधि से संबंधित रिपोर्ट में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उल्लेख किया था कि "महाराष्ट्र के 53 सार्वजनिक भवनों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के भौतिक ऑडिट के बाद ये ज्ञात हुआ कि केवल 11 भवनों में ही अग्निशामक यंत्र लगाए गए थे।"
- चिकित्सालयों के लिये आवश्यक डिज़ाइन तथा अवसंरचना विकसित करने के कारण अग्निशमन विभाग ने केरल को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) प्रदान किया है।
- तमिलनाडु के 'अग्निशमन सेवा अधिनियम' में एन.बी.सी. के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस अधिनियम को नगरपालिका कानून के साथ पढ़ने पर इसके प्रावधान काफी विस्तृत प्रतीत होते हैं।

निष्कर्ष

विगत दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के लिये समर्पित चिकित्सा केंद्रों पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के संबंध में सभी राज्यों को आदेश जारी किया था। स्पष्ट है कि राज्यों के पास निरीक्षण तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु मानव-शक्ति की व्यापक कमी है। इसके अलावा, सुरक्षा संबंधी विकल्पों के तौर पर सार्वजनिक भवनों के लिये बीमा को अनिवार्य करना चाहिये, ताकि उसमें रहने वाले लोगों तथा आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

❑❑❑

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

12 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सिविल सेवकों की भूमिका

संदर्भ

बजट सत्र 2021-22 के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्रक के निजीकरण का समर्थन किया था।

पृष्ठभूमि

- 1950 और 60 के दशक में निजी क्षेत्रक के पास न तो संयंत्रों के लिये पूँजी जुटाने की क्षमता थी और न ही उनके प्रबंधन की क्षमता थी। इस पृष्ठभूमि में राज्य ने औद्योगीकरण बढ़ाने के लिये सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने शुरू किये।
- अर्थव्यवस्था सार्वजनिक नियंत्रण तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप था। इन इकाईयों की स्थापना व प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सिविल सेवकों को सौंपी गई। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्णतया तो नहीं, लेकिन प्रमुखता से निभाई।
- सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के संक्रमण के लिये भी सिविल सेवकों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, वे निजीकरण को सफल बनाने में राज्य को सहायता प्रदान करते हैं।

संरचनात्मक रूपांतरण की आवश्यकता

भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक सुसंगत संरचनात्मक रूपांतरण तथा असाधारण क्रियान्वयन क्षमता की आवश्यकता है। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने अपरिहार्य हैं–

1. 'क्रोनी कैपिटलिज्म' से निपटना

- स्वतंत्रता उपरांत, राजनीतिक उत्तरजीविता हेतु राजनीतिक वर्ग के लिये आवश्यक था कि वे शक्तिशाली भू-स्वामी वर्ग तथा औद्योगिक पूँजीपतियों को 'संतुष्ट' रखें।
- ये कुलीन व्यावसायिक घराने तथा भू-स्वामी वर्ग विकास कार्यों में सहयोगी भूमिका निभाने की बजाय निजी हित सुनिश्चित करना चाहते थे। इनकी यह भूमिका राज्य को विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से विमुख करती थी। कई समकालीन विद्वानों से इन कुलीनों की भूमिका को 'सार्वजनिक संसाधनों को हथियाने' के रूप में चिह्नित किया है। वर्तमान शासन के समक्ष ये चुनौती है कि क्या वे इस 'पहेली' को सुलझा पाएँगे?

2. विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

- विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मुख्यत: राजनीतिक निर्णय पर आधारित है। वस्तुत: आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये बाज़ार तंत्र का यथासंभव सहयोग लेना चाहिये।
- ऐसा इसलिये क्योंकि इस समय 'निजीकरण की नीति' चर्चित विषय है। हालाँकि बाज़ार तभी ठीक से संचालित हो सकता है, जब उसमें 'विश्वास' जैसा सामाजिक नेटवर्क संबंधी तत्त्व शामिल हो।
- विशेषत: औद्योगिक रूपांतरण के लिये, राज्य की संरचना तथा बाज़ार विनिमय में 'पूरकता' अनिवार्य रूप से होनी चाहिये तथा इसे पूर्णता प्रदान करने में एक 'सक्षम नौकरशाह प्रणाली' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- मैक्स वेबर ने कहा था कि वृहत् पैमाने के पूँजीवादी उद्यमों का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था उसे क्या स्वरूप देती है। उसने ज़ोर देकर कहा कि पूँजीवाद तथा नौकरशाही एक दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। मैक्स वेबर की यह बात अनुचित लग सकती है क्योंकि 'नौकरशाही' को सामान्यतया कार्यों में विलंब, अपारदर्शी व्यवस्था, अत्यधिक दस्तावेज़ केंद्रित, सेवाओं की अनुपलब्धता का पर्याय माना जाता रहा है।

3. नौकरशाही से संबंधित अवरोधों को हटाना

- विभिन्न मत-मतांतरों के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के लिये एक सशक्त नौकरशाही का होना नितांत आवश्यक है।
- सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि "ये लोग (सिविल सेवक) एक साधन हैं। यदि हम इन्हें हटा देते हैं तो मुझे पूरे देश में सिर्फ अराजकता ही दिखती है।" आगे उन्होंने कहा कि सेवा में 'स्वतंत्रता और सुरक्षा' का भाव होना भी आवश्यक है। "यदि आपके पास सक्षम अखिल भारतीय सेवाएँ नहीं होंगी, तो न तो संघ रहेगा और न ही अखंड भारत।"
- पटेल ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक तथा स्थाई कार्यपालिका को संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के लिये एक 'टीम' के रूप में कार्य करना चाहिये तथा एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिये।

- उक्त आदर्शों से थोड़ा भी भटकाव राज्य की 'डिलीवरी क्षमता' को घटा सकता है। चुनावी राजनीति विभिन्न प्रकार से राज्य के कार्यों को प्रभावित करती है क्योंकि सत्ताधारी दल व उसके समर्थकों के हित अंतर्संबंधित होते हैं। सरकारें अपने समर्थकों को विभिन्न संसाधन, जैसे– सब्सिडी, ऋण, नौकरियाँ आदि प्रत्यक्षतः वितरित करती हैं।
- ये सभी घटक कमज़ोर नौकरशाही की ओर इशारा करते हैं तथा नौकरशाहों के स्थानांतरण की शक्ति राजनीतिक कार्यपालिका को मज़बूत बनाती है। यदि राज्य विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित या निजीकरण को ही प्रोत्साहित करना चाहे, तो इसके लिये आवश्यक है कि नौकरशाही से स्थानांतरण संबंधी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए।

4. कॉर्पोरेट संबद्धता

- सरकार के रूपांतरण-संबंधी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये नौकरशाही की कॉर्पोरेट से संबद्धता भी आवश्यक है।
- 'कॉर्पोरेट संबद्धता' नौकरशाही की ऐसी क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह औपचारिक संगठन के भीतर व्यक्तिगत शक्तियों को सीमित करती है। यदि विभिन्न हितधारकों में सामंजस्य की कमी होगी तो राज्य 'अत्यंत शक्तिशाली' हो जाएगा।

निष्कर्ष

सार्वजनिक संसाधनों को 'नियंत्रित' कर साझे विकास कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करने की मानसिकता से पार पाने के लिये आवश्यक है कि स्थानांतरण के दुरुपयोग को सीमित कर नौकरशाही की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए, जैसा कि संविधान में भी उपबंधित है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर
करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...
फॉलो करें
www.sanskritiias.com
न्यूज़ आर्टिकल
- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्यसभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

जिस्ट
करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ईपीडब्ल्यू) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

PT Card
प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स
करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

PT Quiz
प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या-सहित उत्तर।

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर
प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली
शॉर्ट आर्टिकल
मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

13 विविध

प्रमुख आयोजन

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों में टू-प्लस-टू (2+2) मंत्रीस्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति जताई, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान ने इसरो और दूरसंचार उद्योग के सहयोग से 'एन.ए.वी.आई.सी.-दूरसंचार उद्योग के लिये अवसर' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया।
- फिक्की लेडीज ऑर्गनाइज़ेशन (फिक्की एफ.एल.ओ.) ने महिला सशक्तिकरण पर 'वंदे मातरम्' कार्यक्रम का आयोजन किया।
- केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन-फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट को लाने के लिये ऑपरेशन समुद्र सेतु-II का संचालन किया जा रहा है।
- भारत और ब्रिटेन के बीच मई में शिखर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एक 'व्यापक रोडमैप 2030' का शुभारंभ हुआ।
- केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इटली की अध्यक्षता में संपन्न G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। वर्ष 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा।
- 5 मई, 2021 को सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, आई.आई.टी. खड़गपुर द्वारा "ग्रामीण परिवर्तन: प्राकृतिक से सांस्कृतिक तक" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- देश में कोविड-19 संक्रमण का मुकाबला करने के लिये आयुष मंत्रालय ने पॉली हर्बल औषधि आयुष-64 और काबासूरा कुडिनीर को कोविड-19 संक्रमित रोगियों (जो अस्पताल में भर्ती नहीं हैं) को वितरित करने के लिये एक देशव्यापी अभियान का आयोजन किया।
- भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार-विमर्श के लिये मई में आयोजित तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय वैश्विक मंच की बैठक में भागीदारी की। आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली यह एशिया की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक है। इस वर्ष का विषय 'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक' है।
- हाल ही में, चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत G-20 संबंधी मुद्दे, आई.एम.एफ एवं अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उपजी कर चुनौतियों के साथ-साथ आधारभूत अवसंरचना के वित्तपोषण पर चर्चा की गई।
- 13 मई, 2021 को भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग तथा न्यू डेवेलपमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 'सामाजिक अवसंरचना वित्तपोषण और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग' पर वर्चुअल एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
- भारतीय नौसेना ने मई में 'गोवा समुद्री संगोष्ठी-21' की मेजबानी की। इसमें तटवर्ती हिंदमहासागर के 13 देशों (भारत, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्याँमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका एवं थाईलैंड) के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इसका विषय 'समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर-पारंपरिक खतरे : हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित नौसेनाओं हेतु सक्रिय भूमिका निभाने वाले हालात' पर केंद्रित था।
- भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के बीच पहली ब्रिक्स रोज़गार कार्यसमूह (ई.डब्लू.जी.) की बैठक का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के लिये ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा ग्रहण किया गया है।
- नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा 17 मई से एक महीने तक चलने वाली ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला – 'नैमिषा 2021' का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 'वरुण-2021' का 19वाँ संस्करण अरब सागर में अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ।

महत्त्वपूर्ण दिवस/विषय			
क्रमांक	दिवस	दिनांक	थीम/विषय
1.	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस	01 मई	वर्ष 2021 के लिये विषय की घोषणा नहीं की गई है। वर्ष 2020 का विषय था– 'कार्यस्थल पर रक्षा और सुरक्षा बनाए रखना'।
2.	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	03 मई	जनता की भलाई के लिये सूचना
3.	विश्व अस्थमा दिवस	मई का पहला मंगलवार	अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियों को उजागर करना
4.	विश्व रेडक्रॉस दिवस	08 मई	एक साथ हम अजेय हैं (Unstoppable)
5.	विश्व थैलेसीमिया दिवस	08 मई	वैश्विक थैलेसीमिया समुदाय के मध्य स्वास्थ्य असमानता को संबोधित करना
6.	विक्ट्रीडे – रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध विजय के उपलक्ष्य में	09 मई	----------
7.	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	मई और अक्तूबर का दूसरा शनिवार	सिंग, फ्लाई, सोर– लाइक अ बर्ड
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	11 मई	सतत भविष्य के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी
9.	अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस	12 मई	नर्स : ए वॉयस टू लीड – ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थकेयर
10.	राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस	मई का तीसरा शुक्रवार	वाइल्डलाइफ विदाउट बॉर्डर्स
11.	सशस्त्र सेना दिवस	मई का तीसरा शनिवार	----------
12.	विश्व दूरसंचार दिवस	17 मई	चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना
13.	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस	18 मई	संग्रहालयों का भविष्य – पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना
14.	राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस	21 मई	----------
15.	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	22 मई	हम समाधान का हिस्सा हैं
16.	भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस	24 मई (अन्य देशों में मार्च में)	एक साझा भविष्य प्रदान करना
17.	हिंदी पत्रकारिता दिवस	30 मई	----------
18.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	31 मई	छोड़ने के लिये प्रतिबद्ध

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

इन प्लेन साइट *–मोहम्मद थावेर*

योगा : अ लव स्टोरी *–डगलस डब्लू. डेविस*

अ मैप ऑफ लोंगिंग्स : लाइफ एण्ड वर्क्स ऑफ आगा शाहिद अली *–मनन कपूर*

लैंग्वेजेस ऑफ टुथ : एसेस 2003-2020 *–सलमान रुश्दी*

अ शैडो ऑफ दिपास्ट : अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ लखनऊ *–मेहरु जफ्फर*

डार्क टेल्स : घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया *–विनीता कोएल्होर*

ह्वेयरअबाउट्स : अ नॉवेल *–झुंपा लाहिड़ी*

व्हाट वी नो अबाउट हर *–कृपा गे*

दि बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज एवर *–टेरी ओ'ब्रायन*

स्टोरीज आई मस्ट टेल : दि इमोशनल लाइफ ऑफ एन ऐक्टर *–कबीर बेदी*

1232 किमी : दि लॉन्ग जर्नी होम *–विनोद काप्री*

थ्री रेज : स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे *–सत्यजीत रे*

फिफ्टी-फाइव पिलर्स, रेड वाल्स *–ऊषा प्रियंवदा (डेजी रॉकवेल द्वारा अनूदित)*

सूले (Sooley) *–जॉन ग्रीशम*

नो लॉकडाउन ऑन कास्ट एट्रोसिटीस *–सालमा वीराराघव और दलित मानवाधिकार रक्षक नेटवर्क द्वारा*

दि हॉटेस्ट समर इन इयर्स –*अनुराधा कुमार*
दि नेस्ट ऑफ दि रिक्लूस –*सुचिता मलिक*
राजनीकांत : अ लाइफ –*वासंथी सुंदरम्*
बुलेट ट्रेन –*कोटारो ईसाका*
नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस –*पैट्रीसिया लॉकवुड*
दि पॉपुलेशन मिथ –*एस.वाई. कुरैशी*
द टेल ऑफ द हॉर्स : ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक –*यशस्विनी चंद्रा*
अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी –*जोहान्स क्रूस, थॉमस ट्रैपे*
रिडिज़ाइन दि वर्ल्ड : अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन –*सैम पित्रोदा*
पीपुल्स प्लैनिंग : केरल, लोकल डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट –*टी.एम. थॉमस इसाक, रिचर्ड डब्लू. फ्रैंक*
दि बेगम एण्ड दि दास्तान –*तराना हुसैन खान*
दि सिकेल्स (The Sickle) –*अनीता अग्निहोत्री*
दि गुड सिस्टर्स –*सैली हेपवर्थ*
पैट्रियार्चि एण्ड दि पैंगोलिन –*अदिति पाटिल*
रेनेसां स्टेट : दि अनरिटेन स्टोरी ऑफ दि मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र –*गिरीश कुबेर*
क्लारा एण्ड दि सन –*काजुओ इशिगुरो*
गॉड्स एण्ड एन्ड्स –*लिंडसे परेरा*
दैट नाइट –*निधि उपाध्याय*
बुद्धा इनगांधार –*सुनीता द्विवेदी*
हाउ ब्यूटीफुल वी वर –*इमबोलो म्ब्यू*
दि प्रिंस एण्ड दि नाइटेंगल –*अभिषेक भट्ट*
क्वीन ऑफ फायर –*देविका रंगाचारी*
बॉर्न अ मुस्लिम : सम ट्रूथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया –*गजाला वहाब*
रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व –*बद्री नारायण*
तियानमेन स्क्वायर : द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट –*विजय गोखले*
नेम्स ऑफ दि वुमन –*जीत थाईल*
फाइटर कॉक –*सिद्धार्थ सिंह*
ग्रेट सर्कल –*मैगी शिपस्टेड*
इंडिया एण्ड एशियन जिओपॉलिटिक्स : दि पास्ट, प्रेजेंट –*शिवशंकर मेनन*
नेहरू, तिब्बत एण्ड चाइना –*ए.के. भसीन*
दि आर्ट ऑफ बिजनेस वॉर्स –*डेविड ब्राउन*

प्रमुख पुरस्कार

- मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को 69वें मिस यूनिवर्स 2020 के खिताब से नवाज़ा गया है। मेजा से पहले दक्षिण अफ्रीका की जोजोबिनी टुन्जी मिस यूनिवर्स थीं। भारत की एडलाइन कैसलीनो टॉप फोर में जगह बनाने में कामयाब रही हैं।
- कोविड ड्यूटी के 100 दिन पूरे करने वाले चिकित्सा कर्मियों को 'प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान' दिया जाएगा।
- इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष 'ग्रीन ऊर्जा अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आई.आर.ई.डी.ए. को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अग्रणी पब्लिक फाइनेंसिंग संस्था होने के लिये दिया गया है।
- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर तीन श्रेणियों– राष्ट्रीय पुरस्कार, एमएसएमई पुरस्कार और स्टार्टअप पुरस्कारों के तहत प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिये बेंगलूरु के स्टार्टअप ब्रीद एप्लाइड साइंसेज को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।
- केरल के किसान 'शाजी एन.एम.' को 'पालतू प्रजातियों के संरक्षण' के लिये 'भारत जैव विविधता पुरस्कार' 2021 से सम्मानित किया गया है। शाजी एन.एम. को केरल का 'ट्यूबर मैन' भी कहा जाता है।
- अमिताभ बच्चन को ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर नामांकित किया गया है।
- टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को लॉरियस स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है।

खेल घटनाक्रम

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व-अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों व प्रशिक्षकों की चिकित्सा, वित्तीय एवं तार्किक सहायता सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष सहायता प्रकोष्ठ बनाने के लिये हाथ मिलाया है। साथ ही, खिलाड़ियों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से धनराशि भी जारी की जाएगी।
- श्रीनगर स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कयाकिंग और कैनोइंग मंड प्रशिक्षण सुविधाओं को शामिल किया गया।
- खेल मंत्रालय ने भारत के 7 राज्यों (महाराष्ट्र, मिज़ोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर) में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंज़ूरी दी। खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में ज़मीनी स्तर के खेल बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में खेलो इंडिया केंद्र शुरू किये गए हैं।
- 'भवानी देवी' ओलंपिक खेलों के लिये (टोक्यो ओलंपिक) क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज (Sabre Fencer) बन गई हैं। इस वर्ष मार्च में बुडापेस्ट विश्व कप के बाद 'समायोजित आधिकारिक रैंकिंग' (Adjusted Official Ranking – AOR) पद्धति के माध्यम से उन्हें कोटा हासिल हुआ है।
- दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मैक्सिको को हराकर विश्व कप तीरंदाजी के पहले चरण में टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। यह पिछले सात वर्षों में महिला टीम का पहला स्वर्ण पदक है।
- भारत वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की महिला T20 प्रतियोगिता के लिये क्वालीफाई करने वाली छह टीमों में शामिल हो गया है। क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में पुनः वापसी हुई है।
- विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एशले बार्टी ने पोर्श टेनिस ग्रां.प्री. जीतकर इस साल का तीसरा डब्ल्यूटीए एकल खिताब अपने नाम किया।
- सात बार के विश्व चैंपियन मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रां.प्री. और स्पेनिश ग्रां.प्री. में भी जीत दर्ज की है।
- ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर ने स्पेनिश मोटो ग्रां.प्री. और फ्रेंच मोटो ग्रां.प्री. में जीत दर्ज की है।
- नॉर्वे के मैगनस कार्लसन ने न्यू इन चैस क्लासिक रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है।
- मार्क सेल्बी ने शॉन मर्फी को हराकर चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। सेल्बी ने इससे पूर्व वर्ष 2014, 2016 और 2017 में यह खिताब जीता था।
- ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, भारत के पूर्व कोच और अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महाराज किशन कौशिक (एम.के. कौशिक) का हाल ही में निधन हो गया।
- ए.टी.पी. और डब्ल्यू.टी.ए. टूर सत्र, 2021 की पुरुष एवं महिला टेनिस प्रतियोगिता मुतुआ मैड्रिड ओपन प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार हैं–

  पुरुष एकल
  - विजेता– अलेक्जेंडर ज्वेरेव (जर्मनी)
  - उपविजेता– मैटियो बेरेटिनी (इटली)

  महिला एकल
  - विजेता– एरीना सबालेंका (बेलारूस)
  - उपविजेता– एश्लेबार्टी (ऑस्ट्रेलिया)
- रमेश पवार को भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
- भारतीय क्रिकेट टीम आई.सी.सी. टीम रैंकिंग के वार्षिक अपडेट के बाद नंबर एक पायदान पर बरकरार है। न्यूज़ीलैंड दूसरे नंबर पर है।
- रोम में संपन्न इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता, 2021 के परिणाम इस प्रकार हैं–

  पुरुष एकल
  - विजेता– राफेल नडाल (स्पेन)
  - उपविजेता– नोवाक जोकोविच (सर्बिया)

  महिला एकल
  - विजेता– इगा स्वियाटेक (पोलैंड)
  - उपविजेता– कैरोलिना प्लिस्कोवा (चेक गणराज्य)
- जून में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप T-20 क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है।
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपना पहला डे-नाइट टेस्ट (पहला पिंक-बॉल टेस्ट) खेलेगी।
- भारत में फीफा अंडर-17 फुटबॉल महिला विश्व कप अक्तूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होना था, जिसे रद्द कर दिया गया था।
- भारत के नरिंदर बत्रा को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है।
- हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास में योगदान के लिये प्रतिष्ठित एटियेन ग्लिचिच पुरस्कार जीता।
- रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने फॉर्मूला वन का शोकेस मोनाको ग्रां. प्रि. जीता।

मानचित्र अध्ययन

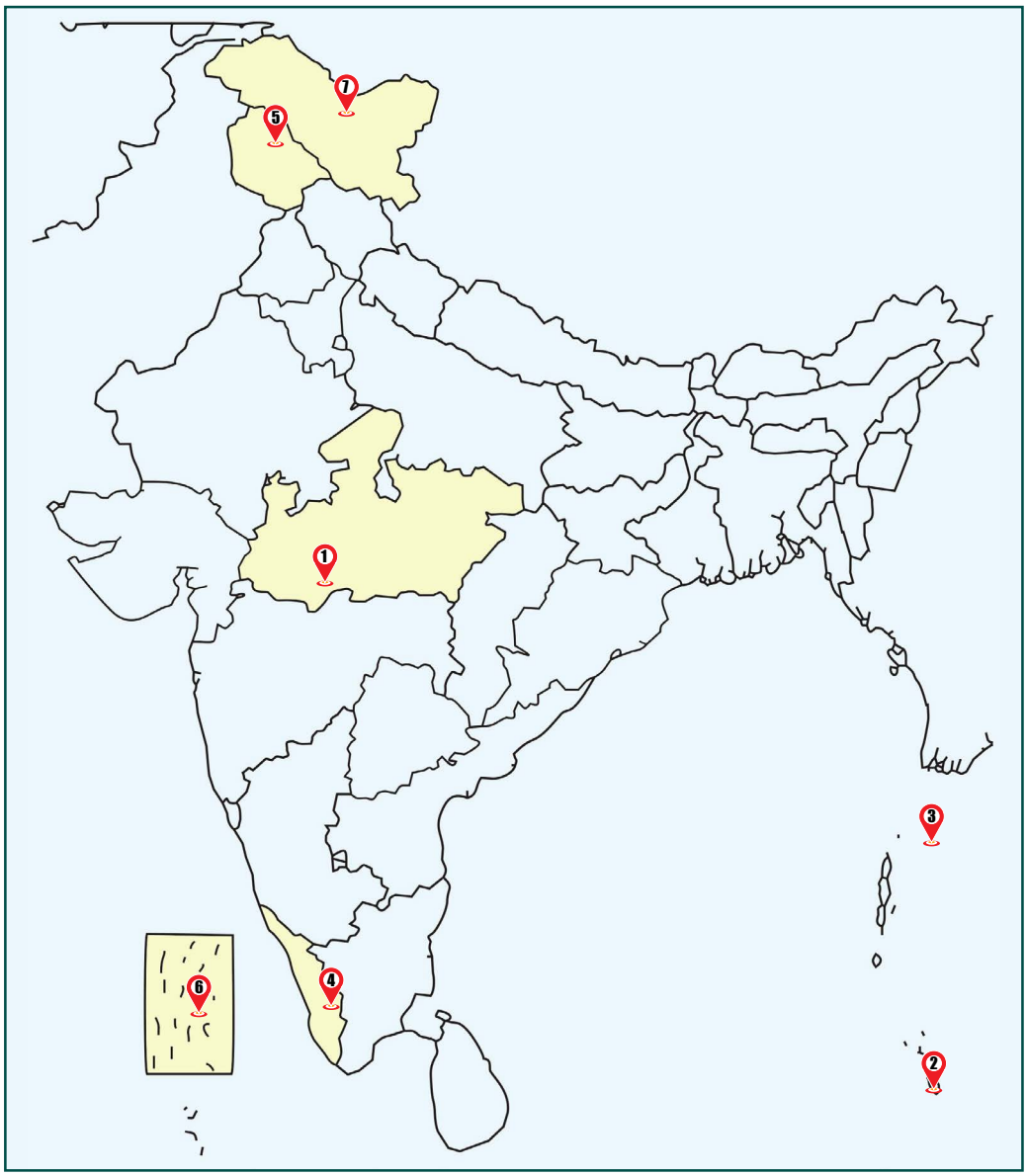

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह बाघ अभ्यारण्य, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
2. वह स्थान, जहाँ नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा टाउनशिप स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
3. बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र।
4. ऐसा बाँध, जिसे दूसरे राज्य द्वारा संचालित किया जाता है, किंतु वह किसी अन्य राज्य में स्थित है।
5. मरुसुदर नदी पर 1000 मेगावाट की प्रस्तावित पनबिजली परियोजना।
6. वह क्षेत्र जहाँ के सरकार द्वारा तीन प्रशासनिक सुधारों के विरोध में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है।
7. विश्व में सबसे ऊँचे स्थल पर स्थित हवाई पट्टी।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 143 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

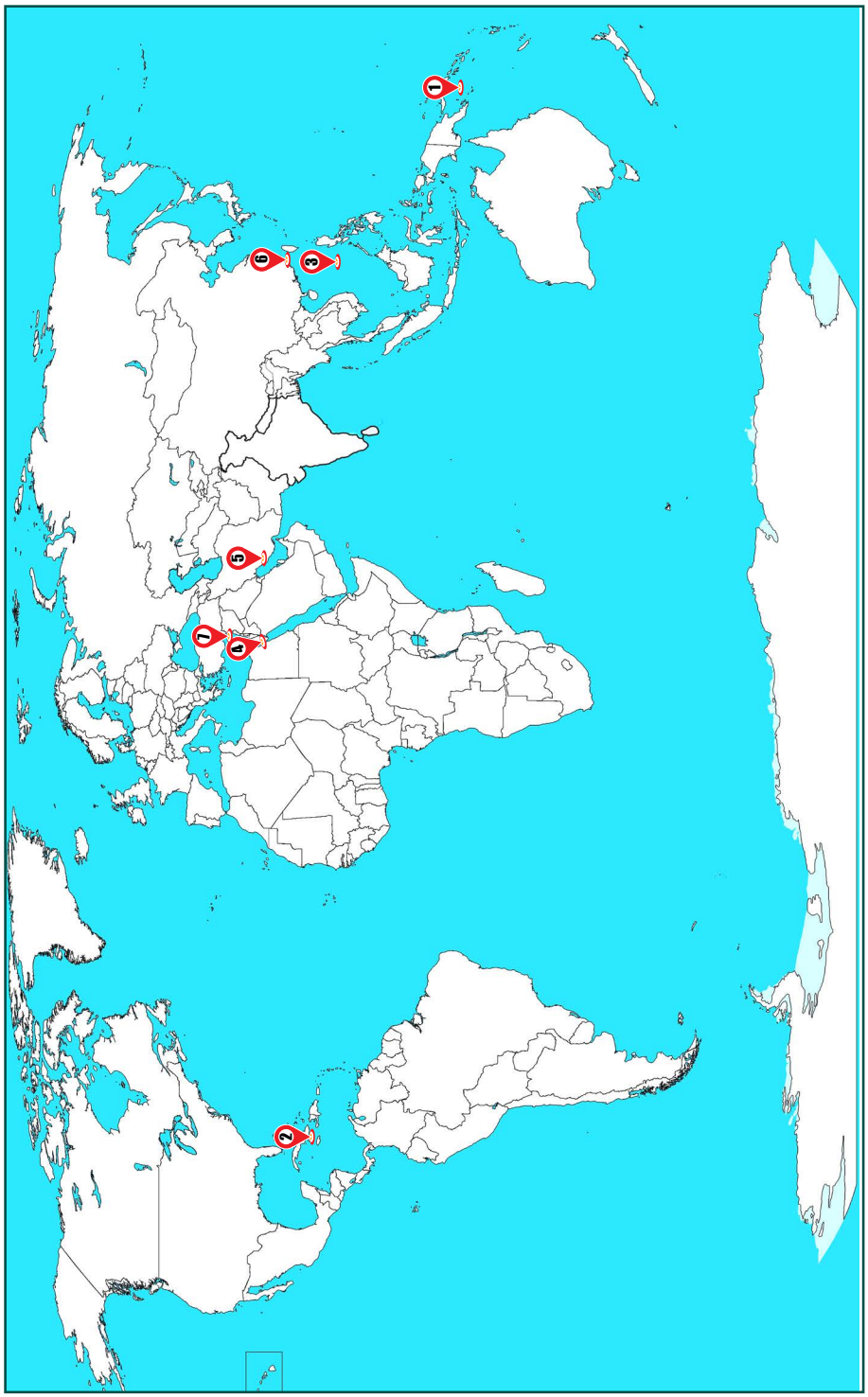

मानचित्र-2 (विश्व)

1. विश्व का सर्वाधिक ताँबा निक्षेप वाला द्वीप, यहाँ हाल ही में जनमत-संग्रह आयोजित किया गया था।
2. वह ज्वालामुखी जिसके विस्फोट के कारण, उससे उत्सर्जित पदार्थों के भारत पहुँचने की आशंका व्यक्त की गई थी।
3. वह कोरल रीफ, जिसपर चीन ने अवैध कब्जे का प्रयास किया।
4. मानव-निर्मित जलमार्ग जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
5. ओ.एन.जी.सी.-विदेश लिमिटेड द्वारा खोजा गया गैस फील्ड, जिसे हाल में किसी अन्य देश की कंपनी को लीज़ पर दे दिया गया।
6. चीन को ताइवान से अलग करने वाली जलसंधि।
7. वह नदी जिसके किनारे पर कई टन मरी हुई मछलियाँ मिलीं।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 143 पर देखें)

योजना

नीति आयोग : संघवाद की नई परिभाषा

संदर्भ

- नीति आयोग विकास योजनाओं को निरूपित करने तथा उनकी समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी के माध्यम से सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद जैसे दोहरे अधिदेश का पालन करने के लिये प्रयत्नशील है। देशभर में सुधारों एवं नीतिगत पहलों को व्यापक और प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने की दिशा में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- राज्य की स्थायी विरासत, राजनीतिक ताकत, इच्छाशक्ति, प्रशासन एवं शासन के साथ-साथ 'हार्ड पावर' (अर्थात् सैन्य और आर्थिक संसाधन) और 'सॉफ्ट पावर' (कूटनीति, संस्कृति आदि) सहित अनेक कारकों से परिभाषित की जाती है।
- राज्य इनमें से अपने पास उपलब्ध सबसे महत्त्वपूर्ण साधनों व औपचारिक संस्थाओं के ज़रिये अपनी भूमिका को परिभाषित करता है। ये सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मौजूदा दौर की चुनौतियों को समझने और सुलझाने के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं।
- स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रकट करने वाली ऐसी एक संस्था योजना आयोग थी। वर्ष 2015 में यह उत्तरदायित्व नीति आयोग को सौंप दिया गया। हालाँकि, भारत के विकास के अति महत्त्वपूर्ण समान लक्ष्य के प्रति इन दोनों संस्थाओं के अधिदेश तथा दृष्टिकोण में काफी अंतर है।

नीति आयोग तथा योजना आयोग में अंतर

- नीति आयोग के गठन से संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव के दृष्टिकोण में अंतर प्रतिबिंबित होता है, जिसमें महात्मा गांधी का यह उद्धरण शामिल किया गया है– "निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो मनुष्य हठधर्मिता के कारण लगातार एक जैसा दिखने का प्रयास करता है। ऐसे में वह स्वयं को भ्रामक स्थिति में ले जाता है"। योजना आयोग ने विकास की राह दिखाने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को 'प्राथमिक लीवर' के रूप में प्रयोग किया।
- दूसरी ओर, नीति आयोग भारत के विकास की रफ्तार में तेज़ी लाने के लिये प्रमुख रूप से 'इंटलेक्चुअल फायर पावर' (किसी व्यक्ति की रणनीतिक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं का समाधान तलाशने की क्षमता) के साथ-साथ राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र तथा नवोन्मेषकों के साथ सार्थक भागीदारी के जरिये संचालित होता है।
- जहाँ एक ओर योजना आयोग ने निधियों के संवितरणकर्ता के रूप में कार्य किया, वहीं नीति आयोग समस्त हितधारकों विशेषकर राज्यों, जो देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रधान अभिकर्ता है, के साथ चिंतन साझेदार (थॉट पार्टनर) के रूप में कार्य करता है।
- योजना आयोग राज्यों की 'राजकोषीय संप्रभुता' का अतिक्रमण करता था, जबकि अब राज्य 'टॉप-डाउन डायरेक्शन' का पालन करने के लिये अधिदेशित होने के स्थान पर अपनी धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करने का अधिकार रखते हैं।
- समूचे भारत के विकास की रणनीति को एकपक्षीय रूप से निरूपित करने की केंद्र सरकार की पद्धति का स्थान अब नीति आयोग की राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकास योजनाएँ तैयार करने की कार्यशैली अपना चुकी है, जिन्हें प्रत्येक राज्य के अनुरूप और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है।

विकास संबंधी रणनीति

- योजना आयोग ने उल्लेखनीय रूप से, भारतीय राज्यों के लिये 'वन साइज फिट्स ऑल' यानी 'सबके लिये एक जैसा दृष्टिकोण' अपनाया। दूसरी ओर, नीति आयोग 'सबसे पहले राज्य' दृष्टिकोण से मार्गदर्शित है। उसके मूलभूत सिद्धांतों में सहकारी संघवाद (केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सहयोग) और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि दोहरे अधिदेशों वाले ये दोनों स्तंभ एक-दूसरे के पूरक हैं तथा साझा उद्देश्यों के लिये केंद्र और राज्यों का मार्गदर्शन करते हुए, राज्य विशेष के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसलिये, विकास को अवरुद्ध करने वाले दृष्टिकोण के स्थान पर नीति आयोग ने विकेंद्रीकृत और 'बॉटम-अप रणनीति'

अपनाई है तथा यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारें 'टीम इंडिया' में समान साझेदारों के रूप में कार्य करें।

नीति आयोग के कार्य

- नीति आयोग ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के मध्य सीधे मुद्दों पर आधारित संवाद के लिये मंच उपलब्ध कराया है और इस प्रकार लंबित मामलों के त्वरित समाधान में भी सहायता प्रदान की है। 'पूर्वोत्तर के लिये नीति मंच' की स्थापना की गई है और नीति मंच द्वारा उपलब्ध कराए गए पाँच स्तंभों सहित समग्र ढाँचे के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद् की साझेदारी से राज्यों द्वारा क्षेत्र विशेष से संबंधित ठोस प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने द्वीपों के विकास के लिये कुछ प्रमुख पहलों को निरूपित किया है, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- आने वाले महीनों में पूर्वोत्तर के लिये नीति मंच की तरह ही, समीपस्थ राज्यों की अन्य क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी किया जा सकता है। हिमालयी राज्यों की क्षेत्रीय परिषद् के गठन तथा इन राज्यों में स्थित 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गठबंधन की स्थापना के साथ ही पहला कदम उठाया जा चुका है।

प्रतिस्पर्द्धी और सहयोगी संघवाद

- नीति आयोग अपने क्षेत्रवार सूचकांकों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करके प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को सैद्धांतिक रूप से बढ़ावा देता है। जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, निर्यात की तैयारी और सतत् विकास लक्ष्य (SDG) ने सकारात्मक तौर पर ध्यान आकृष्ट किया है।
- ये सूचकांक तकनीकी मापदंडों के विस्तृत और कठिन विश्लेषण पर आधारित हैं। उदाहरण के लिये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उपलब्धियों से संबंधित सूचकांक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों की समग्र उपलब्धियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में हुए बदलावों, शासन और प्रक्रियाओं में हुए वार्षिक सुधारों को प्रस्तुत करता है।
- इसी तरह, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक विस्तारपूर्वक यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ राज्यों ने जल से संबंधित मामलों पर किस प्रकार प्रगति की है।
- 'स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक' का लक्ष्य भारत में शिक्षा संबंधी उपलब्धियों (शिक्षण, पहुँच, समता) में सुधार लाने संबंधी ध्यान को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है।
- 'आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम' में प्रतिस्पर्द्धा कारक को जोड़ दिया है, जिसका उद्देश्य इन ज़िलों के शासन में सुधार लाना तथा ज़मीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव विकास संकेतकों को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक ले जाना है।
- इन ज़िलों ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि व जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से संबंधित संकेतकों में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाया है और नीति आयोग द्वारा इनकी समयोचित आधार पर निगरानी की जा रही है।

थिंक टैंक गतिविधियाँ

- नीति आयोग ने केंद्र सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ साझेदारी से कार्यान्वयन के लिये नई नीतिगत जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, खनन क्षेत्र में सुधार, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के खिलाफ अभियान, कुछ ऐसे ही क्षेत्रों के उदाहरण हैं, जहाँ नीति आयोग ने अपने छह वर्षों के अस्तित्व के दौरान महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं।
- नीति आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने से संबंधित विधेयकों का मसौदा भी तैयार करता है।
- नीति आयोग संभवतः स्वास्थ्य से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी पहल 'आयुष्मान भारत योजना' का निरूपण और निगरानी करने में पूरी तरह शामिल रहा है। इसी तरह पोषण अभियान योजना में भी नीति आयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई है।
- नीति आयोग ने तीन राज्यों में 'मानव पूँजी परिवर्तन के लिये सतत् कार्रवाई' को भी लागू किया है, जिनकी उत्कृष्ट पद्धतियों को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा रहा है।
- नीति आयोग के दस्तावेज़ 'नए भारत के लिये रणनीति@75' में अनेक नीतिगत सुझाव निहित हैं। दस्तावेज़ में जानकारी समाहित करने के लिये विषय विशेषज्ञों, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया है।

अनुवीक्षण और मूल्यांकन

- नीति आयोग के मुख्य कार्यों और महत्त्वपूर्ण अधिदेशों में से एक 'आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' तैयार करना तथा केंद्र सरकार की योजनाओं और पहलों का कड़े ढंग से मूल्यांकन करना है। यह 'कार्य विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय' (DMEO) करता है।
- इसने केंद्र द्वारा प्रायोजित 125 योजनाओं का मूल्यांकन किया, ताकि उन्हें 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके। डी.एम.ई.ओ. ने

व्यय विभाग द्वारा 65 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के लिये परिणाम बजट तैयार किये जाने का भी समर्थन किया।

- सरकार के सभी स्तरों पर शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से डी.एम.इ.ओ. समान क्षमता स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है।
- नीति आयोग देश भर में एक 'नवाचार प्रणाली' को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। अटल नवाचार मिशन (AIM) देश के कोने-कोने में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है।
- ए.आई.एम. स्कूलों के विद्यार्थियों में अटल टिंकरिंग लैब (ATL) माध्यम से नवाचारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो अटल नवोन्मेष केंद्रों (AIC) द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट-अप्स में योगदान देंगे।

भावी राह

- आगामी वर्षों में भारत को इसी तरह के प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर देश के जटिल मुद्दे सुलझाने के लिये कार्य करें।
- हमारी युवा आबादी की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये भारत को अगले तीन दशकों के लिये सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखना होगा। इसके लिये निरंतर और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकने वाली नई आधारशिला रखने की दिशा में निरंतर ढाँचागत सुधार महत्त्वपूर्ण होंगे।
- सभी के लिये रोज़गार के साधनों को सृजित करने वाली त्वरित, निरंतर और स्वच्छ संवृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिये सामाजिक अवसंरचना में निवेश करना पहली आवश्यकता है। नीति आयोग अपनी बौद्धिक व्यापकता और गहराई के साथ भारत को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देने के लिये उपयुक्त स्थिति में मौजूद है।
- प्रक्रिया में अनुपालन का बोझ घटाने, पुराने कानूनों को समाप्त करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाओं को अनुमति देने जैसे इन नवाचारी सुधारों को अपने मुताबिक ढालने में राज्य, नीति आयोग पर एक साझेदार के रूप में भरोसा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत को उच्च संवृद्धि के पथ पर ले जाने और वृद्धि के फायदों का सभी में समान रूप से वितरित करने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों का ही है। सहकारी संघवाद को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में नीति आयोग निरंतर अपना कार्य जारी रखेगा और भारत की सफलता सुनिश्चित करने के लिये केंद्र एवं राज्यों दोनों को समान साझेदारों के रूप में मिल-जुलकर कार्य करने में समर्थ बनाएगा।

गुजरात की विकास कथा

संदर्भ

- गुजरात 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। स्थापना के समय यहाँ पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के लिये जल, विद्युत, आवश्यक अवसंरचनात्मक ढाँचा जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। पिछले 60 वर्षों में गुजरात ने सुशासन, समग्र विकास, शांति एवं सुरक्षा तथा जनकल्याण के लिये प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
- भारत का विकास इंजन तथा विकास का पर्याय माना जाने वाला गुजरात अब व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने तथा जीवन सहजता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। गुजरात की पहचान इसकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, ऐतिहासिक व तीर्थ स्थलों, उद्योगों इत्यादि से है।

गुजरात : एक परिचय

- गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉ. जीवराज मेहता थे। वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक राज्य की सेवा करते हुए ज्योतिग्राम, वनबंधु कल्याण तथा सागरखेडू सर्वांगी कल्याण जैसी अनेक योजनाएँ लागू की।
- इसके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने महिला सशक्तीकरण को तरजीह देते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया तथा आँगनबाड़ी स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिये अनेक योजनाएँ शुरू की। उनके कार्यकाल में राज्यव्यापी 'माँ अन्नपूर्णा योजना' जैसी योजनाओं की शुरुआत हुई।
- गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाएँ किसानों और पशुपालकों के लिये 'सात पगला खेडूत कल्याणन योजना' की शुरुआत की गई। इसके तहत पिछले चार वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 17 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के कृषि उत्पादों की खरीद की गई है। किसानों को सिंचाई के लिये विद्युत मुहैया कराने के उद्देश्य से देश की पहली किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है।
- मछुआरों तथा नाविकों के कल्याण के लिये सागरखेडू सर्वांगी कल्याण योजना-2 की शुरुआत की गई है।
- आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार वर्ष 2017 से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून को सख्ती से लागू कर रही है। इसके तहत 90 लाख से अधिक आदिवासियों को भूमि व वन उपज के अधिकार दिये गए हैं। आदिवासी बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिये 41 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों' का

निर्माण किया गया है। जनजातीय संस्कृति को रेखांकित करने के लिये शीघ्र ही एक 'आदिवासी राष्ट्रीय संग्रहालय' की स्थापना की जाएगी।

- 'धनार्जन के साथ ज्ञानार्जन' विचारधारा के तहत मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत छात्रों को अध्ययन के दौरान 3000 रुपए से 4500 रुपए तक मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है।
- भारत में सबसे कम बेरोज़गारी दर (3.5%) गुजरात में है। यहाँ पिछले चार वर्षों में दो लाख से अधिक युवकों एवं युवतियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर आरक्षित आबादी के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है।
- कला एवं संस्कृति के प्रचार हेतु राज्य में पहली बार 'कला महाकुंभ' तथा योग व संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य योग बोर्ड तथा संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है।
- कोविड महामारी के दौरान धनवंतरि रथ के माध्यम से ढाई करोड़ से अधिक व्यक्तियों को उनके घरों में ही ओ.पी.डी. सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। राजकोट में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 750 बेड की क्षमता वाले 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' का निर्माण किया जा रहा है।
- भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई गुजरात में स्थापित की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये वर्ष 2019 में आतंकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण कानून के अंतर्गत उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में एक साइबर आश्वस्त परियोजना शुरू की गई है।
- नल से जल कार्यक्रम के तहत गुजरात प्रत्येक घर तक जल पहुँचाने के लिये कृतसंकल्प है। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिये विलवणीकरण संयंत्र लगाने वाला यह तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य है। 'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' से जल संरक्षण तथा भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी के साथ कुल 130.47 लाख मानव दिवस रोज़गार का सृजन भी हुआ है।
- भारत में वर्ष 2019-20 में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये को गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया। इस वित्त वर्ष में राज्य को 2018-19 की तुलना 3.5 गुना अधिक एफ.डी.आई. प्राप्त हुआ है।
- सोलर रूफटॉप लगाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है। देश में सोलर रूफटॉप परियोजना की सर्वाधिक क्षमता (611.46 मेगावाट) गुजरात में है। यहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता में 37% योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कच्छ में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 30,000 मेगावाट होगी।
- भारत के कुल 2300 सी.एन.जी. स्टेशनों में से लगभग 926 गुजरात में हैं। विश्व का पहला सी.एन.जी. टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है।
- पंजाब में वाघा अटारी के बाद गुजरात के बनासकांठा में नड़ाबेट सीमा दर्शन सरहदी पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ स्थल है। वर्ष 2020 में छह लाख से अधिक सैलानियों ने यहाँ सीमा दर्शन का आनंद लिया। गिरनार रोपवे की मदद से 6-7 घंटों की चढ़ाई 6-7 मिनटों में पूरी की जा सकती है।
- गिर और देवलिया के बाद अमरेली में निर्मित आंबरडी सफारी पार्क एशियाई शेरों का निवास स्थान है। द्वारका के समीप शिवराजपुर समुद्र तट को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह 'ब्लू फ्लैग बीच' का तमगा पाने वाले भारत के आठ समुद्र तटों में से एक है।
- भारत का सबसे बड़ा तथा एकमात्र डायनासोर जीवाश्म पार्क बालासिनोर के रैयोली गाँव में स्थापित किया गया है। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तार वाला डायनासोर जीवाश्म स्थल है।
- महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित स्थलों को जोड़ने के लिये 'गांधी पर्यटक सर्किट' का विकास किया जा रहा है। इसमें दांडी कुटीर (गांधीनगर), कीर्ति मंदिर (पोरबंदर), महात्मा गांधी संग्रहालय (राजकोट) तथा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक (नवसारी) शामिल हैं।
- अहमदाबाद के साबरमती तट से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक देश की समुद्री विमान सेवा शुरू की गई है। वर्ष 2020 में 43 लाख से अधिक सैलानियों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया, जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दौरा करने वालों से कहीं अधिक है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात का हिस्सा 8% है। अप्रैल से सितंबर 2020 के मध्य गुजरात को 1,19,000 करोड़ रुपए का एफ.डी.आई. प्राप्त हुआ, जो देश में हुए कुल पूँजी निवेश का 53% है। नीति आयोग द्वारा जारी 'निर्यात तैयारी सूचकांक' 2020 में यह राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। देश के कुल निर्यात में इसका लगभग 23% योगदान है। स्टार्टअप तथा लॉजिस्टिक्स श्रेणी में भी गुजरात लगातार दो वर्षों से शीर्ष पर है।
- भारत की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा में बनाई जा रही है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा छह स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अहमदाबाद से मुंबई के मध्य प्रस्तावित है।
- एशियाड और ओलंपिक खेलों के लिये विश्वस्तरीय सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव का निर्माण अहमदाबाद में किया

जा रहा है। हाल ही में अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम 'नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम' का उद्घाटन किया गया है।

- अहमदाबाद को भारत की पहली हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही यूनेस्को ने चंपानेर तथा रानी की वाव (पाटन) को विरासत स्थल घोषित किया है। विश्व के शीर्ष 25 विकसित शहरों की सूची में गुजरात के सूरत, राजकोट, अहमदाबाद तथा वडोदरा शामिल हैं।
- भारतीय वन सर्वेक्षण, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में गुजरात के वृक्ष आच्छादन क्षेत्र में 10 हज़ार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, हरित क्षेत्र में भी 3,96,000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है।

निष्कर्ष

समर्पित नीतियों के कारण गुजरात एक नीति संचालित राज्य बन गया है। बंदरगाह, पर्यटन, सौर ऊर्जा, एरोस्पेस एवं रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग स्टार्टअप, कृषि व वाणिज्य, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, विरासत पर्यटन, पवन ऊर्जा, सामान्य प्रोत्साहन, उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी कई नीतियाँ लागू की गई हैं।

एक राष्ट्र-एक चुनाव

संदर्भ

एक राष्ट्र-एक चुनाव से संबंधित प्रस्ताव पर पहले भी चर्चाएँ आयोजित की गई हैं। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिये एक साथ निर्वाचन कराने से श्रम, समय एवं लागत में बचत के साथ-साथ शासन संचालन में उत्पन्न बाधा की समस्या का समाधान किया जा सकता है। किंतु इसके सभी पहलूओं पर विचार एवं विश्लेषण किये बिना किसी निर्णय पर पहुँचना हानिप्रद हो सकता है।

संविधान निर्माण के समय लिया गया निर्णय एवं संकल्पना

- भारतीय संविधान निर्माण के समय प्रारूपण समिति के समक्ष निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में दो विकल्प मौजूद थे। पहला इसका गठन स्थायी संगठन के रूप में किया जाए तथा दूसरा इसे अस्थायी संगठन के तौर पर गठित किया जाए एवं चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर भंग कर दिया जाए।
- अस्थायी निर्वाचन आयोग का विचार इस संकल्पना पर आधारित था कि सदनों की कुछ सीटों के लिये कभी-कभी कराए जाने वाले मध्यावधि चुनावों को छोड़कर आम चुनाव का आयोजन पाँच वर्ष में एक बार ही कराना होगा इससे चार वर्ष की अवधि में स्थायी निर्वाचन आयोग के पास कोई काम नहीं रहेगा। किंतु निर्वाचन आयोग को विधानसभाओं के मध्यावधि में भंग किये जाने पर तत्काल नये चुनाव कराने के लिये तैयार रहने की भी आवश्यकता थी जिसे ध्यान में रखते हुए स्थायी निर्वाचन आयोग का गठन आवश्यक समझा गया।
- इसके अतिरिक्त, संविधान में लोकसभा व विधानसभाओं के लिये निश्चित कार्यकाल तथा निर्वाचन चक्र की व्यवस्था नही की गई है, इसलिये एक साथ चुनाव की व्यवस्था शुरुआती वर्षों में तो संभव हो सकती थी, किंतु बाद के वर्षों में इसे बनाए रखना कठिन था। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव अक्तूबर 1951 में एक साथ संपन्न हुए। इसके बाद भी दो दशकों तक कुछ अपवादों को छोड़कर ये चुनाव साथ-साथ ही आयोजित किये जाते रहे।
- अपवादित राज्यों में केरल शामिल था, जहाँ वर्ष 1960 में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा था। इसी प्रकार नागालैंड तथा पांडिचेरी में वर्ष 1962 के आम चुनाव के बाद ही विधानसभाओं का गठन हो सका।
- देश में पुन: वर्ष 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव लगभग (नागालैंड और पांडिचेरी को छोड़कर) एक साथ आयोजित किये जाने का संयोग बना। किंतु इस लोकसभा के अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही वर्ष 1971 में विघटित किये जाने से मध्यावधि चुनाव आयोजित किये गए।
- इससे एक साथ चुनाव कराने की परंपरा टूट गई। साथ ही, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार किये जाने तथा वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में विधानसभाओं को भंग करने से एक साथ चुनाव कराने का चक्र और भी गड़बड़ा गया।
- वर्ष 1998 तथा 1999 में लोकसभा दो बार समय से पहले भंग की गई तथा उसके बाद दो दशकों में केवल चार राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जा सके। क्योंकि, लोकसभा एवं विधानसभाओं के सदनों का कार्यकाल लगभग एक साथ संपन्न होने पर ही एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14, 15 के अनुसार निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पूर्व किसी भी समय निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार हैं। इससे पूर्व अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही, चुनाव अधिसूचना जारी होने तथा मतदान की तिथि के मध्य न्यूनतम 25 दिन का अंतराल होना भी आवश्यक है। इसलिये यदि सदन का कार्यकाल तीन माह में पूर्ण होने वाला हो, तो नये सदनों के गठन के लिये एक साथ चुनाव करवाना कानूनी तौर पर संभव होगा।

सदनों के कार्यकाल के मध्य समन्वय

- लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल सामान्यत: पाँच वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 की धारा (2) के

अनुसार यदि लोकसभा समयपूर्व विघटित नहीं की जाती है तो यह अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी। पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर यह स्वत: विघटित हो जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 172 (1) में विधानसभाओं के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।

- यद्यपि ये सदन पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किये जा सकते हैं। आपात स्थिति के अतिरिक्त इस कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के लिये कुछ राज्य के सदनों का कार्यकाल बढ़ाने या कम करने अथवा दोनों उपाय एक साथ अपनाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिये संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, मध्यावधि विघटन से बचने तथा एक साथ चुनाव कराने के चक्र को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। इसके लिये कुछ देशों में सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने जैसे वैधानिक प्रावधान अपनाए गए हैं। बल्कि इसके स्थान पर विपक्ष वैकल्पिक सरकार के पक्ष में विश्वास मत का रचनात्मक प्रस्ताव ला सकता है। इससे सदन के निश्चित कार्यकाल को बनाए रखने के साथ गतिरोध की स्थिति से बचने में मदद मिलती है।

एक साथ चुनाव से बचत अथवा अतिरिक्त व्यय

- लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन में मतदान केंद्र तथा मतदाता सूचियाँ एक ही रहती हैं। अत: एक साथ चुनाव कराने से अलग-अलग मतदाता सूचियाँ तैयार करने में लगने वाले अतिरिक्त श्रम व खर्च की बचत होगी।
- एक साथ चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी प्रबंधन कार्य एक साथ किये जा सकते हैं। चुनाव कराने के लिये पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव टीम गठित की जाती है। इसके सदस्य मुख्य रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी तथा शिक्षक होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से इस दल में कम अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल करके भी कार्य सुचारु रूप से किया जा सकता है।
- इससे परिवहन, आवास, प्रशिक्षण मानदेय, मानवसंसाधनों तथा मतदान के लिये उपयोगी सामग्री के रखरखाव आदि पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इससे केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती में भी कमी की जा सकती है।
- एक साथ चुनाव से होने वाली बचत का उपयोग 'इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों' को बढ़ाने में किया जा सकता है। किसी चुनाव में एक मतदान केंद्र पर एक ही प्रकार की ई.वी.एम. मशीन का उपयोग किया जाता है।
- वर्तमान में कुछ राज्यों को छोड़ कर विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव अलग-अलग आयोजित किये जाते हैं, इसलिये एक ही ई.वी.एम. का उपयोग दोनों चुनाव के लिये किया जाता है। किंतु एक साथ चुनाव कराने के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र में दो ई.वी.एम. मशीनों की आवश्यकता होगी, जिससे इन पर होने वाले खर्च की कीमत दोगुनी हो जाएगी। एक साथ चुनाव करने से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिक मतदान केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता होगी।
- राजनीतिक पार्टियों द्वारा जन सभाओं, रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य मंचों में विज्ञापन आदि के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाता है। एक साथ चुनाव करने से राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले इस खर्च में कमी आएगी।
- बार-बार चुनाव आयोजित किये जाने से मतदाताओं में चुनाव के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। देश भर में एक साथ चुनाव आयोजित करने पर मतदाता उत्साहपूर्वक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित होंगे, इससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता का शासन संचालन पर प्रभाव

- आदर्श चुनाव आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख से लागू उम्मीवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार से संबंधित दिशानिर्देश हैं। इसके तहत मतदाताओं को सत्तारूढ़ पार्टी के प्रलोभन में आकर उसके पक्ष में मत देने से रोकने के लिये चुनावी गतिविधियों में सरकारी संसाधनों के उपयोग, वित्तीय अनुदान तथा नवीन योजनाओं की घोषणा करने आदि पर रोक लगा दी जाती है। इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ दल द्वारा मतदाताओं को अनुचित तरीके से अपने पक्ष में करने से रोकना तथा सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है।
- चुनाव संबंधी ये सीमाएँ केवल चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद सीमित अवधि के लिये नई योजनाओं की घोषणाओं पर लागू होती हैं। पहले से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कार्यों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक साथ चुनाव आयोजित किये जाने पर आचार संहिता के तहत लगने वाले प्रतिबंध भी एक साथ लागू किये जाएँगे।
- लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों पर लागू होती है। विधानसभा चुनाव में यह सत्तारूढ़ राज्य सरकार पर लागू होती है जो पूर्णत: युक्तिसंगत है। राज्य में आचार संहिता लागू होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य से संबंधित नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है। उप चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता केवल संबंधित ज़िलों में ही

लागू होती है, जिससे इसका शासन संचालन पर न्यूनतम असर पड़ता है।

स्थानीय निकायों के चुनाव

- स्थानीय निकाय चुनावों का आयोजन संबंधित राज्यों के चुनाव आयोगों की निगरानी, दिशानिर्देश और नियंत्रण में किया जाता है। स्थानीय निकायों के चुनाव का आयोजन अन्य चुनावों के साथ आयोजित कराने के लिये चुनाव कर्मियों को एक ही समय में दो अलग-अलग प्राधिकारियों से चुनाव संबंधी दिशानिर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में स्थानीय निकाय चुनावों के लिये अलग-अलग प्रकार के मतदान केंद्र बनाए जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित न्यायिक संस्था ज़िला न्यायालय तथा अन्य निचली अदालतें होती हैं, जबकि संसद या विधानसभा चुनाव के संबंध में याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय में ही संभव है। यदि स्थानीय चुनाव लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जाते हैं तो एक ही मामले के लिये उच्च न्यायालय एवं ज़िला न्यायालयों में याचिका देने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

एक साथ चुनाव आयोजित किये जाने से अन्य लाभ के अतिरिक्त मतदाताओं की अधिक भागीदारी से चुनावों की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। विभिन्न स्तरों पर इसकी आवश्यकता एवं व्यवहार्यता, लाभ तथा हानि आदि के संबंध में भविष्य में और अधिक छानबीन तथा विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है।

कोविड-19 प्रभाव तथा राजकोषीय संघवाद

संदर्भ

- कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होने के साथ-साथ वैश्विक जीवन तथा अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है। नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस महामारी को 30 जनवरी, 2020 को 'अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात स्थिति' तथा 11 मार्च, 2020 को 'वैश्विक महामारी' घोषित किया गया। 8 अप्रैल, 2021 तक कोरोना संक्रमण के कारण विश्व भर में 13 करोड़ से अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है, जिनमें से 28 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है।
- प्रारंभिक चरण में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन तथा शारीरिक दूरी रखने जैसे उपाय अपनाए गए। इससे प्रभावाधीन व्ययों में अत्यधिक वृद्धि के साथ आर्थिक गतिविधियों व राजस्व प्राप्ति में भारी गिरावट आई। इस महामारी के कारण नागरिकों एवं आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने तथा सुरक्षा व स्फूर्ति प्रदान करने के लिये सरकार ने सहकारी व राजकोषीय संघवाद के तहत राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

राज्यों के लिये ऋण सीमा में बढ़ोतरी

- राज्यों को होने वाले राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में ऋण वित्त पोषण जैसे प्रावधान किये गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को एक वित्तीय वर्ष में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3% तक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई है।
- राजस्व प्राप्ति में भारी गिरावट के कारण वित्तीय साधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने, पूँजीगत व्यय में कटौती से बचने तथा राजकोषीय प्रवाह के संकुचन को रोकने के लिये केंद्र सरकार ने मई 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये राज्यों की ऋण सीमा में 2% की वृद्धि की है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।
- अतिरिक्त ऋण सुविधा की 50% राशि प्राप्त करने के लिये निश्चित माप एवं व्यावहारिक सुधारात्मक उपाय निर्धारित किये गए हैं। इसके तहत राज्यों को जी.एस.डी.पी. का 0.25% ऋण प्राप्त करने के लिये 4 क्षेत्रों; एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार में सुगमता, विद्युत क्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकाय में से प्रत्येक क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों को पूर्णता लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि

- भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र में संबद्ध राज्यों को राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य नकदी प्रवाह की अस्थायी विसंगतियों को दूर करने हेतु अर्थोपाय अग्रिम के रूप में वेज एंड मींस एडवांस (WMA) प्रदान करता है।
- आर.बी.आई. राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा कुल व्यय राजस्व घाटे जैसे घटकों के आधार पर इसकी सीमा निर्धारित करता है। यह सीमा मार्च 2020 तक 32 हज़ार 225 करोड़ रुपए थी, जिसे अप्रैल 2020 में केंद्र व राज्यों के अनुरोध पर 60% तक बढ़ा दिया गया। प्रारंभ में इसकी अवधि 30 सितंबर, 2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया।
- डब्ल्यू.एम.ए. पर ब्याज, रेपो दर के अनुसार निर्धारित होता है। राज्यों को प्राप्त ओवरड्राफ्ट की सुविधा के तहत डब्ल्यू.एम.ए. से अतिरिक्त राशि की निकासी सामान्य ब्याज दर से अधिक दर पर की जा सकती है। आर.बी.आई. ने ओवरड्राफ्ट की अवधि बढ़ाकर एक तिमाही में 14 से 21 कार्य दिवस तथा 36 से 50 कार्य दिवस कर दी है।

- इसकी सीमा में वृद्धि से राज्यों को आर.बी.आई. से तत्काल कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है। इससे राज्य कोविड-19 के प्रभाव से निपटने हेतु आवश्यक उपाय अपनाने तथा बाज़ार से ऋण लेने के अंतराल का प्रबंधन करने में सक्षम हुए हैं।

कोविड-19 आपदा तथा राज्य आपदा राहत कोष नियमों में छूट

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) के तहत स्थापित 'राज्य आपदा राहत कोष' का उद्देश्य अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों को मूल राशि उपलब्ध कराना है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों को 75% तथा पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों को 90% राशि आवंटित की जाती है।
- भारत सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे अधिसूचित आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य सरकारों को संगरोध (क्वारंटाइन) संबंधी उपायों व आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु, संक्रमित व क्वारंटाइन शिविरों में रह रहे लोगों के लिये अस्थायी आवास, भोजन, चिकित्सीय सुविधा तथा बस्ती नियंत्रण गतिविधियों के लिये राज्य आपदा राहत कोष से धनराशि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। प्रारंभ में इस मद पर एस.डी.आर.एफ. आवंटन की 25% राशि खर्च करने की अनुमति दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये एस.डी.आर.एफ. में केंद्रीय अंशदान की पहली किस्त अग्रिम के रूप में दी गई है। 2020-21 के लिये यह राशि 11 हज़ार 92 करोड़ रुपए है।

पूँजीगत व्यय के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

- कोविड-19 के कारण आय व व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए राज्यों ने पूँजीगत व्यय पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक संवृद्धि दर बढ़ती है।
- केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद अक्तूबर 2020 में राज्यों के पूँजीगत व्यय के लिये 12 हज़ार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की गई। आवंटित राशि का एक हिस्सा उन राज्यों के लिये संरक्षित किया गया, जो वित्त मंत्रालय द्वारा चयनित चार क्षेत्रों में से कम से कम 3 में सुधारात्मक उपाय अपनाते हैं।
- व्यय विभाग की इस योजना के तहत 27 राज्यों के पूँजीगत व्यय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के भाग-3 के तहत 11 राज्य अधिक आवंटन के लिये पात्र थे।

जी.एस.टी. निधि में कमी को पूरा करने के लिये विशेष ऋण व्यवस्था

- वस्तु एवं सेवा कर में स्थानीय करों को शामिल करने तथा इसके कारण राजस्व घाटे में हो रही वृद्धि को देखते हुए वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 लागू किया गया। इसके तहत शुरुआती पाँच वर्ष तक इस कर के कारण राजस्व में हुई कमी की आपूर्ति जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति निधि से किये जाने का प्रावधान किया गया। कुछ चयनित वस्तुओं पर उपकर के माध्यम से इस निधि में धनराशि अर्जित की जाती है।
- आर्थिक मंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में इस निधि में 1.10 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने अनुमानित कमी की आपूर्ति हेतु राज्यों की ओर से ऋण लेने के लिये विशेष व्यवस्था की तथा भविष्य में क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त होने वाली राशि से इसका भुगतान करने का वादा कर, ऋण के रूप में यह राशि राज्यों को प्रदान की।

करों में राज्यों की हिस्सेदारी बनाए रखना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग कर या शुल्क से प्राप्त कुल राशि का केंद्र व राज्यों तथा सभी राज्यों के मध्य वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। 14वें वित्त आयोग ने पहली बार केंद्रीय विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि की सिफारिश की तथा उसे 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने नवगठित जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिये कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 41% किये जाने की सिफारिश की।
- वित्तवर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार की सकल कर राजस्व प्राप्ति में भारी कमी के बावजूद केंद्र सरकार ने करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बजट अनुमानों के अनुसार बनाए रखा। साथ ही, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्व में वृद्धि होने पर केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद के अनुरूप राज्यों को 45 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की।

निष्कर्ष

भारत सरकार ने महामारी के कारण संसाधनों की कमी के बावजूद राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भारत ने 150 से अधिक देशों को भी दवाएँ, टीके, जाँच किट तथा वेंटीलेटर जैसे ज़रूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के इन उल्लेखनीय समन्वित प्रयासों से सहकारी संघवाद तथा विकेंद्रीकृत प्रशासन की नई छवि प्रदर्शित होती है।

संघवाद की चुनौतियाँ और आगे की राह

संदर्भ

- भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप वाली राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किंतु संघात्मक तथा एकात्मक विशेषताओं के मिले-जुले रूप के कारण इसे अर्द्ध-संघीय की संज्ञा दी गई है।
- भारत की राजव्यवस्था में राज्यों की तुलना में संघीय सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण इसे 'केंद्रीकृत संघवाद' के रूप में भी देखा जाता है। किंतु, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का संवैधानिक ढाँचा राज्यों की तुलना में संघ सरकार को अधिक अधिकार-संपन्न बनाने की दिशा में झुका हुआ है।

भारत में अर्द्ध-संघवाद

- संविधान का अनुच्छेद 256 राज्य सरकारों को अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद द्वारा बनाए गए तथा उस राज्य में लागू मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये बाध्य करता है।
- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 365 का संज्ञान लेकर ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं जो केंद्र के निर्देशों के अनुसार कानून को लागू करने से इनकार करते हैं। यही बात एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई, जिससे भारत के संघवाद को निर्णायक स्वरूप प्राप्त हुआ है।
- धर्म, भाषा, जाति, नस्ल के आधार पर विशाल विविधता को देखते हुए, भारत के अस्तित्व और राजनीतिक स्थिरता के लिये एक मज़बूत संघ सरकार आवश्यक है।
- समूचे देश के लिये कानून का प्रारूप तैयार करने तथा उसे पारित कराने के लिये राज्य सरकारों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें कई बार किसी राज्य विशेष से संबंधित समस्याओं या मामले के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आम राय स्वीकार्य नहीं हो पाती, अतः ऐसे मामलों में संघ सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कृषि व श्रम बाज़ारों से संबंधित सुधारों में राजनीतिक वर्चस्व की पुरानी नीतियों में बदलाव देखे गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि भारत में संघीय संबंध संरचनात्मक बाधा न होकर राजनीतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर हैं।

राज्यों की पैरा डिप्लोमैसी

- राज्यों की पैरा डिप्लोमैसी के उभरकर सामने आने के बाद विदेशी आर्थिक नीतियाँ अब केंद्र के एकाधिकार का विषय नहीं रह गई हैं। आर्थिक वैश्वीकरण ने राज्यों के लिये विदेशी निवेशकों से वास्तविक अर्थ में बातचीत संभव कर दी है। इससे कुछ राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता कम हुई हैं तथा उन्हें आर्थिक विकास में मदद मिली है।
- परंतु, इससे संप्रभुता या देश की सुरक्षा के मुद्दे उठ सकते हैं क्योंकि भारत चारों-ओर से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जो भारत के प्रति हमेशा मित्रवत दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। ऐसे में केंद्र की भूमिका और अधिक जटिल हो जाती है।

आगे की राह

- भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश को संघवाद के छह स्तंभों– राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। धुर राजनीतिक केंद्रीकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेंद्रीकरण, दोनों ही भारतीय संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं।
- इनके मध्य उचित संतुलन होने पर ही केंद्र सरकार को राज्यों की स्वायत्तता पर सीमा से अधिक दबाव डालने से रोका जा सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिये कोई खतरा उत्पन्न न हो, इसके लिये राज्यों के अतिक्रमण पर नियंत्रण करना एक चुनौती है क्योंकि संघवाद को राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखना होता है।

स्वातंत्रोत्तर भारत में मानव विकास

संदर्भ

- गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजित विकास का प्रमुख उद्देश्य रहा है। निम्न जीवन-स्तर, अभाव, कुपोषण, निरक्षरता और मानव संसाधनों का अल्प विकास गरीबी के द्योतक हैं। इनका देश की संवृद्धि और विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 1950-1960 के दशक में भौतिक बुनियादी ढाँचे में निवेश को विकास के प्राथमिक साधन के रूप में देखा गया। वास्तव में 1960 के दशक के मध्य तक विश्व भर में विकास नीतियों का मुख्य ज़ोर विकास प्रक्रिया को तेज़ करने पर था, क्योंकि आय वितरण में अमीरों से गरीबों की ओर धन के प्रवाह को ध्यान में रखना था।

मानव विकास की अवधारणा

- हालाँकि, उपलब्ध साक्ष्य मानव विकास के लिये केवल आर्थिक विकास की सीमाओं की ओर इशारा करते हैं।
- 'मानव विकास' को 'विकास के अर्थशास्त्र' में मानव क्षमताओं तथा विकल्पों के विस्तार, अधिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास का मापन

- मानव विकास रिपोर्टों की वार्षिक शृंखला की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहली मानव विकास रिपोर्ट (1990)

के प्रकाशन के साथ हुई थी। मानव विकास सूचकांक (HDI) मानव विकास के तीन आयामों– दीर्घायु, शिक्षा प्राप्ति और सम्मानजनक जीवन के लिये आवश्यक संसाधनों पर अधिकार के साथ देश की औसत उपलब्धियों को दर्शाता है।

- वस्तुत: एच.डी.आई. विकास के अभाव या वितरण संबंधी पहलुओं में असमानता को नहीं दर्शाता है। इसके लिये पहली बार वर्ष 1995 में लिंग आधारित विकास सूचकांक (GDI) और लैंगिक सशक्तीकरण उपाय (GEM) को अपनाया गया।
- वर्ष 1997 में बहु-आयामी गरीबी को मापने के लिये एक समग्र मानव गरीबी सूचकांक (HPI) प्रस्तुत किया गया था।
- एच.डी.आई. की तरह जी.डी.आई. भी समरूप आयामों तथा परिवर्ती कारकों में उपलब्धियों को मापता है, किंतु लैंगिक उपलब्धियों में असमानता का ध्यान भी रखता है। जी.ई.एम. इंगित करता है कि क्या महिलाएँ आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हैं।

मानव विकास में भारत की रैंकिंग

- मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। 0.645 के एच.डी.आई. मूल्य के साथ भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1990 और 2019 के बीच भारत की मानव विकास यात्रा के बारे में कुछ आँकड़े दिये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद से भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, इस प्रकार इसमें 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इसी अवधि के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों तथा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 274% की वृद्धि हुई।
- दक्षिण एशिया के अन्य देशों, जैसे बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उस क्षेत्र के औसत (0.641) से अधिक है, जबकि भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी के देशों में 0.631 के औसत मूल्य से ऊपर है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs), संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2000 में निर्धारित आठ लक्ष्य हैं। ये देश वर्ष 2015 तक इन्हें हासिल करने के लिये सहमत हुए थे। आठ सहस्राब्दि विकास उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
  - अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना
  - वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना
  - महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
  - बाल मृत्यु दर को कम करना
  - मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
  - मलेरिया, एच.आई.वी./एड्स और अन्य बीमारियों से लड़ना
  - पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा
  - विकास के लिये एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना।
- सतत् विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। ये गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने तथा सभी के लिये शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये सार्वभौमिक आह्वान हैं। ये 17 लक्ष्य एक समावेशी एजेंडा है, जो कि निम्नलिखित हैं–
  - लक्ष्य 1– गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह से समाप्त करना।
  - लक्ष्य 2– भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
  - लक्ष्य 3– स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिये कल्याण को बढ़ावा देना।
  - लक्ष्य 4– समावेशी तथा एकसमान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिये जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
  - लक्ष्य 5– लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना।
  - लक्ष्य 6– सभी के लिये स्वच्छ जल तथा स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
  - लक्ष्य 7– सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना।
  - लक्ष्य 8– सभी के लिये सतत् समावेशी और समग्र आर्थिक विकास, पूर्ण तथा उत्पादक रोज़गार तथा सम्मानजनक कार्य अवसरों को बढ़ावा देना।
  - लक्ष्य 9– लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण, समावेशी तथा टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना।
  - लक्ष्य 10– देशों के बीच और उनके भीतर असमानता को कम करना।
  - लक्ष्य 11– शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
  - लक्ष्य 12– स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
  - लक्ष्य 13– जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
  - लक्ष्य 14– सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना।
  - लक्ष्य 15– स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग की रक्षा, पुन:स्थापना और बढ़ावा देना, वनों का सतत् प्रबंधन करना और मरुस्थलीकरण से निपटना एवं भूमि

के ह्रास तथा जैव विविधता में सुधार करना व इन्हें हो रहे नुकसान को रोकना।

- लक्ष्य 16– स्थायी विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह तथा समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
- लक्ष्य 17– कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत करना और सतत् विकास के लिये वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना।

न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के तहत जारी किये गए पहले 'न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक' के अनुसार, देश में वर्ष 2012 की तुलना में 2018 में देश के सभी राज्यों में आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत तथा भोजन पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता बेहतर हुई है।
- यह सूचकांक जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण तथा अन्य सुविधाएँ, जैसे पाँच आयामों के 26 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है।
- सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक तक पहुँच में सुधार के कारण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है तथा शिक्षा संकेतकों में भविष्य में सुधार के साथ सहसंबंध स्थापित हुआ है।

रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटन

संदर्भ

वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त दो अर्थशास्त्रियों– पॉल आर. मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी. विल्सन ने नीलामी के सिद्धांत को प्रचलित किया, विशेषकर वर्ष 1994 से, जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्पेक्ट्रम नीलामी की शुरुआत हुई थी। दोनों विशेषज्ञों ने कई प्रगतिशील एवं महत्त्वपूर्ण प्रारूप व रूपरेखाओं का विकास किया है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

- सेलुलर संचार के इस दौर में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो हमारे दैनिक जीवन के संचार संबंधी क्रियाकलापों तथा मनोरंजन का आधार है। टेलीविजन, सेल फोन तथा इंटरनेट सेवा ये सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से काम करते हैं एवं राजस्व उत्पत्ति के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र आर्थिक विकास, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन तथा डिजिटल इंडिया के विस्तार के साथ मज़बूत संबंधों के लिये एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी

- 1990 के दशक की शुरुआत में मोबाइल संचार की बढ़ती माँग को देखते हुए फर्मों के लिये प्रसारण लाइसेंस को मूल्य क्रियाविधि के आधार पर तैयार किया गया, जो कि अत्यधिक प्रभावशाली रहा।
- सामान्यत: नीलामी दो प्रकार की होती है– एकल तथा विविध वस्तु नीलामी। विविध वस्तु नीलामी का प्रयोग एकसमान या विभाज्य वस्तुओं जैसे सरकारी कर्ज, विद्युत तथा विविध या असमान वस्तुओं, जैसे रेडियो आवृत्ति या बस रूट पर लागू होता है।
- सफल बोली लगाने वालों को बोली राशि के अतिरिक्त इस नीलामी के माध्यम से जीते गए स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में वायर लाइन सेवाओं को छोड़कर समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 3% भी भुगतान करना होता है।
- भारत में स्पेक्ट्रम के आवंटन और प्रबंधन को लेकर राज्यों और संचालकों के बीच मतभेद होता रहता है। हालाँकि, भारत व्यक्तिपरक प्रशासनिक प्रबंधन से बचने के लिये अर्द्ध-संपत्ति अधिकार का अनुसरण करता आ रहा है, ताकि आधिकारिक प्रशासनिक प्रबंधन के स्थान पर बाज़ार आधारित प्रबंधन हो सके।
- स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने वाले आमतौर पर संपूरक लाइसेंस के संयोजन को प्रमुखता देते हैं, जो कि पूरक उत्पादों से अधिक जटिल है। उदाहरण के लिये, फोन सेवा प्रदाता प्राय: बड़े क्षेत्र को समाविष्ट करना चाहते हैं और इसके लिये वे निकट के भौगोलिक क्षेत्रों के लाइसेंस को वरीयता देते हैं।

स्पेक्ट्रम नीलामी के लाभ

- पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिये दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। इसके विपरीत, अधिकतम राजस्व के स्पेक्ट्रम लाइसेंस का सेट बहुत अदूरदर्शी हो सकता है तथा एकाधिकार की ओर ले जा सकता है। जन कल्याण के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों विचारों को अस्वीकार किया है।
- रेडियो स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ वस्तु होने के कारण वायरलेस संचार की माँग में तेज़ी से वृद्धि तथा स्पेक्ट्रम के प्रबंधन व कुशलता से प्रयोग के संबंध में आंतरिक विरोध के चलते भारत में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।
- नीलामी के संबंध में दो प्रमुख चिंताएँ उभरकर सामने आती हैं। पहली, सर्वोत्तम उत्पादक आपूर्तिकर्ता लागत को कम करते हैं तथा दूसरी, यह कठोर कराधान की बजाय बाज़ारों के माध्यम से धन अर्जित करता है। यद्यपि स्पेक्ट्रम नीलामी सफल बोलीदाताओं के लिये स्पेक्ट्रम आवंटन की एक पारदर्शी प्रक्रिया है।
- 'द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन' ने स्पैक्ट्रम मूल्य निर्धारण के चार विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तावित किया है, जिनमें पूर्ववर्ती नीलामी के मूल्यों को यथाविधि सूची में लिखना, उत्पादक अधिकता के आधार पर आकलन करना, उत्पादन क्रिया तथा राजस्व अधिकता दृष्टिकोण शामिल हैं।

डाउन टू अर्थ

शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य और प्रयास

संदर्भ

विश्व के विभिन्न देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से घोषित किये गए शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) का लक्ष्य केवल एक महत्त्वाकांक्षी विचार है, जिसका हमारे पर्यावरण संरक्षण पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह कहना असंभव है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन : संबंधित कार्रवाई

- इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा करने वाले अधिकतर देशों के पास वर्ष 2050 (चीन के लिये 2060) तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार यह लक्ष्य तक पहुँचने का मात्र विचार भर है, वह भी इस आशा के साथ कि आगामी वर्षों में कुछ ऐसी तकनीकें विकसित हो जाएँगी, जिससे शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- नेट ज़ीरो का विचार ही स्वयं में त्रुटिपूर्ण है। इसका अर्थ है कि देश उत्सर्जन को जारी रखते हुए उसके प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। कार्बन उत्सर्जन के प्रबंधन हेतु दो तरीके बताए जा रहे हैं; पहला, वृक्ष लगाना, जो उत्सर्जित किये गए कार्बन डाईऑक्साइड को पुन: अवशोषित करेगा और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज तकनीक द्वारा एकत्रित एवं भंडारित करना।
- जहाँ एक तरफ पेड़ों द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण (ट्री सोक) का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण होगा, वहीं दूसरी तरफ अपने भविष्य की रक्षा के लिये प्रायोगिक स्तर की तकनीकों पर आश्रित होना वर्तमान की चुनौतियों से हमारें ध्यान को भटकाने के समान है।
- विदित है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) ने कहा था कि कार्बन डाईऑक्साइड के वैश्विक शुद्ध मानव-निर्मित उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 2010 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करना होगा।
- इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान में विकसित देशों और चीन द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। अत: यह कहना तर्कसंगत होगा कि अगर वर्ष 2050 तक दुनिया को नेट ज़ीरो होने की आवश्यकता है, तो चीन के साथ इन विकसित देशों को वर्ष 2030 तक ही नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।

निष्कर्ष

हमें वर्ष 2030 तक वास्तविक महत्त्वाकांक्षा एवं इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। वर्ष 2050 की बात पूर्णत: बेईमानी होगी। हमारे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि हम जलवायु परिवर्तन की इस विकट समस्या पर वाद-विवाद करने में एक और दशक व्यतीत कर दें। अत: अब कुछ निर्णायक करने का समय आ चुका है।

उत्तराखंड में दावानल

संदर्भ

हाल ही में, उत्तराखंड के जंगलों में आग की कई घटनाओं को देखा गया।

राज्य में दावानल के कारण

- राज्य में दावानल की इन घटनाओं को कई कारणों से बढ़ावा मिल रहा है, जो इस प्रकार है–
  - आग बुझाने के लिये वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों की तुलना में सिर्फ 40 प्रतिशत ही है। फॉरेस्ट गार्ड के भी 1000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। राज्य में 1 फॉरेस्ट गार्ड के पास लगभग 80 हेक्टेअर जंगल बचाने की ज़िम्मेदारी है।
  - इसके अलावा, इन कर्मचारियों के पास आग बुझाने और अपनी सुरक्षा के लिये भी कोई उपकरण नहीं हैं।
  - आग बुझाने के लिये वन विभाग के पास बजट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 72 प्रतिशत वन संपदा वाले उत्तराखंड राज्य में वन विभाग द्वारा इस वर्ष 110 करोड़ रुपए का फायर प्लान राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसमें से करीब 31 करोड़ रुपए ही स्वीकृत हुए हैं। परंतु इसमें से भी वन विभाग को अभी तक कोई राशि प्रदान नहीं की गई है।
  - राज्य के जंगलों में आग का मुख्य कारण पिरुल या चीड़ की पत्तियाँ हैं। जब तक पिरुल के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक जंगलों की आग को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।
  - चीड़ के जंगलों में पत्तियों की परत बिछ जाने से वहाँ वर्षा के दिनों में घास नहीं उग पाती है, ऐसे में स्थानीय पशुपालकों द्वारा पिरुल जलाने के लिये आग लगाई जाती है। यही मानवजनित आग दावानल का रूप ले लेती है।

समाधान

- इस समस्या से निपटने का एक ही उपाय है कि स्थानीय लोगों की सहायता से हर वर्ष पिरुल इकट्ठा करने का अभियान चलाया जाए।
- इसके लिये प्रशासन द्वारा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। ऐसा करने से लोगों को अपने आसपास के चीड़ के जंगलों में आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

ध्रुवों की ओर पलायन को मजबूर समुद्री प्रजातियाँ

संदर्भ

वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी से महासागर भी अछूते नहीं हैं। इस बढ़ते तापमान के कारण महासागरों में रहने वाले जीवों की हज़ारों प्रजातियाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पलायन करने को विवश हो रही हैं।

जीवों के पलायन से बढ़ता संकट

- जीवों का यह पलायन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये एक प्रमुख खतरा है। साथ ही, इन जीवों पर आश्रित लाखों लोगों की आजीविका पर भी इस पलायन से संकट उत्पन्न हो रहा है। विश्व-भर में करीब 130 करोड़ लोग समुद्री तटों के निकट रहते हैं जो भोजन के लिये यहाँ पाई जाने वाली मछलियों पर निर्भर हैं।
- वर्ष 1970-2010 के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में इन 40 वर्षों के दौरान खुले जल में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या में लगभग 50 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।
- भूमध्य रेखा के उत्तर में ध्रुवों की ओर जलीय जीवों का प्रवास अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ महासागर दक्षिणी गोलार्द्ध की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रही तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटों से करीब 370 किमी. के दायरे में मछलियों का शिकार वर्ष 2050 तक 40 फीसदी तक घट जाएगा।

भाषाओं का सिमटता संसार

संदर्भ

वर्ष 2020 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी समूह 'सारे' को बोलने वाली आखिरी सदस्या का निधन हो गया, इसके साथ ही यह भाषा पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। 'सारे' भाषा की तरह वर्ष 2010 में इस समूह की 'खोरा' और 'बो' भाषा को बोलने वाले भी खत्म हो गए। इसके अलावा, ग्रेट अंडमानी भाषा समूह की एक अन्य भाषा 'जेरू' को बोलने वाले भी केवल तीन लोग ही जीवित हैं।

विलुप्त होती भाषाएँ : संबंधित तथ्य

- ग्रेट अंडमानी भाषाओं की तरह ही भारत और विश्व की हज़ारों भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं। युनेस्को द्वारा जारी 'एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डैंजर' के अनुसार, वर्ष 1950 से अब तक दुनिया भर में 230 भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं। वर्ष 2001 में युनेस्को द्वारा पहली बार जारी इस एटलस में 900 भाषाओं के विलुप्ति होने का खतरा बताया गया था, जो वर्ष 2017 के एटलस में 2,464 भाषाओं तक पहुँच गया। ध्यातव्य है कि विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी इन भाषाओं में सर्वाधिक भाषाएँ भारत की ही हैं।
- यूनेस्को के अनुसार, भारत की 197 भाषाएँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जहाँ 191 भाषाएँ विलुप्त होने वाली हैं। तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहाँ कुल 190 भाषाओं का अस्तित्व संकट में है। युनेस्को के अनुसार, इस सदी के अंत तक 50 प्रतिशत भाषाएँ विलुप्त हो सकती हैं।
- एथनोलॉग के अनुसार, दुनियाभर में भाषाओं का व्यापक स्तर पर असमान वितरण देखने को मिलता है। दुनिया की आधी आबादी महज 24 भाषाएँ बोलती है। इनमें मुख्य रूप से चीनी मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, हिंदी, पुर्तगाली, बंगाली, रूसी, जापानी और जर्मन शामिल हैं। इन कुछ भाषाओं को बोलने वालों की संख्या जहाँ करोड़ों में है, वहीं दूसरी तरफ विश्व की आधी आबादी 7,000 भाषाओं को बोलती है।
- एथनोलॉग के अनुसार, विश्व की आधी भाषाओं को बोलने वाले 10 हज़ार से भी कम लोग बचे हैं। इतना ही नहीं, विश्व की केवल एक प्रतिशत आबादी लगभग 5,000 भाषाएँ बोलती हैं।
- वर्ष 1995 में किये गए एक विश्लेषण के अनुसार, दुनिया की आबादी 25 प्रतिशत बढ़ने पर करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का तो विस्तार हुआ लेकिन छोटे स्तर पर बोली जाने वाली भाषाएँ खतरे में पड़ गई। भारत में इस तथ्य की पुष्टि हिंदी और अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभुत्व से होती है।

भारत की विलुप्त होती भाषाएँ

- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान देश-भर की ऐसी भाषाओं की जानकारी एकत्रित कर रहा है जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। संस्थान ने अब तक ऐसी 117 भाषाओं की पहचान की है।
- इनमें अधिकांश भाषाएँ देशज यानी आदिवासियों द्वारा बोली जाती हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या 10 हज़ार से भी कम बची है।

- भारतीय भाषा संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बोली जाने वाली 'चिनाली' भाषा को भी गंभीर संकट श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 31,564 की आबादी वाले चिनाल समुदाय में चिनाली बोलने वाले मात्र 120 लोग ही बचे हैं।
- कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में बोली जाने वाली और युनेस्को की विलुप्तप्राय भाषाओं की सूची में शामिल 'जाड़' अथवा 'भोटिया' भाषा का भी है। इसी तरह मणिपुर में बोली जाने वाली 'तराओ' भाषा को बोलने-समझने वाले भी केवल 870 लोग ही बचे हैं।
- इसके अलावा, युनेस्को की सूची में अहोम, आंद्रो, रांगकास, सेंगमई और तोल्चा ऐसी भारतीय भाषाएँ हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा भाषा बोलने वाले भी केवल 266 लोग ही शेष बचे हैं।

भाषाओं की विलुप्ति के कारण

- भाषाओं का अस्तित्व तब खतरे में आता है जब किसी विशेष भाषा को बोलने वाली आबादी समाप्त हो जाती है या किसी दूसरी भाषा को अपना लेती है। नतीजतन, उस आबादी की अगली पीढ़ियाँ अपनी मातृभाषा भूल जाती हैं।
- भाषाओं की विलुप्ति के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी एक बड़ी वजह है। व्यापार और पलायन के दौरान किसी विशेष भाषा को अधिक महत्त्व दिये जाने से छोटी और स्थानीय भाषाएँ उपेक्षित हो जाती हैं। व्यापार एवं मीडिया के वैश्विक होने, यातायात और संचार में तकनीकी सुधार से भी एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित होने का दबाव बढ़ा है।
- उदाहरण के लिये हिंदी के प्रचार और प्रसार से उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बोली जाने वाली भाषाएँ खतरे में पड़ गई हैं। इस द्वीप समूह में रहने वाली आदिवासी आबादी हिंदी को अंगीकार कर रही है जिससे उनकी मातृभाषा बोलने और समझने वाले खत्म होते जा रहे हैं। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली 'टोटो' भाषा की भी है।
- विलुप्त होने का खतरा आमतौर उन भाषाओं पर सबसे अधिक है जो देशी लोगों द्वारा बोली जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार, न्यूज़ीलैंड की 100 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका की 98 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया की 89 प्रतिशत देशज भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा है। भारत की 30 प्रतिशत देशज भाषाएँ इस श्रेणी में आती हैं।
- इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन भी भाषा को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण और प्रबल कारक है। विदित है कि छोटे पैमाने पर भाषा बोलने वाले बहुत से समुदाय तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। आपदाओं के समय इन समुदायों को सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ता है, जिससे ये लोग 'जलवायु परिवर्तन शरणार्थी' बन जाते हैं। इस प्रकार ये समुदाय अपने भाषायी समाज से कट जाते हैं और नई भाषा के संपर्क में आ जाने से अधिकतर अपनी भाषा को धीरे-धीरे खो देते हैं।

जैव-सांस्कृतिक विविधता और भाषा

- भाषा, संस्कृति और पर्यावरण एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दुनिया की अधिकांश भाषाएँ जैव विविधता की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में ही फलती-फूलती हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के मात्र 7 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव-विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही यह क्षेत्र सांस्कृतिक विविधताओं से भी परिपूर्ण है। यहाँ दुनिया की अधिकांश जनजातियों और प्रजातियों का एक साथ निवास है। जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता अर्थात् जैव सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इन क्षेत्रों में भाषाओं की विविधता भी पाई जाती हैं।
- जो क्षेत्र भाषाओं से समृद्ध हैं, वहाँ जैव-विविधता भी भरपूर है। जब भाषा पर खतरा मंडराता है तो जैव विविधता भी खतरे में पड़ जाती है और जब भाषा समृद्ध होती है, तब जैव-विविधता भी संपन्न होती है। इसलिये दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है क्योंकि दोनों के पतन और उत्थान के कारण लगभग समान हैं।
- विदित है कि दुनिया-भर में सभी जगह मनुष्यों को भौतिक, मनौवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर्यावरण से ही मिला है। समय के साथ पर्यावरण पर आधारित यह ज्ञान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से संरक्षित किया गया। इस तरह भाषा, संस्कृति और पर्यावरण की कड़ियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
- उदाहरण के लिये प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक 840 भाषाएँ बोली जाती हैं। इस देश में आधे से अधिक क्षेत्रफल पर केवल वर्षा वन हैं। विश्व के एक प्रतिशत क्षेत्रफल वाले इस देश में दुनिया की पाँच प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ सबसे अधिक भाषाओं का मिलना स्पष्ट संकेत है कि भाषाएँ और जैव विविधता एक-दूसरे के पूरक हैं।
- इसके अलावा, इंडोनिशिया (712 भाषा), नाइजीरिया (522 भाषा) और भारत (454 भाषा) में सबसे अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। ये सभी देश भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, जो जैव विविधता से परिपूर्ण हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक प्रजातियों पर विलुप्त होने का का खतरा बना हुआ है और यही देश व्यापक स्तर पर अपनी भाषाओं को भी खो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, पिछले 45 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 64 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया की 50 प्रतिशत भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं।

- स्पष्ट है कि भाषा के संरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण घनिष्ठता से जुड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों और जैव-विविधता के संरक्षण का ज्ञान वहाँ की स्थानीय भाषा में होता है। जो देश अपनी भाषाओं को संरक्षित नहीं कर पाते हैं, वे अपनी जैव विविधता भी खो देते हैं।

निष्कर्ष

- धरती से जीवन बड़े पैमाने पर खत्म हो रहा है और मौजूदा समय में यह छठी व्यापक विलुप्ति (मास एक्टिंग्शन) का सामना कर रहा हैं। विलुप्ति का मौजूदा संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि मनुष्य की देन है, इसीलिये इस युग को वैज्ञानिक 'एंथ्रोपोसीन युग' की संज्ञा दे रहे हैं। यह संकट केवल जीवों तक सीमित नहीं है अपितु इसके साथ एक और व्यापक विलुप्ति संस्कृतियों तथा भाषाओं की भी हो रही है। ये दोनों विलुप्तियाँ भले ही अलग-अलग हों लेकिन इसने जीवन के सभी पहलुओं यानि जैव सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित किया है।
- भाषा विज्ञानियों का मानना है कि भाषाएँ अकेले नहीं मरतीं, अपितु उनके साथ संपूर्ण संस्कृति और उससे जुड़ा ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। आदिवासी समाज की भाषा सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विविधताओं का भंडार है। और उनकी भाषा खत्म होने से ज्ञान का यह खजाना भी खत्म होता जा रहा है।
- भारत को विविधताओं में एकता वाला देश माना जाता है। भाषाओं की विलुप्ति का अर्थ है इन विविधताओं से हाथ धो बैठना। भाषाओं के संरक्षण के महत्त्व को हाल ही में बनी शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मातृभाषा में देने की वकालत की गई है। भाषाविद् मानते हैं कि अगर इस नीति को ठीक से लागू किया जाए तो भाषाओं को संरक्षित किया जा सकता है।

रंगदार कपास

संदर्भ

सफेद रंग के प्राकृतिक कपास की खेती के साथ ही अब भारत में रंगीन कपास की व्यावसायिक खेती की तैयारी भी की जा रही है। शोधकर्ता 16301 डी.बी. और डी.डी.सी.सी. 1 का फार्म ट्रायल कर रहे हैं, जिनसे भूरे रंग के कपास का उत्पादन होगा।

रंगीन कपास की नवीनतम प्रजातियाँ

- कपास की 16301 डी.बी. प्रजाति को आई.सी.ए.आर. की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (CICR), नागपुर ने विकसित किया है। दुनिया-भर में सबसे ज़्यादा उगाए जा रहे गोसोपियम हरसटम की पाँच रंगीन कपास की प्रजातियों के मूल्याँकन के बाद इस कपास की प्रजाति को विकसित किया गया है।
- डी.डी.सी.सी.-1 प्रजाति को एग्रीकल्चरल साइंस यूनिवर्सिटी, धारवाड़ (कर्नाटक) ने विकसित किया है। भारत और अन्य उपोष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जानेवाली जी-अरबोरियम प्रजाति के 6 रंगीन कपास के मूल्याँकन के बाद ये प्रजाति विकसित की गई है।

रंगीन कपास : ऐतिहासिक तथ्य

- भारत में 5,000 वर्ष पूर्व रंगीन कपास के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में रंगीन कपास का प्रयोग किया जाता था। इस दौरान मुख्य तौर पर गहरा भूरा, सफेद और हरे रंग के कपास का प्रयोग होता था।
- औपनिवेशिक काल में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में जी-अरबोरियम कपास की दो प्रजातियाँ कोकानाडा 1 और कोकानाडा 2 उगाई जाती थीं तथा भूरे रेशम को प्रीमियम उत्पाद के रूप में जापान निर्यात किया जाता था।
- औद्योगिक क्रांति के कारण सफेद कपास का प्रचलन बढ़ गया। आधुनिक कपड़ा फैक्टरियों को लंबे और मज़बूत धागे की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति रंगीन कपास से नहीं हो सकती थी। साथ ही, रासायनिक रंगों ने भी रंगीन कपास को अप्रासंगिक बना दिया था।
- कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रंगीन कपास के अस्तित्व को बचाने के लिये इसकी प्रजातियों के जीन समूहों को सुधार कर मज़बूत और लंबा किया जाना चाहिये, ताकि आधुनिक टेक्सटाइल मशीनों में इसका प्रयोग किया जा सके।

रंगीन कपास का लाभ

- आधुनिक टेक्सटाइल उद्योगों में 25-29 मिलीमीटर लंबे फाइबर की आवश्यकता होती है। फिलहाल दो प्रजातियों 16301डीबी व डीडीसीसी1 को व्यावसायिक उत्पादन के योग्य माना जा रहा है। विदित है कि इनके धागे की लंबाई 23-24 मिलीमीटर है, जो मीडियम कैटेगरी में आती है।
- इन प्रजातियों का सबसे अधिक लाभ यह है कि इससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और इसके उत्पादन में खर्च भी कम होता है। भारत में कुल कृषि उत्पादन में जितने कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, उसका आधा हिस्सा केवल सफेद कपास के उत्पादन में इस्तेमाल हो जाता है।
- रंगीन कपास की प्रजातियाँ इस तरह से तैयार की गई हैं कि वे कीटों के हमले से बच जाती हैं और इन्हें कम कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है।
- इसके अलावा, इन्हें रंगने की ज़रूरत या तो एकदम कम पड़ती है या बिल्कुल भी नहीं। विदित है कि रंगने में ज़्यादा पानी और जहरीले रसायन की ज़रूरत पड़ती है।

- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि प्राकृतिक तौर पर रंगीन कपास किसानों की अनुवांशिक रूप से संशोधित बी.टी. कॉटन पर निर्भरता को कम करेगा।

सिंचाई और भूजल संकट

संदर्भ

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विश्व की 60 फीसदी आबादी निवास करती है, लेकिन इसमें केवल 36 फीसदी आबादी के पास ही जल संसाधन उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में ताज़े जल की आपूर्ति के लिये भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भूजल की निकासी 30 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता जल संकट

- कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिये लगातार जल की माँग बढ़ती जा रही है। उत्तर-पश्चिमी भारत और उत्तरी चीन के मैदानों में सिंचाई के लिये जल की माँग में बढ़ोतरी जारी है, जिसके कारण गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। ध्यातव्य है कि चीन और भारत के ये हिस्से खाद्य उत्पादन के लिये प्रमुख स्थान रखते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियंत्रित रूप से जल की निकासी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। साथ ही, इन क्षेत्रों में ध्रुवी से होते शहरीकरण, बढ़ती आबादी और उद्योगों के दबाव के कारण कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है।
- यू.एन. की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कुछ देश ताज़े जल की आपूर्ति के लिये अनुचित तरीके से भूजल की निकासी कर रहे हैं। विदित है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत और चीन सहित कुल 7 देश ऐसे हैं जो दुनिया में भूजल निकासी वाले शीर्ष 15 देशों में शामिल हैं।
- जल इस क्षेत्र के लिये बेहद ही मूल्यवान संसाधन है। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के कारण जलसंकट की समस्या इन क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़ सकती है। साथ ही, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का स्तर भी कम हो सकता है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

आरक्षण, दक्षता और भारतीय संविधान का निर्माण

संदर्भ

आरक्षण पर संवैधानिक न्यायशास्त्र के पिछले 7 दशकों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आरक्षण नीतियों की वैधता से संबंधित निर्णय करते हुए लगातार 'दक्षता' और 'योग्यता' जैसी धारणाओं का उल्लेख किया है।

प्रशासन की दक्षता

- न्यायालय ने अपने कई निर्णयों (इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1993 तथा एम. नागराज अन्य बनाम भारत संघ 2006) में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियाँ अनुच्छेद 335 के तहत सीमित होंगी, जो सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते हुए 'प्रशासन की दक्षता' को बनाए रखने का प्रावधान करता है। यद्यपि, संविधान 'प्रशासन की दक्षता' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठों ने अपने निर्णयों में जो माना है, उसके विपरीत संविधान निर्माताओं ने यह परिकल्पना नहीं की थी कि अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित या उसके अधीन होगा।
- आंबेडकर ने 'प्रशासन की दक्षता' धारणा की आलोचना की, जिसे अक्सर आरक्षण की अवधारणा पर आक्षेप लगाने के लिये नियोजित किया गया है।
- प्रशासन की दक्षता का उपयोग औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक युग में एक बहिष्कृत निर्माण के रूप में किया गया था। हालाँकि, संविधान निर्माण के दौरान इसे खारिज कर दिया गया था।
- आंबेडकर ने तर्क दिया कि दक्षता शब्द का प्रयोग आरक्षण के विचार के विरुद्ध सार्वजनिक सेवाओं से कुछ समुदायों को बाहर करने के लिये नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 की उत्पत्ति

- संविधान निर्माण के दौरान, संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1947 को एक प्रस्ताव के माध्यम से "मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये एक खंड और आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्र के प्रशासन के लिये एक योजना" पर आधारित मसौदे को तैयार करने में सभा की सहायता के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की थी।
- सलाहकार समिति, जिसमें सभा के सदस्य शामिल थे, ने अपने काम को विभिन्न उपसमितियों के बीच विभाजित किया। जब मौलिक अधिकारों पर निर्मित उपसमिति ने 'अवसर की समानता' के अधिकार पर एक मसौदा तैयार किया, तो अल्पसंख्यकों की उपसमिति ने इस प्रारंभिक खंड में एक परंतुक जोड़ने की सिफारिश की, ताकि सरकार अल्पसंख्यकों के लिये सार्वजनिक सेवाओं में पदों का एक निश्चित अनुपात आरक्षित कर सके।

- खंड का एक नया प्रारूप, जो 22 अप्रैल, 1947 को सलाहकार समिति के सामने आया, ने राज्य को "सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान" करने का प्रावधान किया। आंबेडकर, जो उस समय सलाहकार समिति के सदस्य थे, ने इस खंड का समर्थन किया।
- हालाँकि, उन्होंने 'पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं' शब्दों को हटाने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी कहा कि "राज्य द्वारा निर्धारित वर्गों के पक्ष में सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिये खंड को फिर से परिभाषित किया जाए"।
- उन्होंने तर्क दिया कि यदि "पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं" शब्दों को बरकरार रखा जाता है, तो राज्य द्वारा किया गया कोई भी आरक्षण "इस आधार पर अदालत में चुनौती देने के लिये खुला रहेगा कि जिन वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान किया गया था, उनका प्रतिनिधित्व वास्तव में पहले से ही पर्याप्त रूप से है"। इस प्रकार, आंबेडकर इस मुद्दे की न्यायिक व्याख्या के खुले होने के विरोध में थे।
- खंड (5) को मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट में शामिल किया गया था, जिसे पटेल (सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में) द्वारा 29 अप्रैल, 1947 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था।
- अंतरिम रिपोर्ट के इस खंड पर चर्चा की गई और इसे 30 अप्रैल, 1947 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। बाद में इसे आंबेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति द्वारा तैयार किये गए मसौदा संविधान के अनुच्छेद 10 (3) के रूप में एक संशोधन के साथ फिर से सौंपा गया।
- सेवाओं में 'अल्पसंख्यकों' के उचित प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिये एक अलग रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। अल्पसंख्यक अधिकारों पर उपसमिति की रिपोर्ट को पटेल ने 27 अगस्त, 1947 को विधानसभा के सामने रखा, जिसमें कई अल्पसंख्यक समूहों द्वारा (असम में एंग्लो-इंडियन, पारसी, मैदानी आदिवासी, भारतीय ईसाई, सिख, मुस्लिम और अनुसूचित जाति) किये गए दावों को शामिल किया गया।
- रिपोर्ट के खंड 9 में प्रावधान है कि केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं दोनों में 'प्रशासन की दक्षता' को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं में लगातार नियुक्तियाँ करने में सभी अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।
- यहीं से 'प्रशासन की दक्षता' शब्द को संविधान के मसौदे में लाया गया था। हालाँकि, इसे परिभाषित नहीं किया गया था।
- उक्त सिफारिशों में "अल्पसंख्यक समुदायों की सार्वजनिक सेवाओं में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की संवैधानिक गारंटी" की माँग की गई थी।
- उच्च स्तर के कुछ प्रशासनिक पदों को प्रतियोगिता के माध्यम से भरा जाना चाहिये, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा एवं प्रतिस्पर्द्धी परीक्षण शामिल हैं। पटेल ने कहा कि जिन समुदायों को कुछ मदद की आवश्यकता है उनके मामलों में 'कुछ रियायतें' दी गई हैं।
- तत्कालीन बिहार के एक आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खेद व्यक्त किया कि "आदिवासी, जो सबसे योग्य समूह है, को उस समय सेवाओं में आरक्षण से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है"। उक्त खंड को 28 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और बाद में इसे अनुच्छेद 296 के मसौदे के रूप में पुन: नामित किया गया।
- जैसा कि स्पष्ट है, संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 10 (3) और 296 के मसौदे पर अलग से चर्चा की गई और उन्हें अपनाया गया। अनुच्छेद 10 (3) को 'न्यायोचित मौलिक अधिकारों' के अध्याय में शामिल किया गया तथा इसमें 'प्रशासन की दक्षता' शब्द शामिल नहीं था। अनुच्छेद 296, जिसे बाद की तारीख में अपनाया गया, में अनुच्छेद 10 (3) का उल्लेख नहीं था।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 10 (3) में स्पष्ट रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जबकि अनुच्छेद 296 में केवल यह आश्वासन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा। इसने सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण की स्पष्ट गारंटी नहीं दी।
- विधानसभा में, बाद के दिनों में अनुच्छेद 10 (3) तथा अनुच्छेद 296 के मसौदे के बीच संबंध पर कई विचार विमर्श हुए।

अनुच्छेद 10 (3) तथा अनुच्छेद 296 का मसौदा

- अनुच्छेद 10 (3) का मसौदा 30 नवंबर, 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिये आया। जिसमें कुछ सदस्यों ने खंड (3) को हटाने के लिये संशोधन का सुझाव दिया।
- अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे में 'पिछड़े' शब्द के दायरे के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की, और 'पिछड़े वर्गों' के बाद 'अनुसूचित जाति' शब्द को जोड़ने की माँग की।
- ऐसे ही एक सदस्य, मद्रास के.पी. कक्कन ने निराशा व्यक्त की कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को "अब तक सरकारी सेवाओं में उचित नियुक्ति नहीं मिली," और न ही उन्हें "पदोन्नति के मामले में भी" न्याय मिला।
- के.एम. मुंशी (मसौदा समिति के सदस्य) ने कहा कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति को हमेशा व्यापक 'पिछड़े वर्ग' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 10 (3) और 296 दोनों के मसौदे का संदर्भ दिया ताकि यह आश्वासन दिया

जा सके कि "सदन, जैसा कि वर्तमान में या उसके बाद गठित किया गया, कभी भी अनुसूचित जाति के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा"।

- मुंशी ने कहा कि अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे के तहत राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व उनके लिये आवश्यक है, "क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि राज्य सेवाएँ देश की सेवा करने का एक दर्जा और अवसर देती हैं, और इस अवसर को हर समुदाय तक और पिछड़े लोगों में भी बढ़ाया जाना चाहिये।
- एक अन्य सदस्य, मोहम्मद इस्माइल साहिब ने बताया कि चूँकि अनुच्छेद 296 के मसौदे में अल्पसंख्यकों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बात नहीं है। अत: मौलिक अधिकार अध्याय की भाषा में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि "जब अनुच्छेद 10 (3) आरक्षण की बात करता है, तो इसका अर्थ अल्पसंख्यक समुदाय से भी है, जिसमें मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हैं"।
- सभी प्रश्नों के उत्तर में, आंबेडकर ने अनुच्छेद 10 (3) और 296 के दायरे में अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे का उद्देश्य "कुछ समुदायों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करना है। आंबेडकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण के दावों को अनुच्छेद 296 में एक 'विशेष संदर्भ' प्रदान किया गया था, ताकि संवैधानिक योजनाएँ "अल्पसंख्यकों को अपने विचार से बाहर न कर दें।"
- अनुच्छेद 10 (3) को इसके प्रस्तुत संस्करण में पारित किया गया था और इसे अनुच्छेद 296 के अधीन नहीं बनाया गया था। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले को विशेष रूप से अनुच्छेद 10 (3) के तहत संबोधित किया जाना था, जबकि अनुच्छेद 296 को अल्पसंख्यकों के आरक्षण के दावों पर विचार करने के लिये बनाया गया था।

भाषा संबंधी विवाद

- भारत के विभाजन के बाद, मसौदा समिति ने अनुच्छेद 296 के मसौदे की भाषा बदल दी, जिसमें 'अल्पसंख्यक' शब्द को 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' के साथ बदल दिया गया।
- सरदार हुकम सिंह ने कहा, हालाँकि अनुच्छेद 296 के मसौदे का मूल संस्करण न तो मौलिक अधिकार था और न ही एक निर्देशक सिद्धांत। संविधान के मसौदे में इसकी उपस्थिति "अल्पसंख्यकों के लिये केवल राहत" थी, कि कुछ मामलों में उनके हितों की देखभाल की जाएगी।
- इस भाषण से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों ने अनुच्छेद 296 के मूल मसौदे को एक समझौते या निर्देश के रूप में माना, जो कभी भी न्यायसंगत अधिकार नहीं था।
- चूँकि, अनुच्छेद 296 की बदली हुई भाषा ने विधानसभा में विवाद खड़ा कर दिया, इसलिये आंबेडकर ने औपचारिक रूप से 14 अक्तूबर, 1949 को 'अल्पसंख्यकों' शब्द को 'एससी और एसटी' के साथ बदलने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया।
- यहीं पर एक सदस्य, ब्रजेश्वर प्रसाद ने आंबेडकर के संस्करण को एक नई भाषा के साथ प्रतिस्थापित करने के लिये एक संशोधन पेश किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि संघ या राज्य के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के संबंध में "प्रशासन की दक्षता का रखरखाव ही एकमात्र विचार होगा"। दक्षता पर उनके संशोधन और विवाद को विधानसभा ने खारिज कर दिया था।
- एक अन्य सदस्य, गुप्तनाथ सिंह ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें अनुच्छेद 296 के मसौदे में "ऐसी अन्य जातियाँ जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं" शब्द जोड़ने की माँग की गई। सिंह ने तर्क दिया कि यह संशोधन, "कृषि और देहात वर्ग, के दावों की रक्षा करेगा"। जो स्पष्ट रूप से प्रस्तावित अनुच्छेद के मसौदे के अंतर्गत शामिल नहीं थे। उक्त संशोधन को भी अनुमोदित नहीं किया गया था।
- सभा ने अंतत: आंबेडकर के अनुच्छेद 296 के मसौदे के संस्करण को अपनाया, जिसमें 'एस.सी. और एस.टी.' शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसके साथ, अनुच्छेद 296 का मसौदा भविष्य की सरकारों के साथ एक निर्देश या समझौता बन गया कि सेवाओं में नियुक्तियों के लिये एस.सी. और एस.टी. के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।
- इसके अलावा, प्रसाद के संशोधन को खारिज करके, संविधान सभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर दक्षता की धारणा को एक अधिभावी प्रभाव की अनुमति नहीं दी।
- बाद में, अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे को 16 (4), अनुच्छेद 286 के मसौदे को अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 296 के मसौदे को अनुच्छेद 335 के रूप में दर्ज किया गया।

अनुच्छेद 16 (4) का व्यापक दायरा

- मसौदा समिति ने अनुच्छेद 320 के खंड 4 में एक संशोधन किया था। इसने "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों" शब्दों को इस आशय से जोड़ा कि नियुक्तियों और पदों को "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या संघ या राज्यों में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के सदस्यों के पक्ष में आरक्षित" करने के तरीके के बारे में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- जब यह संशोधित अनुच्छेद-320 14 नवंबर, 1949 को संविधान के मसौदे को पढ़ने के दौरान संविधान सभा के समक्ष विचार के लिये आया, तो तत्कालीन पूर्वी पंजाब के एक कांग्रेसी ब्राह्मण सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने नए जोड़े गए शब्दों को हटाने का प्रस्ताव रखा।
- भार्गव ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 16 (4) केवल 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के लिये आरक्षण प्रदान करता है और इसलिये यह एस.सी. और एस.टी. पर लागू नहीं होगा। भार्गव के अनुसार, उनके लिये एकमात्र सुरक्षा अनुच्छेद 335 के तहत निर्धारित है, जो केवल उनके दावों को ध्यान में रखने के लिये प्रदान किया गया है, और इसलिये यह उनके पक्ष में आरक्षण का अधिकार नहीं है।
- कुंजरू ने अनुच्छेद 320 (4), 335 और 16 (4) के बीच के संबंध पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत किसी या सभी पिछड़े वर्गों के लिये पदों के आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। यह अनुच्छेद एस.सी. और एस.टी. पर भी लागू होगा।
- इस प्रकार, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 16 की तुलना में 'सीमित अनुप्रयोग का है' और भले ही अनुच्छेद 320 में कोई खंड 4 मौजूद न हो, तब भी अनुच्छेद 320 का खंड 3 अनुच्छेद 16 के खंड 4 के प्रावधानों के अधीन होगा, जो कि इसमें शामिल एक मौलिक अधिकार है।
- कुंजरू के अनुसार, अनुच्छेद 335 से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "राज्य के पास एस.सी. और पिछड़ी जनजातियों के लिये पदों को आरक्षित करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति अनुच्छेद 16 (4) में राज्य को स्पष्ट रूप से प्रदान की जाती है। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 320 और 335 दोनों ही अनुच्छेद 16 (4) के अधीन होंगे।
- संविधान सभा में चर्चा से पता चलता है कि यह केवल अनुच्छेद 16 (4) था, जिसने राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण का अधिकार दिया था।
- संविधान सभा ने कभी भी अनुच्छेद 16 (4) को अनुच्छेद 335 या 320 के अधीन नहीं बनाया, बल्कि इसे एक स्टैंड-अलोन और अधिभावी प्रावधान के रूप में स्वीकार किया। अर्थात, अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रदान किया गया आरक्षण, अनुच्छेद 335 में वर्णित 'दक्षता की धारणा' के अधीन नहीं था।

निष्कर्ष

- संविधान के निर्माण के दौरान भी आरक्षण के विरुद्ध 'दक्षता' और 'योग्यता' के तर्कों का प्रयोग किया गया था। संविधान सभा ने जानबूझकर इन तर्कों को खारिज कर दिया।
- संविधान सभा की बहसों से पता चलता है कि अनुच्छेद 16 (4) का व्यापक दृष्टिकोण है और यह किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगा।
- दूसरी ओर, अनुच्छेद 335 को भविष्य की सरकारों के लिये केवल एक निर्देश के रूप में माना जाता था। एस.सी. और एस.टी. अनुच्छेद 16 (4) के तहत 'पिछड़े वर्गों' की परिभाषा के भीतर एक विशेष श्रेणी है।
- साथ ही, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुच्छेद 16 (4) केवल एक निर्देश नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अध्याय में निहित था। यदि पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य को न्यायालय में जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- संविधान सभा में भी प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष में एक मत व्यक्त किया गया था। कुछ समुदायों, जैसे कि आदिवासियों के पिछड़ेपन को नियंत्रित करने के लिये सेवाओं में आरक्षण को 'पदोन्नति में आरक्षण' तक बढ़ाया जाना चाहिये।
- आंबेडकर के लेखन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद 'प्रशासन की दक्षता' की धारणा का उपयोग आरक्षण के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इसकी बजाय, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके 'प्रशासन की दक्षता' को मापा या बढ़ाया जाएगा।
- इस प्रकार अनुच्छेद 16 (4) को 'प्रशासन की दक्षता' की किसी भी अपवर्जनात्मक धारणा के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है। जब अनुच्छेद 335 में 'प्रशासन की दक्षता' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह 'प्रतिनिधित्व' और 'न्यूनतम दक्षता' को संदर्भित करता है।
- अर्थशास्त्रियों ने, सुझाव दिया है कि आरक्षण या "भर्ती में सकारात्मक कार्रवाई से वास्तव में आर्थिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है - विशेष रूप से उच्च-स्तरीय नौकरियों में"।
- दुर्भाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर इस बुनियादी समझ को भ्रमित किया और कई फैसलों में गलत तरीके से अनुच्छेद 335 को अनुच्छेद 16 (4) की सीमा माना। बी.के. पवित्रा (द्वितीय) निर्णय इस संबंध में एक नया रूप प्रस्तुत करता है। संविधान सभा वाद-विवाद और आंबेडकर के लेखन दोनों ये प्रदर्शित करते हैं कि अनुच्छेद 16 (4) का संविधान में व्यापक और स्वतंत्र स्थान होगा।

कोविड-19 : नैतिकता और मृत्युदर तथा भारत का यौन पदानुक्रम

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी तथा इससे बढ़ती सामाजिक व आर्थिक समस्याओं ने यौन कर्मियों तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- भीड़भाड़ वाले आवास, वित्तीय अनिश्चितता और उनकी सेवाओं की माँग में कमी उन्हें संक्रमण एवं भुखमरी के उच्च जोखिम में धकेलती है, जबकि राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुँच को प्रतिबंधित करता है।
- पिछले कुछ दशकों में, यौन नागरिकता (नागरिक अधिकार) की अवधारणा ने अकादमिक एवं सार्वजनिक चर्चा में प्रवेश किया है। एल.जी.बी.टी.क्यू.प्लस (LGBTQ+) कार्यकर्ताओं और यौनकर्मियों के समूहों के लगातार जुड़ाव ने उनके अस्तित्व को अपराध से मुक्त करने के लिये सुधारों को आगे बढ़ाया है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के बहिष्कार का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, जिससे कई सदस्यों को भीख मांगने या यौन कार्यों के लिये मजबूर होना पड़ा।
- कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों ने इनकी समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे बदलने के लिये राज्य विशेष प्रयासरत नहीं है।

भारत में यौन नागरिक अधिकार

- नागरिक अधिकार का सिद्धांत हमेशा से ही विवादास्पद लेकिन समृद्ध बहस का मुद्दा रहा है। सामाजिक स्थिति एक राज्य में औपचारिक और कानूनी अधिकार को दर्शाती है; अधिकार राज्य पर दावा करने की क्षमता को दर्शाते हैं, जिसका राज्य को सम्मान करना चाहिये और पहचान यह दर्शाती है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं तथा सामूहिक सदस्यों के रूप में खुद को अवधारणाबद्ध करते हैं।
- 'यौन नागरिकता' की अवधारणा आधुनिक राज्यों की विषम लैंगिकता के संस्थागतकरण की आलोचना के रूप में उभरी है।
- यौन नागरिकता ने उन तरीकों को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें यौन पहचान वरीयताओं तथा प्रथाओं से संबंधित शक्ति की गतिशीलता, राष्ट्रीयता और नागरिकता को बाधित करती है।
- सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सहमति से समलैंगिक आचरण को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। फैसले में कहा गया है कि, "वयस्कों के बीच सहमति से संभोग, चाहे वह समलैंगिक या विषमलैंगिक हो, निजी स्थान पर, किसी भी तरह से सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता को नुकसान नहीं पहुँचाता है"। (नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ)
- भारत में यौन पदानुक्रम इस प्रकार विषमलैंगिकता को विशेषाधिकार देता है और कामुकता को नियंत्रित करने के लिये व्यापक जनादेश का उपयोग करता है। उदाहरण के लिये ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019।
- ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने वाले वर्ष 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार अग्रिम रूप से समर्थन करती है। यह अधिनियम ट्रांस समुदाय के निकायों और पहचान पर राज्य को नियंत्रण प्रदान करता है।
- वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौनकर्मियों से संबंधित हालिया अध्ययन का अनुमान है कि भारत में 2.8 मिलियन से अधिक यौनकर्मी हैं, जिनमें से 36% बच्चे हैं।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत यौन कार्य कानूनी रूप से वैध है, लेकिन महत्त्वपूर्ण चेतावनियों के साथ। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों का अपहरण करने और वेश्यालयों में लड़कियों को बंदी बनाने जैसे कृत्यों को अपराध बनाता है, जिसमें महिलाओं एवं यौनकर्मियों का शोषण एवं दुर्व्यवहार शामिल है।
- हालाँकि, यह अधिनियम किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूलों, मंदिरों और अस्पतालों के 200 मीटर के भीतर वेश्यालय के प्रबंधन को भी अपराध बनाता है।

रोग और लैंगिकता

- महामारी से फैलने वाली अनिश्चितता और संक्रमण का भय भेदभाव में बदल जाता है तथा समाज के हाशिये पर मौजूद लोगों को बीमारी के कारण अलग करने और बाहर निकालने के प्रयास किये जाते हैं। साथ ही यह उनके उत्पीड़न और अलगाव को भी बढ़ावा देता है।
- महामारी विज्ञान और संक्रमण नियंत्रण के साथ यौनचार का संबंध औपनिवेशिक भारत में स्थापित किया गया था और वर्ष 1868 के संक्रामक रोग अधिनियम के पारित होने से यह और मज़बूत हुआ।
- कोविड-19 महामारी के शुरुआती महीनों में, येल और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं के एक विवादास्पद अध्ययन ने तर्क दिया कि यदि भारत में रेड-लाइट क्षेत्रों को फिर से खोल दिया गया तो अगले वर्ष 4,00,000 तक संक्रमण के मामले हो सकते हैं, जो भारत को महामारी के चरम तक ले जा सकते हैं।
- यौनकर्मियों को पास-पड़ोस के वातावरण को दूषित करने और निवासियों के जीवन को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है।

भौतिक और राजनीतिक बहिष्करण

- यौनकर्मी और ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में सबसे अधिक कलंकित समूहों में से एक हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स और ट्रांस राइट्स नाऊ जैसे संगठनों की वकालत के बावजूद महामारी के दौरान सार्वजनिक सहायता की बहस में उन्हें काफी हद तक भुला दिया गया है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका की अनौपचारिक, सार्वजनिक या पारस्परिक प्रकृति ने उनकी आय को समाप्त कर दिया है। इस समुदाय के सदस्य भीख मांगने, यौन कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों (या 'बधाई' अनुष्ठानों) में मांगने और दैनिक मजदूरी के माध्यम से आय प्राप्त करते हैं।
- चूँकि कोविड के कारण धार्मिक समारोहों को स्थगित कर दिया गया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण परिवार बाहरी लोगों को अपने घरों में आने से मना कर रहे हैं, जिस कारण उनकी आय का मुख्य स्रोत बंद हो गया और वे ऋण लेने के लिये मजबूर हो गए हैं।
- औपचारिक नागरिक के रूप में, वे सुरक्षा और सेवाओं तक पहुँच के लिये राज्य पर दावा करने के हकदार हैं। हालाँकि, "नागरिकता के रूप में पहचान" का अभाव - अर्थात, सामूहिक सदस्यता से उनका बहिष्कार - उन्हें राजनीतिक रूप से गौण बना देता है और वे अधिकारों पर दावा नहीं कर पाते हैं।
- सामाजिक बहिष्कार अक्सर कानूनी बहिष्कार में तब्दील हो जाता है। किसी भी राज्य या राष्ट्रीय योजनाओं ने इस समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान न देते हुए 'गरीबी रेखा से नीचे' जैसी आर्थिक श्रेणियों से अलग ट्रांसजेंडर समुदाय का उल्लेख नहीं किया है।
- कोविड-19 के दौरान, यौनकर्मियों द्वारा वित्तीय सहायता की उनकी माँग पर ध्यान नहीं दिया गया था। अक्तूबर 2020 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रम के रूप में मान्यता दें, जिससे वह राज्य से वित्तीय और अन्य लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- इसे यौनकर्मियों के संगठनों ने अपने काम की वैधता को पहचानने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, लेकिन राज्यों, जनता और यहाँ तक कि कुछ तस्करी विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद एन.एच.आर.सी. को अपनी सिफारिश वापस लेने के लिये मजबूर होना पड़ा।
- कोविड-19 के कारण, यौनकर्मी दोहरे संकट में हैं। पहला, यौनाचार संक्रमण से संबंधित जोखिमों को बढ़ाता है, दूसरा कार्य न करने से उनके समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो सकता है।

लॉकडाउन का प्रभाव

- भारत में, मार्च 2020 में देशव्यापी तालाबंदी लागू होने के साथ, यौन कार्य और रेड लाइट ज़िलों को तुरंत बंद कर दिया गया। जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। तालाबंदी के कारण बेदखली और आय के नुकसान के कारण कई प्रवासी यौनकर्मी घर लौटने की कोशिश करने लगें। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेश्यालयों में भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री की कमी की जानकारी दी।
- हालाँकि, अधिकतर यौनकर्मियों के पास वापस घर लौटने विकल्प नहीं है क्योंकि उनके परिवारों द्वारा उन्हें अपनाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। दुर्भाग्य से, संक्रमण की दूसरी लहर ने यौनकर्मियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिये बिना किसी आर्थिक मदद के व्यावसायिक यौन गतिविधियों को बंद करने के लिये प्रेरित किया है।
- मकान के किराए का भुगतान करने में असमर्थता के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने अपना आवास खो दिया। उन्हें उसी स्थिति में दूसरों के साथ छोटे-छोटे मकानों में रहने के लिये मजबूर किया गया है। तंग वेश्यालयों या आस-पास की झुग्गियों में रहने वाले यौनकर्मियों के लिये सामाजिक दूरी को बनाए रखना संभव नहीं है।
- अपनी आजीविका को चलाने के लिये ये लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जैसे कि स्थानीय साहूकार और वेश्यालय के मालिक इत्यादि से, जो इन्हें और भी जोखिम में डाल देता है।
- हालिया रिपोर्टों में पाया गया है कि ऋण चुकाने में देरी होने पर यौनकर्मियों को मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उनके पास औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने का विकल्प नहीं हैं क्योंकि उन्हें उच्च स्तर के संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है, जो यौनकर्मी प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।
- यौनकर्मियों को उनकी जाति, जनजाति, उम्र आदि के आधार पर परस्पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वृद्ध यौनकर्मियों को वेश्यालय-मालिकों और जमींदारों द्वारा छोड़ दिया जाता है।

आगे की राह

- बेशक, यह भेदभाव कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह तर्क देते रहे हैं कि कई यौनकर्मी पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता से युक्त हैं, जो उन्हें संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करेगी।

- भारत में, एचआईवी संक्रमण को कम करने के लिये यौनकर्मी महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय यौनकर्मियों को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में काम पर रखा जाना चाहिये ताकि रोग के बारे में जानकारी दी जा सके और वह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकें।
- साथ ही, राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह एक कानूनी और राजनीतिक वातावरण तैयार करे, जिसमें यौनकर्मी और ट्रांसजेंडर अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम हों।

निष्कर्ष

- भेदभाव और कोविड-19 से बढ़ी समस्याओं ने यौनकर्मियों और ट्रांस समुदाय को बड़े जोखिम में डाल दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने ट्रांसजेंडर समुदायों को 1,500 रुपए प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन वे केवल 4,500 लोगों तक पहुँचने में कामयाब रहे।
- हालाँकि, कोविड-19 उन यौनकर्मियों के लिये भी एक अवसर प्रस्तुत कर सकता है जो अब यौन कार्यों को जारी नहीं रखना चाहते हैं।
- भारत सरकार ने देश भर में प्रवासी मजदूरों के लिये एक री-स्किलिंग कार्यक्रम की घोषणा की है, ऐसा ही कार्यक्रम यौनकर्मियों के लिये भी शुरू किया जाना चाहिये।
- हालाँकि, इस बात को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि केवल यौन कार्य को अन्य प्रकार के अनौपचारिक असुरक्षित श्रम से बदलना समाधान नहीं है, क्योंकि महिलाएँ और ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य प्रकार के शोषणों का सामना भी करना पड़ता है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि यौनकर्मियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार करने हेतु विशेष प्रयास किये जाएँ।

कोविड-19 के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश की स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पहली लहर के पश्चात् भारत ने जल्दबाजी में महामारी पर जीत की घोषणा कर दी थी, क्योंकि दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बावजूद अनर्गल चुनाव प्रचार और कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक समारोहों को अनुमति प्रदान की गई।
- शुरुआती संकेतों के बावजूद भारत ने दूसरी लहर की तैयारी नहीं की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने 2 फरवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को चिह्नित किया गया था। साथ ही, दूसरी लहर की तैयारी के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने की आवश्यकता को भी दर्शाया था।
- इस महामारी में, वैश्विक व्यापार और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही में एक अस्थायी व्यवधान स्पष्ट देखा जा सकता है, यहाँ तक कि उनके पूर्णतः बंद होने की भी उम्मीद की जा सकती है।
- अधिकाधिक आत्मनिर्भरता विकसित करने और आपूर्ति शृंखला के विवेकपूर्ण संयोजन के माध्यम से महामारी के जोखिम को कम करने के लिये आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करने की आवश्यकता है।
- वस्तुतः भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बुनियादी सामग्री की आपूर्ति के लिये चीन सहित अन्य देशों पर निर्भर है।
- केंद्र सरकार को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है, और उसके बाद निजी क्षेत्र को वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

भारतीय स्वास्थ्य सेवा की वास्तविकता

- कोविड-19 महामारी के संकट ने मरीजों के लिये अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं की कमी के साथ भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में मौजूद कमज़ोरियों को उजागर किया है।
- भारत में वर्ष 2019 में तपेदिक से मरने वाले रोगियों की संख्या कोविड-19 से अब तक हुई कुल मौतों की तुलना में दोगुनी से अधिक है। कोविड-19 जो कि एक नई और काफी हद तक अज्ञात बीमारी है, इसके विपरीत तपेदिक से होने वाली मौतों को समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से रोका जा सकता है।
- देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंकिंग केवल कुछ दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, कुछ अफ्रीकी देशों और सक्रिय संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्थित देशों की तुलना में बेहतर है।
- भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट, कुल बजट के हिस्से के रूप में दुनिया में चौथा सबसे कम है। साथ ही, यहाँ केवल आधी आबादी के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है। इस दृष्टि से भारत वर्ष 2030 की समय-सीमा तक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) के तहत 'अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण' के 14 लक्ष्यों में से 9 को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।

- भारत अभी भी वर्ष 2005 की राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जी.डी.पी. का 3% व्यय करने के लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने के लिये वर्षों से सरकारों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के बावजूद, यह निवेश की वास्तविक वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसे युद्ध स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है; इसे संकट के समय (जैसे कि वर्तमान स्वास्थ्य संकट) में स्वास्थ्य पर बजटीय परिव्यय बढ़ाकर नहीं किया जा सकता है, इसकी बजाय आगामी कई वर्षों तक नियमित स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता वाली रणनीति को अपनाना होगा।

वैक्सीन प्राथमिकताएँ

- निस्संदेह, निजी क्षेत्र की पहलों के कारण भारत को फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हुआ है। हेल्थकेयर एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ कोविड-19 के बाद की अवधि में भारतीय कंपनियों के लिये अच्छे अवसर होने की संभावना है, खासकर वैक्सीन उत्पादन के बुनियादी ढाँचे में। भारत के पास इन दोनों क्षेत्रों में क्षमता है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है।
- साथ ही, इन बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिये भारत अच्छी स्थिति में है। इस क्षमता को व्यावहारिक धरातल पर निवेश में बदलने के लिये एक अच्छे नियामक और निवेश माहौल की आवश्यकता होगी। भारत ने कोविड-19 टीकों के उत्पादन में अन्य देशों की तुलना में एक प्रमुख शुरुआत की थी, क्योंकि कोविड-19 के पहले की अवधि में निर्मित निजी बुनियादी ढाँचे के कारण यह विश्व स्तर पर टीकों का एक प्रमुख उत्पादक था।
- परिणामस्वरूप, टीके उपलब्ध कराने के मामले में भारत नेतृत्व को लेकर अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार करने के लिये अच्छी स्थिति में था, खासकर उन गरीब देशों के संदर्भ में जो नेतृत्व के लिये भारत की ओर देखते हैं।
- यद्यपि भारत ने कुछ मात्रा में गरीब देशों को टीके उपलब्ध कराए भी थे, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि ऐसा करने में केंद्र सरकार ने अपने देश में बड़ी ज़रूरतों पर समुचित ध्यान नहीं दिया था।
- भारत ने अगस्त 2021 तक 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है जिसे प्रतिमाह लगभग 70-80 मिलियन वैक्सीन खुराकों की मौजूदा निर्माण क्षमता से पूरा करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।
- हालाँकि, देश में वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने की योजना है, लेकिन टीकों की आवश्यकता भी कहीं अधिक होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 मई से 45 वर्ष से कम (18 वर्ष से अधिक) उम्र के लोगों के लिये भी टीकाकरण शुरू कर दिया है।
- उपरोक्त अनुमान को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि केंद्र सरकार को लगभग एक साल पहले ही महामारी की शुरुआत में ही देश में वैक्सीन उत्पादन के बुनियादी ढाँचे का व्यापक विस्तार करना चाहिये था। यह विदेशी नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित टीकों को भी जल्दी से मंज़ूरी दे सकता था, क्योंकि पूर्ण परीक्षण की प्रत्याशा में स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सिन को नियामक अनुमोदन दिया गया था।
- इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, जिसके लिये पी.एम. केयर्स फंड का उपयोग किया जा सकता था, साथ ही भारत में मौजूदा निर्माताओं की वर्तमान वैक्सीन उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता था।
- दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण और मौतों के मामलों पर हंगामे के साथ, रूसी स्पुतनिक जैसी अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा अनुमोदित टीकों को मंज़ूरी देर से दी गई है। साथ ही, केंद्र सरकार ने कथित तौर पर देश में मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिये भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को वित्तीय सहायता देने के लिये भी कदम बढ़ाया है।
- हालाँकि, अभी भी टीके की उपलब्धता पर सटीक अनुमान को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। साथ ही, एक सवाल यह भी उठता है कि केंद्र सरकार टीकाकरण को निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक टीके कैसे उपलब्ध कराएगी?

आर्थिक विकास अनुमान

- जैसा कि अपेक्षित था, कोविड-19 ने देश के आर्थिक विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। वैश्विक वित्तीय संकट के विपरीत, जब उभरते बाज़ारों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट को बेहतर तरीके से झेला। राजकोषीय रूढ़िवादिता और खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का मतलब है कि उभरते बाज़ारों ने कोविड-19 संकट के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। भारत सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक है, हालाँकि इसकी तुलनात्मक मृत्यु दर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है।
- भारत के लिये विश्व बैंक (2021) के हालिया सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमानों के बारे में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, क्योंकि 10.1% के साथ जी.डी.पी. में संशोधन केवल नकारात्मक आधार से बाहर निकलने को दर्शाता है।

- वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में अनुमानों के लिये औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सिर्फ 2.5% है, जो वर्ष 2019-20 के पूर्व-महामारी वर्ष में विनाशकारी 4% से कम है। यह कोविड-19 पूर्व विकास अनुमानों की तुलना में भारी स्थायी उत्पादन हानि को दर्शाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का अनुमान है कि वर्ष 2021-22 में भारत की जी.डी.पी. वृद्धि क्रमशः 10.5% और 12.5% से अधिक होगी।
- वर्ष 2021-22 के लिये उपरोक्त सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आई.एम.एफ. के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (2021) में भारत को वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 दोनों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाने वाला मज़बूत प्रतिक्षेप एक सांख्यिकीय भ्रम है। यह भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में 7.7% की भारी गिरावट का आधार प्रभाव (Base effect) है। भले ही हम उच्च आई.एम.एफ. अनुमान का उपयोग करते हैं, भारत की औसत जी.डी.पी. वृद्धि तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) में 3.8% रही है।
- दूसरा, वर्ष 2021-22 में उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद, पूर्व-कोविड-19 अनुमानों के सापेक्ष उत्पादन हानि पर्याप्त होने की उम्मीद है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारत की संभावित वृद्धि को 5.5%-6% मानते हुए उत्पादन हानि 5% से 10% के बीच है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि भारत विश्व बैंक के अनुमानों के साथ काम करता है या आई.एम.एफ. के।
- तीसरा, इनमें से किसी भी अनुमान ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर पर विचार नहीं किया है। इसका मतलब है कि निकट भविष्य में इन अनुमानों को लगभग निश्चित रूप से कम किया जाएगा, जिससे उत्पादन में भी कमी आएगी और तीन वर्षों में भारत की औसत वृद्धि 3.5% से कम हो जाएगी, यहाँ तक कि पिछले पूर्व-महामारी वर्ष के 4.2% से भी कम।
- 5 मई, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल और बढ़ती मौतों के कारण अतिरिक्त अव्यवस्था के मद्देनज़र तनावग्रस्त स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और छोटे व्यवसायों के लिये नकदी सहायता और ऋण राहत प्रदान करने के उपायों की घोषणा की है।
- मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि आर.बी.आई. ऋणों पर एक नए स्थगन की घोषणा करेगा, जबकि आर.बी.आई. ने इसकी बजाय रोलओवर विकल्प को प्राथमिकता दी है।
- ध्यातव्य है कि महामारी की पहली लहर के दौरान भी केंद्र सरकार का राजकोषीय समर्थन बहुत सीमित था। कड़े लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में गरीब लोगों की आजीविका समाप्त होने के बावजूद अधिकांश सहायता तरलता समर्थन और ऋण के रूप में दी जा रही थी।
- यही कारण है कि ये अर्थव्यवस्थाएँ अब पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आने के लिये अच्छी स्थिति में हैं। शायद यह केंद्र सरकार की ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थता का संकेत है जो कई चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के बावजूद सामान्य तालाबंदी नहीं करने के निर्णय को रेखांकित करती है।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण

- आगे बढ़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले चार वर्षों में कमज़ोर हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2016-17 में 8.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 4.2% हो गई। यहाँ तक कि महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में 7.7% की तेज़ गिरावट देखी गई। यह इंगित करता है कि भारत को अपनी संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिये कई माध्यमों से दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- सबसे पहले, दूसरी लहर के कारण होने वाले उत्पादन और नौकरियों में नुकसान को न्यूनतम रखने के लिये कुशलता से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
- दूसरा, महामारी को नियंत्रित करने के बाद निरंतर मज़बूत विकास सुनिश्चित करके मौजूदा उत्पादन हानि को यथासंभव पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने और महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने वालों को पुनः रोज़गार प्रदान करने के लिये बड़ी संख्या में रोज़गार सृजित हों।
- तीसरा, आर्थिक गतिविधियों में अधिकांश व्यवधान सरकारी नीतियों के कारण था। इसलिये छोटे व्यवसायों और बेरोज़गारों, दोनों को सरकार द्वारा कुछ मदद की ज़रूरत है, जैसा कि पश्चिमी देशों में किया गया है।
- भारत की तंग वित्तीय स्थिति को देखते हुए निस्संदेह यह एक चुनौती होगी, लेकिन इसे करने की आवश्यकता है; भले ही इसके लिये केंद्रीय बैंक को अत्यधिक सरकारी उधारी को समायोजित करने के लिये अपनी बैलेंस शीट का विस्तार करना पड़े, जैसा कि अन्य देशों में किया गया है।
- चौथा, राजकोषीय नीति को टूटी हुई बैंकिंग प्रणाली के कारण व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन का अधिक बोझ उठाना पड़ता है, जिसने मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर दिया है।
- पिछले कुछ वर्षों में नाममात्र और वास्तविक रेपो दरों में गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का बोझ अब तक काफी हद तक मौद्रिक नीति पर पड़ा है। हालाँकि, उदार मौद्रिक नीति ने ऋण वृद्धि और निजी निवेश को बहुत कम बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसके प्रसारण चैनल 'ट्विन बैलेंस शीट' समस्या के कारण बंद हैं।

- आर.बी.आई. की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली गैर-निष्पादित आस्तियों के एक बड़े बोझ तले दबी है, जिसके चालू वर्ष के दौरान फिर से तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। यह बैंकों को ताज़ा ऋण देने में अत्यधिक सतर्क बनाता है।
- इन परिस्थितियों में, मौद्रिक नीति की तुलना में विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने में राजकोषीय नीति के अधिक प्रभावी होने की संभावना है।
- आई.एम.एफ. के मुताबिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते बाज़ारों में बड़ी उत्पादन क्षति और कमज़ोर रिकवरी कोविड-19 संकट में कमज़ोर राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के कारण हैं। स्पष्टत: भारत की बैंकिंग प्रणाली में कोविड-19 पूर्व संकट को मौद्रिक नीति में सुधार के लिये शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है।
- पाँचवाँ, बंद हस्तांतरण चैनलों से परे वर्तमान समय में मौद्रिक नीति दो अतिरिक्त चुनौतियों का सामना कर रही है। विकास और मुद्रास्फीति के परस्पर विरोधी उद्देश्यों को आगे जाकर संतुलित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि आर.बी.आई. को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति 5% से ऊपर रहेगी, जो 4% ± 2% के ऊपरी सीमा में है।
- छठा, 'निर्यात' चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। यह पहले दशक के दौरान विकास का इंजन था, जब अर्थव्यवस्था मज़बूत थी। अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिये इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत की यांत्रिकी पर भ्रम को स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि अंतर्मुखी व्यापार नीतियों का अतीत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- सातवाँ, निर्यात की तरह निजी निवेश में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत बनाकर प्रतिस्पर्द्धी, स्थिर और पूर्वानुमेय नीतिगत वातावरण प्रदान करके निवेशकों को बेहतर भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का आश्वासन देकर (जो भारत में व्यापार करने की ऊपरी लागत को कम करेगी) एक दीर्घावधिक नीति रोड मैप तैयार करके विश्वास को बहाल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- नीति निर्माताओं के लिये यह चिंता का विषय होना चाहिये कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को स्थानीय दबाव के कारण कथित तौर पर विदेशों में निवेश करके अपने वैक्सीन उत्पादन में विविधता लाने पर विचार करना पड़ रहा है।
- केंद्र सरकार को उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देने के लिये निजी निवेशकों के साथ अधिक परामर्श करने की आवश्यकता है।
- कृषि क्षेत्र पर आर्थिक संकट के प्रभाव को रोकने के लिये किसानों के आंदोलन को शीघ्रता से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता है।
- अंत में, कर राजस्व प्रणाली को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हाल के वर्षों में कर राजस्व ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दिखाई है। कई विशेषज्ञों द्वारा यह बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट करों में तेज़ कमी को भी नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, यह देखने के लिये कि क्या परिणाम राजस्व हानि के अनुरूप हैं।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ और भारतीय बैंकों का बैड लोन

संदर्भ

वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 के अपने बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बहीखातों से डूबे कर्ज को समाप्त करने के लिये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Recunstruction Company - ARC) स्थापित करने की घोषणा की है। इससे ज्ञात होता है कि आगामी महीनों में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की बजाय ए.आर.सी. बैंकिंग प्रणाली में पूँजी के नवीनीकरण का मुख्य साधन होगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

- इसकी परिकल्पना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के माध्यम से की गई थी।
- इस प्रकार की पहली कंपनी भारतीय स्टेट बैंक तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा प्रवर्तित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL) थी, जिसका परिचालन वर्ष 2002 में ही आरंभ हो गया था।
- ए.आर.सी. में हाल के विदेशी निवेशकों की रुचि को दर्शाते हुए, वर्ष 2018-19 में इन संस्थाओं में विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने के बाद, अमेरिकी निवेश फर्म 'एवेन्यू कैपिटल ग्रुप' लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ ए.आर.सी.आई.एल. में सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है।
- वर्तमान में इसके अन्य शेयरधारकों में भारतीय स्टेट बैंक (20%), आई.डी.बी.आई. बैंक (19%), आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (13%) और पंजाब नेशनल बैंक (10%) शामिल हैं।
- वर्ष 2002 के बाद से कई अन्य परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना की गई है। 31 जनवरी, 2021 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वेबसाइट पर पंजीकृत 28 ए.आर.सी. सूचीबद्ध हैं।

मौजूदा पहल

- दिसंबर 2020 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के बहीखातों में 5.77 लाख करोड़ रुपए की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (NPAs) थीं। इसके अलावा, सरकार वैकल्पिक समाधान ढाँचे का उपयोग करके भी एन.पी.ए. की मात्रा को कम करने के लिये कार्य करती है, जबकि नए एन.पी.ए. बहुत अधिक हैं।
- वित्त वर्ष 2019-20 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने एन.पी.ए. के स्टॉक में 3.78 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। उस वर्ष, एन.पी.ए. में कमी (बट्टे खाते में डालने सहित) की राशि ₹3.94 लाख करोड़ थी, जिससे शुद्ध कमी काफी कम हो गई।
- वास्तव में, मौजूदा समस्या एन.पी.ए. अनुपात में दीर्घकालिक गिरावट के रूप में दिखाई देने वाले के उलट होने के कारण है। 2002-03 में भारत में पहला ए.आर.सी. स्थापित होने से पहले के दशक में पी.एस.बी. के बहीखातों में सकल एन.पी.ए. या जी.एन.पी.ए. सकल अग्रिम के 23% से घटकर सकल अग्रिमों के 9.4% हो गए थे। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2008-09 में इसे और घटाकर केवल 2% कर दिया गया था।
- 20 लाख रुपए तक के छोटे मूल्य के ऋणों को प्रायः लोक अदालतों द्वारा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निपटाने की माँग की जाती है, जिन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था तथा ऋण वसूली मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों को ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत त्वरित समाधान की सुविधा के लिये स्थापित किया गया था। सरकार ने वर्ष 2002 में सरफेसी अधिनियम पारित किया था, ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर अदालती हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित क्रेडिट की वसूली के लिये ज़ोर दिया जा सके।
- बैंकों पर दबाव को कम करने और उन्हें उचित पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में मदद करने के लिये, सरकार अतिरिक्त इक्विटी के अधिग्रहण के माध्यम से पूँजीकरण के लिये धन के साथ पी.एस.बी. का समर्थन कर रही है।
- अगस्त 2015 में सरकार ने चार वर्षीय इंद्रधनुष योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ की नई पूँजी प्रदान की जाएगी, जिसमें 25,000 करोड़ उस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में वितरित किये जाएँगे, साथ ही दो वर्षों के बाद आगामी प्रत्येक वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएँगे।
- इसके बाद अक्तूबर 2017 में एक और प्रमुख पुनर्पूंजीकरण योजना बनाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए की नई इक्विटी डालना शामिल था, जिसमें से ₹1,35,000 करोड़ सरकार की ओर से पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के साथ वित्तपोषित धन होगा।
- वास्तव में, 2000 के दशक की शुरुआत से बेसल मानदंडों का अनुपालन करने का निर्णय लेने के बाद सरकार अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करने और उसे विश्व स्तर पर अनुशंसित मानकों के अनुरूप बनाने के लिये सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली में पूँजी लगाने के उद्देश्य से बजटीय संसाधनों का आवंटन कर रही है।
- यह राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के लिये प्रतिबद्ध सरकार हेतु एक समस्या उत्पन्न करता है। राजस्व में गिरावट और कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप बढ़े हुए व्यय के बाद राजकोषीय घाटे की वृद्धि के कारण और अधिक हैं।

नई गतिविधि

- पी.एस.बी. के लिये बजट से पुनर्पूंजीकरण समर्थन के साथ समर्थित बैंकों द्वारा तकनीकी राइट-ऑफ और रिकवरी प्रावधान ने एन.पी.ए. अनुपात में कमी का एक नया दौर शुरू किया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की जुलाई 2020 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि मार्च 2021 तक जी.एन.पी.ए. अनुपात एक गंभीर तनाव परिदृश्य में बढ़कर 14.7% हो सकता है, जो मार्च 2020 में इसके 8.5% के स्तर पर था। साथ ही, बैंकों की पूँजी के प्रतिशत के रूप में नुकसान 27.9% तक हो सकता है।
- महामारी के मद्देनज़र घोषित कई उपायों, जैसे कि तनावग्रस्त कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं का समर्थन करने के लिये संकल्प योजनाओं के कार्यान्वयन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण खातों के पुनर्गठन के लिये, जबकि संपत्ति को मानक के रूप में मानने से परिणाम खराब हो सकता है जिसमें ऋणों को तुरंत दर्ज नहीं किया जा रहा है।
- इसके लिये एन.पी.ए. कम करने के अभियान को और तेज़ करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार के अभियान ने तीन रूप ले लिये थे। पहला यह था कि पुनर्पूंजीकरण के लिये धन को बढ़े हुए राजकोषीय घाटे में दर्शाए बिना व्यवस्थित किया जाए। दूसरा, बैंकों को कम से कम समय में तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली को अधिकतम करने के लिये साधन उपलब्ध कराना, जिसके लिये इसने आई.बी.सी. की स्थापना की। तीसरा, बैंकों के बहीखातों से अस्थायी रूप से अशोध्य ऋण को हटाने और उस ऋण को हल करने के बोझ को स्थानांतरित करने के तरीके खोजना, जिसमें ए.आर.सी. की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

चिंता की वजह

- वर्ष 2015 के बाद दर्ज किये गए एन.पी.ए. की मात्रा को देखते हुए, अगर सार्वजनिक बैंकों में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी

51% या उससे अधिक रखी जाती है, तो आधिकारिक पूँजीकरण निधि पर्याप्त होनी चाहिये। बड़े पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के माध्यम से उस आवश्यकता को वित्तपोषित करने को उचित ठहराना मुश्किल होता।

- इसलिये, तेज़ी से बैंकों के लिये इक्विटी बाज़ार से पूँजी जुटाने का मामला बनाया जा रहा है। किंतु, समस्या यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उचित मूल्य पर इक्विटी बेचना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक उनके बहीखाते एन.पी.ए. के बोझ से दबे हों।
- इन परिस्थितियों में, उपलब्ध विकल्प या तो सीधे आई.बी.सी. प्रक्रिया के माध्यम से या ए.आर.सी. के माध्यम से उचित वसूली के साथ ऋण बट्टे खाते में डालने का प्रयास कर रहे थे। हालाँकि, आई.बी.सी. प्रक्रिया ने लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के माध्यम से पहले के प्रयासों की तुलना में बेहतर वसूली सुनिश्चित की है।

आगे की राह पर अटकलें

- कुल मिलाकर, अनुभव यह बताता है कि ए.आर.सी. ने बैंक एन.पी.ए. के निपटान के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम नहीं दिये हैं, क्योंकि या तो ए.आर.सी. द्वारा एन.पी.ए. का अधिग्रहण सुस्त था या प्रतिभूति प्राप्तियों का निपटान खराब था, अथवा दोनों ही कारण हो सकते हैं।
- एन.पी.ए. बेचने वाले बैंकों को शायद ही कोई फायदा हुआ हो, जबकि ए.आर.सी. और बाद में एफ.आई.आई. और क्यू.आई.बी. ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
- इसके अलावा, वर्ष 2016 में अधिनियमित आई.बी.सी. के तहत एक त्वरित समाधान प्रक्रिया को लागू करने के प्रयास भी इस कार्य के लिये अपर्याप्त साबित हुए हैं। समाधान प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और केवल कुछ ही मामलों में यह प्रभावी साबित हो रही है।
- यह इस पृष्ठभूमि में है कि बजट 2021 में एन.पी.ए. हासिल करने और एन.पी.ए. समाधान प्रक्रिया में मदद करने के लिये एक 'बैड बैंक' स्थापित करने की घोषणा का आकलन किया जाना है। स्पष्ट रूप से, सरकार की मंशा नहीं है कि वह अपने सिकुड़ते बजटीय संसाधनों पर बोझ लादने के लिये खराब कर्ज को अपने ऊपर ले, जैसा कि दिखावटी पुनर्पूंजीकरण प्रयास स्थापित करता है। दूसरी ओर, बजट में घोषित होने के बाद प्रस्तावित नई ए.आर.सी. सरकार की एक पहल प्रतीत होती है।
- अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित ए.आर.सी. और ए.एम.सी. की संरचना और कार्यप्रणाली में कौन-सी नई विशेषताएँ होंगी, इसका विवरण सामने नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अभी भी उन विवरणों को तैयार करने के चरण में है।
- इसने बहुत सी अटकलों को जन्म दिया है, विशेष रूप से उन लोगों की ओर से जो प्रस्तावित नए 'बैड बैंक' में जटिल एन.पी.ए. समस्या के अंतिम समाधान की संभावना देखते हैं। चूँकि बजट में ए.आर.सी. की स्थापना की घोषणा की गई थी, इसलिये उम्मीद है कि सरकार की भूमिका होगी।
- अन्य योगदान जो सरकार करने का निर्णय ले सकती है वह सुरक्षा रसीदों की वसूली पर गारंटी का प्रावधान है। यह एक आकस्मिक दायित्व है जो उस वर्ष में सरकार के बहीखातों में नहीं दिखाई देगा, जिसमें यह खर्च किया गया है।
- किंतु, सुरक्षा रसीदों के निपटान के पिछले अनुभव को देखते हुए यह संभावना है कि सुरक्षा रसीदें काफी हद तक बिना बिके रहें। और जब सुरक्षा रसीदों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, तब उस नुकसान को बैंकों की बजाय सरकार को वहन करना होगा।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 115-116) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य
2. ग्रेट निकोबार प्लान
3. नारकोंडम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
4. मुल्ला-पेरियार बाँध (केरल में स्थित किंतु तमिलनाडु द्वारा संचालित)
5. पाकल डल (किश्तवार ज़िला, जम्मू और कश्मीर)
6. लक्षद्वीप
7. दौलत बेग ओल्डी (लद्दाख)

मानचित्र-2 (विश्व)

1. बोगनविले द्वीप
2. लॉ सॉफरियर ज्वालामुखी (पूर्वी कैरेबियाई द्वीप समूह)
3. व्हिटसन रीफ (पश्चिमी फिलीपींस सागर)
4. स्वेज़ नहर
5. फरज़ाद-बी गैस फील्ड (ईरान)
6. फारमोसा (ताइवान) जलसंधि
7. लितानी नदी (लेबनान)

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- 20 अप्रैल, 2021 को अमेरिका के 'कंजर्वेशन इंटरनेशनल' नामक पर्यावरणीय संगठन ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर 'ब्लू नेचर अलायंस' लॉन्च किया। इसका उद्देश्य महासागरीय जैव-विविधता व पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करना तथा महासागरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सशक्त बनाना है। 'ब्लू नेचर अलायंस' के लक्ष्यों में शामिल हैं- पाँच वर्षों में 18 मिलियन वर्ग कि.मी. महासागर का संरक्षण करना, पाँच वर्षों में ही वैश्विक महासागर के 5% हिस्से को सुरक्षित करना तथा वर्ष 2030 तक 30% महासागरीय संरक्षण में विश्व की मदद करना।

- वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 'विश्व पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है। वर्ष 2021 में मनाए गए 51वें 'विश्व पृथ्वी दिवस' की थीम 'रिस्टोर आवर अर्थ' (Restore Our Earth) थी।

- स्विटज़रलैंड के जेनेवा स्थित गैर-लाभकारी संगठन विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 'एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, 2021' जारी की है, इसमें 115 देशों की सूची में भारत को 87वाँ स्थान प्राप्त हुआ। 'विश्व आर्थिक मंच' निम्नलिखित 3 आयामों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करता है-
  i. आर्थिक विकास और संवृद्धि
  ii. पर्यावरणीय सततता
  iii. ऊर्जा सुरक्षा तथा पहुँच

- हाल ही में, 'विश्व मौसम विज्ञान संगठन' (WMO) ने 'स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2020' जारी की। इसके अनुसार, वर्ष 2020 के कोविड-19 से प्रभावित रहने के बावजूद भी वर्ष 2019 व 2020 में प्रमुख हरित गृह गैसों का उत्सर्जन निरंतर बढ़ा है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में समुद्री तापमान व समुद्री जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। मई 2020 में कलकत्ता के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अंफान' से करीब 14 बिलियन डॉलर की आर्थिक हानि हुई।

- विश्व बैंक की एक शाखा 'माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट' ने 'माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट' जारी की। विश्व बैंक यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार जारी करता है। इसके अनुसार, वर्ष 2020 में भारत को विश्व में सर्वाधिक 'प्रेषण राशि' (Remittance) प्राप्त हुई। कोविड-19 आपदा के बावजूद इसमें वर्ष 2019 की तुलना में महज 0.2% की ही गिरावट आई। उल्लेखनीय है कि 'प्रेषण राशि' का आशय उस राशि से है, जो किसी देश के नागरिक द्वारा अन्य देश में रहकर आय के रूप में अर्जित की जाती है तथा अपने गृह देश में भेजी जाती है।

- हाल ही में, नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने मिलकर 'कनेक्टेड कॉमर्स : क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर ए डिजिटल इंक्लूसिव भारत' नामक एक रिपोर्ट जारी की। यह डिजिटल रूप से समावेशी भारत के निर्माण के लिये रणनीति बनने में मदद करेगी। इस रिपोर्ट में भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में उपस्थित चुनौतियों की पहचान की गई है।

- 'भारत के ड्रग महानियंत्रक' (DCGI) ने वयस्कों में होने वाले कोविड-19 के गंभीर संक्रमण के उपचार के लिये 'विराफिन' (Virafin) नामक दवा के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इंजेक्शन के माध्यम से उपयोग की जाने वाली यह एंटीवायरल दवा 'जाइडस कैडिला' (Zydus Cadila) नामक एक भारतीय दवा निर्माता कंपनी द्वारा बनाई जाती है। मूल रूप से यह दवा लीवर को प्रभावित करने वाले हैपेटाइटिस बी व सी विषाणुओं से निपटने के लिये प्रयोग में लाई जाती है।

- 'उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2020 में 3 माह के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौर में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किग्रा प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गरीबों के समक्ष उभरे खाद्यान्न संकट से निपटने की लिये सरकार ने मई-जून, 2021 के लिये इस योजना को पुनः लागू किया है।

- डेनमार्क स्थित एक संस्था 'फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन' (FEE) विश्व स्तर पर समुद्री बीचों को उनकी स्वच्छता के आधार पर प्रमाणित करती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य के लिये 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन' (ICZM) प्रोजेक्ट के तहत 'बीम्स' (Beach Environment and Aesthetics Management Services – BEAMS) कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 'आई.सी.जेड.एम. प्रोजेक्ट' केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था 'साइकोम' (Society of Integrated Coastal Management – SICOM) ने लॉन्च किया था।

- कुछ समय पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के लिये 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि की सीमा 30 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 51,560 करोड़ रुपए कर दी थी, जिसे आर.बी.आई. ने सितंबर माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 'अर्थोपाय अग्रिम योजना' केंद्र सरकार ने वर्ष 1997 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत सरकार आर.बी.आई. से तीन माह तक के लिये धनराशि उधार लेती है तथा प्रचलित रेपो दर के सामान दर पर ब्याज चुकाती है।

- हॉन्गकॉन्ग ने हाल ही में अपने कॉवलून (Kowloon) प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कॉवलून प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्व में कॉवलून की खाड़ी भी स्थित है।

- यमन में सक्रिय 'हाउती विद्रोहियों' ने उत्तरी-पश्चिमी 'कसारा युद्धभूमि' पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और यमन के 'मारिब' शहर के निकट पहुँच गए। मारिब के निकट अत्यधिक तेल-खदानें उपस्थित हैं, जो यमन सरकार के लिये राजस्व का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसे में, मारिब पर 'हाउतियों' का कब्जा होने से यमन सरकार और अधिक संकटग्रस्त हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि यमन सरकार 'सुन्नी मुस्लिम' प्रधान है, इसलिये उसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। जबकि हाउती विद्रोही 'शिया मुस्लिम' समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है।

- हाल ही में, ओडिशा में ऐसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, जो 'हर्लेक्विन इस्थियोसिस' (Harlequin Ichthyosis) नामक बीमारी से ग्रसित है। यह एक त्वचा संबंधी आनुवंशिक बीमारी है। वस्तुत: मानव शरीर में 'ए.बी.सी.ए. 12' (ABCA 12) नामक जीन पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका तक वसा का परिवहन करना होता है। इस जीन में उत्परिवर्तन के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। इस लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे की त्वचा कटी-फटी होती है। यह बीमारी प्रति 30 लाख जन्मे बच्चों में से किसी एक को प्रभावित करती है।

- हाल ही में, डब्ल्यू.एच.ओ. ने एक अफ्रीकी देश गैम्बिया को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया। ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला गैम्बिया 'कोट डी-आइवरी' के बाद दूसरा अफ्रीकी देश है। 'ट्रेकोमा' एक 'नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल ऑय डिजीज' (Neglected Tropical Eye Disease) है। यह 'बैक्टीरियम क्लैमीडिया ट्रेकोमेटिस' नामक जीवाणु द्वारा होती है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित भी होती है। यह बीमारी बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करती है तथा उम्र बढ़ने के साथ-साथ इस बीमारी के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।

- भारत के 'नियंत्रक व महालेखापरीक्षक' (CAG) जी.सी. मुर्मू को वर्ष 2021 में 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चयनित किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ध्यातव्य है कि ओ.पी.सी.डब्ल्यू. एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 'रासायनिक हथियार अभिसमय' (CWC) को लागू करने के लिये गठित किया गया था। सी. डब्ल्यू.सी. वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित व वर्ष 1997 में लागू हुआ था। ओ.पी.सी.डब्ल्यू. का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व को सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के 'हेग' में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, किंतु यह 2001 के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट सौंपता है। ओ.पी.सी.डब्ल्यू. को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।

- वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को 'विश्व मलेरिया दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन' रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2021 के लिये इसकी थीम 'रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट' है। 21 चुनिंदा देशों में मलेरिया के उन्मूलन के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 2017 में 'ई-2020 पहल' शुरू की थी। इसकी सफलता के पश्चात् डब्ल्यू.एच.ओ. ने अन्य 25 देशों में मलेरिया उन्मूलन के लिये 'ई-2025 पहल' का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि मलेरिया रोग 'प्लाजमोडियम परजीवी' के कारण होता है तथा मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह संचरित होता है।

- केरल ने हाल ही में 'ब्रुसेलोसिस' रोग से बचाव हेतु कुछ रक्षोपाय घोषित किये हैं। वस्तुत: 'ब्रुसेलोसिस' एक जीवाणुजनित रोग है। इसे 'माल्टा फीवर' या 'भूमध्यसागरीय फीवर' भी कहा जाता है। चूँकि यह रोग जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, अत: यह एक जूनोटिक रोग है। एंटीबायोटिक्स के माध्यम से इस रोग का उपचार संभव है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) तथा खाद्य व कृषि संगठन (FAO) ने संयुक्त रूप से 'ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट' (GloLitter Partnerships Project) लॉन्च किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य महासागरों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करना है। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट समुद्री परिवहन तथा मत्स्यपालन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में भारत सहित कुल 30 देश भागीदार हैं तथा इसके लिये आरंभिक वित्तीय सहायता नॉर्वे सरकार उपलब्ध करा रही है।

- भारतीय सेना की 'फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स' ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (HPCL) तथा एक एन.जी.ओ. के साथ मिलकर 'लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट' लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लद्दाख के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इन विद्यार्थियों को आई.आई.टी. व नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।

- हाल ही में, 'स्वामी फंड' (Special Window for Affordable & Mid-Income Housing - SWAMIH) से सहायता प्राप्त करने वाली पहली आवासीय परियोजना पूर्ण हो गई, यह मुंबई स्थित 'रिवाली पार्क आवासीय परियोजना' है। यह फंड वर्ष 2019 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 'रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण' (RERA) के अंतर्गत आरंभ हुई उन आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं। यह कोष सेबी के तहत 'वैकल्पिक निवेश कोष श्रेणी-II' (AIF-II) के रूप में पंजीकृत है।

- भूटान 'प्रोजेक्ट दंतक' की डायमंड जुबली मना रहा रहा है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 1961 में भूटान के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूटान में सडकें, दूरसंचार नेटवर्क व अन्य युगांतरकारी अवसंरचनात्मक ढाँचे का निर्माण करना है।

- अफ्रीका का साहेल क्षेत्र अभी भी इस्लामिक आतंकवाद का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिये 1 अगस्त, 2014 को फ्राँस ने 'ऑपरेशन बरखाने' लॉन्च किया था। इस कार्य में साहेल क्षेत्र के पाँच अफ्रीकी देश फ्राँस का साथ दे रहे हैं, इनमें चाड, नाइजर, बुर्किना फांसो, मोरितानिया तथा माली शामिल हैं। इन पाँचों अफ्रीकी देशों को 'जी5 साहेल' के नाम से जाना जाता है। फ्राँसीसी सेना चाड की राजधानी 'जमेना' (N'Djamena) में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2020 में पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर 'स्वामित्व योजना' लॉन्च की थी। आरंभ में यह योजना सिर्फ 9 राज्यों में ही लागू की गई थी, किंतु अब इसे सभी राज्यों तक विस्तृत कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय स्वामित्व वाली भूमि का मानचित्रण करना है, ताकि भूमि रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। भूमि के मानचित्रण के पश्चात् प्रत्येक भू-स्वामी को सरकार द्वारा एक 'संपत्ति कार्ड' (Property Card) भी प्रदान किया जाएगा।

- हाल ही में, 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने 'सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स' बनाने की तकनीक विकसित की तथा ऐसी 60 ब्लेड्स 'हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड' (HAL) को सौंपी। निकल से बनी ये ब्लेड्स अत्यंत मज़बूत हैं, जो उच्च गुणवत्ता युक्त हेलीकॉप्टरों के निर्माण में मदद करेगी।

- भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से 'सप्लाई चैन रेजिलिएंस इनिशिएटिव' (SCRI) लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सशक्त आपूर्ति शृंखला का विकास करना तथा इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करना है।

- 'डीप टाइम प्रोजेक्ट' फ्राँस की 'लॉम्ब्राइव गुफा' में 'ह्यूमन एडेप्टेशन इंस्टिट्यूट' के वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण किया गया। इसका उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि रहने योग्य सामान्य स्थितियों तथा पर्यावरण में परिवर्तन होने पर लोग कैसे अनुकूलन करते हैं।

- 'परंपरागत कृषि विकास योजना' कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की फ्लैगशिप योजना है। इसके अंतर्गत 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (LAC) स्कीम' लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भू-भागों को चिह्नित कर कृषि में जैविक पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में, अंडमान और निकोबार ऐसा पहला संघ राज्यक्षेत्र बन गया है, जिसके भू-भाग का चयन इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किया गया है।

- हाल ही में, भारत द्वारा इज़रायल से प्राप्त 'पायथन-5' मिसाइल को स्वदेशी एयरक्राफ्ट 'तेज़स' पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल किया गया है। हवा-से-हवा में मार करने वाली यह पाँचवी पीढ़ी (5G) की मिसाइल है, जबकि 'तेज़स' एक चौथी पीढ़ी (4G) का एयरक्राफ्ट है। इज़रायल ने इस मिसाइल को वर्ष 2006 में पहली बार लेबनान के विरुद्ध युद्ध में इस्तेमाल किया था। 'तेज़स एयरक्राफ्ट' एकल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ मिलकर विकसित किया है। यह लड़ाकू विमान भारतीय 'वायुसेना' तथा 'जलसेना' में शामिल किया गया है।

- हाल ही में, 'कृषि अवसंरचना कोष' (AIF) 8000 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद आवश्यक अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करना है। इसके माध्यम से मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि के ऋण प्रदान किये जाने की योजना है। इसके लिये सरकार द्वारा 2 करोड़ की ऋण राशि तक 3% की ब्याज में छूट तथा क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। यह कोष वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 की अवधि तक कार्य करेगा।

- 'पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया' (PGCIL) ने कुछ समय पूर्व 'पॉवरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' (Power Grid Infrastructure Investment Trust - PGInvIT) लॉन्च किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी किया गया भारत का पहला तथा समेकित रूप में 'आई.आर.बी. इनविट' व 'इंडिया ग्रिड ट्रस्ट' के बाद भारत का तीसरा 'इनविट' (Infrastructure Investment Trust - InvIT) है। यह एक इनविट के रूप में 'सेबी' के तहत पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि 'महारत्न' का दर्जा प्राप्त 'पी.जी.सी.आई.एल.' भारत की सबसे बड़ी विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी है।

- हाल ही में, 'टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' (TIFR) के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जल व मैग्निशियम के साथ मिश्रित कर उपयोगी ईंधन में परिवर्तित करने की एक लागत प्रभावी तकनीक विकसित की है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन, मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल आदि में परिवर्तित किया जाता है। इसके माध्यम से वायुमंडल में हरित गृह गैसों की सांद्रता में कमी आएगी तथा भूमंडलीय तापन की समस्या से निपटने में भी सहयता मिलेगी।

- भारत व जर्मनी ने संयुक्त रूप से 'प्रोजेक्ट पायरासॉल' (Project Pyrasol) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य शहरी कार्बनिक अपशिष्ट को बायोचार व ऊर्जा में परिवर्तित करना है। उल्लेखनीय है कि 'पायरोलिसिस' ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा तापमान की उपस्थिति में संपन्न की जाने वाली अपशिष्ट निपटान की एक प्रक्रिया है।

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH) हेतु 2250 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय बागवानी क्षेत्र का समेकित विकास करना है। वित्त वर्ष 2014-15 में लॉन्च की गई यह योजना 'हरित-क्रांति-कृषोन्नति योजना' का अंग है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसके तहत भारत सरकार सामान्य राज्यों को 85% तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया कि वर्ष 2022 तक पवित्र 'मंगोलियन कंजूर' के 100 सेट्स का पुनर्मुद्रण (Reprinting) हो जाएगा और उनका मंगोलिया में वितरण कर दिया जाएगा। दरअसल, 'मंगोलियन कंजूर' बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संक्षिप्त रूप में संकलित किये गए हैं। मंगोलिया में इनका उच्चारण मंदिरों में दैनिक पूजा के दौरान किया जाता है। इन पांडुलिपियों को वर्ष 1956-57 के मध्य प्रोफेसर रघुवीर जी भारत लाए थे। उल्लेखनीय है कि भारत और मंगोलिया के मध्य कूटनीतिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित हुए थे।

- वैज्ञानिकों ने पश्चिमी अफ्रीका की प्राचीन 'नॉक संस्कृति' के बारे में पता लगाया कि ये लोग मिट्टी की कलाकृतियों के निर्माण के लिये मधुमक्खी के मोम का उपयोग करते थे। यह संस्कृति 500 ई.पू. से 200 ई. के मध्य वर्तमान 'नाइजीरिया' में विकसित हुई थी। ये लोग खेती करते थे तथा लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे।

- नासा के 'ओसीरिस-रेक्स' (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer – OSIRIS-Rex) नामक अंतरिक्ष यान ने मई 2021 में 'बेन्नू क्षुद्रग्रह' (Bennu Asteroid) की सतह से नमूने एकत्रित कर वापस पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। यह करीब दो वर्षों में पृथ्वी पर लौट आएगा। नासा ने यह मिशन वर्ष 2016 में लॉन्च किया था तथा यह अंतरिक्ष यान इस क्षुद्रग्रह की सतह पर अक्टूबर 2020 में उतरा था। किसी खगोलीय पिंड से नमूने एकत्रित कर पुनः पृथ्वी पर लौटने वाला नासा का यह पहला अंतरिक्ष मिशन है।

- मई 2021 में, तीसरी 'आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक' में भारत ने भाग लिया। इसका आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। एशिया में इस बैठक का आयोजन पहली बार हुआ। इस वर्ष इसकी थीम थी- 'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक'। इससे पूर्व इस बैठक का आयोजन वर्ष 2016 में यू.एस.ए. में तथा वर्ष 2018 में जर्मनी में हुआ था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2008 से ही आर्कटिक क्षेत्र में भारत का 'हिमाद्री' नामक एक स्थाई अनुसंधान स्टेशन उपस्थित है।

- हाल ही में, एक चीनी राकेट 'लॉन्ग मार्च-5बी वाई2' का मलबा मालदीव के निकट हिंद महासागर में गिरा। यह चीन द्वारा निर्मित किये जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन 'तियांगॉन्ग' के लिये आवश्यक सामग्री ले जा रहा था। यह अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2022 के अंत तक निर्मित हो जाएगा तथा 10-15 वर्षों तक कार्यरत रहेगा। उल्लेखनीय है कि चीन का यह अंतरिक्ष स्टेशन वर्तमान में स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) को विस्थापित करेगा तथा विश्व के सभी देश सामान रूप से इसका उपयोग कर सकेंगे।

- कुछ दिनों पूर्व, 'ब्रिक्स रोज़गार कार्यसमूह' (BRICS Employment Working Group – EWG) की पहली बैठक नई दिल्ली में आभासी रूप में आयोजित हुई थी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष बना है। बैठक के पश्चात् सदस्य देशों ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (Social Security Agreement – SSA) हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। वस्तुत: एस.एस.ए. भारत द्वारा किसी देश के साथ 'सीमा-पार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया' एक द्विपक्षीय समझौता है। यह समझौता श्रमिकों को न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के दोहरे कवरेज से बचाता है, बल्कि उनके साथ सामान व्यवहार भी सुनिश्चित करता है।

- हाल ही में, इंडोनेशिया की 'के.आर.आई. नांगल' सबमरीन बाली द्वीप के निकट समुद्र में डूब गई, जिसे ढूँढने के लिये भारत ने भी विशाखापत्तनम से अपना एक 'डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वेसल' (DSRV) भेजा है।

- हाल ही में, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिये पहली किश्त जारी की गई। दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई इस 'केंद्रीय क्षेत्रक योजना' का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता राशि प्रति चार माह के अंतराल पर 2000 रुपए की तीन सामान किश्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों की सूची राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है। उल्लेखनीय है कि आरंभ में सिर्फ 2 हेक्टयेर तक की भूमि पर खेती करने वाले छोटे व सीमांत किसान ही इस योजना के तहत पात्र थे, लेकिन 1 जून, 2019 को भूमि-जोत की सीमा हटा दी गई थी।

- 'भवानी देवी' ओलंपिक खेलों के लिये क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज (Sabre Fencer) बन गई हैं। इसी वर्ष मार्च में बुडापेस्ट विश्व कप के बाद 'समायोजित आधिकारिक रैंकिंग' (Adjusted Official Ranking – AOR) पद्धति के माध्यम से उन्हें कोटा हासिल हुआ है।

- 'रेड-ईयर स्लाइडर कछुआ' अपने स्वरूप में आकर्षक होने के कारण पालतू जीव के रूप में तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा है, किंतु उभयसृपविज्ञानियों (Herpetologists) ने चेताया कि इसे किसी प्राकृतिक जल निकाय ने छोड़े जाने पर यह कछुओं की लगभग 29 देशी प्रजातियों के लिये खतरा पैदा कर सकता है। ये कछुए मूलत: अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं तथा कछुओं की देशी प्रजाति का भोजन भी खा जाते हैं।

- केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल (ACC) बैटरी भंडारण कार्यक्रम' नामक एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य भारत में 50 गीगावाट ऑवर्स तथा 5 गीगावाट ऑवर्स क्षमता की ए.सी.सी. बैटरियों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि इन बैटरियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। वर्तमान में भारत आयात के माध्यम से ए.सी.सी. बैटरियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये ऐसी बैटरियाँ होती हैं, जो 'विद्युत ऊर्जा' को विद्युत-रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संगृहीत रखती हैं। इनका उपयोग आधुनिक विद्युत ग्रिडों, विद्युत वाहनों, सौर पैनलों आदि में किया जाता है।

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथियों की मौत से संबंधित आँकड़े जारी किये। इनके अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2020-21 के दौरान देशभर में कुल 186 हाथी ट्रेनों की चपेट में आने से मारे गए हैं। इनमें 62 हाथी असम में (सर्वाधिक), 57 पश्चिम बंगाल में तथा 27 ओडिशा में मारे गए हैं।

- फरवरी 2021 में, ब्रिटेन के 'विंचकंब' (Winchcombe) नामक शहर में किसी उल्कापिंड (Meteorite) का एक हिस्सा पृथ्वी की सतह पर गिरा था। इस शहर के नाम पर इस उल्कापिंड को विंचकंब नाम दिया गया। इसे मई 2021 से, 'राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय' में प्रदर्शन के लिये रखा जाएगा। वस्तुत: 'उल्कापिंड' एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान भी नष्ट नहीं होता है तथा पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है।

- 'डूम्सडे सर्फिंग' (Doomsday Surfing) अर्थात् 'कयामत के दिन तक सर्फिंग' से आशय है- 'इंटरनेट पर निरंतर दुखद या निराशाजनक खबरों को ढूँढ-ढूँढकर देखते-पढ़ते रहना।' हाल के दिनों में, कई लोगों को निरंतर कोविड-19 संबंधी नकारात्मक खबरों को पढ़ते हुए पाया गया। इस दौरान ये लोग नींद व दैनिक कामकाज का परित्याग कर कीमती समय को गँवा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 'सर्फिंग' का आशय लंबे समय तक दिलचस्पी के साथ इंटरनेट पर नई-नई चीजें खोजते रहने की प्रक्रिया से है।

■■■

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. 'पर्माफ्रॉस्ट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यह बर्फीले क्षेत्रों में भू-सतह के नीचे न्यूनतम दो वर्षों तक जमी हुई अवस्था में रही आधार भूमि है।
   2. पृथ्वी का लगभग 17% तथा उत्तरी गोलार्द्ध का 25% भाग पर्माफ्रॉस्ट से आच्छादित है।
   3. यह पृथ्वी के लिये एक विशाल फ्रीज़र की भूमिका निभाती है।
   4. इसे पृथ्वी पर कार्बन तथा पारे का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 3 और 4
   (d) उपर्युक्त सभी।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ख(1) के तहत गठित 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' एक संवैधानिक निकाय है।
   2. संसद तथा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में शामिल या उससे अपवर्जित कर सकता है।
   3. अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) पिछड़े वर्गों के लिये विशेष प्रावधान से संबंधित है, जिन्हें राज्यों द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता है।
   4. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को विर्निदिष्ट करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 3
   (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 1 और 4
   (d) केवल 1, 3 और 4

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. जानवरों से मनुष्यों में संचरित होने वाले रोग 'जूनोटिक रोग' कहलाते हैं।
   2. मनुष्यों में आपसी संक्रमण के कारण होने वाले रोग को 'एंथ्रोपोजूनोटिक रोग' के रूप में जाना जाता है।
   3. निपाह वायरस, इबोला, कोरोना वायरस, रेबीज़ तथा एवियन इन्फ्लुएंजा आदि जूनोटिक रोग की श्रेणी में आते हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 3
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी।

4. 'खजुराहो मंदिरों' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) यह विंध्य पर्वत शृंखला पर अवस्थित हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था।।
   (b) इन मंदिरों का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख अबू-रिहान-अल-बरूनी तथा अफ्रीकी यात्री इब्नबतूता के विवरणों में मिलता है।
   (c) ये मंदिर 'द्रविण शैली' का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है।
   (d) यहाँ कुछ मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है, जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय मंदिर के चारों-ओर मंदिर बने होते हैं।

5. 'रामानुजाचार्य' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. उन्होंने आदिशंकराचार्य के 'अद्वैतवाद' को चुनौती देते हुए 'विशिष्टाद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया।
   2. वे ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे तथा उन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया।
   3. उन्होंने संस्कृत भाषा में ब्रह्मसूत्र की रचना की तथा भगवद्गीता पर भाष्य लिखा।
   4. उन्होंने जन्म व जाति के स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मान प्राप्त करने का आधार बताया।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 4
   (d) उपर्युक्त सभी।

6. 'एनर्जी ट्रांज़िशन रिपोर्ट' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?
   (a) विश्व आर्थिक मंच
   (b) विश्व बैंक
   (c) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
   (d) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)

7. 'अर्थोपाय अग्रिम योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. वर्ष 1997 में प्रारंभ हुई इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय संकट के दौरान अग्रिम आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
   2. इसके तहत रिज़र्व बैंक केंद्र व राज्य सरकारों को तीन माह तक के लिये प्रचलित रेपो दर के समान दर पर धनराशि उधार देता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

8. 'न्यायालयों' के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय-क्षेत्र, शक्तियों इत्यादि का उल्लेख किया गया है।
   (b) संविधान का भाग 5क उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र इत्यादि से संबंधित है।
   (c) वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से केवल तीन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य व संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तृत है।
   (d) 'दिल्ली' एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. नए ज़िलों का गठन करने, मौजूदा ज़िलों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति पूर्णतः राज्य सरकार में निहित है।
   2. किसी ज़िले का नाम परिवर्तन डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया तथा रेल मंत्रालय जैसी संस्थाओं से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

10. चर्चा में रहा शब्द 'डूम्सडे सर्फिंग' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
   (a) अंतरिक्ष क्षेत्र में की जाने वाली निरंतर खोज से।
   (b) इंटरनेट पर निरंतर दुखद या निराशाजनक खबरों को ढूँढ-ढूँढकर देखते-पढ़ते रहना।
   (c) कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये उपचार के संबंध में की गई खोज।
   (d) डार्क वेब से संबंधित सर्फिंग।

11. भाषा तथा संबंधित राज्य के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

	भाषा	राज्य
1.	चिनाली	सिक्किम
2.	भोटिया	उत्तराखंड
3.	तराओ	मेघालय
4.	सारे	अंडमान और निकोबार

   उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 4
   (b) केवल 1, 2 और 3
   (c) केवल 2 और 4
   (d) उपर्युक्त सभी।

12. 'मंगोलियन कंजूर' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. ये बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संक्षिप्त रूप में संकलित किया गया है।
   2. मंगोलिया में इनका उच्चारण मंदिरों में दैनिक पूजा के दौरान किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न हो 2

13. 'पायरोलोसिस' का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(a) यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा तापमान की उपस्थिति में संपन्न की जाने वाली अपशिष्ट निपटान की एक प्रक्रिया है।

(b) यह पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में गंभीर रूप से प्रसारित एक संक्रामक रोग है।

(c) यह यूरोपीय देशों में प्रचलित जल निस्पंदन की एक प्रक्रिया है।

(d) यह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित एक तकनीक है।

14. 'सप्लाई चौन रेजिलिएंट इनिशिएटिव' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह भारत, जापान तथा इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई एक पहल है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सशक्त आपूर्ति शृंखला का विकास कर चीन पर निर्भरता को कम करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

15. अध्यादेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु इसे वापस लेने के लिये वह स्वतंत्र है।
4. अध्यादेश को पूर्ववर्ती तिथि से भी लागू किया जा सकता है।
5. संविधान संशोधन सहित अध्यादेश संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4

(b) केवल 2, 3 और 5

(c) केवल 1 और 4

(d) केवल 1, 2, 4 और 5

16. 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 'रासायनिक हथियार अभिसमय' को लागू करने के लिये गठित किया गया था।
2. इसका मुख्य उद्देश्य विश्व को सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है।
3. यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के 'हेग' में अवस्थित है।
4. इसे वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 4

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

17. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

1. हर्लेक्विन इस्थियोसिस	मस्तिष्क संबंधी आनुवंशिक रोग
2. ट्रैकोमा	उपेक्षित उष्णकटिबंधीय नेत्र रोग
3. ब्रुसेलोसिस	जीवाणुजनित ज्वर

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) केवल 2 और 3

18. 'प्लाज्मा' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह रक्त में उपस्थित एक तरल पदार्थ है, जो शरीर में कोशिकाओं तक पोषक तत्त्व पहुँचाने का कार्य करता है।
2. इसमें उपस्थित 'एल्बुमिन' तथा 'फाइब्रिनोजेन' नामक प्रोटीन रक्त वाहिकाओं से ऊतकों में तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने तथा संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
3. इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नामक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो विषाणु, जीवाणु, कवक आदि से शरीर की रक्षा करती है।
4. यह रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई स्थापित की गई है।
2. भारत का सबसे बड़ा तथा एकमात्र डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थापित किया गया है।
3. भारत में सौर छत परियोजना की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य है।
4. विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है।

उपर्युक्त सभी कथन किस राज्य के संबंध में सही हैं?

(a) महाराष्ट्र (b) केरल
(c) गुजरात (d) तमिलनाडु

20. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से अधिकतम छह माह पूर्व निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार हैं।
(b) चुनाव अधिसूचना जारी होने तथा मतदान की तिथि के मध्य न्यूनतम 25 दिन का वैधानिक अंतराल होना आवश्यक है।
(c) राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य के संबंध में किसी नई योजना की घोषणा कर सकती है।
(d) चुनाव आचार संहिता का प्रभाव पहले से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कार्यों पर नहीं पड़ता है।

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिये-

कथन (a): पूँजीगत व्यय का गुणात्मक प्रभाव अधिक होता है।

प्रभाव (R): इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि के साथ आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होती है।

(a) (a) गलत तथा (R) सही हैं।
(b) (a) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (a) की सही व्याख्या है।
(c) (a) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (a) का सही प्रभाव नहीं है।
(d) (a) तथा (R) दोनों गलत हैं।

22. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के तहत जारी किये गए पहले 'न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. देश के सभी राज्यों में आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत तथा स्वच्छ ईंधन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता बेहतर हुई है।
2. यह सूचकांक जल, स्वच्छता, आवास, शिक्षा तथा सूक्ष्म पर्यावरण जैसे पाँच आयामों के 26 संकेतको के आधार पर जारी किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न हो 2

23. युनेस्को द्वारा जारी 'एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डैंजर' के अनुसार, वर्ष 1950 से अब तक विश्व भर में 230 भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं। भाषाओं की विलुप्ति के कारणों में शामिल हैं-

1. किसी विशेष भाषा को बोलने वाली आबादी का समाप्त हो जाना
2. शहरों की ओर पलायन
3. जैव विविधता
4. मीडिया एवं व्यवसाय का वैश्वीकरण
5. यातायात व संचार तकनीकी में सुधार
6. जलवायु परिवर्तन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 1, 2, 4 और 6
(c) केवल 1, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

24. मई 2021 में आयोजित तीसरी 'आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एशिया में पहली बार आयोजित इस बैठक का आयोजन आइसलैंड तथा जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
2. इस वर्ष बैठक का विषय 'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक' था।
3. इससे पूर्व इसका आयोजन वर्ष 2016 में जर्मनी तथा वर्ष 2018 में यू.एस.ए. में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्यों को होने वाले राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिये ऋण तथा वित्तपोषण जैसे प्रावधान किये गए हैं।
2. राज्य सरकार राजकोषीय नियंत्रण हेतु एक वित्त वर्ष में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3% तक ऋण ले सकती है।
3. वित्तीय साधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने तथा राजकोषीय प्रवाह के संकुचन को रोकने हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिये राज्यों की ऋण सीमा में 2% की वृद्धि की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

26. 'राज्य आपदा राहत कोष' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) के तहत स्थापित किया गया है।
2. इसका उद्देश्य अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों को मूल राशि उपलब्ध कराना है।
3. इसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों को 50% तथा पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों को 75% राशि आवंटित की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

27. 'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 के अनुसार 'खोज-सह-चयन समिति' में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे-

1. भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश
2. केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव
3. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
4. अधिकरण से संबंधित मंत्रालय का मंत्री

उपर्युक्त में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

28. भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के तत्त्वों में शामिल हैं-

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. एकल नागरिकता
3. अखिल भारतीय सेवाएँ
4. शक्तियों का विभाजन
5. स्वतंत्र न्यायपालिका

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2, 3 और 5
(d) केवल 1, 4 और 5

29. उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इनकी उत्पत्ति अधिकांशत उत्तरी व दक्षिणी गोलार्द्ध में 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागर की सतह पर होती है।
2. ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में अधिक विकसित होते हैं।
3. इनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

30. 'वास्तविक प्रभावी विनिमय दर' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह मुद्रा के उचित मूल्य मापन की सबसे सरल और प्रभावी व्यवस्था है।
2. इसमें व्यापारिक साझेदार राष्ट्रों तथा संबंधित राष्ट्र की मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में रखा जाता है।
3. इसके अनुसार यदि घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो संबंधित राष्ट्र के निर्यात में कमी आएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर

1. (d)	2. (d)	3. (c)	4. (c)	5. (d)	6. (a)	7. (b)	8. (b)	9. (c)	10. (b)	11. (c)
12. (c)	13. (a)	14. (b)	15. (c)	16. (b)	17. (d)	18. (d)	19. (c)	20. (c)	21. (b)	22. (a)
23. (d)	24. (c)	25. (d)	26. (c)	27. (b)	28. (d)	29. (c)	30. (d)			

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. भारत और आसियान के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र में भारत के लिये संभावित अवसरों को चिह्नित कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

आसियान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग

- भारत और आसियान के मध्य व्यापारिक संबंधों के बारे में बताएँ, जैसे भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार, $81 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार, कुल निर्यातों का 12% आदि।
- आसियान देशों के संदर्भ में भारतीय अवसरों में, ई-कॉनॉमी 2020 रिपोर्ट (e-Conomy report, 2020) में उल्लिखित क्षेत्र, डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसरों आदि के बारे में बताएँ।
- भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में आसियान के महत्त्व को रेखांकित करें।

निष्कर्ष

व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाले कुछ सुझावों के साथ निष्कर्ष लिखें।

2. संवैधानिक निकायों से संबंधित मामलों में मीडिया की रिपोर्टिंग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

मीडिया का परिचय प्रस्तुत करते हुए उससे संबंधित संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएँ, जैसे अनुच्छेद 19 आदि।

मुख्य भाग

- मीडिया की रिपोर्टिंग के उदाहरणों में भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख करें।
- मीडिया की रिपोर्टिंग से जुड़ें सकरात्मक पक्षों के बारे में बताएँ, जैसे नागरिकों तक सूचनाओं का प्रसार, संस्थाओं की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में भूमिका आदि।
- रिपोर्टिंग से संबंधित चिंताओं को चिह्नित करें, जैसे सनसनीखेज बनाने के प्रयास से बचना, आचार नियमों से आबद्ध रहना, निष्पक्ष रिपोर्टिंग आदि।

निष्कर्ष

लोक महत्त्व के मामलों में मीडिया की भूमिका को प्रभावी बनाने वाले वाले कुछ सुझावों के साथ निष्कर्ष लिखें।

3. प्लास्टिक कचरे से शहरी तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करते हुए इसके समाधान हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

प्लास्टिक कचरे के स्रोतों को बताते हुए इसके स्रोतों को रेखांकित करें।

मुख्य भाग

- प्लास्टिक कचरे से समुद्री जीवों, मत्स्यन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा आदि पर पड़ने वाले नकरात्मक प्रभावों के बारें में बताएँ।
- समाधान से जुड़े पक्षों, जैसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, डाटा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन आदि के बारे में बताएँ

निष्कर्ष

प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने में व्यापक जन-जागरूकता तथा वैश्विक प्रयासों को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष लिखें।

4. अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापसी के दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

अफगानिस्तान में अमेरिका के सैन्य अभियान का परिचय दें (9/11 के हमले के पश्चात् अमेरिका का सैन्य अभियान)।

मुख्य भाग

- दक्षिण एशिया पर पड़ने वाले प्रभावों, जैसे इस क्षेत्र में चीन की दखल, मजहब-आधारित उन्माद में वृद्धि, महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के प्रभावित होने तथा अफगानिस्तान में गृह युद्ध बढ़ने की आशंका आदि के बारे में बताएँ।
- भारत पर पड़ने वाले प्रभावों में, कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि, अफगानिस्तान में भारत की विकास योजनाएँ प्रभावित होने की आशंका तथा अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रभुत्त्व में वृद्धि।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता में 'स्थिर अफगानिस्तान' के महत्त्व को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष लिखें।

5. विदेशी मुद्रा भंडार नीति की आवश्यकता से संबंधित आयामों का विश्लेषण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

विदेशी मुद्रा भंडार का परिचय देते हुए इस 'बास्केट' में शामिल मुद्राओं का विवरण प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग

- विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित वर्तमान परिदृश्य को प्रस्तुत करें, जैसे वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड प्रवाह, उच्च प्रवाह के कारणों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की बाजार हस्तक्षेप नीति आदि।
- फोरेक्स नीति की आवश्यकता से संबंधित आयामों जैसे, मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों आदि को संदर्भित करें।
- फोरेक्स नीति के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करें।

निष्कर्ष

फोरेक्स को प्रबंधित करने के लिये एक विशिष्ट एजेंसी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए निष्कर्ष लिखें।

6. कोविड-19 के कालखंड में अनाथ हुए बच्चों के लिये उपलब्ध संस्थानिक रक्षोपायों का विवरण प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

कोविड-19 का बच्चों की परिस्थितियों के आलोक में परिचय दें।

मुख्य भाग

- महामारी के दौरान अनाथ बच्चों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों, जैसे पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि का उल्लेख करें।
- संस्थानिक उपायों जैसे, चाइल्डलाइन 1098, 'नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रेन' बाल-कल्याण पुलिस अधिकारी, 'इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम' आदि को अपने उत्तर में शामिल करें।
- उक्त संदर्भ में अपने कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करें।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 39 के बच्चों से संबंधित उपबंधों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को संदर्भित करते हुए निष्कर्ष लिखें।

7. नए ज़िलों के गठन से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए इससे होने वाले लाभों को चिह्नित कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

प्रशासनिक इकाई के रूप में ज़िले के बारे में संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- नए ज़िलों के गठन से संबंधित राज्य सरकारों की शक्तियों का उल्लेख करें, जैसे नए ज़िलों या मौजूदा ज़िलों की सीमाओं में परिवर्तन या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।
- ज़िलों के गठन में केंद्रीय निकायों की भूमिका, जैसे नाम में परिवर्तन के लिये गृह मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया डाक विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता, को लिखें।
- नए ज़िलों के गठन से होने वाले प्रशासनिक, कल्याणकारी योजनाओं, नागरिकों तक पहुँच आदि लाभों को उत्तर में शामिल करें।

निष्कर्ष

ज़िलों के गठन से संबंधित अपने सुझावों सहित निष्कर्ष लिखें।

8. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिये आवश्यक दशाओं का चिह्नित करते हुए स्थानीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का परिचय और विभिन्न क्षेत्रों में इसके नामों का विवरण प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के आवश्यक दशाओं, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, न्यूनतम कोरियोलिस बल, संघनन की गुप्त ऊष्मा आदि का वर्णन करें।
- चक्रवात के विभिन्न चरण को डायग्राम की सहायता से प्रदर्शित करें।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न प्रभावों, जैसे जन-हानि, अवसंरचना का नुकसान, बाढ़, पारिस्थितिक तत्र को नुकसान आदि को लिखें।

निष्कर्ष

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भविष्यवाणी, निगरानी तथा आपदा जोखिमों को कम करने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष लिखें।

9. हरित हाइड्रोजन में भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पुनर्कल्पित और पुनर्व्यवस्थित करने की क्षमता है। टिप्पणी कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

हरित हाइड्रोजन को संक्षेप में स्पष्ट करें।

मुख्य भाग

- भारत की वर्तमान ऊर्जा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति, ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता, दुनिया के सर्वाधिक बड़े ऊर्जा उपभोक्ता वाले देशों में भारत का शामिल होना आदि का उल्लेख करें।
- हरित हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा, वर्ष 2030 तक भारत के 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

भारत की हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता का उल्लेख करें।

10. दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा सहयोग की चर्चा भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग द्वारा हाल ही में संपन्न भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका के दौरे का उल्लेख करें।

मुख्य भाग

- बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ चीन के सुरक्षा सहयोग, श्रीलंका के लिये ऋणों और मुद्रा विनिमय सुविधा को $2 बिलियन से अधिक बढ़ाना, बांग्लादेश को उपकरण प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करना आदि का उल्लेख करें।
- भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति तथा श्रीलंका और बांग्लादेश में क्वाड को सैन्य गठबंधन के रूप प्रचारित करने का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रतिउत्तर में भारत की अग्रसक्रिय नीतियों को वैक्सीन मैत्री, बिम्सटेक समूह आदि के संदर्भ में स्पष्ट करें।

11. साइबर धोखाधड़ी के मामलों में हो रही निरंतर वृद्धि के कारणों की चर्चा करते हुए इससे निपटने हेतु भारत की संस्थागत साइबर सुरक्षा अवसंरचनाओं पर चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

हाल ही में जारी 'नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट, 2021' का उल्लेख करते हुए कोविड-19 महामारी के दौर में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में हुई वृद्धि को संक्षेप में बताएं।

मुख्य भाग

- साइबर धोखाधड़ी के मामलों में हुई वृद्धि के कारणों में लोगों द्वारा घर से काम करना, महामारी के कारण लोगों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी, साइबर जागरूकता का अभाव, संस्थाओं में प्रभावी समन्वय की कमी, साइबर कुशल कर्मचारियों का अभाव आदि का उल्लेख करें।
- भारत की संस्थागत साइबर सुरक्षा अवसंरचनाओं में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु कुछ सुझावों जैसे- साइबर कुशल कर्मचारियों में वृद्धि, साइबर सुरक्षा क्षेत्र हेतु पृथक रूप से बजट आवंटन आदि की चर्चा करें।

12. भारत और ब्रिटेन के मध्य आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के संदर्भ में हाल ही में संपन्न हुए द्विपक्षीय शिखर सम्मलेन के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हुए दोनों राष्ट्रों के मध्य विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

यूरोपीय देशों के अंतर्गत भारत के लिये ब्रिटेन के महत्त्व को संक्षेप में बताएँ।

मुख्य भाग

- द्विपक्षीय शिखर सम्मलेन के प्रमुख बिंदुओं में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप प्रदान करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप 2030, उन्नत व्यापार साझेदारी, वैश्विक नवाचार साझेदारी, प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी आदि का उल्लेख करें।
- दोनों राष्ट्रों के मध्य विद्यमान चुनौतियों में औपनिवेशिक इतिहास, विभाजन की कड़वी विरासत एवं पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के 'कथित झुकाव', लेबर पार्टी का भारत के प्रति रुख आदि को स्पष्ट करें।

निष्कर्ष

दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में हुई वृद्धि से मज़बूत द्विपक्षीय साझेदारी तथा क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने के संदर्भ में चर्चा करें।

13. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते है? कोविड-19 महामारी के दौर में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को संक्षेप में परिभाषित करें।

मुख्य भाग

- कोविड-19 महामारी के दौर में आंतरिक प्रवासन, खाद्य असुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे का विफल होना, योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाना आदि के संदर्भ में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करें।
- भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, चिकित्साकर्मियों को 50 लाख रुपए के बीमा कवर आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

वर्तमान में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर सार्वभौमिक योजना की जरूरत का उल्लेख संक्षेप में करें।

14. 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' से आप क्या समझते है? इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

जूनोटिक बीमारियों एवं 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- भारत सरकार के प्रयासों के अंतर्गत 1980 के दशक में जूनोसस पर एक 'राष्ट्रीय स्थायी समिति' का गठन, मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणालियों को समेकित करना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि का उल्लेख करें।
- 'वन हेल्थ विज़न' की विभिन्न चुनौतियाँ के अंतर्गत पशु चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों तथा स्टाफ की कमी का होना, मानव स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान का अभाव होना, खाद्य सुरक्षा की आड़ में पशु-हत्या करना आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

भारत को ज़ूनोटिक बीमारियों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा 'वन हेल्थ विज़न' पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निवेश की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

15. रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता के विकसित होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इससे निपटने हेतु किये जा रहे उपायों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता को संक्षेप में स्पष्ट करें।

मुख्य भाग

- रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता के विकसित होने के कारणों में चिकित्सा में रोगाणुरोधकों का दुरुपयोग, कृषि में इनका अनुचित उपयोग, दवा निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण आदि का उल्लेख करें।
- इससे निपटने हेतु किये जा रहे उपायों में नए रोगाणुरोधी को विकसित करना, एंटीबायोटिक के उपयोग को सीमित करना, निगरानी उपायों को मज़बूत करना आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित प्रयोग को रोककर संक्रामक रोगों के प्रति स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का उल्लेख करें।

16. भू-जल स्तर में गिरावट का फसल गहनता पर प्रभाव को स्पष्ट करते हुए इस हेतु उत्तरदायी नीतिगत समस्याओं पर चर्चा कीजिए।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

कृषि भूमि का अधिकतम प्रयोग या भूमि प्रयोग की बारंबारता के संदर्भ में फसल गहनता को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- भू-जल में गिरावट से फसलों के उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत की कमी होने, प्रमुख सिंचाई साधनों यथा- कुएँ, नलकूप तथा नहरों में जल की कमी से फसल उत्पादन का प्रभावित होना आदि का उल्लेख करें।
- नीतिगत समस्याओं के अंतर्गत हरित क्रांति के दौर में उत्तर-पश्चिमी भारत में चावल की कृषि को बढ़ावा देना, नीतिगत समर्थन के कारण गहन कृषि को बढ़ावा मिलना, भू-जल का गैर-धारणीय प्रयोग होना, सिंचाई संबंधित पर्याप्त अवसंरचना की कमी आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

भारत में नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा सिंचाई अवसंरचना को विस्तृत करने की आवश्यकता एवं वैज्ञानिक विधि से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

❑❑❑

संस्कृति करेंट अफेयर्स

घर बैठे मँगवाएँ हमारी पत्रिका

नीचे दिये गए खाता संख्या/यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड पर जाकर पत्रिका के लिये ऑनलाइन भुगतान करें।

सदस्यता शुल्क

कुल मूल्य	अर्द्धवार्षिक	वार्षिक	द्विवार्षिक
पंजीकृत डाक/कूरियर सेवा के साथ (जी.एस.टी. सहित)	₹780	₹1440	₹2880

Account Holder Name: Sanskriti IAS

A/c No: 033105005525

Account Type: Current

IFSC Code: ICIC0000331

Branch: ICICI Bank, Ashok Vihar

QR Code for Payment Detail

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें
www.sanskritiIAS.com

भुगतान करने के पश्चात् कृपया भुगतान विवरण दिये गए मोबाइल नंबर **7428 085 757 / 58** पर भेजें।

नोट: सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद पत्रिका आपके बताए पते पर प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक डिस्पैच कर दी जाएगी।

सदस्यता कूपन

कृपया मुझे छमाही ☐/वार्षिक ☐/द्विवार्षिक ☐ प्लान के तहत संस्कृति करेंट अफेयर्स पत्रिका भेजें।

नाम (अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ई-मेल..... मोबाइल नं. .....

ट्रांज़ेक्शन नं. .....दिनांक .....

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

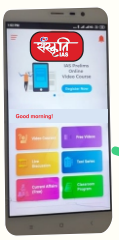

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का एप डाउनलोड करें

पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी
- प्रत्येक माह करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉर्मेट में
- प्रत्येक वीडियो को जी.एस. में 4 बार और वैकल्पिक विषय में 3 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएँगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

एडमिशन लेने से पहले जान लें कि आपको कौन पढ़ाएगा!

शिक्षक, जो सुनिश्चित करेंगे आपकी सफलता

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

प्रथम एवं द्वितीय बैच फुल

तृतीय बैच
में नामांकन जारी

वैकल्पिक विषय

इतिहास
द्वारा –
अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा –
कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान
द्वारा –
राजेश मिश्रा

7428085757
7428085758

मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009